लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 8, बुधवार, 18 जून, 1980/28 ज्यैष्ठ, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1–28
*तारांकित प्रश्न संख्या	142 से 144, 147 से 149, 151 और 153	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		28–183
तारांकित प्रश्न संख्या	145, 146, 150, 152 और 154 से 162	
अतारांकित प्रश्न संख्या	1081 से 1090, 1092 से 1127, 1129 से 1158 1160 से 1180 और 1182 से 1232	
दिनांक 19-3-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1087 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य		183
सामान्य बजट प्रस्तुत किये जाने के बारे में घोषणा		184
सभा पटल पर रखे गये पत्र		184–187
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .		
दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में रेजीडेंट डाक्टरों की सांकेतिक हड़ताल—		187–199
श्री चिरंजी लाल शर्मा		187–188
श्री बी० शंकरानन्द		188
श्री जी० एम० बनातवाला		188–190
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		190–192
श्री राम विलास पासवान		192–194

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्हां इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . दूसरा प्रतिवेदन	
समिति के लिये निर्वाचन	
राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	199
नियम 377 के अधीन मामले	200–202
(एक) कागज के लघु उद्योग क्षेत्र आधुनिकीकरण की आवश्यकता श्री एस० ए० दोराई सेबिस्तयन	200
(दो) किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक सप्लाई करने की आवश्यकता श्री पी० राजगोपाल नायडू	200–201
(तीन) उड़ीसा को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में कमी श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	201
(चार) प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०, बंबई में तालाबंदी डा० सब्रह्मण्यम स्वामी	202
(पाँच) पाकिस्तान की सीमा के पास राजस्थान के कुछ गांवों में पीने के पानी की अत्याधिक कमी श्री मनफूल सिंह चौधरी	202
रेल बजट, 1980-81-सामान्य चर्चा	203–240
श्री भागवत झा आजाद	206–210
श्री पी० ए० संगमा	210–211
श्री जी० एल० डोगरा	211–213
श्री एन० के० शेजवालकर	213–216
श्री नन्दी पेल्लैया	216–218
श्री अशफाक हुसैन	218–219
श्री बृजमोहन महंती	219–223
श्री संतोष मोहन देव	223–224
श्री नारायण चौबे	224–230
श्री मल्लिकार्जुन	230–234
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	234–238
श्री हरकेश बहादुर	238–239
श्री के० प्रधानी	239–240
बजट (सामान्य) 1980-81 प्रस्तुत श्री आर० वेंकटरामन	240–271
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1980-पुरः स्थापित	272

लोक सभा

गुरुवार, 18 जून, 1980/28 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

छठी योजना के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श

*142. **श्री ए० के० बालन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने भारत में आर्थिक योजानएं तैयार करने के लिए कोई वैकल्पिक मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार छठी योजना को अंतिम रूप देते समय उन पर विचार करेगी ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) : छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81 से 1984-85) के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श सितम्बर, 1980 से शुरू होने की आशा है और योजना का प्रारूप दिसम्बर, 1980 के अंत तक तैयार हो सकेगा, जिससे कि वह अगले वर्ष के शुरू में राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री ए० के० बालन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान केरल के मुख्यमंत्री द्वारा जारी किये गये वक्तव्य की ओर गया है कि योजना को तैयार करने के लिये मंत्री-स्तर पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमान् मुझे हाल ही में केरल के मुख्य मंत्री से इस बारे बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

डा० सुब्रह्मन्यम स्वामी : महोदय, हम प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में एक शुद्धि पत्र जारी किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री ए० के बालन : वर्ष 1980-81 के दौरान केरल राज्य का प्रस्तावित योजना परिव्यय 290 करोड़ रुपये है। केरल की वर्तमान संसाधन स्थिति की पूर्ण समीक्षा से पता चला है कि बिना पर्याप्त केन्द्रीय सहायता के वार्षिक योजना को 265 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़ाना सम्भव नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार इस राशि में सीमान्तक वृद्धि करके केरल राज्य की सहायता करने की स्थिति में है। दूसरा, छठी योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देने से पूर्व मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार छठी पंचवर्षीय में रोजगार योजना मुख शिक्षा पर जोर देना चाहती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमान जब भी हमें केरल की छठी योजना पर पुनर्विचार करने के लिये केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त होगा, तो हम बड़ी प्रसन्नता से समस्त स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे, किन्तु अभी तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित ऐसा कोई प्रस्ताव हमें प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री चित्त बसु : श्रीमान् छठी पंच वर्षीय योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप दे देने से पहले 1980-81 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देने के संबंध में विचार विमर्श किया जा चुका है। अब पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री महोदय की, जो वहां के योजना मंत्री भी हैं, यह शिकायत है कि पश्चिम बंगाल योजना के लिये केन्द्रीय सहायता में क्रमशः कमी हुई है। उन्होंने कहा है कि 1978-79 में यह सहायता 34 प्रतिशत थी, जिसे 1979-80 में कम करके 26 प्रतिशत कर दिया गया और अब इसे 1980-81 के लिये और भी कम करके 22 प्रतिशत कर दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुये क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का प्रस्ताव यह है कि पश्चिम बंगाल के लिये 26 करोड़ रुपये के संसाधन अन्तराल को पूरा किया जाये, जिसे वर्ष 1980-81 के लिये गत वर्ष की तरह से 26 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर तैयार किया गया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी : यद्यपि इस विशेष प्रश्न का मुख्य प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मैं इस का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हम पश्चिम बंगाल सरकार से पत्र व्यवहार करते रहे हैं। उसने हमें कहा है कि हम योजना की समीक्षा का प्रबन्ध करे जहां तक केन्द्रीय सहायता का संबंध है उसने और अधिक सहायता देने के लिए कहा है, उसने हमें बताया है कि जहां तक राज्य सरकार के भाग का संबंध है, वह अतिरिक्ति संसाधन जुटायेगी। हमने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री से और अधिक सूचना देने के लिये कहा है और अभी उनका उत्तर आना है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जब भी हमे यह सूचना प्राप्त हो जायेगी, तो पश्चिम बंगाल सरकार से और आगे विचार विमर्श करने के लिये तैयार रहेंगें।

श्री जेवियर अराकल : इस प्रश्न का संबंध पश्चिम बंगाल तथा केरल सरकारों के साथ है। क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि केरल राज्य के मुख्य सचिव ने

यह पत्र लिखा है जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुखों को कहा गया कि अपने पश्चिम बंगाल के विभागों के प्रमुखों के साथ सम्पर्क स्थापित करें और उनके साथ आदेशों, अधिसूचनाओं एवं उप-नियमों पर विचार विमर्श करें । यदि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है, तो क्या सरकार इस और ध्यान देगी और समुचित कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : केरल सरकार के इन आदेशों को हम ने नहीं देखा है। यदि माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला है जिसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस पत्र की एक प्रति हमें भेजें ।

श्री निरेन घोष : सहायता अथवा संसाधनों का नियतन के वारे में निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद में सर्वसम्मति के आधार पर किया जाता है । किन्तु असमानता के आरोप भी लगाये गये हैं । उदाहरणार्थ, जबकि महाराष्ट्र राज्य केन्द्रीय राजकोष में 1800 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तथा पश्चिम बंगाल 1200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का योगदान देते है, वहां महाराष्ट्र राज्य को 333 करोड़ रुपये तथा पश्चिम बंगाल को 66 करोड़ रुपये की सहायता मिलती है। इसलिये असमानता के ये आरोप लगाये गये हैं । क्या वह स्थिति स्पष्ट करेंगे और क्या सरकार केन्द्रीय बजट के राजस्व के 75 प्रतिशत भाग को भारत के राज्यों, विशेष करके पिछड़े राज्यों में वांटने के हेतु आरक्षित करने के वारे में विचार करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जैसा कि माननीय सदस्य को अच्छी तरह मालूम है कि जो कुछ भी केन्द्रीय योजना सहायता राज्यों को उपलब्ध की जाती है, वह गाडगिल फार्मूला के आधार पर की जाती है । योजना आयोग ने गाडगिल फार्मूला के इस सिद्धान्त को नहीं छोड़ा है । जैसा कि माननीय सदस्य अच्छी प्रकार जानते हैं कि गत वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद ने अतिरिक्त धनराशि देने के हेतु एक अन्य फार्मूला तैयार किया था । जिसके अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कटौती करके राज्यों को यह राशि आवंटित की जाती है शायद, माननीय सदस्य उस अन्तरण की बात कर रहे हैं जिसकी गैर-योजना खर्च के सम्बन्ध में वित्त आयोग ने सिफारिश की थी। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि योजना आयोग का उन अन्तरणों से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है जिनकी वित्त आयोग ने सिफारिश की है । हम वित्त आयोग द्वारा लिये गये निर्णय को मानने के लिये वाध्य हैं ।

तकनीकी और प्रबन्धकीय जनशक्ति की कमी

*143. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) कम्प्यूटर व्यवस्था का संचालन करने में तकनीकी और प्रवंधकीय जनशक्ति की कमी दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण हेतु अल्प समय की नियुक्ति के लिए अमरीका में कार्य कर रहे भारत वंशी विशेषज्ञों को लाने की कोई व्यवस्था की गई है ? और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) कम्प्यूटर के क्षेत्र में महसूस की जा रही जनशक्ति की कमी दूर करने के लिए सुझाव देने की दृष्टि से ''कम्प्यूटर जनशक्ति विकास'' पर इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक संयुक्त पैनल गठित किया गया है। पैनल के अगस्त 1980 के आखिर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है।

(ख) तथा (ग) : संयुक्त राज्य अमरीका में कार्य कर रहे भारत-वंशी विशेषज्ञों को प्रशिक्षण की अल्प अवधि के लिए लाने के बारे में कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं की गई है। किन्तु, संयुक्त राज्य अमरीका के विश्वविद्यालयों और भारतीय संस्थानों के बीच भारत-वंशी विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के कार्यक्रमों को विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में क्रियान्वित करने के प्रयास किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता-प्राप्त इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में भी भारत-वंशी विशेषज्ञों को अल्पकालीन अवधि के लिए कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

श्री के० टी० कोसलराम : मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अमरीका में भूतपूर्व भारतीय राजदूत, श्री पालकीवाला ने अमरीका में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों की अल्पकालीन नियुक्तियों के लिये एक योजना तैयार की थी और इसे भारत सरकार के पास प्रेषित किया था। हाल ही में बम्बई में एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने अपने भाषण में ऐसी नयी योजना बनाने के श्रेय का दावा किया है। क्या यह सच है ?

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह बात मेरे ध्यान में नहीं आयी है। वास्तव में इस के बारे में मैं पहली बार सुन रही हूं, किन्तु हम इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री के० टी० कोसलराम : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के पास ऐसी योजना है जिससे इन वैज्ञानिकों को भारत में आने और यहां काम करने के लिये प्रोत्साहन मिलता हो।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है। हम उत्सुक है कि जो लोग विदेश चले गये हैं उन्हें वापस भारत आ जाना चाहिये और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों को भी भारत में रहना चाहिये और उन्हें विदेश नहीं जाना चाहिये। सर्वोत्तम प्रोत्साहन तो यह है कि देश में कार्यालयों में और कारखानों में ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायें कि वे शान्तिपूर्ण वातावरण में काम कर सकें और उनकी काम करने तथा जीवन यापन की स्थितियां अच्छी हों।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रश्न यह है। प्रतिभा पलायन होता चला आ रहा है और भारत जैसे एक देश के लिये अमरीका अथवा पश्चिम जर्मनी के साथ प्रतिस्पर्धा करना सम्भव नहीं है निर्धन लोगों द्वारा धन खर्च किया जाता है, किन्तु वे इन विकसित देशों में काम कर रहे हैं। हम विकसित देशों में उपलब्ध स्थितियों को यहां निकट भविष्य में लाने में समर्थ नहीं होंगे अतः, क्या हमें इन लोगों को भारत में अपने राष्ट्र के लिये काम करने के लिये मजबूर नहीं करना चाहिये, क्या हमें कुछ शर्तें लागू नहीं करनी चाहिये ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्हें मजबूर करना कठिन है, किन्तु कुछ स्थितियां तो पैदा की जा सकती हैं। हर व्यक्ति विदेश नहीं जाता और मैं यह विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हूं कि वे केवल वित्तीय पहल से विदेश जाने के लिये आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि मैंने कहा है कि समुचित स्थितियां पैदा करनी होंगी। जहां तक मैं जानती हूं प्रतिवर्ष 400 व्यक्ति प्रशिक्षित होते हैं, इस समय मांग 800 से 900 की है और इन 400 व्यक्तियों में से लगभग 150 लोग विदेश जा रहे हैं।

सीमेंट का उत्पादन, आयात तथा निर्यात

*144. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान देश में सीमेंट की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया; और;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान सीमेंट की कितनी मात्रा का आयात और निर्यात किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

	वर्ष	उत्पादन (लाख मी० टन)	
(क)	1976–77	1885	
	1977–78	1941	
	1978–79	1942	
	1979–80	1762	
		(लाख मी० टनों में)	
		आयातित मात्रा	निर्यातित मात्रा
(ख)	1976–77	कुछ नहीं	9.96
	1977–78	3.12	5.39
	1978–79	16.55	0.84
	1979–80	15.47	0.70

श्री टी० आर० शमन्ना : यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हाल के वर्षों में सीमेंट की समस्या बहुत ही जटिल हो गयी है जिससे सभी चिन्तित हैं। मांग तेजी से बढ़ती जा रहीं है जबकि उत्पादन कम होता जा रहा है। हमारे पास कच्ची सामग्री तथा मजदूर हैं, हमारे यहां इस की माँग भी बहुत है बाधा बिजली, अथवा कोयला या परिवहन अथवा मजदूरों के सहयोग की कमी है। चूंकि सीमेंट एक आवश्यक वस्तु है, इस लिए क्या सरकार गम्भीर कार्यवाही नहीं कर सकती मेरा सुझाव है कि एक शक्ति प्राप्त मंत्रिमंडलीय समिति नियुक्त की जाए जिसमें उद्योग, विद्युत,

कोयला, रेल तथा श्रम मंत्री हो ताकि सीमेंट के उत्पादन के तथा विवरण के कार्य को समन्वित किया जा सके। इसके अतिरिक्त क्या विवरण में सुधार लाना और सीमेंट के उपयोग में मितव्ययता बरतना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं। कृपया अपने प्रश्न तक ही सीमित रहिये। अनुपूरक प्रश्न यही होता है।

श्री टी०आर० शमन्ना : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के लिये यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है कि सीमेंट की कमी की समस्या का यथाशीघ्र समाधान कर दिया जाये।

श्री चरण जीत चानना : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न की उनकी पूर्व प्रस्तावना का भी उत्तर दूंगा जो कि सर्वथा अर्थपूर्ण है। किन्तु वैसे केवल उनकी सूचना के लिए ही होगा। जहां तक सीमेंट की सप्लाई और उत्पादन का संबंध है हम अपने देश में स्थिति के बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता की सराहना करेंगे। मैं प्रसन्न हूं कि स्वयं माननीय सदस्य ने कारण बता दिये हैं। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित समिति के गठन करने का संबंध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि आर्थिक मूलभूत ढांचे के संबंध में पहले ही एक मंत्रिमंडलीय समिति बनी हुई है जो इस संबंध में कार्य कर रही है और हम प्रति सप्ताह स्थिति की समीक्षा करने के लिए मिलते हैं और सीमेंट एक महत्वपूर्ण मद है जिस पर उस समिति में हम चर्चा करते हैं।

श्री टी० आर० शमत्रा : मेरा अगला प्रश्न वितरण के बारे में है। अब सीमेंट का उपयोग सभी प्रयोजनो के लिए किया जा रहा है। अनबुझा चूने और गारे का उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्या हम सीमेंट के उपयोग में मितव्ययता नहीं बरत सकते और यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि इसका उपयोग केवल आर्थिक प्रयोजनों के लिए किया जाये जहां ऐसा करना सर्वथा आवश्यक हो और साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि की जाये। क्या मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगें। उपयोग करने वाली जनता के लिए आवश्यक कठिनाइयों को पैदा किये बिना इस समस्या का किसी तरह इस वर्ष समाधान कर दिया जाएगा ?

श्री चरण जीत चानना : राज्यों को सीमेंट आवटित कर दिया जाता है और उनको परामर्श दिया जाता है कि वे प्रत्येक राज्य की आवश्यकता के अनुसार अपनी प्राथमिकता सूची तैयार करें और कि वे पहले ही उस विशेष बात के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जहां तक सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि का संबंध है हम समूचे मामले पर विचार कर रहे है। कुछ मूलभूत ढाचे संबंधी बाधाये भी हैं और हम इस समूचे मामले के बारे में उच्चस्तर पर उपपुक्त रूप से विचार कर रहे हैं।

श्री राजेश पाइलट : में यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य व्यापार निगम को गत वर्ष लगभग 20 लाख टन सीमेंट का आयात करने के लिए अधिकृत किया गया था। इस बात का भी पता चला है कि कुछ सीमेंट अभी भी नहीं पहुंचा है। सीमेंट के न पहूचने के क्या कारण हैं? मामसून के कारण जहाजरानी की समस्या पैदा हो जाएगी अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में सीमेंट का मूल्य बढ रहा है इसका क्या कारण है ? कि एक या दो वर्ष पूर्व सरकार ने सीमेंट का आयात क्यों नहीं किया।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य अतीत की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, मैं उन्हें इस विशेष बात का उत्तर नहीं दे सकता मैं उस वांछतीयता के बारे में सहमत ही हूं कि उस समय क्या कुछ किया जाना चाहिए था। जहां तक 20 लाख टन के आयात का संबंध है, मैं यह कह सकता हूं कि 10 लाख टन अभी मार्ग में ही है। यह लगातार चलने वाला क्रम है और हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि ठेके और डिलिवरी के बीच वाले समय को कम किया जाए और जहां तक वर्षा के होने का संबंध है हम पहले ही सीमेंट की डिलिवरी के लिए सतर्कतापूर्ण उपाय कर रहे हैं।

श्री संजय गाँधी : 1976 तक जब कांग्रेस सरकार थी तब भारत सीमेंट का निर्यात करने वाला देश था और भारत में सीमेंट उपयोग से अधिक होता था। क्या कारण है कि सीमेंट का उत्पादन इतना कम हो गया है। स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है लेकिन उत्पादन घट गया है ओर आज अभाव की स्थिति है। इन सब के क्या कारण हैं ?

श्री चरणजीत चानना : हम विरोधी पक्ष की ओर से आ रही हंसी की सराहना करते हैं। जिसकी छानबीन की जानी चाहिए माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आंकड़े एक बहुत ही दुखद कहानी बताते हैं। हमें विरासत में एक बिगड़ा हुआ आर्थिक भूल भूत ढांचा मिला और उससे सारी बात स्पष्ट हो जाती है। सीमेंट सहित समूचे उद्योग में मूलभूत ढांचात्मक आदान ही वास्तव में मूलभूत ढांचात्मक बाधायें बन गये हैं।

श्री चरणजीत चानना : यही कारण है। जहां तक इस के समाधान का सम्बन्ध है, हम समग्र स्थिति में सुधार करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जब हमारे देश में सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो मैं यह जानना चाहती हूं कि कितनी जल्दी हम सीमेंट के मामले में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, सेल्फ सफीशियेन्ट हो सकते हैं और बाहर से सीमेंट आना बंद हो सकता है ?

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज उत्पादन तथा मांग के बीच कितना अन्तर है। हम उसे कम करने का प्रयास कर रहे है। वर्ष 1980-81 के दौरान उत्पादन तथा मांग के बीच 50.9 लाख टन का अन्तर था जबकि 1981-82 के दौरान हमारी योजना इसे घटा कर 40.9 लाख टन करने की है। जहां तक आत्म-निर्भरता से सम्बध उनका प्रश्न है, वर्तमान ढांचे के अनुसार तथा यह मानते हुये कि सब कुछ ठीक प्रकार चलता रहेगा, 1984-85 तक हमारा यह अन्तर 8-10 लाख टन रह जायेगा। परन्तु इसके बावजूद भी हम आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयत्नशील है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, जो वक्तव्य वितरित किया गया है, उस से पता चलता है कि 1976-77 में 1885 लाल मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ था जो कि 1978-79 में आगे बढ़ा लेकिन 1979-80 में वह उत्पादन घटकर 1762 लाख मीट्रिक टन पर आ गया। तो पहले तो उत्पादन बढ़ा फिर 1762 टन हो गया। इसके क्या कारण हैं ? दूसरी बात

यह कि कई देशों को सीमेंट का निर्यात किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि किन देशों को यह निर्यात किया गया और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री चरणजीत चानना : सीमेंट का निर्यात ईरान खाड़ी के देशों पाकिस्तान, बंगलादेश, मालादीप, कुवैत, नेपाल तथा भूटान को किया गया।

अति-विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग के लिए आधुनिक विमान

*147. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अति-विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग के लिए आधुनिक विमान उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर होने की स्थिति में नहीं है; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ विदेशी इंजीनियरों से तकनीकी सहायता लेने का प्रयास किया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) (क) अतिविशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग के लिए अपेक्षित विमानों की संख्या बहुत कम है इसलिए इन्हें देश में ही बनाना मंहगा पड़ेगा।

(ख) जी नहीं।

श्री एन. ई. होरो : यह कितनी विचित्र बात है कि भारत के इतना बड़ा देश होने पर तथा वहां इतने अधिक अति विशिष्ट व्यक्तियों के होने के बावजूद भी सरकार ने शीघ्र परिवहन हेतु और अधिक विमान प्राप्त करने की बात नहीं सीखी है ? वह वायु सेना के विमानों तथा हेलिकाप्टरों का अनेक बार उपयोग करते रहे है। मैं समझता हूं कि उन्हें सम्पूर्ण देश का भ्रमण करने हेतु और अधिक विमान प्राप्त करने चाहिये ताकि वे सम्पूर्ण देश में फैले लोगों की देख-भाल का कार्य अच्छे ढंग से कर सकें।

श्री सी. पी. एन. सिंह : माननीय सदस्य द्वारा दिया गया यह तो एक सुझाव मात्र है। हम निश्चय ही उनके इस वहुमूल्य सुझाव पर विचार करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वर्तमान इल्यूरिशन विमान, जो कि सोवियत संघ द्वारा सप्लाई किया गया था (व्यवधान)। मैं सोवियत संघ के बारे में जो कुछ भी कहता हूं, यह उसका विरोध करते है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये। इसका फैसला मैं करूंगा।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने जोरहाट के निकट घटनाग्रस्त हुए विमान जिसमें विशिष्ट व्यक्ति बैठे थे सम्बन्धी प्रतिदिन का अध्ययन कर लिया है और क्या वह इस विमान को सेवा के अनुपयुक्त नहीं समझते और क्या सरकार द्वारा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की मात्रा के लिए नए विमान का आयात करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्री सी. पी. एन. सिंह : सदस्य महोदय ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया हैं। यह बिलकुल ठीक ही है कि ये विमान जो हमने 1966 में प्राप्त किये थे, अब प्रचलन में नहीं रहे है और हम उनका चलाना बंद करने जा रहे हैं।

हम जिन विमानों की बात कर रहे थे उनमें छः 2124-एस विमान तथा दो एच. एस. 48 विमान थे अतः कुल मिलाकर ये 8 विमान थे और इन्हीं में से एक विमान जोरहाट के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हम निश्चय ही इसकी जांच करेगें। एक जांच समिति का गठन किया जा चुका है और समिति की सिफारिशें यदि कुछ भी क्यों न हो, उन पर विचार किया जायेगा। नये विमानों के बारे में माननीय सदस्य के विचारों को भी दृष्टिगत रखा जायेगा।

लघु सीमेंट संयत्रों की स्थापना

*148 : **श्री पी. एम. सईद :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है;

(ख) क्या गत दो वर्षों में सरकार ने लघु सीमेंट संयंत्रों के अनेक प्रस्तावों को स्वीकृति दी थी और अब तक केवल तीन एकक ही स्थापित किए गए है;

(ग) क्या गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में स्थापित किए गए एककों में अभी उत्पादन आरम्भ होना है;

(घ) क्या उत्पादन आरम्भ न होने का मुख्य कारण वित्तीय संस्थाओं से धन का उपलब्ध न होना है;

(ङ) इन लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना न करने के अन्य मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) इन लघु सीमेंट संयंत्रों के विकास में सहायता देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरनजीत चानना) (क) से (च) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) : 20 स्वीकृत योजनाओं में से 21 एकक गुजरात में, 11 कर्नाटक में तथा 1 तमिलनाडु में हैं। गुजरात में स्थित एक एकक ने मार्च, 1980 में उत्पादन करना शुरू कर दिया है और कर्नाटक स्थित एक अन्य एकक में अगस्त, 1980 में उत्पादन शुरू होने की आशा है।

(घ) और (ङ) मुख्यतः आर्थिक/वित्तीय जीवस्ता की संदिग्धता और वित्तीय सहायता में कमी होने के कारण छोटे सीमेंट संयंत्रों की स्थापना योजना में धीमी प्रगति हुई कुछ मामलों में खनन के पट्टे मिलने में कठिनाइयां होने की भी सूचनाएं मिली हैं।

(च) : लंबित आवेदन-पत्रों की समीक्षा करने और छोटे सीमेंट संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए (वशर्ते कि वे दीर्घ अवधि तक जीव्यक्षम रहे) निश्चित कदम के लिए वित्तीय संस्थानों से कहा जा रहा है।

श्री पी० एम० सईद : माननीय सदस्य के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि जिन 82 इकाइयों की मंजूरी दी गई थी, उनमें से केवल एक ही एकक द्वारा उत्पादन आरम्भ किया गया है और कर्नाटक स्थित एक एकक द्वारा इस वर्ष अगस्त में उत्पादन आरम्भ कर दिया जायेगा। वर्ष 1979 में इस देश में 250 लाख टन का उत्पादन हुआ था और 1982-83 में इससे बढ़कर 300 लाख टन हो जाने की संभावना है। इन लघु सीमेंट संयत्रों की मंजूरी देने का सरकार का उद्देश्य···

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री पी० एम० सईद : मैं प्रश्न करता चला आ रहा हूं।

अपने वक्तव्य में इन्होंने आर्थिक तथा वित्तीय लाभप्रदता तथा इन संयत्रों के लिए पट्टे प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों का उल्लेख करते हुये कहा है कि इन्हीं के फलस्वरूप उत्पादन में विलम्ब हो रहा है। हमने समाचार-पत्रों में देखा है कि जोरहाट में क्षेत्रीय अनसंधान प्रयोगशाला द्वारा सीधी शाफ्ट तकनीक का विकास किया गया है और वित्तीय ··

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ चीजों की व्याख्या करने में लगे हैं, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री पी० एम० सईद : वित्तीय संस्थान पूंजी निवेश करने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वह अनुभव करते हैं कि ऐसा करना लाभप्रद तथा संतोषजनक नहीं होगा। क्या इन 82 एककों द्वारा उत्पादन आरम्भ न करने का कारण यही है ? यदि हाँ, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य महोदय का सीधी तथा सपाट शाफ्टिग संबंधी प्रश्न तो निश्चय ही विचाराधीन रहा। इसके बारे में केवल यही स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये दो कार्यकारी दलों के अनुसार किसी लघु इस्पात सयंत्र द्वारा उसकी एकक से सम्बद्ध आकार की तकनीक का ही उपयोग किया जाना चाहिये। 100 टन प्रतिदिन का उत्पादन करने वाली एककों के लिए सीधी शेफ्टिग तकनीक ही अपनाई जानी चाहिये।

दूसरे कच्चे माल की उपलब्धता तथा खनन पट्टों सम्बन्धी प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। इस सम्पूर्ण कार्य को आरम्भ करने में कुछ अन्तराल पड़ गया था। मंत्रालय द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य के अन्य निकायों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है और अब यह कठिनाई समाप्त हो गई है। अतः माननीय सदस्य द्वारा सीधे शोफ्ट सम्बन्धी उठायी गई कठिनाई अब नहीं रही है। हम उन्हें सम्बद्ध आकार के अनुसार ही आरम्भ करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पी० एम० सईद : मैं संघ शासित क्षेत्र लक्ष्यद्वीप का प्रतिनिधित्व करता हू । विशेषज्ञों के विचारानुसार वहां 2880 लाख टन चूने दाल रेत उपलब्ध है जिसका उपयोग सफेद सीमेंट का उत्पादन करने के लिए किया जाता है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कच्चे माल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार लक्ष्यद्वीप संघ शासित क्षेत्र में सफेद सीमेंट के कारखाने की स्थापना करेगी ?

श्री चरणजीत चानना : हम किसी भी सीमेंट सयंत्र की स्थापना का स्वागत करेंगे । यदि सीमेंट का कारखाना लगाने के लिए हमें आश्य-पत्र हेतु आवेदन दिया जाता है तो हम इसका विशेषरूप से स्वागत करेंगे बशर्ते कि इसके लिए पहले आवेदन न किया गया हो । यदि उसके लिए आवेदन-पत्र दिया गया होगा तो मैं सदस्य महोदय को बता दूंगा । हम इस पर सभी प्रकार से सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ।

श्री दिग्विजय सिंह : इस प्रकार के लघु इस्पात संयत्रों को लाभप्रद एकक बनाने के लिए दो प्रकार की छूट दी जानी चाहिए; प्रथम तो इन पर कर में छूट दी जानी चाहिए तथा दूसरे इन्हें नियंत्रित वितरण में छूट दी जानी चाहिए ; क्या सरकार का विचार लघु इस्पात संयत्रों को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिए इस प्रकार की छूट देने का है ?

श्री चरण जीत चानना : माननीय सदस्य को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि लघु इस्पात संयत्रों को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी नीति में इन दोनों प्रोत्साहनों को पहले ही शामिल कर लिया गया है ।

श्री गुलाम नवी आजाद : उत्तर-पश्चिम राज्यों तथा विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में लघु इस्पात संयत्र स्थापित करने की माँग बड़ी जोरों पर है । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरण जीत चानना : श्रीनगर में जब आज से केवल तीन ही दिन पहले हुई समिति की बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया गया था, तो सदस्य महोदय उसमें उपस्थित थे । परन्तु सदन की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं । माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेगें कि किसी भी संयत्र तथा विशेषरूप से सीमेंट संयत्र की स्थापना करने के लिए, स्थान का चयन करते समय तकनीकी लाभप्रदता और आर्थिक लाभप्रदता को दृष्टिगत रखा जाना है । जहाँ तक जम्मू तथा कश्मीर का संबंध है वहां के मुख्य मंत्री ने भी यह बात स्वीकार की थी कि हमें विशेष रूप से इस सीमावर्ती राज्य में कोई ऐसा एकक नहीं लगाना चाहिए जिससे कि वातावरण में प्रदूषण फैले । परन्तु फिर भी यदि तकनीकी दृष्टि से लाभप्रद हो तो हम जम्मू-कश्मीर में सीमेंट संयत्र की स्थापना करने का स्वागत करेगें ।

श्री हरिकेश बहादुर : सम्पूर्ण देश में सीमेंट का भारी संकट बना हुआ है तथा उत्तर-प्रदेश में स्थिति विशेष रूप से खराब है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का उत्तर-प्रदेश में नये सीमेट संयत्र लगाने का बिचार है ?

श्री चरणजीत चानना : इस समय राज्यवार ब्यौरा देने की स्थिति में तो मैं नहीं हूं। परन्तु किसी राज्य में कितने संयत्र लगाये जाने हैं इस पर किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। सम्पूर्ण देश में जहां कहीं भी तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से सीमेंट संयत्र की स्थापना करना लाभप्रद होगा, वहाँ हम संयत्र लगाने में पीछे नहीं रहेगें। परन्तु मैं माननीय सदस्य को एक बात बता देना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश में सीमेंट उद्योग की स्थापित क्षमता इतनी है कि यदि वह सारी स्थापित क्षमता काम में आने लग जाये तो उससे देश की सीमेंट की सारी माँग को पूरा किया जा सकता है। जब हम 85 प्रतिशत स्थापित क्षमता को ही संलग्नता की दृष्टि से ठीक क्षमता मान लेते हैं तो फिर हम तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद किसी भी संयत्र की स्थापना का स्वागत करेंगे।

आसन—सोल—दुर्गापुर लघु एककों में संकट

149 : **श्री निरेन घोष :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आसनसोल—दुर्गापुर क्षेत्र के लघु और सहायक एकक मुख्यत: कच्चे माल की कमी और बड़े उद्योगों से पर्याप्त क्रयादेश न मिलने के कारण संकट का सामना कर रहे है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन एककों की रक्षा करने और बेरोजगारी की व्यापक समस्या का समाधान करने के लिए क्या उपाय किये हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) (क) इस्पात, कच्चे लोहे, अल्युमिनियम, तांबा और तांबा मिश्रित धातुओं जैसे कुछ कच्चे माल की कमी के कारण के सामने उपस्थित समस्याओं के बारे में सरकार को सामान्यतया जानकारी है।

(ख) सामान्यतया कच्चे माल की कमी के कारण से लघु उद्योगों के सामने उपस्थित समस्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) राज्य में लघु उद्योग निगमों के माध्यम से कच्चे माल के वितरण को बढ़ाया जा रहा है। व सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है।

(2) औद्योगिक कच्चे माल के वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए आयात प्रणाली को उदार बना दिया गया है।

(3) प्रणालीकरण अभिकरणों से कहा गया है कि वे चालू वर्ष के दौरान अधिक माल का आयात करें।

(4) लघु उद्योग निगमों के माध्यम से दुर्लभ कच्चे माल के किए जाने वाले वितरण पर नजर रखने के लिए और आनुषांगिक एककों के विकास पर भली प्रकार से निगाह रखने के लिए सहायक एककों को सहायता देने हेतु संयंत्र स्तर, राज्य स्तर व केन्द्रीय स्तर की समितियां बनाई गई हैं।

श्री निरेन घोष : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने गत अनेक वर्षों, यहां तक कि पिछले दशक से कमी आ रही कच्चे माल की संकटमयी स्थिति के बारे में

केन्द्र सरकार को लिखा है ? मैं आप से इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि यदि आप दें तो वह कच्चा माल उपलब्ध करवाया जायेगा और उसके वितरक निकास लघु उद्योग निगम पश्चिम बंगाल सरकार होगी । यदि आप यह काम इस माध्यम से करेंगें या किसी ऐसे माध्यम से करेंगे जो सीधे उनसे सम्बद्ध हो तो उससे सहायता मिलेगी ।

श्री चरणजीत चानना : उनके प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह कार्य सदा ही राज्य लघु उद्योग निगम के माध्यम से ही किया जाता है और पश्चिम बंगाल इसका अपवाद नहीं है ।

श्री निरेन घोष : प्रश्न यह है कि भारत के विभिन्न राज्यों में कोटा आबंटन का वितरण किस प्रकार किया जाता है । दूसरे क्या यह सच नहीं हैं कि बड़े बड़े उद्योगों द्वारा अपने आदेश राज्य के बाहर दे दिये जाते हैं जबकि वह सभी वस्तुएं जो कि बड़े उद्योगों को अपने उद्योगों के लिए अपेक्षित होती है, वह राज्य की सम्बद्ध एककों में ही उपलब्ध होती है । इस प्रकार से बड़े उद्योग कुछ ही वर्षो में बड़े सुव्यवस्थित ढंग से अपने उत्पादन मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस त्रुटि का उपचार किया जाएगा ?

श्री चरणजीत चानना : आस पास के सहायक उद्योगों के सम्बन्ध में उदाहरणार्थ —मैं आसन–सोल दुर्गापुर का उदाहरण दे सकता हूं और यदि आप ब्यौरा चाहे तो वह भी दे सकता हूं—सहायक एककों का उथयोग या सहायक एककों की केन्द्रीय एकक द्वारा आदेश देते समय मुख्यत: तीन बातों को दृष्टिगत रखा जाता है (एक) पिछली कुल खरीद (दो) प्राप्त आदेश (तीन) संभाबित आदेश तथा सदा ही प्रयत्न यह रहता है कि सहायक उद्योगों का अधिकतम उपयोग किया जाए ।

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर : मंत्री सहोदय ने अभी कहा है कि यह तथ्य नहीं है । मैं उनके पूर्वाधिकारियों से भी बार बार यह कहता रहा हूं और इनसे भी कह रहा हूं कि वह यह मामला इस्पात मंत्रालय तथा कोयला और उर्जा मंत्रालय के साथ उठाये । आपको मालूम ही है कि आसन –सोल तथा दुर्गापुर भारत का रूट है । वहां रानीगंज कोयला खाने हैं । दुर्गापुर स्टील मिल, दीअर्लोय स्टील, एम० ए० एन० सी, दुर्गापुर उर्वरक आदि है यह सब वही है । मैं यहां दुर्गापुर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मेरा अनुभव यह है कि केवल एम० ए० एम० सी० को छोड़कर भारत सरकार के अन्य सभी उपक्रम अपने आदेश राज्य से बाहर देते है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हू कि इस्पात मंत्रालय तथा कोयला और उर्जा मंत्रालय के बीच और अधिक समन्वय स्थापित किया जाए और जब तक सहायक उद्योगों को उनसे आदेश प्राप्त होते रहेंगे तब वह उद्योग चलते रहेगें तो पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी की समस्या भी किसी सीमा तक हल हो जाएगी । मैं मंत्री महोदय से इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री चरणजीत चानना : सदस्य महोदय ने बहुत उचित प्रश्न उठाया है । मैं उनको ऐसे 10 सरकारी उपक्रमों के नाम बता सकता हूं जोकि दुर्गापुर-पासनसोल के सहायक उद्योगों से अपनी मांग को पूरा कर रहे है और इन उपक्रमों का सम्बन्ध भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की विभिन्न मंत्रालयों से है । मंत्रालय द्वारा इन लघु उद्योगों तथा सहायक उद्योगों को काम देने

के कार्य का समन्वय मंत्रालय द्वारा तथा इसके अपने विकास आयुक्तों द्वारा यह कार्य किया जाता है। परन्तु यदि सदस्य महोदय की जानकारी में कोई विशेष मामला हो तो हम निश्चय ही उसकी जांच करेंगे ताकि लघु उद्योगों की समस्या का समाधान किया जा सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जहाँ तक उद्योगों का सम्बन्ध है, उनके बारे में ही दो प्रकार की कठिनाईयाँ होती है। एक सामान्य शिकायत तो यह रहती है कि विभिन्न राज्यों को आबंटन अलग-अलग किया जाता है, ऐसा मैं बिना किसी प्रकार की प्रांतीय भावना से कह रहा हूं। इसका मूल्यांकन केन्द्र द्वारा किया जाता है। मैं न तो किसी पर आरोप लगा रहा हूं और न ही किसी पर दोषारोपण कर रहा हूं। परन्तु यह शिकायत तो है ही।

दूसरी कठिनाई यह है कि यद्यपि किसी राज्य विशेष के लिए कोई विशेष कोटा मंजूर किया भी जाता है, तो उसे उस सीमा तक सप्लाई नहीं किया जाता। लघु उद्योगों की मांग के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। परन्तु उन्हें बता दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों के विकास पर इतनी धनराशि का आबंटन किया गया है। परन्तु जब वह मात्रा उपलब्ध नहीं करवाई जाती तो उससे असंतोष होता है। उसी से अभाव उत्पन्न होता है और उसी से चोर बाजारी की संभावना बन जाती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन लघु उद्योगों की कमजोर एककों के लिए अपेक्षित आवश्यक कच्चा माल उन्हें सप्लाई क्यों नहीं किया जाता है। इन एककों को कच्चा माल तथा आधार-भूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाये उपलब्ध क्यों नहीं करवाई जाती हैं? इसके साथ ही उन उद्योगों को समाप्त कर हम अवांछनीय प्रथा को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए जब एक बार उनकी मांग का मूल्यांकन कर लिया जाता है तो दिल्ली स्थित उद्योग मंत्रालय को लघु उद्योग निगम को या राज्य सरकार के अन्य निकायों को ऐसा सामान का सीधे आयात करने की शक्ति प्रदान करने का यत्न करना चाहिये। जिसका आयात करना जरूरी है। परन्तु जब एक बार एक जगह मिला दिया जाता है तो उस सप्लाई में व्यवधान पड़ता है। श्रीमान जी यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछता हू कि क्या उस पर कोई अभ्यास किया जा रहा है? आवांटित कोटे तक कच्चे माल को न सप्लाई करने में क्या अड़चने हैं। उस संबंध में क्या उपात किये जा रहे हैं?

श्री चरणजीत चानना : उनका प्रश्न लघु एद्योगों से संबंधित है उसी तरह से जबकि यह विशेष प्रश्न सहायक उद्योगो से संबंधित है। परन्तु मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दूंगा। वह इस बात को समझेंगे कि राज्यों को कच्चे माल का समान वितरण नहीं हो सकता है। एक सूत्र है जिसके आधार पर लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल का बराबर वितरण राज्य उद्योग विकास निगम के माध्यम से किया जाता है। हम तो केवल उन्हें वितरण नमूने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त दे रहे हैं। परन्तु राज्य उद्योग विकास निगम इस वितरण के कार्य को करता है। इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि माननीय सदस्य को यह प्रश्न राज्य सरकार से पूछना चाहिए। परन्तु जहाँ भी केन्द्रीय सरकार का संबंध हो और यदि आपके पास कोई मामला है तो उसे हमारे पास लाइये और हम उस समस्या का समाधान करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान जी यह कोटे के बारे में है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री चरणजीत चानना : यह वही कोटा है जिसका वितरण किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—प्र० सं० 151 माननीय सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं हैं। एक सदस्य एक प्रश्न पूछता है। जब प्रश्न उत्तर के लिए आता है तो वह सभा में उपस्थित नहीं होता है। मैं समझता हूं कि मुझे नाम लेने पड़ेंगे तथा इस बात का ध्यान रखूंगा कि क्या किया जा सकता है। आज बहुत से सदस्य अनुपस्थित हैं।

प्र० सं० 151, श्री कृष्णन्।

पुलिसमैनों के लिये कल्याण कार्य

*151. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने राज्यों को परामर्श दिया है कि वे पुलिसमैनों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने और उनके लिए कल्याणकारी कार्यों विशेषकर आवास के मामलों में सुधार करने के लिए भी द्रुत कार्यवाही करें।

(ख) यदि हाँ, तो कांस्टेबलों, हैड कांस्टेबलों, सहायक सबइन्सपैक्टरों, इन्सपैक्टरों तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं और भत्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन पुलिस अधिकारियों को कुछ अतिरिक्त भत्ता आदि दिया जाता है जो सुरक्षा अथवा सी. आई. डी.; सी. बी. आई. और आसूचना शाखाओं आदि में है; और

(घ) यदि हाँ, तो उनको दी जाने वाली आवास, चिकित्सा जैसी सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) से (घ) जहाँ तक केन्द्रीय आसूचना ब्यूरों और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों का संबंध है अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

जहाँ तक राज्यों का संबंध है, अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(1) **केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो (आई० बी०)**

राज्य पुलिस के अधिकारियों को आसूचना ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर उनके वेतन के अतिरिक्त उनके राज्य स्केल के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि विशेष वेतन दिया जाता है, जो इस प्रकार है :

I. निम्नलिखित दरों पर प्रतिनियुक्ति (स्थानीय) भत्ते :

(क) डी. सी. आई. ओ. एस.	150 रु. प्रतिमाह
(ख) ए. सी. आई. ओ.–1	150 रु. प्रतिमाह

(ग) ए. सी. आई. ओ.–2	100 रु. प्रतिमाह
(घ) जे. आई. ओ.–1	80 रु. प्रतिमाह
(ङ) जे. आई. ओ.–2	60 रु. प्रतिमाह
(च) एस. ए.	50 रु. प्रतिमाह

II. निम्नलिखित दरों पर विशेष वेतन

(क) डी. सी, आई. ओ. एस.	100 रु. प्रतिमाह
(ख) ए. सी. आई. ओ.–1	75 रु. प्रतिमाह
(ग) ए. सी. आई. ओ.–2	50 रु. प्रतिमाह
(घ) जे. आई. ओ.–1	30 रु. प्रतिमाह
(ङ) जे. आई. औ.–2	20 रु. प्रतिमाह
(च) एस. ए.	15 रु. प्रतिमाह

III. आई. बी. में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधिकारियों को जिनके लिए अपनी वर्दी रखना तथा जिनसे अल्प सूचना पर वर्दी पहनने के लिए कहा जा सकता है समेकित वर्दी भत्ता निम्नलिखित दरों पर दिया जा रहा है ।

(क) डी. सी. आई. ओ. एस.	115 रु. प्रतिमाह
(ख) ए. सी. आई. ओ.–1	100 रु. प्रतिमाह
(ग) ए. सी. आई. ओ.–2	75 रु. प्रतिमाह
(घ) जे. आई. ओ.–1	50 रु. प्रतिमाह
(ङ) जे. आई. ओ.–2	40 रु. प्रतिमाह
(च) एस. ए.	30 रु. प्रतिमाह

IV. मकान किराया भत्ता

आई. बी. कार्यकारी अधिकारी सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति वालों को बिना किरा के स्थान के बदले मुआवजा क्लेम करने की अनुमति दी जाती है यदि सरकारी आवास आवंटि नहीं किया गया है और यदि उनका प्रदाता बिना किराए के आवास का अधिकारी है ।

V. आई. बी. में प्रतिनियुक्ति पुलिस अधिकारी को ऐसी सुविधाओं और भत्तों के ज केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय हैं जैसे चिकित्सा सुविधा, सीमांत भत्ता, सदूर इलाक भत्ता, शीत भत्ता, उष्ण रियायत तथा विशेष मुआवजा भत्ते के अधिकारी हैं ।

केन्द्रीय ब्यूरो की परोपकारी निधि भी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा निधि से सहायता अनुदा की सहायता से बनाई गई थी । इस निधि से उन आई. बी. के कर्मचारियों जिनकी अन्तराष्ट्री सीमा अथवा युद्ध विराम रेखा, भारत में किसी कार्रवाई के क्षेत्र में कर्तव्य के दौरान मृत्यु ह गई थी अथवा गुम घोपित किए गए थे के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है । आर्थि सहायता भी प्रतिकूल जलवायु अथवा मार्ग की दशाओं के कारण मृत्यु होने पर युद्ध में घाय होने अथवा सेवा के दौरान इन इलाकों में उनकी नियुक्ति के फलस्वरूप अयोग्य अथवा अप होने पर दी जाती है ।

(2) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.)

1. जहाँ तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) का संबंध है, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता, विशेष वेतन, वर्दी भत्ता इत्यादि और प्रदाता के आधार पर मकान किराया भत्ता मिलते हैं। सरकार ने पुलिस अधीक्षक से लेकर कांस्टेबलों तक के पद के प्रतिनियुक्ति पर और गैर प्रति नियुक्ति पर दोनों अधिकारियों को भी विशेष वेतन मंजूर किया है। प्रतिनियुक्ति पर उप-महा निरीक्षकों को भी अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों की तरह विशेष वेतन मिलता है। सी. बी. आई. में काम करते समय इन अधिकारियों को स्वीकार्य विशेष वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते की दरें परिशिष्ट में दी गई हैं। इसके अतिरिक्त उनको मंहगाई भत्ता और प्रतिपूरक भत्ता मिलता है। प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को राज्य दर पर और गौर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों (सीधी भर्ती वाले) को केन्द्र सरकार की दरों पर मंहगाई भत्ता मिलता है। नगर प्रतिपूरक भत्ता प्रतिनियुक्ति पर और गैर प्रतिनियुक्ति पर दोनों अधिकारियों को मिलता है।

2. दिल्ली में और दिल्ली के बाहर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कर्मचारी सामान्य पूल से आवास के हकदार हैं जहां ऐसे प्रबंध विद्यमान है। जिन स्थानों में ऐसे प्रबंध उपलब्ध नहीं है, वहाँ वे राज्य दर पर अथवा केन्द्र सरकार की दर पर जो भी उनके लिए अधिक लाभकारी हो, मकान किराया भत्ता ले सकते हैं।

3. जहाँ तक चिकित्सा सुविधाओं का संबंध है, सी. बी. आई. के कर्मचारी केन्द्रीय सेवा चिकित्सा उपचार नियमों से और आई. पी. एस. अधिकारी अखिल भारतीय सेवा चिकित्सा नियमों से शासित होते हैं।

4. इस संगठन में एक परोपकारी निधि भी है जिसमें से अचानक मृत्यु परिवार में शादी, बच्चों की शिक्षा, इस संगठन में कार्य कर रहे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार जैसे जरूरत के मामले में सहायता दी जाती है।

अनुलग्नक II

विवरण

क्र० सं०	पद	वेतनमान	विशेष वेतन	प्रतिनियुक्ति भत्ता	अन्य भत्ते		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
					किट भत्ता	यूनिफार्म भत्ता	
1.	निदेशाक और आई० जी० पी०	3250 (निर्धारित) रु.	—	—	+40 रु० प्र. मा.	+सात साल पश्चात् 1000 रु०	+आई० पी० अधिकारी के लिए
2.	अतिरिक्त निदेशक और विशेष आई० जी० पी०	3000 (निर्धारित) रु.	—	—	+ –तदैव–	+ तदैव	
3.	संयुक्त निदेशक और विशेष आई० जी० पी०	2500–125/2–2750 रु०	—	—	+ –तदैव–	+ तदैव	
4.	उप पुलिस महानिरीक्षक/ उप निदेशक	2000–125/2–2250 रु०	200रु०	—	+ –तदैव–	+ तदैव	
5.	पुलिस अधीक्षक/ए आई-जी सहायक निदेशक	1200–50–1700/रु०	300/–रु० 200/–रु० 100/–रु०	—	+ –तदैव–	+ तदैव–	आई पी एस अधिकारी/ ए डी/ए आई जी को 300रु० विशेष वेतन मिलेगा। केन्द्रीय शाखाओं के एस. एस. पी. को 300 रु० का विशेष वेतन मिलेगा। महानगर शाखाओं

1	2	3	4	5	6	7	8
							के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी 300 रु० का विशेष वेतन मिलेगा । और अन्य पुलिस अधीक्षकों को 200 रु० प्रति माह मिलेगा । सहायक निदेशक ए आई जी जो आई पी एस नही है को 100 रु० विशेष वेतन मिलेगा ।
6.	उप पुलिस अधीक्षक (डिप्टी एस० पी०)	650–1200 रु०	150 रु० प्रतिमाह 100 रु० यदि केवल केन्द्रीय यूनिटों मैं तैनाती	150 रु० प्रतिमाह	—	115 रु० वार्षिक (एक वर्ष से कम की अवधि के लिए भत्ते सेवा के महीने पूरे हो जाने के आधार पर ही दिए जाऐंगे ।	प्रतिनियुक्ति भत्ता केवल प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को देय है ।
7.	पुलिस निरीक्षक	550–900रु०	125रु० 75रु०	150रु० प्रतिमाह	—	100 रु० वार्षिक	केवल प्रति नियुक्ति पर अधिकारियों को देय । प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी अपने मूल राज्य में समान्तर रेंक पर लागू वेतनमान में

1	2	3	4	5	6	7	8
							वेतन लेते हैं । वे डी ए भी राज्य सरकार की दरों पर ही लेते हैं ।
8.	पुलिस उप–निरीक्षक	425–600रु०	100/–रु० 50/–रुपये	100रु० प्रतिमाह	—	75 रु० वार्षिक	
9.	सहायक पुलिस	330–480रु०	30/–रुपये	80 रु० प्रतिमाह	—	50 रु० वार्षिक	
10.	हैड कांस्टेबल	260–350रु०	20/–रु० प्रतिमाह	60 रु०	—		**मुफ्त युनिफार्म :–** (205 रु० वार्षिक जिन अधिकारियों की तैनाती गर्म और ठंडे स्थानों में है 11) 110 रु० वार्षिक जिन अधिकारियों की तैनाती केवल गर्म प्रदेशों में हैं ।
11.	कांस्टेबल	1 (210–270 रु० (मैट्रिक से कम वालों के लिए)	15/–रु०	50 रु० प्रति माह	—	–तदैव	
		11 (225–308रु० (मैट्रिक वालों को)	–तदैव–	50 रु० प्र० माह	—	–तदैव	

1	2	3	4	5	6	7	8
				सलैक्शन ग्रेड वेतनमान की मंजूरी उन कांस्टेबलों को जिन्होने 15 वर्ष अथवा इससे अधिक की सेवा की हो।			यह देखा गया था कि बड़ी संख्या में कांस्टेबल 210-270 रु० प्रतिमाह के वेतनमान में अधिकतक पर रुके हुए हैं, अतः भारत सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग ने उन कांस्टेबलों के लिए जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, 225–308 रु० (केवल मैट्रिक कांस्टेबलों पर लागू) 24-11-78 से सलैक्शन ग्रेड वेतनमान बनाया है।

श्री जी० वाई० कृष्णन : श्रीमान जी, यह बताया गया है कि अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कल्याणकारी उपायों के बारे में राज्यों को जानकारी दी जा चुकी है। राज्यों से इनकी कब जानकारी दी गई थी क्या में मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि राज्य केन्द्र को उनके द्वारा किये गए कल्याणकारी उपायों के बारे में मामले पर रिपोर्ट देने में कितना समय लगायेगें ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्रीमान जी, मुख्य मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय निया गया था· · · ·

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : यह कब निर्णय लिया गया था ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं आपको तारीख बताऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा बड़े उत्सुक है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : वह तारीख के बारे में बहुत उत्सुक है। मुझे वह याद नहीं है। मैं आप को तारीख बाद में बताऊंगा । आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड तथा उड़ीसा राज्यों के बारे में मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कुछ कार्रवाई की है। पंजाब व राजस्थान ने भी कार्रवाई की है। प्रक्रिया अभी जारी है। कुछ मामलों पर उन्होंने कार्यवाही की है। कुछ मामलों मे वे कार्यवाही कर रहे है। इस पर अध्ययन हो रहा है। जैसे ही यह पूरा हो जाता है तो हम राज्यों को कुछ निदेश देने जा रहे हैं।

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या सरकार पुलिस के वेतन मानों के बारे में एक रूपता तथा सामाजिक कल्याणकारी उपायों को बनाये रखने की कोशिश कर रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को समय-समय पर निदेश दे रही है। हम इसका सुझाव दे रहे है परन्तु कार्यवाई राज्य सरकारों को करनी है। फिर भी केन्द्र निदेश दे रहा है। जहाँ तक तारीख का संबंध है यह 6 जून, 1979 है।

प्रो० एन० जी० रंगा : उनकी रोजगार की शर्तों तथा सुविधाओं और उनके व्यवहार करने के ढंग को ध्यान में रखते हुए और अधिक मानवीय ढंग से व्यवहार करने के लिये उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर प्रधान मंत्री ने जो जोर दिया है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात का ध्यान रखने में कुछ विशेष कदम उठायेगी कि पुलिस महानिरीक्षकों तथा राज्यों के गृह मंत्रियों को केन्द्र द्वारा परामर्श करने के लिये बुलाया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये न्यूनतम सुविधाओं रहन-सहन की दशाओं तथा वे सभी सुविधाओं में जो पुलिस वर्गों को उपलब्ध की जा रही है तेजी से सुधार किया जायेगा ।

श्री योगेन्द्र मकवाना . श्रीमान जी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि तीन राष्ट्रीय पुलिस आयोगों की नियुक्ति की जा चुकी है और वे तीनों अपनी रिपोर्टें दे चुके हैं। हमने पहली रिपोर्ट का अध्ययन कर चुके है और उनके वेतन, अर्दली पद्धति, कल्पणकारी उपायों या पुलिस के

खिलाफ शिकायतों की जांच तथा उनके समाधान आदि के बारे में निदेश दिये जा चुके है। दूसरी तथा तीसरी रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी है और वे अभी सरकार के विचाराधीन है। श्रीमान जी हम राज्य सरकारों को समय-समय पर निदेश दे रहे है। हम उन्हें बुलाते भी है और उन्हे अनुदेश देते है। हम अपने पुलिस बल में सुधार करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान जी, बहुत सी शिकायतें जिनका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है तथा पुलिस कर्मचारियों की बहुत सी माँगें जो अब न्याय संगत तथा उचित बतायी गयी है केन्द्र में जनता शासन के दौरान गतवर्ष 1979 में भी यही कारण थे जब प्रायः सभी राज्यों में पुलिसमैनों द्वारा बड़ा व्यापक आन्दोलन किया गया था उसके बाद कार्यवाही की जा रही है। यह अच्छी बात है। परन्तु केन्द्र द्वारा राज्यों को जो सलाह दी गई उसके बारे में मैं यह जानना चाहूंगा कि उन सैकड़ों तथा हजारों पुलिस कर्मचारियों जिन्हे उस समय हड़ताल में भाग लेने के कारण या तो नौकरी से निकाल दिया था या गिरफ्तार कर लिया गया था या जिन्हें उत्पीड़ित किया गया था के प्रति उदार दृष्टि कोण की आवश्यकता से संबंधित दी गई सलाह यदि कोई है तो क्या है? क्या केन्द्र सरकार ने उन्हे उन मार्ग दर्शी सिद्धान्तों के समानान्तर किसी मार्ग दर्शी सिद्धन्त का सुझाव दिया जो उन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो उसी आन्दोलन में शामिल थे के लिये अपने आप बनाये है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : पुलिस बल (अधिकार प्रतिबंध) अधिनियम में कुछ मार्ग दर्शी सिद्धान्तों की व्यवस्था है। इस अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकारें कार्यवाही करती है। किन्तु, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है मैने उसके सुझाव पर ध्यान दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके सुझाव पर ध्यान दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आज भी राज्यों में एस. पी. डी. एस. पी. कैडर के लोग अपने घरों में कई सिपाहियों को अर्दली के रूप में रखते है तो इस को रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं? क्या उनकी शिकायत को आपने सुना है?

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि तीसरे राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अर्दली पद्धति के बारे में कुछ मार्ग दर्शी सिद्धान्त दिये है; कुछ राज्यों ने उनमें से कुछ को दूर कर दिया है और कुछ राज्यों ने संस्था के कार्य कलापों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : आप क्या करेंगे? आप ने जो सलाह दी, वह केवल सलाह ही होगी या वे मानेंगे भी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मानेंगे क्यों नहीं, मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अन्तिम अनुपूरक प्रश्न।

मनोरंजन भक्त : मंत्री महोदय ने अब ठीक कहा है कि उन्होंने राज्यों के ये मार्ग दर्शी सिद्धान्त भेजे है तथा वे राज्य सरकारों से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा। मैं एक प्रासंगिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उसने उन संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या किया है जो प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित है ? इस संबंध में क्या उपाय तथा क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : वही बात।

एक माननीय सदस्य : अंदमान व निकोबार द्वीप समूह की तरह से।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मामल बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य प्रश्न को दोहरा सकते है। परन्तु जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि केन्द्रीय सरकार की पुलिस बल के कल्याण में रूचि है। उन्हें राज्य में अनुशासन बनाना है। और उसके लिए हमने कार्यवाही की है। हमने आवास जैसे मामले के लिये पुलिस को कुछ सुविधायें दी है और केन्द्र द्वारा 82 करोड़ रु० व्यय किया गया है। हम कुछ योजनाओं को भी पुनर्जीवित कर रहे हैं।

अखबारी कागज में आत्म-निर्भरता

153. **श्री मूलचन्द डागा।** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अखबारी कागज के मामले में अभी तक आत्मनिर्भर नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य का अखबारी कागज आयात किया जा रहा है;

(ग) भारत में अखबारी कागज के कितने कारखाने हैं और ये किन-किन राज्यों में कार्य कर रहे हैं; और

(घ) अखबारी कागज की कमी दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरनजीत चानना) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) अखबारी कागज की मांग देश में होने वाले उत्पादन से बहुत अधिक होने से आयात करना आवश्यक हो गया है।

(ख) विगत 3 वर्षों में आयातित अखबारी कागज का मूल्य लगभग इस प्रकार है :

वर्ष	आयातित अखबारी कागज का मूल्य
	(रु० करोड़ों में)
1977–78	62.52
1978–79	92.22
1979–80	112.60

(ग) दि नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स, नेपानगर (मध्य प्रदेश) देश में अखबारी कागज का उत्पादन करने वाला एकमात्र एकक है ।

(घ) देश में हुए उत्पादन तथा मांग के बीच के अंतराल को पूरा करने की दृष्टि से अखबारी कागज का पर्याप्त मात्रा में आयात किया जा रहा है । सरकार ने देश में अखबारी कागज की विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना करने के लिये निम्नलिखित आशय-पत्र जारी किये हैं :

	क्षमता
1. मैसर्स सेन्चुरी पल्प मिल्स	20,000 मी. टन प्रतिवर्ष
2. श्री बी. डी. सोमानी	50,000 ,, ,,
3. मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड	83,000 ,, ,,

उपर्युक्त के अलावा भी, मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन केरल राज्य में 80,000 मीट्रिक टन, वार्षिक की क्षमता को एक अखवारी कागज परियोजना की स्थापना कर रहा है जिसमें 1981-82 तक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है ।

मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स, भद्रावती कर्नाटक में 75,000 मीट्रिक टन वार्षिक की क्षमता के लिये एक अखबारी कागज परियोजना स्थापित कर रहा है जिसमें 1982-83 तक उत्पादन होने लगने की संभावना है । दि नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स जो इस समय अखबारी कागज का उत्पादन करने वाला एकमात्र एकक है, 75,000 मी. टन की वार्षिक क्षमता प्राप्त करने हेतु एक सन्तुलनकारी सह नवीकरण योजना हाथ में ले रहा है ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, क्या वे बता सकेंगें कि इस मामले के अन्दर वे कब तक आत्म निर्भर हो जायेंगे और आत्म निर्भर होने के लिए क्या आप ने कोई योजना बनाई है ?

श्री चरणजीत चानना : आदरणीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक सैल्फ-सफीशियेंसी की बात है, न्यूज प्रिन्ट की हमारे पास केकल एक अखबारी कागज का कारखाना है जो नेपा में कार्य कर रहा है । हमने इसमें क्या किया है । हमने पहले ही तीन यूनिटों को आशय-पत्र जारी किये हैं जिनके नाम दोहराने की मैं यहाँ आवश्यकता नहीं समझता हूं । इन यूनिटों के द्वारा उत्पादन शुरू करने के वाद, अखबारी कागज निर्माण में आगे आने के लिये अधिक यूनिटों का भी स्वागत कर रहे हैं । जिससे इसकी कमी पूरी की जा सके । दुर्भाग्यवश, अगले 5 वर्षों तक हमें आयात पर निर्भर करना पड़ेगा । परन्तु जैसे हमारा उत्पादन वढ़ता है तो आयात कम हो जायेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : आप 112 करोड़ रु० के वैरन्यूज प्रिन्ट पेपर का इम्पोर्ट कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो लैटर आफ इन्टेंट दिया है, वह कब दिया गया और आज तक

उस पर क्या कार्यवाही की गई ? लैटर आफ इन्टेंट लेकर वे बैठ गये लेकिन इस संबध में कोई काम शुरू हुआ या नहीं ?

श्री चरणजीत चानना : मैं० सैन्चुरी पेपर एंड पल्प, उत्तर प्रदेश को 20 हजार टन का लैटर आफ इन्टेंट दिया गया था, जो कि 18.5.1975 को दिया गया था और उसमें हमारी रिपोर्ट कहती है कि ऐडीक्यूवेट प्रोग्रेस हैज बिन मेड इन दैट

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय. लैटर आफ इन्टेंट 75 में दिया गया, लेकिन पांच साल में क्या प्रोग्रेस हुई, यह मालूम नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि लैटर आफ इन्टेंट लेने के बाद ये बैठे रहते हैं या कुछ काम भी करते हैं ?

श्री चरणजीत चानना : वास्तव में मंत्रालय आशय-पत्र जारी करने के बाद निगरानी भी रखता है। और में आप को बता सकता हूं कि हम पिछले 5 महीनों से आशय पत्र के बारे में निगरानी कार्य तेज कर रहे है जिससे इसे कार्यान्वित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : हमारे डागा जी यह चाहते हैं कि क्या आप उसको जल्दी से जल्दी करवायेंगे।

श्री चरण जीत चानना : तमिलनाडु न्यूजप्रिंट पेपर मिल्स को 30.7.1979 को आशय-पत्र जारी किया गया था। आशय-पत्र जारी करने के बाद इसे कार्यान्वित करने के लिए उन्हें बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं। 31.12.1976 को श्री बी० डी० सोमानी को तीसरा आशय-पत्र जारी किया गया था। इस मामले में कोई प्रशंसनीय प्रगति नहीं हुई है। तब मैंने कहा है कि हम अतिरिक्त परियोजनाओं का स्वागत कर रहे हैं। तथा आपने इस विशेष बात पर वक्तव्य देख लिया होगा कि हम देश में अधिकाधिक पेपर मिल्स को बढाने का प्रयास कर रहे है चाहे वे वाणिज्यिक दृष्टि से वनारोपण पर भी आधारित हो।

श्री मूल चन्द डागा : आप ने 1975-76 में लैटर्स आफ इन्टेन्ट दिये, अगर वे काम नहीं करते हैं तो उन को कैन्सिल क्यों नहीं कर देते हैं ?

श्री चरण जीत चानना : इस पर सामान्य वक्तव्य नहीं हो सकता है।

श्री शिव कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अखबारी कागज की कमी के संबंध में इस सदन में और देश में भी बार-बार चिन्ता व्यक्त की गई है। नेपानगर का उल्लेख भी मंत्री महोदय ने किया है। इस में सन्देह नहीं है कि नेपानगर की फैक्टरी पब्लिक सैक्टर में एशिया की सब से बड़ी पेपर मिलों में से एक है, लेकिन वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाये जाते हैं, वे प्राय: आइ० ए० एस० आफिसर्ज होते हैं जिन को उस काम की कोई टैकनीकल जानकारी नहीं होती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे क्या इस सम्बन्ध में कोई कदम उठायेंगे ?

श्री चरण जीत चानना : जहां तक आइ० ए० एस० आफिसर की एप्वाइन्टमेन्ट की बात है, हमारा उद्देश्य यह होता है कि जिस को भी लगायें, मैनेजमेन्ट आपटीमम होना चाहिए।

हमारे दिल में उनके खिलाफ कोई बात नहीं है तथा उनमें कोई गुण भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को सारी यूनिट का दक्षता से प्रबंध करने में योग्य होना चाहिए। अमुक

व्यक्ति किस संवर्ग का है इस पर ध्यान देने के बजाय उसके प्रबंध पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

श्री रामनगीना मिश्र : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा -देश में कागज की कमी को देखते हुए आप नई फैक्ट्रीज बैठाना चाहते है और कागज की फैक्ट्री के लिए जरूरी है कि वहाँ पर कच्चा माल मिले। हमारे देवरिया जन पद में 14 शुगर मिल हैं जिसकी वजह से वहां बगास बहुत मिलता है, नैपाल के बार्डर पर बांस बहुत मिलता है पुआल भी मिलता है क्या आप देवरिया में पेपर मिल बैठाने की कृपा करेगें।

श्री चरण जीत चानना : हम देवरिया की किसी भी परियोजना आवेदन-पत्र का स्वागत करेंगे। हम कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में खोई का इस्तेमाल करने का निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। एक मात्र प्रश्न जिस पर ध्यान दिया जाना है वह है: क्या हम चीनी मिलों को कोई वैकल्पिक ईंधन दे सकते हैं? वास्तव में माननीय सदस्य को ऐसी किसी यूनिट का संबर्द्धन करना चाहिए तथा हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : ऐसा न हो कि मंत्री महोदय के वक्तव्य में व्यवधान पड़ने से विलम्ब हो। क्या में यह जान सकता हूं कि 1975 तथा 1976 में जारी किये गये आशय-पत्रों के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है? विभाग तथा मंत्रालय ने निरन्तर निगरानी रखी है। इन दो विशेष मामलों में क्या स्थिति है। ऐसी युनिटों के विरूद्ध क्यों कार्यवाही नहीं की गई है जिन्होने आशय-पत्रों के जारी हो जाने के वाद उचित कार्यवाही नहीं की है और उपयुक्त प्रगति नहीं करते हैं।

श्री चरण जीत चानना : माननीय सदस्य ने आशय-पत्रों के जारी होने के वाद उन्हें कार्य-रूप देने के सम्बन्ध में एक बहुत लाभकारी प्रश्न उठाया है। जहाँ तक इन तीन यूनिटों का संबंध है, में आप को वे ब्यौरे तथा कारण नहीं वता सकूंगा कि वे 1975 से आज तक क्यों नहीं लगाई जा सकी है। निस्सन्देह, मैंने आप को श्री बी०डी० सोमानी के बारे में बताया है कि कोई प्रशंसनीय प्रगति नही की गई है। मैं आपका ध्यान अपने पहले के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि मंत्रालय अब इसके निगरानी करने के भाग की ओर अधिक जोर तथा अधिक महत्ता दे रहा है। हमने केवल पिछले पांच महीनों से निगरानी शुरू की है और यदि कोई यूनिट आपने साधारण ढंग से आशय-पत्र को जारी करने तथा इसे कार्यरूप देने के वारे में बात कही है—उपयुक्त प्रगति नहीं करती है तो.....

श्री भागवत झा आजाद : यदि विलम्ब न्याय संगत नहीं है तो उसे रद्द क्यों नहीं कर दिया जाता है?

श्री चरणजीत चानना : हम वही करते हैं। माननीय सदस्य को अवश्य यह जानना चाहिए कि वह कर दिया गया है। वह आशय-पत्र तथा लाइसैंस देने की एक प्रक्रिया है। यह कर दिया गया है। परन्तु जव कुछ समय में वृद्धि.....

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : तब सार्वजनिक क्षेत्र में क्यों नहीं जाते हो?

श्री चरण जीत चानना : सार्वजनिक क्षेत्र पहले ही.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल का समय समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डीजल का आबंटन

145. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने सरकार से आग्रह किया है कि विभिन्न राज्यों और जिलों में बिजली की कटौती की विभिन्न अवधि को ध्यान में रखते हुए, दुर्लभ डीजल आवंटित करने की एक पद्धति बनाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) तथा (ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय को एसोसियेशन आफ इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री से बिजली की कठिन स्थिति को देखते हुए कार्य न कर रहे जेनरेटिंग सेटों को चलाने हेतु उसके सदस्यों को हाई स्पीड डीजल तेल मिलने में सहायता करने के संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन मिलते रहे हैं। एसोसियेशन ने अपने 14 मार्च, 1980 के अभ्यावेदन में वर्तमान वितरण व्यवस्था की समीक्षा करने का सुझाव दिया था ताकि इंजीनियरिंग उद्योग को उत्पादन बनाए रखने के लिये अतिरिक्त मात्रा में डीजल तेल मिल सके। एसोसियेशन ने विशेष तौर से सुझाव दिया था कि पुरानी वितरण व्यवस्था जिसके अन्तर्गत तकनीकी विकास के महानिदेशालय के एककों को डी. जी. टी. डी. द्वारा डीजल तेल का आवंटन किया जाता था उसे फिर से प्रारम्भ कर दिया जाये इसके साथ ही एसोसियेशन ने इंजीनियरिंग के निर्यातकों के लिये भी एक विशेष कोटा आबंटित करने का भी सुझाव दिया था ।

2. पेट्रोलियम विभाग जो पेट्रोलियम पदार्थों के वितरण व आवंटन करने से सम्बन्ध रखता है, हर राज्य तथा संघ क्षेत्र को हाई स्पीड डीजल का मासिक आवंटन करता है । राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विहित प्राथमिकताओं के अनुसार ही हाई स्पीड डीजल तेल का वितरण किया जाए । इंजीनियरिंग एककों को भी बिजली पैदा करने के लिये राज्य सरकारों/संबंधित संघ क्षेत्रों से उनकी हाई स्पीड डीजल तेल की जरूरतें मिला करती हैं । जैसा कि कृषि क्षेत्र के लिये होता है, निर्यातोन्मुख इंजीनियरिंग एकक भी उच्च प्राथमिकता के आधार पर इसके हकदार हैं ।

3. एसोसियेशन आफ इंडियन इजीनियरिंग इन्डस्ट्री द्वारा उनके 14 मार्च, 1980 के अभ्यावेदन में दिये गये सुझावों पर तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा विचार किया गया है और पेट्रोलियम विभाग की वर्तमान नीति के अनुरूप तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :

(1) कुछ पेरामीटरों के आधार पर राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को हाई स्पीड डीजल तेल के औद्योगिक एककों से दिये जाने के बारे में आवेदनों की सिफारिश की जायेगी और उनके द्वारा इस प्रकार के आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा, तथा

(2) पेट्रोलियम विभाग से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रकार के अनुरोधों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने हेतु राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन को परामर्श दें ।

दादरी सीमेंट कारखाने का बंद होना

146. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरी में डालमिया इन्टरप्राइजेज का सीमेंट कारखाना बंद है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके बंद होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसका पूरा ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी, हाँ ।

(ख) डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के श्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए प्रबंध-नोटिस के अनुसार गंभीर वित्तीय कठिनाई के कारण कम्पनी ने इसे बंद करने की घोषणा कर दी थी ।

(ग) भारतीय सीमेंट निगम ने इस कारखाने की पुनः काम करने लगने की दशा में इसकी जीव्यता के संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है । चूंकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में कुछ समय लग सकता है अतः सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने भी परियोजना की आर्थिक जीव्यता का पता लगाने के लिए शीघ्र अध्ययन करना आरंभ कर दिया है । राज्य सरकार से यह बताने के लिये अनुरोध किया गया है कि क्या वे अपने प्रबंध के अन्तर्गत तथा अपनी पूरी जिम्मेदारी पर कारखाने का अधिग्रहण करने के इच्छुक हैं । इस मामले में आगे की जाने वाली कार्यवाही पर सीमेंट अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट और राज्य सरकार के विचार प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा ।

परमाणु उर्जा केन्द्रों के लिए स्थान चयन समिति का प्रतिवेदन

*150. **श्री अहमद एम. पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापना सम्बन्धी स्थान चयन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें की गई मुख्य सिफारिश और उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, हाँ । उत्तरी क्षेत्र के सबध में समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद उत्तर प्रदेश में नरोरा नामक स्थान

पर एक परमाणु बिजलीघर लगाया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों के बारे में समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

नौसैनिक अकादमी की स्थापना

*152. **श्री ई० के० इम्बीचीबावा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या नौसैनिक अकादमी के स्थापना स्थल के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) उपयुक्त स्थान का चुनाव करने के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा करने वाले विशेषज्ञ-दल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) क्या वे केरल सरकार की पेशकश से संतुष्ट हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

औद्योगिक उत्पादन के लिए आधार ढाँचा

*154. **श्री वी० पी० किशोरचंद एस० देव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आधार ढांचे के जैसे बिजली, ईंधन, परिवहन और बैंकिंग के प्रबन्ध में सुधार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ख) सरकार औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से औद्योगिक आधारिक संरचना, विशेष रूप से विद्युत की पूर्ति, कोयले के उत्पादन और ले जाने तथा अन्य निवेशों की पूर्ति में सुधार करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। विद्युत् उत्पादन में सुधार करने के लिए ये उपाय तत्काल किए जा रहे हैं तापीय बिजली घरों को कोयले की पूर्ति को बढ़ना और उनकी क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए उपाय। कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए संहत उपाय भी किए जा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में कोयला खानों को विद्युत की पूर्ति बढ़ाई गई है और कोयले उद्योग की डीजल की आवश्यकताओं को पूरा करने को भी प्राथमिकता दी गई है। इन उपायों का प्रभाव अप्रैल और मई, 1980 में कोयले के अधिक उत्पादन से प्रकट होता है जिससे 1979 के संबंधित महीनों की तुलना में लगभग 20 लाख टन की वृद्धि दिखाई देती है।

कोयला भेजने के लिए मालगाड़ी के डिब्बों की पूर्ति में सुधार करने के अलावा, कोयले के रेल परिवहन में पूरक व्यवस्था करने के लिए समुद्रतटीय नौवहन को फिर से प्रयुक्त किया जा रहा है; पतन में भीड़-भाड़ लगभग समाप्त कर दी गई है और जहाजों के लिए रोकने का समय कम कर दिया गया है।

मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन और कोयला उत्पादन तथा रेल परिवहन सुनिश्चित करने के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि उपाय भी किए जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० द्वारा एच० एस०, 748 एवरो विमानों का निर्माण बन्द किए जाने का निर्णय

*155. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री के राममूर्ति । क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० ने लगभग दो वर्षों में एच० एस० 748 एवरो विमानों का निर्माण बन्द करने के बारे में निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिए के कानपुर यूनिट के भविष्य में उपयोग के बारे में सरकार के विचाराधीन क्या प्रस्ताव हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) एच. एस. 748 एवरो विमान के उत्पादन के वर्तमान आदेश वर्ष 1982-83 के अन्त तक पूरे हो जाने की सम्भावना है। इसके बाद रक्षा या सिविल इस्तेमाल के लिए इसकी आवश्यकता न रह जाने पर हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लि० इस विमान का उत्पादन करना बन्द कर देगा।

(ग) कानपुर डिवीजन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग अन्य उचित प्रकार के परिवहन और हल्के किस्म के विमानों के निर्माण के लिए किए जाने का प्रस्ताव है।

सोवियत रूस के साथ सैनिक सन्धि

*156. **डा० फारुख अब्दुल्ला** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की अन्य देशों के साथ भी ऐसी ही कोई संधि है जैसे हाल ही में सोवियत रूस के साथ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) इसके बारे में और अधिक ब्यौरा देना राष्ट्रीयहित में और विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में उचित नहीं है।

तिहाड़ जेल, दिल्ली की दशा की जाँच

*157. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल में बन्दियों की दशा संबंधी पूर्ण तथ्यों का पता लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक सत्र न्यायाधीश द्वारा इसकी खुली जांच करने का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार की कोई जाँच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) ; (क) जी हा, श्रीमान् ।

(ख) उच्च न्यायालय के अनुदेशों के अनुसार, दिल्ली के जिला और सैशन जज द्वारा की जाने वाली जांच 30-4-80 से 3 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी है। अभी जाँच की जा रही है ।

लघु उद्योगों के विकास आयुक्त के के कार्यालय, बजट में प्रावधान

*158. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों के विकास आयुक्तों के कार्यालय चलाने के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है; और

(ख) इस राशि में से वर्तमान समय में कितनी राशि वास्तविक विकास कार्यों पर और कितनी राशि प्रशासकोय उद्देश्य पर खर्च की जा रही है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) (क) लघु उद्योग विकास संगठन के लिए वर्ष 1980-81 के बजट में कुल 2529.52 लाख रुपए (योजनागत व योजनेतर) का प्रावधान किया गया है ।

(ख) इस कुल बजट प्रावधान में से लगभग 2034 लाख रुपए की राशि विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए और 495.52 लाख रुपए की शेष राशि मुख्यत: प्रशासनिक व्ययों के लिए रखी गई है ।

सौराष्ट्र क्षेत्र में एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना

*159. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र क्षेत्र में किसी स्थान पर एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र का निर्माण करने के लिए सिफारिश की है;

(ख) यह सिफारिश कब की गई थी; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) जी, हाँ । 1971-72 में गुजरात सरकार ने गुजरात के, जिसमें सौराष्ट्र क्षेत्र भी शामिल है, कुछ स्थलों के नाम सुझाए थे। परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए उपयुक्त स्थलों के चुनाव हेतु सरकार द्वारा नियुक्त स्थल-चयन-समिति ने अपनी सिफारिशें देते समय उक्त सुझावों को भी ध्यान में रखा था। समिति की सिफारिशें अब सरकार के विचाराधीन है ।

फरीदाबाद के उद्योगों में कच्चे माल की कमी

*160 **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कच्चे माल की कमी से फरीदाबाद के उद्योगों और विशेष रूप से इंजीनियरी तथा रासायनिक उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) (क) लोहा व इस्पात, कच्चा लोहा, अल्युमिनियम, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा जैसे कुछ किस्मों के कच्चे माल की सामान्यता कमी रहती है। इसका औद्योगिक एककों विशेषकर फरीदाबाद के इंजीनियरी व रसायन एककों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ख) मूलभूत कच्चे माल का देशी उत्पादन बढ़ाने के अलावा सरकार ने औद्योगिक कच्चे माल व वस्तुओं के वास्तविक उपयोग कर्ताओं के लिए आयात नीति को उदार बनाकर, प्रणाली कृत अभिकरणों, के माध्यम से लौह और अलौह धातुओं, रसायनों आदि जैसे मूलभूत कच्चे माल का आयात बढ़ाकर और लघु क्षेत्र के अलग-अलग एककों को वितरित किए जाने के लिए लघु उद्योग नियमों को बड़ी मात्रा में लोहा व इस्पात वस्तुओं का आवंटन करके संभरण बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं।

फियेट तथा एम्बेसेडर कारों की कीमतें

*161. **श्री पीयुष तिरकी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फियेट/एम्बेसेडर कारों की इस समय भारत में क्या कीमत है;

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान इन कारों की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि फिएट कार इस समय बाजार में असानी से उपलब्ध भी नहीं है; और

(घ) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए तथा कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) (क) जैसा कि निर्माताओं ने बताया है, प्रीएमियर (फिएट) और एम्बेसेडर कारों का कारखाने से निकलते समय का शुद्ध विक्रेता मूल्य क्रमशः 35064 रु० और 35862 रु० है।

(ख) निर्माताओं ने बताया है कि 1.1.1975 से प्रीमियर और एम्बेसेडर कारों के कारखाने से निकलते समय के शुद्ध विक्रेता मूल्यों में क्रमशः 14354 रु० और 14374 रु० की वृद्धि की गई है।

(ग) तथा (घ) निर्माताओं ने बताया है कि 10 अप्रैल, 1980 से उनके कुर्ला स्थित संयंत्र में हड़ताल होने के कारण उत्पादन बन्द होने की वजह से प्रीमियर कारें इस समय बाजार में

उपलब्ध नहीं हैं। जहाँ तक कारों की कीमतों का संबंध है, कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यात्री कारों का निर्माण पूरी तरह गैर-सरकारी क्षेत्र में होता है।

इन्जीनियरी उद्योग में संकट

*162. **श्री नीरेन भट्टाचार्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश भर में इंजीनियरी उद्योग संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त संकट को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

उद्योन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) सामान्यत उद्योग जिसमें इंजीनियरिंग उद्योग भी शामिल हैं बिजली तथा कोयला, कच्चे माल की कमी परिवहन समस्याओं आदि के सम्बन्ध में अवस्थापना, सम्बन्धी बाधाओं के कारण कठिनाईयों का सामना कर रहा है।

(ख) सरकार द्वारा किए जा रहे अभ्युपायों में लक्ष्य प्राप्ति हेतु बराबर निगरानी रखना जहाँ कहीं आवश्यक हो कच्चे माल का आयात कर अपेक्षित विशिष्टियों की यथा समय उपलब्ध सुनिश्चित करना, बिजली के यन्त्रिण तथा वितरण पर बल देना, परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन करना, विविधीकरण तथा निर्यात सम्वर्धन आदि शामिल है।

सीमेंट उद्योगों का कार्यकरण

1081. **श्री के० ए० राजन** : क्या उद्योग मंत्री निम्न जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 तथा 1979-80 के दौरान सीमेंट उद्योग में कुल कितने कर्मचारी नियोजित थे,

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में इस उद्योग में कर्मचारियों को कुल कितनी राशि के मंजूरी बिल का भुगतान किया गया,

(ग) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष के अन्त में इस उद्योग में कुल कितनी राशि का निवेश किया गया; और

(घ) 1970-71 को आधार मानकर उपरोक्त वर्षों का सीमेंट उद्योग का लाभ सूचकांक क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) :

(क)

वर्ष	नियोजित किए गए कर्मचारियों की अनुमानतः संख्या
1976–77	48,470
1979–80	54,000

(ख) तथा (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) पूछे गये प्रत्येक वर्ष के उद्योग के लाभ सूचकाँक के बारे में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है । किन्तु, दिसम्बर, 1978 में सरकार को प्रस्तुत किए गए सीमेंट उद्योग की उच्च स्तरीय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1977/77-78 के 19 चुनिन्दा कारखानों की लाभ-प्रदत्ता के अध्ययन से पता चलता है कि उनमें से केवल 4 कारखानों ने शुद्ध मूल्य पर करोपरान्त 10% अधिक लाभ कमाया, 7 कारखानों ने शुद्ध मूल्य पर करोपरान्त 1 से 10% के बीच लाभ कमाया और 8 कारखानों को हानि हुई । समिति द्वारा इकट्ठे किए गए आँकड़ों से भी पता चलता है कि सीमेंट कंपनियों का लाभ अन्य औद्योगिक गतिविधियों में लगी हुई कम्पनियों की तुलना में सामान्यत: कम रहा है ।

सूरतगढ़ हवाई अड्डे हेतु अधिग्रहित की गयी भूमि के लिये मुआवजा

1082. **मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन किसानों को वैकल्पिक भूमि का आवंटन किया गया है जिनकी भूमि सूरत गढ़ में सैनिक हवाई अड्डा बनाने के लिए अधिगृहीत की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय ने कोई वैकल्पिक भूमि नहीं दी है । उसकी जिम्मेवारी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन मुआवजा देने की ही है । भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए भूमि की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है ।

1980-85 की योजना के दौरान पेय जल की सुविधायें

1083. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधायें पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं; और

(ख) यदि हाँ, तो 1980-85 की योजना के दौरान सभी गाँवों को ऐसी सुविधायें देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी हाँ, समग्र वित्तीय बाध्यकारिताओं को ध्यान में रखते हुए पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में यह निर्णय किया गया था कि ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम में पहले निम्नलिखित किसी भी एक श्रेणी में आने वाले 'समस्या' गाँवों को लेने का प्रयत्न किया जाएगा :

(1) वे गाँव जिनमें एक उचित दूरी (जैसे 1.6 कि० मी०) के भीतर पीने के पानी का निश्चित साधन नहीं है; या

(2) वे गाँव जहाँ पानी की पूर्ति के साधन से हैजा, स्नायुक पीड़ा जैसे जल से उत्पन्न होने वाले रोग हो सकते हैं; या

(3) वे गाँव, जहाँ खारेपन, लोह या फ्लुओराइड की अधिकता या स्वास्थ्य के लिए हानिकर अन्य विषैले तत्व होते हैं।

केन्द्रीय सरकार के कहने पर 1971-72 में किए गए एक सर्वेक्षण में उपर्युक्त मापदंड के अनुरूप (देश में लगभग 5.76 लाख गाँवों में से) 1, 52, 475 गाँव निर्धारित किए गए थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पीने के पानी की व्यवस्था पांचवीं पंच वर्षीय योजना में 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' में भी शामिल की गई थी। यद्यपि इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त निवेश किए गए हैं, परन्तु सभी 'समस्या' गांवों में पिछली पंच वर्षीय योजनाओं में अब तक यह व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

अधिकांश राज्य सरकारों ने यह भी सूचित किया है कि पिछला सर्वेक्षण अपूर्ण था और प्राकृतिक कारणो से कुछ क्षेत्रों में भौम जलस्तर काफी नीचे चला गया है या पानी के साधन सूख गए हैं जिससे उपर्युक्त मापदंड के अनुसार 'समस्या' गाँवों की संख्या बढ़ गई है।

(ख) नई छठी योजना (1980-85) के अनुमानों में संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अधीन, सभी 'समस्या' गाँवों में साफ पीने के पानी की पूर्ति की व्यवस्था करने की परिकल्पना है। यह योजना तैयार हो रही है और इस योजना के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों को अन्तरिक्ष में भेजना

1084. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों को अन्तरिक्ष में भेजने पर सहमत हो गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो अन्तरिक्ष-यात्रियों का किस ढंग से चयन किया जा रहा है और उन्हें कहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा ; और

(ग) क्या वह अन्तरिक्ष वैज्ञानिक होगा अथवा अन्य किसी व्यवसाय का व्यक्ति ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) सोवियत संघ ने भारतीय अन्तरिक्ष यात्री को अन्तरिक्ष में भेजने के बारे में प्रस्ताव किया है। हमने इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। इस बारे में किसी प्रकार का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उधोग गांव (अमृतसर) में विमान दुर्घटना

1085. **श्री के० मालन्ना :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 मई, 1980 को उधोक गांव (अमृतसर) के निकट वायु सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और केवल एक पायलट जो अभ्यास उड़ान कर रहा था स्थल पर ही मर गया ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच करयी गयी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) जी हां ।

(ख) 21 मई 1980 को बटाला के दक्षिण में 10 किलोमीटर पर वायंसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया । इस विमान में केवल विमान चालक था जिसकी दुर्घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई ।

(ग) जांच अदालत को आदेश दे दिए गए हैं । जांच अदालत की कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद ही ब्यौरा का पता लगेगा ।

बीड़ी पर कर समाप्त करने हेतु अभ्यावेदन

1086 **श्री ई० बालानन्दन:** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल दिनेश बीड़ी वर्क्स कोआपरेटिव सोसायटी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें लेवल वाली बीड़ी पर कर समाप्त करने का अनुरोध किया गया है, और

(ख) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (ड० चरण जीत चानना) (क) :– जी, हां । अभ्यावेदन में उठाये गये प्रमुख मुददों का संबंध निम्नलिखित से है :–

(i) बीड़ी पर से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का उठा लिया जाना तथा तम्बाकू पर समान शुल्क लगाना शुरू करना,

(ii) बीड़ी पर भी दियासलाई के समान बैंडरोल पद्धति लागू करना ताकि बीड़ी पर दिये गये शुल्क और भुगतान न किये गए शुल्क का पता लगाया जा सके,

(iii) नकली बीड़ियों का गैर-कानूनी ढंग से किए जा रहे उत्पादन का पता लगाने के लिए व्यवस्था का सुदृढ़ बनाया जाना,

(iv) कार्यालयों तथा कार्यशाला केन्द्रों का निर्माण करने के लिए ऋण एवं अनुदान के रूप में 2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देना ।

(ख) उत्पादन शुल्क से संबंधित बातों की जांच की जा रही है । कार्यालय भवनों तथा कार्यशाला केन्द्रों का निर्माण करने के लिए विभिन्न सोसाइटियों को विधियां देने के संबंध में भारत सरकार की ऐसी सहायता देने की कोई भी योजना नहीं है ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नति

1087 : **श्री के० लकप्पा :**

श्री चन्द्रदेव प्रसाद शर्मा :

श्री सतीश प्रसाद सिंह : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में सहायक इंजीनियर के पद से इंजीनियर के पद पर विभागीय पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हता, अनुभव आदि का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या जूनियर इंजीनियर के लिए अर्हताओं में कम से कम इंजीनियरिंग में डिग्री आवश्यक है और (इंजीनियरिंग में) डिप्लोमाधारियों पर जूनियर इंजीनियर के पद के लिए तब ही विचार किया जाता है, जब वे इंजीनियरिंग में डिग्री ले लेते हैं,

(ग) क्या इंजीनियरिंग में डिग्री और 4 वर्ष का अनुभव रखने वाला सहायक इंजीनियर इंजीनियरिंग के पद पर पदोन्नति पाने का पात्र है,

(घ) क्या ड्राफ्टसमैनशिप में डिप्लोमा रखने वाले एक सहायक इंजीनियर को इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले एक सहायक इंजीनियर के समकक्ष रखा जा सकता है, और यदि हां, तो उसका क्या आधार है, और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या बिना अन्य कोई योग्यता रखने वाले एक ड्राफ्टसमैनशिप में डिप्लोमाधारी सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति दे दी गई है और यदि हां, तो निर्धारित अर्हताओं और दिनांक 24 अप्रैल, 1979 के आदेश से हटने के क्या ठोस कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में सहायक इंजीनियर से इंजीनियर के पद पर विभागीय पदोन्नति उस श्रेणी के सहायक इंजीनियरों में से की जाती है जिसके लिए डिग्री प्राप्त इंजीनियरों के लिए न्यूनतम 4 वर्षों का अनुभव तथा डिप्लोमाधारियों के लिए आठ वर्षों के अनुभव की योग्यता निर्धारित की गई है और उसका चयन गुणों के आधार पर किया जाता है। इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित की गई पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले सहायक इंजीनियरों के मामलों पर एक विधिवत् गठित की गई विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाना है और जैसे कि वह सिफारिश करती है तथा जिसका निगम के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक अनुमोदन करते हैं सहायक इंजीनियरों की इंजीनियर के पद पर पदोन्नति करने के लिए एक चयन सूची को अन्तिम रूप दिया जाता है। एक सहायक इंजीनियर को जिसके पास दस्तकारी का डिप्लोमा है (ड्राफ्टस्मेनशिप सिविल) तथा जिसने असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में 8 वर्षों से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, चूंकि वह सहायक इंजीनियर के रूप में पदोन्नति पर विचार हेतु अर्हता रखता है, इसीलिए इंजीनियर के पद पर पदोन्नत करने के लिए उसे सूची में रखा गया है तथापि अभी तक उसे इंजीनियर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई का रेडियो धर्मिता रोकने का यंत्र

1088 **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई ने रेडियो धर्मिता के विस्तार और औषधि, उद्योग, कृषि आदि क्षेत्रों में प्रयोग के लिए रेडियो धर्मिता सामग्रियों के उत्पादन में लगे कर्मचारियों में इसके अवशोषण पर निगरानी रखने के लिए एक यंत्र का ईजाद किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस यंत्र की मुख्य बातें क्या हैं और इसकी क्या उपयोगिता है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, हाँ। इस काम के लिए तापसंदीप्ति-शील मात्रामापी तैयार किए गए हैं।

(ख) इन मात्रामापियों की प्रमुख विशेषताएं हैं :

(1) ये फिल्म बैजों से ज्यादा संवेदनशील हैं, तथा

(2) इन्हें बार-बार काम में लाया जा सकता है, जबकि फिल्म बैजों को बार-बार काम में नहीं लाया जा सकता।

हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये
छात्रवृत्तियाँ तथा पुस्तकों के लिये अनुदान

1089. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों तथा पुस्तकों के लिए अनुदान बहुत कम है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि इस राशि को बढ़ाने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) ऐसी कोई केन्द्रीय योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत स्कूलों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों के छात्रों को, छात्रवृत्ति तथा पुस्तकों के लिए अनुदान दिया जाता है। तथापि भारत सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र द्वारा प्रयोजित एक योजना को कार्यान्वित कर रही है, पिछड़े वर्गों के छात्र इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं। यह एक उदार योजना है जिसके अन्तर्गत सभी आवश्यक देय शुल्क की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रमों में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए प्रतिपालन भत्ता दिया जाता है। प्रतिपालन भत्ते की दरें, पाठ्यक्रम के आधार पर अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए प्रतिपालन भत्ता स्नातक पाठ्यक्रम के लिए (दिन में पढने वाले छात्रों के लिए) 40 रु० प्रति माह प्रति छात्र से चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के छात्रों (छात्रावास में रहने वालों के लिए) 185 रु० प्रतिमाह

प्रति छात्र की दर तक है। कन्या छात्रों को प्रथम और उसके बाद के वर्षों में क्रमशः 10 रु० और 15 रु० अतिरिक्त दिए जाते हैं। ऐसी कोई केन्द्रीय योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत पुस्तकों के लिए अनुदान दिया जाता है। तथापि एक पुस्तक बैंक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा/इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के ऐसे छात्रों के प्रयोग के लिए जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहें हों, पुस्तक बैंक स्थापित करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) और (ग) : मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की मांग समय-समय पर प्राप्त होती रहती है और इन पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया और जहां आवश्यक समझा गया, वृद्धि की गई। अभी आखिरी वृद्धि 1-1-1978 से चिकित्सा और इंजीनियरिंग (छात्रावास में रहने वाले) छात्रों के संबंध में की गई।

सेना इंजीनियरिंग कालेजों के फोरमैन इंस्ट्रक्टरों की ओर से अभ्यावेदन

1090. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनवरी, 1979 में सेना इंजीनियरिंग कालेज पुणे (महाराष्ट्र) के फोरमैन इंस्ट्रक्टरों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांग क्या है;

(ग) इस अभ्यावेदन में उल्लिखित प्रत्येक मांग के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो, उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस बारे में कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए वित्तीय सहायता

1092 : **श्री बी० के० नायर :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है,

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई मूल्यांकन किया है कि पहले दी गई सहायता से उत्पादकों को कहां तक मदद मिली है और बुनकरों को लाभ पहुंचा है,

(ग) क्या भूसी की वसूली और वितरण के कार्य में लगी सहकारी समितियों द्वारा धन के दुरूपयोग और उनके ठीक से कार्य न करने के बारे में विभिन्न लोगों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) क्या सरकार विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियों के कार्य संचालन और विकास योजना की प्रगति तथा उपर्युक्त (ग) भाग में उल्लिखित शिकायतों के बारे में पूरी जांच कराने की व्यवस्था करेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) (क) जी, हां। केरल सरकार ने वर्ष 1978-79 से वर्ष 1982-83 के पांच वर्षों की अवधि में कयर उद्योग का विकास करने के लिए एक योजना भेजी है जिसमें 61.62 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इस परिव्यय में से 24.24 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र द्वारा सहायता के रूप में, 32.38 करोड़ रुपए की राशि संस्थागत वित्त के रूप में और 5 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत अपने योगदान के रूप में दी जाएगी।

(ख) कुल 270 कयर प्राथमिक समितियों, 13 उत्पादन समितियों का पुनर्गठन किया गया है और उन्हें कयर विकास योजना के अधीन ले आया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सवर्णों और हरिजनों के झगड़े

1093. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 6 महीनों में सवर्णों और हरिजनों के बीच सभी राज्यों में कितने झगड़े हुये;

(ख) कितने मामलों में झगड़े हिंसात्मक हुये तथा उनमें कितने व्यक्ति मारे गये; और

(ग) राज्य सरकारों ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की ?

(गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री) (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या 3706 थी, जहां दिसम्बर 1979 से मार्च, 1980 तक की अवधि में ऊंची जातियों और हरिजनों के बीच झगड़े हुए थे।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या 127 थी, जिनमें हिंसक झगड़े हुए थे और व्यक्ति मारे गये थे।

(ग) गृह मंत्री ने उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों को 10-3-1980 को पत्र लिखा था, जहां अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराध होते रहे हैं, इस पत्र में राज्य सरकारों को उनके विरुद्ध अपराधों से कारगर ढंग से निपटने के लिए किये जाने वाले एहतियाती तथा निरोधात्मक, दंडात्मक तथा पुनर्वासात्मक उपायों के मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे गये थे। अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों को रोकने और उनसे प्रभावकारी ढंग से निपटने तथा उनके आर्थिक विकास के लिये किए जाने वाले उपायों पर 8-4-1980 को हुए मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों के सम्मेलन में व्यापक विचार-विमर्श हुआ था। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा सुझाई गई नीति से पूरी तरह सहमत हो गई हैं और 8-4-1980 को सम्मेलन में इसका समर्थन किया है।

कलकत्ता में केंटीन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाना

1094. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्ट्रमेंट लिमिटेड, कलकत्ता के 52 कैन्टीन कर्मचारियों को वर्ष 1971 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें कोई बर्खास्तगी आदेश जारी किया गया है और उन्हें उनकी वैद्य देय राशि का भुगतान कर दिया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें वर्ष 1971 से अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने से रोके जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) से (ग) नेशनल इन्स्ट्रमेंटस लि०, कलकत्ता की कैन्टीन के कैन्टीन कर्मचारी कम्पनी के कर्मचारी नहीं है बल्कि वे कैन्टीन प्रवन्धकीय समिति के कर्मचारी हैं । अतः कम्पनी द्वारा किसी भी कैटीन कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

वंगलादेश से अवेध व्यक्तियों की घुसपैठ

1095. **श्री इन्द्र जीत गुप्ता** :

श्री पी० के कोडियन :

श्री पी० एम० सईद :

श्री एम० ो० चंद्रशेखर मूर्ति : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बंगलादेश से अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले विना गतिरोध के घुसपैठ करने पर लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान आने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) देश में इस प्रकार की अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गुप्त प्रवेश करने के प्रयत्न बंगलादेश नागरिकों द्वारा किये जा रहे हैं । फरवरी से 30 अप्रैल 1980 तक की अवधि के दौरान सीमा सुरक्षा पर तैनात सीमा सुरक्षा बलों द्वारा कुल 1573 व्यक्तियों को वापस भेज दिया गया ।

(ग) सरकार ने सीमा पर भारत बंगला देश सीमा के साथ-साथ भूमि और भिहड़ों की गश्त तेज करके तथा अतिरिक्त सीमा वलों को लगाकर पहले ही सतर्कता मजबूत कर दी है। वंगलादेश सरकार से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिये सहयोग प्रदान करने के लिये अनुरोध भी किया गया है।

चलती गाड़ियों में चोरी करने वाले गिरोह की गिरफ्तारी

1096. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हाल ही में एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो देश भर में रेल गाड़ियों में चोरी करता है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितनी चोरियों, हत्याओं के मामले प्रकाश में आये हैं और उनके फलस्वरूप बरःमद किए गए चाल का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 12/13-5-1980 की रात को जनकपुरी क्षेत्र में गाँव बुडेला में कार्यवाई के लिए तैयार किशन पानिपात्तिया के नेतृत्व में एक गिरोह का पता लगाया। गिरफ्तारी के समय उनसे 32 वोर वाली 11 कारतूसें और 12 वोर वाली 9 कारतूसें और गोला वारूद सहित 3 पिस्तोलें और 3 रिवाल्वर बरामद किए गए। पूछ ताछ करने पर गिरोह के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने दिल्ली, हरयाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में केन्द्रीय और पश्चिमी रेलवे की चलती गाड़ियों में बड़ी संख्या में चोरियां की हैं। यह गिरोह नरेता बिहार, दिल्ली में डकैती और हत्या के लिए रजोरी गार्डन में अन्य हत्या और तिलक नगर, दिल्ली में हत्या के प्रयास के जिए जिम्मेदार था। पता लगा है गिरोह के दो सदस्य, 1980 में जी आर० पी० अलीगढ़ में दर्ज गोमती एक्सप्रेस डकैती के अन्तर्गत है। बाद में 5 कारतूसों सहित ·303 वोर की दो पिस्तोलें वदामद की गई।

वर्ष 1981 का जगगणना संबन्धी कार्य

1097. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के जनगणना संबंधी कार्य के कब तक पूरा कर लिये जाने की आशा है;

(ख) जनसंख्या को कितने वर्गो में बांटा गया है, और

(ग) क्या जनगणना का कार्य सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है अथवा समाज सेवा संगठनों से भी कुछ सहायता ली जा रही है ?

गृह यंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) 1981 की जनगणना का क्षेत्र कार्य 5 मार्च, 1981 तक समाप्त हो जाएगा। मुख्य परिणाम 1983 से उपलब्ध होने शुरू होंगे। कार्य 1987 तक पूरा होने की आशा है।

(ख) जनसंख्या को श्रमिक और गैर-श्रमिकों में विभाजित किया जाएगा। श्रमिकों को पुनः मुख्य श्रमिक और सोमान्त श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। श्रमिकों के विभाजन को कृपकों कृषि मजदूर, घरेलू उद्योगों में श्रमिक और अन्य श्रमिकों के रूप में दिखाया जाएगा।

(ग) जनगणना का कार्य अधिकांश सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है किन्तु स्कूल अध्यापकों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों से भी सहायता ली जा रही है। सामाजिक सेवा संस्थाओं से कोई सहायता नहीं ली जा रही है।

सीमेंट की चोरबाजारी

1098. **श्री कृष्ण चन्द पांडे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सीमेंट की चोरबाजारी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और वह जरूरतमन्द लोगों को उपलब्ध नहीं है और यदि हाँ, तो सीमेंट की चोर बाजारी रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, और

(ख) गत तीन वर्षों में सरकार के ध्यान में चोर बाजारी के कितने मामले लाये गए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) देश में सीमेंट की आम कमी है। इन परिस्थितियों में सीमेंट की कालाबाजारी होने से इंकार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे सी मेंन्ट की आम बिक्री व वितरण पर नियंत्रण रखने की प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता पर विचार करे।

(ख) सीमेंन्ट कानून द्वारा नियंत्रित वस्तु है। राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं तथा सीमेंट की कालाबाजारी की शिकायतें निपटाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उन्हें अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार कालाबाजारी सम्बन्धी शिकायतों का ब्यौरा इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

सोलर पम्प

1099. **श्री के. प्रधानी** :

श्री अर्जुन सेठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौलर पम्पों को छोटे किसानों के लिए उपयोगी पाया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके मूल्य, निर्माण आदि सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) विभिन्न राज्यों में इसके कार्यकरण सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) सौर पम्प भारत में अभी प्रयोगात्सक एवं प्रदर्शन की अवस्था में है। अब तक निष्पादन से यह इंगित होता है कि तकनीकी साध्यता का प्रदर्शन किया जा चुका है, बहरहाल लागत कम करने, विश्वसनीयता कायम करने तथा उत्पादन की व्यवस्था करने के लिये और विकास कार्य करने की आवश्यकता है। छोटे और सीमांत श्रेणी के किसानों की आवश्यकताओं समेत सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं तथा गांवों में पेय जल की सप्लाई को ध्यान में रखते हुये अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। तुरत योजनाएं है : एक प्रमुख प्रदर्शन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विभिन्न राज्यों में कई और पम्पों की संविरचना करना तथा केन्द्रीय परीक्षण करना। बाद में होने वाले स्वदेशी उत्पादन को किस पैमाने पर किया जायेगा यह प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान प्राप्त की गई आर्थिक प्रतियोगी क्षमता पर निर्भर करेगा। इन पम्पों की महत्ता देश के उन वे भागों के लिए होगी जहाँ बिजली नहीं पहुची है। इसके अतिरिक्त तेल की कमी एवं मूल्यवृद्धि को ध्यान में रखते हुये भी ये पम्प पर्याप्त महत्व रखते हैं।

सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों से अभ्यावेदन

1100. **श्री चित्त बसु :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी अपनी समस्याओं के समाधान के लिये आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को उनकी समस्याओं के बारे में कोई अभ्यानेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो उनकी समस्याएं किस तरह की हैं;

(घ) उन्हें दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार हाल ही मे गठित अखिल भारतीय सीमा सड़क कर्मचारी एसोसिएशन के साथ बातचीत करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) जी नहीं। तथाकथित "आल इण्डिया वार्डर रोड्स इम्प्लाइज एसोसिएशन" एक गैरकानूनी संस्था है।

विवरण

सीमा सड़क संगठन (जिसे जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स कहा जाता है) के कर्मचारियों की मुख्य शिकायत यह है कि उनकी भूमिका, कार्य और देश की सीमा के दूर-दराज के इलाकों में उन्हें सौंपे गये कठिन कार्य को ध्यान में रखते हुये, उनकी वर्तमान सेवा शर्तें उपयुक्त नहीं हैं। उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :

(i) चूंकि अनुशासन के मामलों में इन पर केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियमन और अपील) नियमावली के अलावा थलसेना अधिनियम और नियमों के उपबन्ध भी लागू होते हैं, इसलिये इन्हें वही लाभ दिये जाएं जो थलसेना के कर्मचारियों को दिये जाते हैं;

(ii) यदि यह मांग मंजूर नहीं की जा सकती है तो उगकी शर्तों में सुधार किया जाये और उनके लिये अलग नियम बनाये जाएं जैसे कि सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदि पैरा-सैनिकों संगठन के लिये बनाये गये हैं;

(iii) किन्तु, यदि इन्हें बिल्कुल सिविलियन फोर्स माना जाता है तो उन पर थलसेना अधिनियम लागू न किया जाए; अन्य सिविलियन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भांति एसोशिएसन और यूनियनें बनाने के उनके अधिकार को मान्यता दी जाए और उनकी भूमिका, कार्य तथा कठिन ड्यूटी को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप उनकी सेवा-शर्तों में सुधार किया जाये।

2. सीमा सड़क संगठन, जो अधिकतर देश की सीमा के दूर–दराज और सामरिक महत्व के इलाकों में कार्य करता है, की भूमिका और कार्यों को ध्यान में रखने हुए इनकी मांगों पर विचार किया गया है । अनुशासन के संबंध में वह जरूरी समझा गया है कि इसके कर्मचारियों पर थलसेना अधिनियम और नियमों के उपबन्ध लागू रहें अतः उन्हें ऐसोशियसन और यूनियनें बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । लेकिन वर्तमान रूप में जनरल रिजर्व इंजीनियर एक सिविलियन निर्माण दल है और इसलिए उनके लिए वही सेवा-शर्तें रखना, जो थल सेना कार्मिकों को लागू होती है, समयोचित या ठीक नहीं समझी गई है । इन कर्मचारियों के रेजिमेंटल जीवन और कर्तव्यों तथ दुर्गम और दूर-दराज के इलाकों में इनकी तैनाती को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए इन की सेवा-शर्तों पर विचार करने और उनमें संशोधन व सुधार करने के बारे में सुझाव देने के लिए एक अन्तर्विभगीय समिति नियुक्त की गई है । समिति की रिपोर्ट मिलने से पहले, प्रत्यक्ष तौर पर उचित और अत्यावश्यक राहत के योग्य मामलों का पता लगाया गया है और उनके संबंध में कुछ खास प्रस्तावों पर सक्रित रूप से विचार किया जा रहा है ।

नकली बीड़ियों और सिगरेटों की बिक्री

1101. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न बाजारों में नकली बीड़ियों और सिगरेटें बेची जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी नकली बीड़ियों और सिगरेटों की बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है और अपराधी व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरण जीत चानना) : (क) नकली सिगरेटों को बेचने का कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है । बीड़ी निर्माताओं तथा उनके संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि ब्राँड-धारियों के नकली लेबलों वाली बीड़ियाँ देश के विभिन्न बाजारों में बेची जा रही हैं ।

(ख) यदि किसी एक ब्राण्ड के नाम नकल की जाती है अथवा उसका उल्लंघन किया गया है तो पंजीकृत ब्राण्ड नाम का मालिक इस पर समुचित कानूनी कार्यवाही कर सकता है । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारी भी यह सुनिश्चित करने पर निगरानी रख रहे हैं कि ब्राण्ड रहित बीड़ी पर जिस पर रियायती उत्पादन शुल्क लगता है, उपयुक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भुगतान किए बिना ब्राण्ड का लेवल लगा कर इस्तेमाल के लिये नहीं भेजेगा ।

रंगीन टेलीविजन सेटों का उत्पादन

1102. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ही रंगीन टेलीविजन सेट बनाने को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है ।

(ख) यदि हां, तो रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण में मानकीकरण और कोटि-नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) देश में उचित मूल्यों पर भारत निर्मित रंगीन टेलीविजन सेटों को उपलब्ध कराने में कितना समय लगेगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) सरकार ने देश में रंगीन दूरदर्शन शुरू करने तथा रंगीन दूरदर्शन के सेटों, संघटक-पुर्जों तथा कल-पुर्जों के उत्पादन के लिए एक योजना बनाने के लिए कार्यकारी दल का गठन किया है। इस कार्य में कितना पूंजीनिवेश करना होगा, इसका जायजा लेने का कार्य भी इसे सौंपा गया है। कार्यकारी दल द्वारा अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

1103. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिसेटलमेन्ट एण्ड रिहैबिलिटेशन डायरेक्ट्रेट, भारत सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान किया गया।

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में, अर्थात् 1-4-1978, 1-4-1979 और 1-4-1980 को डायरेक्ट्रेट में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी थी;

(ग) उपर्युक्त (क) के अनुसार, जिन लोगों को रोजगार दिया गया है उनका राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या डायरेक्ट्रेट का विचार राज्य की राजधानियों में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है ताकि गरीब भूतपूर्व सैनिकों को सुविधा हो सके ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) पिछले 3 कैलेन्डर वर्षों के दौरान जिन अफसरों और भूतपूर्व सैनिकों तथा अशक्त भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास महानिदेशालय के जरिये रोजगार दिया गया उनकी संख्या इस प्रकार है :

1977	—	3590
1978	—	3413
1979	—	3084

(ख) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों में प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में जो अफसर, भूतपूर्व सैनिक तथा युद्ध में अशक्त हुए भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय में पंजीकृत थे उनकी संख्या इस प्रकार है :

1-1-1978	—	45,462
1-1-1979	—	63,893
1-1-1980	—	79,140

(ग) पुनर्वास महानिदेशालय के जरिये जिन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाया गया है उनका राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है ।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण संबंधी हितों का ध्यान रखने के लिए पुनर्वास महानिदेशालय के चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो दक्षिणी, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी कमानों में स्थित है । इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी हितो का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार ने अपनी राजधानी में एक राज्य सैनिक बोर्ड और कई जिला मुख्यालयों में जिला सैनिक बोर्ड भी स्थापित किये हैं ।

वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए

पश्चिम बंगाल को उपलब्ध धन राशि

1104. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के योजना व्यय के लिए पश्चिम बंगाल को कुल कितनी धन राशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) गत तीन वर्षों में (वर्षवार) योजना के लिए कितनी धन राशि की मंजूरी दी गई;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कुछ अतिरिक्त राशि की स्वीकृति की गई है; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1980-81 के लिए पश्चिम बंगाल के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय 554.14 करोड़ रु० है जिसमें से केन्द्रीय सहायता 130.97 करोड़ रु० है ।

(ख) स्थिति इस प्रकार है :

करोड़ रु०

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	कालम (2) में से केन्द्रीय सहायता
1979–80	480.00	115.45
1978–79	371.40	130.49
1977–78	310.92	72.97

(ग) और (घ) जी, हां । ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रु०)

	मद	1977–78	1978–79	1979–80
1.	आई०डी० ए० सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता	—	1.19	16.17
2.	संसाधनों में अन्तर को पूरा करने के लिए	17.50	—	—
3.	प्राकृतिक विपत्तियों के लिए अग्रिम योजना सहायता	1.88	86.93	12.66
4.	बड़ी और मझौली सिंचाई स्कीमें	5.00	—	—
5.	छोटी सिंचाई परियोजनाएं	0.39	—	—

उपर्युक्त 2 से 5 तक की मदें अग्रिम योजना सहायता हैं।

विदेशियों के बारे में नेहरू फार्मूला

1105. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने सरकार को बताया है कि वह विदेशियों के बारे में श्री जवाहरलाल नेहरू के फार्मूले पर कार्य करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस फार्मूले को लागू करने पर विचार कर रही है ताकि आसाम में तनाव और विदेशियों का मामला शीघ्र सुलझाया जा सके;

(ग) इस फार्मूले की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस फार्मूले को अब तक लागू न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटा नागपुर से आदिवासी लड़कियों का निर्यात

1106. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि छोटा नागपुर से लड़कियां बाहर भेजी जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये निर्यातित लड़कियां देश के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है उन्हें इस बात की जानकारी है कि छोटा नागपुर से जनजाति के आदमियों और औरतों को रोजगार के लिए देश के विभिन्न भागों में ले जाया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकार के ध्यान में मामले आये हैं जहां बाहर ले जाई गई जनजातियों के साथ दुव्यर्वहार और शोषण किया जाता है।

(ग) जहां विशिष्ट मामले राज्य सरकार के ध्यान में आये हैं वहां उनके द्वारा उन राज्य की सरकार से सम्पर्क करने के लिए कदम उठाये गये हैं जिसमें वह स्थान मालूम किया गया है जहाँ जनजातियों को ले जाया गया है। मार्च 1980 में विहार सरकार की पहल पर त्रिपुरा सरकार ने शोषण को रोकने के और जनजातियों को पुनः विहार भेजने के लिये कदम उठाये थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से भी सम्पर्क स्थापित किया। अन्तर राज्य प्रवासी कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1979 के शीघ्र लागू होने की संभावना है और इससे अन्तर राज्य प्रवासी कामगारों के नियोजन की उनकी सेवा शर्तों की व्यवस्था द्वारा नियमित करने में सहायता मिलेगी।

सीमेंट का राज्यवार आवंटन

1107. **श्री कृष्णचन्द हाल्दर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार सीमेंट का राज्यवार आवंटन क्या रहा है; और

(ख) सीमेंट का आवंटन निर्धारित करने के आधार मानदन्ड क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) राज्य/संघ शासित प्रदेशों को वर्ष 1977, 1978 व 1979 में सीमेंट के किए गए आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्यों को प्रत्येक तिमाही में सीमेंट का आवंटन सीमेंट की पिछली खपत और उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य संघशाशित प्रदेश का नाम	1977	1978	1979
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	77000	82000	849000
2.	दिल्ली	505000	539500	536550
3.	हरियाणा	628000	699000	689485
4.	हिमाचल प्रदेश	116000	132000	135350
5.	जम्मू और कश्मीर	183000	182500	196025
6.	पंजाब	942000	1000000	985125

1	2	3	4	5
7.	राजस्थान	564006	607000	629268
8.	उत्तर प्रदेश	2078000	2175000	2238500
9.	असम	200000	235000	253535
10.	अरूणाचल प्रदेश	2000	7000	45000
11.	बिहार	1082000	1116000	1109150
12.	मेघालय	38000	45000	64500
13.	मिजोरम	9000	20000	25800
14.	मणिपुर	31000	38000	43000
15.	नागालैंड	27000	31000	43000
16.	उड़ीसा	336000	362000	394060
17.	सिक्किम	28000	34000	43000
18.	त्रिपुरा	25000	31200	43000
19.	पश्चिम बंगाल	1157000	1318000	1419625
20.	दादर ऐण्ड नागर हवेली	6000	85000	10900
21.	गोवा दमन द्विव	90000	112000	127350
22.	गुजरात	385000	1462500	1692500
23.	मध्य प्रदेश	736000	827000	784100
24.	महाराष्ट्र	2040000	2412400	2213500
25.	आन्ध्र प्रदेश	1476000	1555500	1533500
26.	अंडमान और निकोबार	12000	12000	900
27.	कर्नाटक	961000	1142600	1232125
28.	केरल	832000	775000	886926
29.	लक्षद्वीप	6000	5100	6700
30.	पांडिचेरी	34000	39000	43000
31.	तमिलनाडु	1463000	1467000	1523870
	योग :	17069000	18472800	19046243

हरिजनों की सहायता के लिये राजस्व पुलिस सैलों की स्थापना

1108. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम करने तथा उन्हें विशेष सहायता देने हेतु सभी जिलों में राजस्व व पुलिस सैलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन सैलों की स्थापना कब किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द मकवाना) : (क) भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए जिलों में राजस्व तथा पुलिस कक्ष/दल स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सुझाव दिया है कि जहाँ कहीं विवाद तथा बाधाएं हों, अनुसूचित जातियों का अपनी भूमि अथवा उनको आवंटित की गई भूमि पर पूरा कब्जा रहे और उस पर खेती कर सकें। जिन गांवों और भूमियों के बारे में अन्य लोगों द्वारा हस्तक्षेप करने की संभावना है उनके पता लगाना संबंधित दलों के लिए संभव होगा और एसे मामलों में अनुसूचित जातियों को कारगर पुलिस संरक्षण दिया जाए।

(ख) गुजरात राज्य ने राज्य के छः जिलों के लिए छः राजस्व तथा पुलिस कक्ष बनाये हैं। यह प्रस्ताव शेष राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

दहेज के कारण मृत्यु की घटनाओं में वृद्धि

1109. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री माधव राव सिंधिया . क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दहेज के प्रश्न को लेकर झगड़ों के कारण नव विवाहिता लड़कियों द्वारा आत्म हत्या किये जाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये वर्तमान कानूनों में कोई परिवर्तन करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ग) क्या एसे मामलों में शीघ्र निर्णय के उद्देश्य से अदालती प्रक्रिया में भी कोई परिवर्तन करने का विचार किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द मकवाना) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर तुरन्त सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पांच प्रतिशत वृद्धि दर की प्राप्ति

1110. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पांच प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करना चाहती थी;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार;

(ग) क्या राज्यों को ये निदेश दिए गए हैं कि इस वृद्धि दर को किस प्रकार प्राप्त किया जाना है; और

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने राज्य सरकारों को 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए लिखा है। उन्हें यह सूचित किया गया है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और हमारे नियंत्रण से परे बाध्यकारिताओं की समस्याओं के विस्तृत विश्लेषण होने तक, वे योजना संबंधी अभ्यास इस धारणा के आधार पर करते जाएं कि हमें योजना की अवधि में 5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही योजना तैयार करते समय इस वृद्धि दर को 5 प्रतिशत से अधिक करने की संभावनाओं की भी जांच की जाएगी।

मोटर गाड़ी सहायक कल पुर्जा एकक ओटोमोबाइल एनसिलियर यूनिट स्थापित करना

1111. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर गाड़ी कलपुर्जा उद्योग में और अधिक एकक स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मोटर गाड़ी सहायक कल पुर्जे बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र का एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी मोटर गाड़ी सहायक कलपुर्जों को विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिये यूनिटें स्थापित करने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र और राज्य क्षेत्र से प्राप्त अनेक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

रास्ट्रीय औधोगिक विकास निगम में पदावनति

1112 : **श्री चन्दपाल शैलानी** : क्या **उद्योग मंत्री** दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में अधिकारियों के आरक्षण के बारे में 9 मई, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10235 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० पी० आई० पद्धति के खत्म होने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के सभी कर्मचारी पदों के तदनुरूपी वर्गों में खपा दिये गये हैं जैसा निदेशक बोर्ड द्वारा निर्णय किया गया है :

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों की पदावनति करने वाले अधिकारी ऐसा करने के लिये सक्षम थे, यदि नहीं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है।

(घ) क्या यह मामला पुनः निदेशक बोर्ड के समक्ष रखा गया था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बोर्ड का नवीनतम निर्णय क्या है;

(च) क्या इस बारे में कोई समय बद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सभी प्रभावित हुए व्यक्तियों की वरीयता दुबारा बहाल कर दी गई है और इन्हें सूचित किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) से (छ) नवम्बर, 1976 से मार्च, 1977 के बीच कुछ अधिकारियों को दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में इंजीनियरिंग प्रोडोक्ट्स लि० के अधीन निश्चित वेतन पर ठेके की शर्तों पर नियुक्तियां की गई थीं। इस प्रकार की नियुक्तियों के विरूद्ध बड़ी संख्या में अभ्यावेदनों के मिलने पर जून, 1978 में कर्मचारी समीक्षा समिति ने यह सिफारिश की थी कि संबंधित अधिकारियों को इसी श्रेणी के पदों पर लागू वर्तमान वेतनमान दे दिये जायें जिसका प्रबंधक वर्ग ने यह मतलब निकाला कि ये उस स्तर के पद होंगे जिनसे कि संबंधित अधिकारियों को वास्तविक नियुक्ति करते समय पदोन्नत किया गया था

यह निर्णय एक सितम्बर, 1978 को लिया गया था जिस पर विभिन्न अभ्यावेदनों के मिलने पर निदेशक मंडल द्वारा 7 नवम्बर, 1979 को पुनः विचार किया गया था। बोर्ड ने एक सितम्बर, 1978 के आदेशों को रद्द करने का निर्णय लिया और 31 दिसम्बर, 1979 तक यथास्थिति बनाये रखी और फिर यह निर्णय लिया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों को देखते हुए अधिकारियों की राय समिति द्वारा इन मामलों की समीक्षा की जाये।

तदनुसार समिति ने कुछ मामलों की जांच की और अपनी सिफारिशे जिनको बोर्ड द्वारा 4 फरवरी, 1980 को अनुमोदन कर दिया गया था। शेष मामलों में समिति द्वारा अभी विस्तार से जाँच की जानी है किन्तु यह निर्णय किया गया है कि समिति की सिफारिशों को एक जनवरी, 1980 के भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित किया जाएगा।

दिल्ली में अपराध

1113. **श्री नारायण चोबे :**

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के पहले चार महीनों के दौरान, महीने-वार, दिल्ली में लूटपाट, जंजीर छीनने, जेब काटने, डकैती, हत्याओं, आत्म हत्याओं, सड़क दुर्घटनाओं के और दहेज की मांग के कारण मृत्यु/घायल हो जाने के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हत्याओं के अनेक मामलों में दिल्ली पुलिस अपराधियों के गिरफ्तार करने में असफल रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो सकी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) आंकड़े नीचे लिखे है :

अपराध शीर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
लूटपाट	36	38	32	21
चैन छीनना	4	4	6	12
जेब काटना	189	156	152	134
डकैती	5	6	5	3
हत्या	16	18	13	18
आत्महत्या	16	7	13	20
सड़क दुर्घटना	319	343	354	345
दहेज की मांग के कारण मृत्यु/चोट	1	2	1	1

(ख) हत्या के 65 मामलों में से अब तक 17 का पता नहीं लगा है ।

(ग) हत्या के जिन मामलों का पता नहीं लगा है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

उन मामलों का विवरण जिनमें अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किए गए ।

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला प्रथम रिपोर्ट सं 175 दिनांक 30-3-80 पुलिस थाना सीमापुरी

दिनांक 30-3-1980 को दिन में 3-15 बजे श्री चक्रवर्ती से टेलीफोन पर सूचना मिली थी कि जी टी रोड शाहदरा में हिन्द पाकेट बुक की दिवार के पीछे एक आदमी की लाश पड़ी हुई है, सीमापुरी थाने का सब इन्सपैक्टर श्याम लाल घटना स्थल पर पहुंचा और लाश को अपने कब्जे में कर लिया । मृतक को पहचानने के सभी प्रयत्न किए गए थे परन्तु अब तक उसकी पहचान नहीं हुई है । अब तक मामले का कोई पता नहीं लगा है ।

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 287 दिनांक 10-4-80 पुलिस थाना सीलमपुर

गढ़ी मण्डी गांव के एक व्यक्ति राम लाल के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया था कि 10-4-80 को लगभग 9 बजे सुबह वह जमुना पुस्त के साथ स्थित अपने खेत में गया । उसने वहां एक लाश पडी हुई देखी । लाश का आधा भाग दिखाई दे रहा था जब कि दूसरा भाग मिट्टी से ढका हुआ था, एक मामला दर्ज किया गया । अभी तक मृतक की पहचान नहीं हुई है और इस मामले का कोई पता नहीं लगा है ।

3. भारतीय दंड संहिता की धारा 457/304/302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 198 दिनांक 1-2-80 पुलिस थाना गांधीनगर ।

कृष्णा नगर एच-2 निवासी श्री चुहर दास के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया कि उसका पुत्र मदन मोहन मुकेजा ने अपना कारखाना खोला और कमरे में जली हुई एक लाश तथा लाश

के पास ट्रांजिस्टर के हिस्से पुर्जे रखे हुए एक झोला मिला। भारतीय दंड संहिता की धारा 457/304 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मृतक की मृत्यु स्वासावरोध के परिणाम स्वरूप अवरोधन एवं मुंहबन्द करने के कारण हुई। कानून की धारा बदल कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 की गई। मृतक की पहचान नहीं हुई और इस मामले का कोई पता नहीं लगा है।

4. भारतीय दंड संहिता की धारा 307/302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 206 दिनांक 2-2-80 पुलिस थाना गांधीनगर।

इस मामले में एक व्यक्ति कैलाश चन्द, निवासी कैलाश नगर को किसी व्यक्ति द्वारा छुरा घौंप दिया गया था। उसको जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उसे बयान देने के लिए असमर्थ घोषित किया गया, सब इन्सपैक्टर रामानन्द ने एम एल सी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन एक मामला दर्ज किया। घावों के कारण घायल व्यक्ति 5-2-80 को मर गया और कानून की धारा को बदल कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किया गया। जांच से ज्ञात हुआ है कि यह अपराध पवन कुमार तथा भगवान ने किया था। भगवान को गिरफ्तार किया गया है जबकि पवन कुमार को गिरफ्तार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जो आवारा है और इस समय उसका कोई पता नहीं है।

5. भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 33 दिनांक 18-1-80 पुलिस थाना रेलवे दिल्ली।

18-1-80 को दिल्ली के मुख्य रेलवे स्टेशन पर तूफान एक्सप्रेस के डिब्बे में रखे हुए एक बक्स में एक आदमी की लाश मिली थी। लाश को पोस्टमार्टम जांच के लिए भेजा गया था, डाक्टर ने राय दी है कि मृत्यु गला घोटने से हुई है। जांच के दौरान मृतक की पहचान किए जाने के लिए सभी प्रयत्न किए गए परन्तु लाश की पहचान नहीं हो सकी और मामले को लापता घोषित करके फाइल कर दिया गया।

6. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 91 दिनांक 21-3-80 पुलिस थाना बदरपुर।

यह मामला सेन्ट स्टेफैन्स कालेज के एक 19 वर्षीय छात्र श्री गौतम जैसिघानी की हत्या से संबंधित है जिसकी लाश तुगलकाबाद फोर्ट के पास जंगल में दफनाई हुई पाई गई थी। अब तक मामले का पता नहीं लगा है और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

7. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 197 दिनांक 9-2-80 पुलिस थाना कालका जी।

श्री राम धन निवासी एच–258 दक्षिणपुरी, नई दिल्ली ने 8-2-80 को पुलिस थाना कालकाजी को रिपोर्ट दी कि चन्द्रलोक सिनेमा के पीछे जंगल में एक परित्यक्त कुएं में एक बच्चे की लाश देखी गई है। इस पर स्थानीय पुलिस तुरन्त घटना स्थल पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया। परन्तु अंधेरा होने के कारण उस दिन (8-2-80) लाश को बाहर नहीं निकाला जा

सका और उसे दूसरे दिन (9-2-80) बाहर निकाला गया लाश की पहचान हो गयी जो एल—2/66 मदनगीर निवासी श्री मदन लाल के पुत्र राम कुमार उर्फ बबलू (लगभग 4 वर्ष की आयु) की थी। उसकी खोपड़ी फोड़ रखी थी, तेजधार वाले हथियार से एक घाव किया गया था और पेट पर काटा हुआ था। जैसा कि यह एक हत्या का मामला प्रतीत होता है, इसलिए उपर्युक्त मामला दर्ज किया गया। इस मामले के अन्तर्ग्रस्त अभियुक्त को ढूढने के प्रभावी प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु अब तक कोई पता नही लगा है। मामले में जांच प्रगति पर है।

8. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 273 दिनांक 1-4-स0 पुलिस थाना मोतीनगर

इस मामले में कीर्ति नगर नई दिल्ली में फरनीचर ब्लाक के पीछे रेलवे लाइन के पास गड्ढे में लगभग 40 वर्षीय एक आदमी की लाश पड़ी हुई मिली जिसके पेट पर छुरे के घाव थे एक मामला दर्ज किया गया और जांच की गई। लाश की बाद में पहचान की गई जो एक विद्याभूषण पुत्र आशा नन्द निवासी 2/27-ए मोतीनगर दिल्ली का था। अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और मामले पर अभी जांच चल रही है।

9. भारतीय दंड सहिता की धारा 302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 167 दिनांक 17-4-80 पुलिस थाना नजफगढ़।

15-4-80 को गांव डिचाऊ कला के पास एक कुएं में विकृत दशा में एक महिला की लाश पाई गई थी। लाश की पोस्ट मार्टम जांच की गई और डाक्टर ने राय दी है कि गला घोटने से "स्वासावरोध" होने के कारण मृत्यु हुई है। एक मामला दर्ज किया गया और जांच की गई थी। अव तक मामले के सम्बन्ध में कोई गिरफतारी नहीं की गई है और जांच प्रगति पर है।

10. भारतीय दंड सहिता की धारा 318/302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 47 दिनांक 15-1-80 पुलिस थाना मोतीनगर।

दिनाँक 15-1-80 को दिन में 11.05 बजे एस बी मिल से टेलीफोन में सन्देश मिला कि एस बी मिल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल की दीवार के पीछे एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ है। पुलिस थाने की 15 1 80 की दैनिक डायरी में इस सूचना को लिखा गया और ए एस आई धन पाल सिंह को घटना स्थल पर जांच के लिए भेजा गया।

घटना स्थल की जांच से पता लगा कि एक नवजात बच्चे की लाश बोरी में लपेटी हुई पड़ी हुई है। बच्चे की लाश पर देखने में कोई बाहरी घाव नहीं दिखाई दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 318 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया कि किसी व्यक्ति ने प्रसव को छिपाने के लिए बच्चे को फैंका है। आई ओ ने जांच की और मृत्यु का कारण जानने के लिए लाश को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया।

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और डाक्टर ने मृत्यु का कारण गला घोट कर स्वासावरोध करना बताया है। कानून की धारा को बदल कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किया गया है और जांच की जा रही है। स्थानीय मकानों में रहने वाले लोगों से पूछताछ की

गई परन्तु कोई पता नहीं लगा । मामले का पता लगाने के सभी उपाय किये गए परन्पु कोई पता नहीं लगा और 31-3-80 को मामले को पता न लगने कारण भेजा गया ।

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 25 दिनांक 16-1-80 पुलिस थाना सरायरोहिला ।

किसी अज्ञात व्यक्ति ने सराय रोहिला थाने को सूचना दी कि करनाल नहर शाहजादा बाग की दीवार के पास नाले में एक लाश पड़ी हुई है । सरायरोहिला का थानेदार तुरन्त घटनास्थल पर गया और उसने एक तीस वर्षीय जवान व्यक्ति की लाश को देखा, उसके सिर तथा मुख प्रदेश में छुरे के अनेक गहरे घाव थे और नाले में पड़ा था । लाश की पहचान करने के लिए पुलिस कन्ट्रोल रूम तथा अन्य माध्यमों से सूचना दी गई परन्तु अब तक कोई पहचान नहीं हुई । पी टी सी फिल्लौर से अगुलि निशानों का पता न लगने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है । मामले पर अभी जांच चल रही है ।

12. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 23 दिनांक 1-2-80 पुलिस थाना अलीपुर, दिल्ली ।

दिनांक 1-2-80 को सुबह 10 बजे अलीपुर थाने में पी. सी. आर के माध्यम से सूचना मिली कि नांगली पूना गांव के पास जी टी करनाल में सड़क के किनारे एक लाश पडी हुई है । पुलिस थाना अलीपुर का थानेदार तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचा और एक महिला की लाश देखी जो लगभग 22 वर्ष की होगी, सड़क के किनारे झाड़ी में पडी हुई थी, उसके समस्त शरीर में 171-8 छुरे के घाव थे जिससे स्थापित हो गया कि अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत किया गया था, और तदनुसार यह मामला दर्ज किया गया । बहुत प्रयत्न करने के बावजूद न तो अभियुक्तों का पता लगा नं हीं लाश की पहचान हुई ।

13. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 72 दिनांक 4-2-80 थाना आदर्श नगर ।

श्री परगेश कुमार ने पुलिस पोस्ट जहांगीरपुरी में रिपोर्ट दी कि वह एक हेल्पर के रूप में काम करता है और 38 राजस्थान उद्योग नगर जी टी करनाल रोड में रहता है । दिनांक 4-2-80 को रात के लगभग 10.30 बजे जगमोहन चौकीदार को "बचाओं, बचाओं, चिल्लाते हुए सुना । वह राम देव के साथ कमरे से बाहर आया और देखा कि 3-4 आदमी जगमोहन को मार रहे थे । इस पर उसने शोर मचाया जिसके कारण दोषी भाग गए । जगमोहन के गले, चेहरे तथा सिर में कटने के घाव थे और बहुत खून बह गया था शिकायत करने वाले ने कहा है कि वह अभियुक्तों को पहचान सकता है । इस पर एक मामला दर्ज किया गया और जांच की गई । बहुत प्रयत्न करने के बावजूद अपराधियों का पता नहीं लगा । मामले पर अभी जांच चल रही है ।

14. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 186 दिनांक 24-2-80 पुलिस थाना किंसवे कैम्प ।

श्री लक्ष्मी चन्द शर्मा, निवासी गणेश पुरी मेरठ (उ० प्र०) ने 24-2-80 रिपोर्ट दी कि

23-2-80 को रात को लगभग 10.30 बजे विनोद कुमार, निवासी डी-137 न्यू पुलिस लाइन्स, किंग्सवे कैम्प (उसके दामाद) के एक मित्र ने उसको सूचित किया कि उसकी पुत्री श्रीमती पुष्पा रानी (20) जलने से मर गई है। उसने आगे कहा कि उसकी पुत्री का विवाह दिसम्बर 1978 में हुआ था। विवाह के तुरन्त बाद उसके दामाद तथा उसके पिता आदि विवाह के समय दहेज कम मिलने के कारण उसके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। विनोद कुमार मोटर साइकिल खरीदने के लिए जोर शोर से 2000/–रु० की मांग कर रहा था परन्तु वह (शिकायत कर्ता) उक्त धन राशि नहीं दे सका। उसकी पुत्री ने जबानी शिकायत करने के अतिरिक्त उसको एक चिट्ठी लिखी थी। उसको सन्देह है कि उसकी पुत्री को विनोद, राधे श्याम (उसका भाई) श्रीमती लक्ष्मी (उसकी माता) और नौबत राय) उसके पिता) ने दहेज के कारण उसकी पुत्री को आग लगा कर मारा है। अब तक संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध फाइल में कोई सबूत नहीं आया है। किन्तु सी. एफ. एस. एल की जांच परिणाम अभी आने हैं। मामले की जांच की जा रही है।

15. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 47 दिनांक 4-2-80 पुलिस थाना बाड़ा हिन्दूराव।

श्री कल्लू मल, निवासी एच नं० 4677, गली उमराव, पहाडी धीरज ने सूचना दी थी कि वह पाटा, गली मन्दिर वाली में दूध की दुकान चलाता है। 4-2-80 को प्रातः काल लगभग 5-15 बजे श्री पूरन सिंह उसकी दुकान पर आया और उसी समय उन्होंने देखा कि श्री किशन लाल उसकी दुकान के सामने श्री चोखे लाल की दुकान नं० 3842 का दरवाजा खटखटा रहा है। तब किशनलाल उसके पास आया और वे सभी चोखेलाल को देखने के लिए दुकान नं० 3842 में गए जहां वह रजाई से लपेटा हुआ मरा पड़ा था और उसका मुंह बन्द किया हुआ था। उसकी दाहिनी कनपटी की हड्डी से खून आ रहा था। इस रिपोर्ट के आधार पर उपर्युक्त मामला दर्ज किया गया। अब तक अपराधियों का पता नहीं लगा है। मामले की अभी जांच चल रही है।

16. भारतीय दंड संहिता की धारा 307/364/302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 266 दिनांक 29-3-80 पुलिस थाना सिविल लाइन्स दिल्ली।

यह मामला मृतक के भाई श्री बभुवा, निवासी झुग्गी, जमुना का खादर गाँव बुसारी के पास, दिल्ली के बयान पर दर्ज किया गया था। उसने बताया कि 28-3-80 की शाम को लगभग 7 बजे उसका भाई (मृतक) नानक अपने खेत देख रहा था तब जमुना नदी की ओर से लाठी तथा अन्य हथियारों से लैश कुछ व्यक्ति आए उसके भाई नानक ने उन्हें अपने खेत में आने से रोका। इस पर अपराधियों ने उसके भाई पर गोली चलाई और वे (अपराधी) उसके भाई को बलपूर्वक बाहर ले गये। बाद में नानक की लाश जमुना में मिली। प्रारम्भ में मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 364/307 के अधीन दर्ज किया गया पर उक्त धाराओं को लाश बरामद होने पर बदल दिया गया। मामले का कोई पता नहीं लगा है। किन्तु जांच अभी प्रगति पर है।

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 626 दिनांक 24-4-80 पुलिस थाना कोतवाली दिल्ली ।

संक्षिप्त में मामले के तथ्य ये हैं कि दिनांक 24-4-80 को सुबह 10-15 बजे बुरी तरह विकृत की हुई लगभग 50 वर्षीय पुरुष की एक लाश मिली जो शाहदरा मस्जिद रिंग रोड के पास झाड़ियों में पडी हुई थी । मुंह और पैर कीडों आदि ने खा दिए थे और इस प्रकार लाश पहचान के बाहर थी । जिन परिस्थितियों में लाश पडी हुई थी उनको ध्यान में रखते हुए मामला दर्ज किया गया था परन्तु अब तक कोई पता नहीं लगा है, मामले पर जांच चल रही है ।

चीन द्वारा तिब्बत में प्रक्षेपास्त्र का अड्डा

1114. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन सरकार द्वारा तिब्बत में पक्षेपास्त्र के एक बहुत बड़े अड्डे की स्थापना की ओर दिलाया गया है जिससे भारत के उत्तरी भाग को बहुत भारी खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि तिब्बत में इन प्रक्षेपास्त्रों में अड्डों की स्थापना के पीछे चीन के अतरिक्त कुछ अन्य सरकारें भी हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन अन्य सरकारों के नाम क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) (क) चीन सरकार द्वारा तिब्बत में प्रक्षेपास्त्रों अड्डे की स्थापना की कोई विश्वस्त सूचना नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

"बस्ती भीखम सिंह, जहां सांप पलते हैं" शीर्षक से समाचार

1115 **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 मई, 1980 के "हिन्दुस्तान" में "बस्ती भीखम सिंह, जहां सांप पलते हैं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलवाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का वहां के नागरिकों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कोई प्रभावशाली उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ख) सरकार को इस समाचार की जानकारी है । दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि बस्ती भीखम सिंह सरकारी अधिग्रहण की गई भूमि पर बनाई गई एक अनाधिकृत कालौनी है । ऐसी कालोनियों में दिल्ली नगर निगम जमीन समतल करने, ईटों की पटरियां, सस्ते किस्म की खुली नालियां और संपर्क

सड़के बनाने जैसी मूल सुख सुविधाओं की व्यवस्था करता है । दिल्ली नगर निगम ने इस कालोनी में सुधार करने के लिए 1978–79 और 1979–80 में क्रमश: 46,000/–रु० और 40.000 रु० की राशि खर्च की थी । कालोनी में ऊपरी नालियां हैं और जहां खराब हैं उन की मरम्मत की जा रही है । सफाई कार्य के लिए लगाये गये वर्तमान कर्मचारियों में चार सफाई कर्मचारी हैं । इसके अतिरिक्त समय-समय पर विशेष सफाई का भी प्रबंध किया जाता है । 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिविल अस्पताल शाहदरा चिकित्सा की जरूरतों को पूरा करता है । निवासियों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम प्रारंभिक जमा का भुगतान न करने के कारण जल सप्लाई लाइनें नहीं बिछाई गई हैं ।

2. विधि तथा व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हैं । जुआ खेलने तथा चोरी छिपे का व्यापार करने के न तो कोई मामले और न कोई ऐसा अपराधी जिसने इस कालोनी में शरण शराब ले रखी हो, पुलिस के ध्यान, में आये हैं । मोटर साइकलों और साइकलों पर गश्त लगाकर पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है । कालोनी में नियंत्रण कक्ष का वाहन समय समय पर खड़ा किया जाता है । समाचार में उल्लिखित जलने की घटना की दुर्घटना का एक मामला है ।

हिन्दी फिल्मों से प्रेरित अपराध

1116. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चोरी, डकैती, धोखाधड़ी आदि जैसे अनेक अपराध उन व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं जो हिन्दी फिल्मों से प्रभावित तथा प्रेरित होते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार के ध्यान में ऐसे कौन से से उदाहरण आए हैं ; और

(ग) क्या ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार का विचार इस बारे में कोई निदेश जारी करने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

वर्तमान आर्थिक वृद्धि दर

1117. **श्री अमर राय प्रधान : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की वर्तमान आर्थिक वृद्धि की दर क्या है तथा इस वर्ष के उत्तरार्ध में इसमें तेजी से हुई कमी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): भारत की राष्ट्रीय आय में 1979-80 में 2 प्रतिशत से अधिक की कमी होने का अनुमान है ।

1979-80 में राष्ट्रीय आय में कमी का मुख्य कारण देश के बहुत बड़े भागों में व्यापक सूखे के कारण कृषि उत्पादन में कमी थी । कुछ अन्य क्षेत्र भी बाढ़ द्वारा प्रभावित हुए थे । इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन को धक्का पहुंचता था । इसी प्रकार से कच्चे माल की बाध्यकारिताएं

और विद्युत, कोयला, रेल परिवहन, आदि जैसे आधारिक संरचनात्मक निवेशों की अपयर्ध्यता, और औद्योगिक अशांति औधोगिक उत्पादन में मी के लिए जिम्मेवार थी । कृषि उत्पादन को वढ़ाने के लिए उपाय शुरू करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जाता रहेगा तथा तिलहन, दालों और गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष क्रियात्मक योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। उद्योग के क्षेत्र मैं, औधोगिक उत्पादन में बाध्यकारिताओं को दूर करने के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में इस्पात, कोयले, अलौह धातुओं और उर्वरको के लिए अधिक परिव्यय रखे गए हैं। अर्थ-व्यवस्था के अनिवार्य क्षेत्रकों की आधारिक संरचनात्मक सेवाओं की व्यवस्था में आवश्यक समन्वय करने तथा परियोजनाओं के प्रबांधन करने के लिए भी और अधिक ध्यान दिया जा रहा है । सामान्म मौसम की दशाओं को मानते हुए, यह आशा है कि इन सभी उपायों से 1980.81 में राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि होगी ।

भारत हैवी इलैक्ट्रोनिक्स लि० तथा सीमेंस सहयोग

1118. **श्री नवीन रवांणी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 220 मेगावाट जनरेटरों के लिये संघनित्रों (कनडेंसर) के निर्माण के लिये भारत हैवी एलैक्ट्रीकल्स लि० के प्राधिकारी पश्चिमी जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कम्पनी सीमेंस के साथ एक सहयोग करार करने के लिये एक और प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान और विकास यूनिट ने भारत में सफलता पूर्वक ऐसे संघनित्रों का विकास किया है और यदि हां, तो क्या यह सच है कि सहयोग के संबंध में स्वीकृत लेने से पूर्व यह जानकारी बी० ए० आर० सी० के प्राधिकारी को नहीं दी गयी थी;

(घ) क्या ऐसा सहयोग प्रस्ताव करने से पूर्व भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० के प्रवंधकों ने अनुसंधान तथा विकास यूनिट से परामर्श किया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) तथा (ख) सरकार को 1000 मे० वा० तक की क्षमताओं के स्टीम टर्बाइनों से मेल खाने वाले स्टीम सर्फेस कनडेंसरों के निर्माण के लिए मैसर्स के डब्ल्यू यू, पश्चिम जर्मनी (सीमेन्स ए० जी० की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) के साथ एक तकनीकी सहयोग करार करने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड से इस महीने के शुरू में एक आवेदन पत्र मिला है । सरकार ने अभी प्रस्ताव की जाँच नहीं की है ।

(ग) जी, नहीं; प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रौद्योगिकी के अर्जन तथा विकास की प्रक्रिया में कारपोरेट आर० एण्ड डी० हमेशा सहवद्ध किया जाता रहा है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार

1119. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में सेवा संचालन नियमों में किये गये परिवर्तन की ओर ध्यान दिया है जिसमें उसने अपने कर्मचारियों को स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाने के अधिकार के साथ-साथ हड़ताल करने का अधिकार भी दिया है; और

(ख) क्या सरकार का इन अधिकारों को अपने कर्मचारियों (केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों) को देने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् । किन्तु, किसी राज्य सरकार के कर्मचारियों को शासित करने वाले सेवा नियमों से पूर्णतया उसी सरकार को सरोकार होता है ।

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

धार्मिक स्थानों में चोरियों में वृद्धि

1120. **श्री नन्दकिशोर शर्मा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के धार्मिक स्थानों में चोरियों की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान धार्मिक स्थानों में चोरियों की कितनी घटनायें हुई उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा वहां से क्या-क्या चीजे चोरी हुई;

(ग) क्या इन चोरियों में चोरी गई वस्तुओं तथा उनके चोर पकड़े गये हैं और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) कूचा सेठ, दरीबा कलां और दिल्ली के अन्य जैन मंदिरों में जनवरी से लेकर आज तक कितनी चोरियों की सूचना मिली तथा उनमें चोरी गई वस्तुओं में से कितनी वस्तुए अब तक बरामद हुई हैं; और

(ङ) चोरियों की उक्त घटनाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और चोरों को पकड़ने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

संगठित क्षेत्र में साबुन का उत्पादन

1121. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नवीनतम उपलब्ध वर्ष के लिये संगठित क्षेत्र में साबुन का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ख) इस कुल उत्पादन में हिन्दुस्तान लीवर, टाटा, आयल, गोदरेज कम्पनी का उत्पादन कितना-कितना है;

(ग) नवीनतम उपलब्ध वर्ष के लिये संगठित क्षेत्र में निर्माता एककों की साबुन की कुल बिक्री कितनी हुई; और

(घ) इस कुल बिक्री में हिन्दुस्तान लीवर, टाटा और गोदरेज की बिक्री कितनी-कितनी हुई;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरनजीत चानना) : (क) 1979 में 2, 89, 431 मी० टन।

(ख) 78.24 प्रतिशत।

(ग) और (घ) प्रत्येक एकक से उद्योग मंत्रालय द्वारा बिक्री की सूचना नहीं इकट्ठी की जाती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिकता का राष्ट्रीय रजिस्टर पुनः तैयार किया जाना

1122. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिये नागरिकता का राष्ट्रीय रजिस्टर पुनः तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में, मतदाताओं के लिये पहचान पत्र जारी करने का भी निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान्। फिर भी एक घराना रजिस्टर तैयार करने का प्रस्ताव है जिसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

दिल्ली में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को जाति संबंधी प्रमाण पत्र जारी करना।

1123. **श्री उत्तमराव पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी अनेक आवेदनों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि 1950 के बाद से उन आवेदकों के माता पिता दिल्ली में है;

(ख) यदि हां, तो मार्च से मई, 1980 के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा मडलवार और माहवार कितने आवेदन रद्द किये गए हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि ऐसे आवेदक, जो जन्म से ही दिल्ली में रह रहे हैं, उन राज्यों से जाति संबंधी प्रमाण पत्र पाने के लिये हकदार नहीं है जहां से उनके माता पिता 1950 से 1965 के दौरान दिल्ली आ गये थे क्योंकि न तो आवेदक और न ही उनके माता पिता अब अपने मूल राज्य में रहते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन गत तीन माह में अस्वीकृत आवेदनों का पुनरीक्षण करेगा और संबंधित आवेदकों को जाति का प्रमाण पत्र जारी करेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति जो 20-9-1951 अर्थात संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली के संबंध में जातियों को अधिसूचित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की तारीख के बाद दिल्ली में आया था, दिल्ली प्रशासन से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के संबंध में कोई जनजाति अनुसूचित नहीं की गई है ।

(ख) ऐसे रद्द किए गए आवेदनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्षेत्र	मार्च 1980	अप्रैल 1980	मई 1980
1. तीस हजारी	78	87	102
2. शाहदरा	30	25	45
3. संसद मार्ग	30	22	28
जोड़	138	134	175

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (1) वे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों जो दिल्ली में पैदा हुए थे और दिल्ली में स्थायी रूप से निवास कर रहे है और (2) अनुसूचित जाति के उन व्यक्तियों से पैदा बच्चों, जो 20-9-1951 से पहले/20-9-51 को दिल्ली में आए थे और निरतर दिल्ली में निवास कर रहे हैं और दिल्ली को अपना स्थायी निवास घोपित कर दिया गया है को जारी किये जाते हैं।

(घ) ऐसे रद्द किये गए आवेदनों का पुनरीक्षण करने और संबंधित आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आसूचना ब्यूरो में संचार विंग के कर्मचारियों को लाभ

1124. **श्री ए० नीलालोहिथा दसन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आसूचना ब्यूरो में संचार विंग के कर्मचारियों को, जिन्हें अपनी सेवा का 75 प्रतिशत

परिगार से दूर सीमा पर अकेले बिताना पड़ता है, वे ही लाभ दिये जाते हैं जो सैनिक कार्मिकों को दिये जाते हैं जिन्हें अपनी सेवा का केवल 50 प्रतिशत सीमाओं पर बिताना पड़ता है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) आसूचना ब्यूरो में संचार विंग के कर्मचारी उन शर्तों के अधीन नहीं हैं जो सुरक्षा दलों के कर्मचारियों पर लागू होती हैं। वे सिविल पद्धति के वेतन और भत्तों पर हैं। सीमा क्षेत्रों के कुछ अंचलों में आसूचना ब्यूरों के कर्मचारियों को चाहे वे संचार अथवा अन्य विंगों से संबंध रखते हों सेना स्तरों पर राशन और कपड़े स्वीकृत किए गए हैं। सीमा क्षेत्रों में सुविधाओं और कार्य दशाओं के सुधार के लिए और उपाय विचाराधीन हैं।

आंध्र प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना

1125. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष आंध्र प्रदेश में भारी उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके स्थापित किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) (क) और (ख)-जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बड़े राज्यों में गरीबों की आबादी का जमाव

1126. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़े राज्यों के कुछ गरीबों के लगभग 72 प्रतिशत लोग उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में गरीबी कम करने के लिए क्या विशेष ध्यान दिया जा रहा है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) : वास्तव में, देश की कुल गरीब जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत भाग इन आठ राज्यों में केन्द्रित है। गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों के प्रतिशत का अनुमान लगाने में 27 वें दौर (अक्तूबर, 1973 तक) के परिवार उपभोक्ता व्यय के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

(ख) : नई छठी पंचवर्षीय योजना में समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। 20–सूत्री कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के लिए अनाज कार्यक्रम, आदि को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, लघु कृषक विकास अभिकरण,

सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक कार्यक्रम, नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा-प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम, और पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों को बढ़ाया जाएगा जिससे कि तेजी से विकास में और गरीबी को कम करने में सहायता मिल सके। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों को भी नवीन रूप दिया जाएगा जिससे कि समाज के कमजोर वर्गों के जीवन-स्तर की उन्मत करने में उनकी प्रभाविता को बढ़ाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी की दशाओं को सुधारने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

बस्तर जिले में चूने के पत्थर के भन्डार

1127 : **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में चूने के पत्थर का काफी भंडार है जिसे कि भारतीय सीमेंट निगम द्वारा सीमेंट के कारखाने के लिए उपयुक्त पाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) (क) जी हाँ।

(ख) भारतीय सीमेंट निगम से जब कभी ठोस प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन पर गुणावगुणों के आधार पर तुरन्त विचार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश को सीमेंट की सप्लाई

1129 : **श्री एन. के. शेजवल्कर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में निर्माण कार्यों को तेज करने के लिए राज्यों को और विशेष रूप से पिछड़े हुए राज्यों को अधिक सीमेंट दी जाएगी; और

(ख) क्या सीमेंट के आवंटन के लिए राज्य के क्षेत्र को भी ध्यान में रखा जाएगा और मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य को जहां कई बांध निर्माणाधीन हैं सीमेंट की कितनी मात्रा अधिक दी जाएगी;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) (क) देश में सीमेंट की उपलब्धता मांग की अपेक्षा कम है। देश में सीमेंट की उपलब्धता संबंधी स्थिति में सुधार होने पर ही राज्यों को अतिरिक्त आवंटन करना संभव हो सकेगा।

(ख) राज्यों को उनके क्षेत्र के आधार पर सीमेंट आबंटित नहीं किया जाता है। पिछले उपभोग के कुछ मानकों के अनुसार राज्यों का आधारित तिमाही आबंटन निर्धारित किया गया है। फिर भी, चालू तिमाही (अप्रैल-जून, 1980) के दौरान मध्यप्रदेश राज्य को अतिरिक्त 25.550 मीट्रिक टन सीमेंट आवंटित किया गया है।

अशोक बिहार दिल्ली में डकैती

1130. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह अशोक बिहार, दिल्ली में उन निवासियों को सान्त्वना देने गये थे जिनके यहां जनवरी/फरवरी, 1980 में दुस्साहसिक डकैती पड़ी थी;

(ख) क्या उक्त निवासियों ने उन्हें अभ्यावेदन दिया था जिसमें उनसे यह अनुरोध किया था कि डकैती/चोरों और सैंधमारी के बचाव से उपाय के रूप में उन्हें अपने फूलैटों के पीछे के हिस्से में लोहे की छड़े लगाने की अनुमति देने हेते डी डी ए से कहा जाये; और

(ग) यदि हां, तो उन निवासियों के अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) अभ्यावेदन दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है । उनके द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या वर्तमान उपनियमों के अधीन फूलैटों के पीछे के हिस्से में लोहे की छड़े लगाने की अनुमति दी जा सकती है।

दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग

1131. **श्री जी एम बनातवाला :**

श्री नवीन रवानी : क्या गृह मन्त्री दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के बारे में 26 मार्च, 1980 के अतारांक्ति प्रश्न संख्या 1848 के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में एक कानून लाये जाने के लिए अब तक कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां तो निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : सरकार ने निर्णय किया है कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र ही बना रहेगा ।

भारत में सोवियत रूस की सहायता से भारी उद्योगों का विस्तार

1132. क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत उप-प्रधान मंत्री श्री आई० वी० अरिखपोव के साथ मार्च, 1980 में हुई वार्ता के अवसर पर भारत को भारी उद्योगों के विस्तार के लिए सोवियत सहायता के विषय पर चर्चा की गई थीं, और

(ख) यदि हाँ, तो सोवियत रूस द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारत को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और अगले तीन वर्षों के लिए योजना की क्या रूपरेखा बनाई गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमा सुरक्षा बल/भारत तिब्बत सीमा बल के कल्याण के लिए एक विशेष सेल खोलना

1133. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा बल आदि के कल्याण के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष सेल खोला जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत कौन से कल्याणकारी उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी केन्द्रीय पुलिस कार्मिकों के लिए कल्याण उपायों का सरकार द्वारा नियमित आधार पर पुनरीक्षण किया जाता है और समय-समय पर उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं।

दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर ट्रक तैयार करने वाली वर्कशाप

1134. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी वर्कशाप का पता लगाया है जहाँ गैर कानूनी ढंग से टाटा मर्सडीज ट्रक तैयार किए जाते थे; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दो वाहन ढाँचा निर्माताओं की वर्कशाप में गैर कानूनी ढंग से तैयार किए गए तीन ट्रक पकड़े गए हैं।

(ख) सब्जी मंडी थाने में भा० द० सं० की धारा 420/468/109/114 के अधीन एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 580 दिनाक 4-6-1980 को दर्ज किया गया है और जाँच पड़ताल की जा रही है।

हार्वेस्टर कम्बाइन यूनिटों के लिए संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव

1135. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हार्वेस्टर कम्बाइन यूनिटों के लिए एक बड़े संयंत्र का निर्माण करने का प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने अपने 1977-78 की वार्षिक योजना के प्रस्तावों में पंजाब औद्योगिक विकास निगम के कार्यक्रमों के

भीतर, अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त फसल काटने की मशीनों के विनिर्माण के लिए एक परियोजना शामिल की थी। योजना आयोग राज्य औद्योगिक विकास निगमों की अलग-अलग स्कीमों के लिए धनराशि का विशिष्ट आवंटन नहीं करता है। सरकार की समग्र नीतियों और उपयुक्त प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदनों के अधीन, राज्य औद्योगिक विकास निगमों को वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए समग्र आवंटन के भीतर परियोजनाएं हाथ में लेने की छूट है : ऐसे अनुमोदनों को प्राप्त करने और उसके निवेश कार्यक्रम को निर्धारित करने का काम औद्योगिक विकास निगम का है।

रक्षा विभाग के पेंशन प्राप्त कर्ताओं के सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान

1136. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लड़ाकू सेना के पेंशन प्राप्त कर्ताओं (कम्बैटैन्ट डिफेंस पेंशनर्स) को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) जिन स्थानों पर खजानों और पेंशन पे मास्टरों के माध्यम से पेंशन ली जाती है वहां पर योधी रक्षा पेंशनरों को पहले ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन लेने की अनुमति है। फिर भी बैंकों के माध्यम से पेंशन देने की योजना होते हुए भी खजानों/पेंशन पे मास्टर कार्यालयों को कुछ अन्य कार्य करने ही होते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, चण्डीगढ़ और कैम्पबेल व (बृहत निकोबार) में जहां पेंशन डाकघरों के माध्यम से दी जाती है, बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा अभी तक लागू नहीं की गई है क्योंकि बैंक योजना लागू कर दिए जाने पर जो कुछ अन्य कार्य करने होते है उन्हें कौन करेगा इस प्रश्न पर अभी निर्णय किया जाना है।

सूरत गढ़ के पास छावनी

1137. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत गढ़ के पास एक छावनी बनाई जा रही है;

(ख) क्या प्रस्तावित छावनी को बनाने के लिए भूमि अभिग्रहीत की गयी है;

(ग) उन गांवों के नाम क्या हैं जो अभिग्रहीत भूमि के बीच में आ रहे हैं, और कितने किसानों की भूमि अभिग्रहीत की गयी है;

(घ) किसानों की अभिग्रहीत भूमि के लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि किस दर पर दी है, तथा विद्यमान बाजार दर क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अभिग्रहीत भूमि के बदले किसानों को नई भूमि देने का है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) भूमि का अधिग्रहण एक मिलिटरी स्टेशन की जरूरतें पूरी करने के लिए किया गया है।

(ख) उन गाँवों के नाम हैं : 2 एस० जी० एम० 1 के एस० आर, 2 के एस० आर० 28 पी० वी० एन० 3 के एस० आर०, 4 के एस० आर० और 6 एस० जी० एम० (ए)। जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनकी कुल संख्या लगभग 250 है।

(घ) ऐसे मामलों में मुआवजे का निर्धारण, अधिग्रहण संबंधी कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :–

(1) 27-3-79 को अधिग्रहीत 1423.125 एकड़ भूमि के मुआवजे के रूप में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर अर्थात् नहरी भूमि के लिए 5,000/- रु० प्रति बीघा और बारानी भूमि के लिए 2,450/- रु० प्रति बीघा की दर से कुल 1,0140,231.75 रु० की राशि अदा की गई;

(2) 27-3-80 को अधिग्रहीत 2262.093 एकड़ भूमि के लिए मुआवजे के रूप में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर अर्थात् नहरी भूमि के लिए 8,000 रु० प्रति बीघा और बारानी भूमि के लिए 4,000 रुपए प्रति बीघा की दर से कुल 2,50,96,280/- रु० की राशि अदा की गई;

(3) सूचना मिली है कि नहरी भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य 8,000/- रुपए प्रति बीघा और बारानी भूमि का मूल्य 4,000/- रु० प्रति बीघा है।

(ङ) और (च) भारत सरकार कानून के अनुसार देय मुआवजा अदा करने के लिए ही जिम्मेवार है। अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को भूमि देना राज्य सरकार का काम है।

बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में सीमेंट के कारखाने की स्थापना

1138. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट एक सीमेंट कारखाने की स्थापना करने की मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की स्थापना में नवीनतम क्या प्रगति हुई है तथा उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है और देश में सीमेंट की भारी कमी को देखते हुए इस कारखाने में उत्पादन कब से आरंभ होगा;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरण जीत चानना) : (क) और (ख) मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट लिमिटेड के हिमाचल प्रदेश राज्य के गागल, जिला विलासपुर में 5.6 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 23 मार्च, 1979 को एक आशय-पत्र जारी किया गया था। फर्म ने भूमि प्राप्त कर ली है और उसने मशीनों के लिए

क्यादेश दे दिए है जिनकी स्थापना वर्ष 1982 की प्रथम तिमाही तक पूरी हो जाने की आशा है। आशा है कि वहां जुलाई, 1982 तक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

सैनिकों की पेंशन में असमानता दूर करना

1139. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवानिवृत्त हो रहे सैनिकों की पेंशन में असयान ता को दूर करने के लिये भूतपूर्व सैनिकों से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस माँग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) पेंशन की पुरानी और नई दरों के बीच असमानता को दूर करने की दृष्टि से सरकार ने 1-1-73 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को 15 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति मास तक की तदर्थ राहत मंजूर की है। ये राहत 1-1-73 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को समय-समय पर दी गई 45 रुपए से 225 रुपए प्रति मास राहत के अलावा है। इसके अतिरिक्त जो पेंशनर वेतन में महगाई भत्ता मिला दिए जाने के बाद हाल ही में संशोधित दरों पर पेंशन ले रहे हैं, वे 25 रुपए से लेकर 125 रुपए प्रति मास की घटी हुई दरों पर राहत प्राप्त करते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिए परीक्षा की योजना में परिदर्तन

1140. **श्री नारायण चन्द पराशर** . क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने गत 3 वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं के लिये परीक्षा की योजना में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त परिवर्तन की मुख्य बाते क्या हैं तथा इस परिवर्तन के विरुद्ध सरकार को यदि कोई विरोध प्राप्त हुआ है तो वह क्या है; और

(ग) विरोध किस प्रकार का है तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) (क) जी हाँ, श्रीमान्। अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए परीक्षा की योजना में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त भर्ती तथा चयन पद्धति समिति (कोठरी समिति के नाम से प्रसिद्ध) की सिफारिशों पर वर्ष 1979 से संशोधन किया गया है।

(ख) तथा (ग) संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं विवरण I में दी गई हैं। विरोध का स्वरूप तथा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई विवरण -II में दी गई है।

परीक्षा की संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं

I-परीक्षा

(क) वर्ग I (भारतीय प्रशानिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा), वर्ग-II) भारतीय पुलिस सेवा तथा पुलिस सेवाएं) और वर्ग-III) केन्द्रीय सेवाएं) के लिए तीन पृथक परीक्षाओं के स्थान पर अब अखिल भारतीय सेवाओं एवम् केन्द्रीय सेवाओं के लिए एक एकल सिविल सेवा परीक्षा है ।

(ख) सिविल सेवा परीक्षा के दो भाग हैं-अर्हक प्रारम्भिक परीत्रा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) और प्रधान परीक्षा (लिखित तथा साक्षात्कार परीक्षण) ।

II-प्रश्न पत्र

(क) प्रारम्भिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं, पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन (150 अंक) का और दूसरा प्रश्न पत्र एक वैकल्पिक विषय (300 अंक) का 1 सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, जिसमें प्रश्नों को चुनने की पर्याप्त रूप से छूट होती है ।

(ख) प्रधान परीक्षा के दो भाग होते हैं—लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण । लिखित परीक्षा में निम्नलिखित आठ प्रश्न पत्र शामिल हैं :

प्रश्न पत्र I	भारतीय भाषा
प्रश्न पत्र II	अंग्रेजी
प्रश्न पत्र III तथा IV	सामान्य अध्ययन
प्रश्न पत्र V तथा IV	प्रथम वैकल्पिक
प्रश्न पत्र VII तथा VIII	द्वितीय वैकल्पिक

इसके अतिरिक्त, एक साक्षात्कार परीक्षण भी होता है । साक्षात्कार 250 अंकों का होता है (जिसके लिए कोई न्यूनतम अर्हक अंक नहीं होते जैसाकि वर्तमान में है) और लिखित प्रश्न पत्र 2400 अंक के होते हैं (प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंकों का) ।

प्रधान परीक्षा के लिए अंग्रेजी के प्रश्न पत्र तथा भारतीय भाषा के प्रश्न पत्र के अंक उम्मीदवारों की प्रतियोगिता रेंकिंग के लिए नहीं गिने जाने हैं परन्तु इन विषयों में उम्मीदवारों को अर्हक अंक प्राप्त करना आवश्यक है ।

मणिपुर, मेघालय, नागालैंड,मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 1979 तथा 1982 के बीच ली जाने वाली वार्षिक परीक्षा के संबंध में तथा सिक्किम के उम्मीदवारों के लिए 1980 तथा 1982 के बीच ली जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में भारतीय भाषा का प्रश्न पत्र । अनिवार्य नहीं है।

अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र के लिए उम्मीदवारों को ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक होते हैं, जो उनके भाषाबोध तथा शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जिसमें संक्षिप्त एवम् प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाता है । इस प्रश्न पत्र में

अनावश्यक रूप उच्चस्तर नहीं रखा जाता क्योंकि ऐसा करने से ग्रामीण समुदायों तथा समाज के कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों के लिए कठिनाई उपस्थित हो सकती है।

III-विषय

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए, कोठरी समिति द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक विषयों की सूची को, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया था, अनुमोदित कर दिया गया है।

प्रधान परीक्षा के लिए कोठरी समिति द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक विषयों की सूची को निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा राजनीति विज्ञान को अलग-अलग विषय मानने की आवश्यकता नहीं, उन्हें राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में मिला दिया जाए और प्रत्येक विषय का एक ही प्रश्न पत्र होना चाहिए।

(ख) प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन के अलग-अलग विषय रखने की आवश्यकता नहीं, उन्हें "प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन" के रूप में मिला दिया जाना चाहिए और प्रत्येक विषय का एक प्रश्न पत्र हो।

(ग) वाणिज्य तथा लेखाशस्त्र को मिला दिया जाए और प्रत्येक विषय का एक ही प्रश्न पत्र हो।

IV परीक्षा का माध्यम

उम्मीदवारों को अपने प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी और भाषा के प्रश्न पत्र को छोड़कर, संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा या अंग्रेजी में लिखने का विकल्प दिया गया है। किन्तु प्रश्न पत्र चाहे वे प्रारम्भिक परीक्षा के लिए हों अथवा प्रधान परीक्षा के लिए, केवल अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार किए जाते हैं।

V प्रारम्भिक और प्रधान परीक्षाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की पात्रता की शर्तें

(क) प्रधान परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता विश्वविद्यालय की डिग्री है। किन्तु डिग्री के लिए अध्ययन कर रहे उम्मीदवारों को भी प्रारम्भिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है।

(ख) परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा 21-28 वर्ष है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में सामान्य छूट दी जाती है।

VI परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों दिए जाने वाले अवसरों की संख्या।

उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा एवम् प्रधान परीक्षा दोनों में, बैठने के तीन अवसर दिए जाते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों उम्मीद-

वारों को परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है बशर्ते कि वे निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आते हों।

VII जो उम्मीदवार परीक्षा में फिर से बैठना चाहता है क्या उसे ऐसी सेवा से त्याग पत्र देने के लिए विवश किया जाएगा, जिस पर उसका आबंटन पूर्ववर्ती परीक्षा के परिणामों के आधार पर किया गया था।

किसी पूर्ववर्ती परीक्षा के परिणामों के आधार पर सेवा में पहले से नियुक्त उम्मीदवारों को परीक्षा में पुनः बैठने से सम्बन्धित वर्तमान प्रथा जारी है।

VIII उम्मीदवारों का विभिन्न सेवाओं में आबंटन

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में आवंटन की वर्तमान प्रणाली फिलहाल जारी है।

IX सिविल सेवा परीक्षा की नई योजना का लागू किया जाना

सिविल सेवा परीक्षा की नई योजना 1979 की परीक्षा से लागू की गई है।

X सिविल सेवा परीक्षा की तीसरी स्टेज

सिविल सेवा परीक्षा की तीसरी स्टेज के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया जाना, जैसाकि कोठरी समिति ने सिफारिश की थी, फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

विवरण—II

विरोधों का स्वरूप तथा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

कोठारी समिति की रिपोर्ट को 14-12-1977 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था। मुख्य सिफारिशों का राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप में प्रचार भी किया गया था जिससे कि जनता की राय मालूम की जा सके। उक्त समिति की सिफारिशों पर अन्तिम रूप से निर्णय करने में समाचार पत्रों तथा व्यक्तिगत प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा गया था। परीक्षा की संशोधित योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त सुझाव अभ्यावेदन नीचे निर्दिष्ट किए जाते हैं :—

1. आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषा पर एक अनिवार्य प्रश्न पत्र का शामिल किया जाना।

संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भारतीय भाषा में अनिवार्य प्रश्न पत्र लागू किए जाने के विरूद्ध काफी अभ्यावेदन, विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे।

सरकार का यह विचार है कि भाषा का प्रश्न पत्र मैट्रीकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर का एक बहुत ही सरल प्रश्न पत्र है और इसमें केवल अर्हता प्राप्त करनी होती है। अतः इस प्रश्न पत्र में प्राप्त किए गए अंकों को प्रतियोगिता रैंक के लिए नहीं गिना जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला अब स्कूलों में दस वर्षों से भी अधिक समय से लागू है। अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा हमारी शैक्षणिक पद्धति में एक गति निर्धारक के रूप में भी कार्य करती है। इन दोनों बातों को ध्यान

में रखकर यह महसूस किया जाता है कि उत्तर पूर्व के स्नातकों अथवा जिन अन्य क्षेत्रों की भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला हैं, उन क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए किसी भारतीय भाषा में साधारण दक्षता प्राप्त करना कठिन नहीं होना चाहिए। फिर भी यह निर्णय किया गया है कि मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए वर्ष 1979 तथा 1982 के बीच ली जाने वाली वार्षिक परीक्षाओं में भाषा का प्रश्न पत्र अनिवार्य नहीं होगा। यह सुविधा सिक्किम के उम्मीदवारों के लिए भी 1980 तथा 1982 के बीच ली जाने वाली परीक्षाओं में लागू कर दी गई है।

2. परीक्षा का माध्यम

उम्मीदवारों को यह विकल्प है कि वे अंग्रेजी तथा भाषा प्रश्न पत्र के अतिरिक्त अन्य प्रश्न पत्रों के उत्तर संविधान को आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में दे सकते हैं। संसद के 55 सदस्यों ने इस पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की थी। यह मामला संसद सदस्य श्री सुभाष चन्द्र होश अलूरी द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 4030 के माध्यम से दिनांक 21-3-1980 को लोक सभा में उठाया गया था।

3. प्रश्न पत्रों का केवल अंग्रेजी तथा हिन्दी में निर्धारित किया जाना।

1979 और उससे आगे सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों को संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं में न छापकर केवल अंग्रेजी तथा हिन्दी में छापने के निर्णय की कुछ आलोचना हुई थी। इस वर्ष से सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में, जिसे उम्मीदवार के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की जांच करने के लिए बनाया जाएगा, अर्हता प्राप्त करनी आवश्यक होगी। ऐसे उम्मीदवार अंग्रेजी में तैयार किए गए प्रश्न पत्रों को समझ सकेंगे। इस प्रकार अपनी पसन्द की किसी अनुसूचित भाषा में उत्तर देने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा किसी कठिनाई का सामना करने की सम्भावना नहीं है। अतः सरकार यह नहीं समझती कि अनुसूचित भाषाओं में उत्तर देने वाले उम्मीदवारों के हितों को वास्तविक रूप में कोई हानि होगी।

इसके अतिरिक्त, सभी अनुसूचित भाषाओं में प्रश्न पत्रों का तैयार करना अव्यावहारिक है, क्योंकि इसमें निम्नलिखित कठिनाइयां हैं :

(i) सभी परीक्षण—पुस्तिकाओं के अनुवाद तथा पश्न पत्रों, विशेष रूप से तकनीकी तथा विज्ञान के विषयों में विरुद्धता को सुनिश्चित करना;

(ii) प्रश्न पत्रों के लगभग एक हजार भाषा रुपांतरों का छापा जाना तथा उनका विभिन्न परीक्षा केन्द्रों और बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को वितरण के लिए प्रबन्ध करना; और

(iii) बहुत बड़ी संख्या में अनुवादकों, टाइपिस्टों और मुद्रणालयों का इनसे सम्बन्ध होने के कारण परीक्षा में प्रश्न पत्रों की गोपनीयता को सुनिश्चित करना।

4. सांख्यिकी के वैकल्पिक विषय का अलग किया जाना।

भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा की पुरानी योजना के अधीन "सांख्यिकी" निम्न ऐच्छिक विषयों में एक विषय था। नई योजना में इसे एक पृथक विषय के रूप में स्थान नहीं दिया गया है, किन्तु इसे प्रधान परीक्षा के लिए गणित के प्रश्न पत्र में शामिल कर लिया गया है। विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है, क्योंकि कालेज तथा विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं की श्रेणी 1 में नियुक्ति के लिए भर्ती नीति तथा चयन पद्धति संबंधी कोठारी समिति ने इस संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की हैं :–

"सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची बनाते समय हम एक जटिल समस्या का सामना करते हैं। जैसाकि पहले अध्याय में कहा गया था, प्रारम्भिक और प्रधान परीक्षाओं के लिए यह सूची इतनी सीमित नहीं होनी चाहिए, जिससे इसमें बैठने वाले उम्मीदवारों को विषय चुनने में ही कठिनाई हो। इसके विपरीत, अगर सूची काफी लम्बी हो गई तो भी स्तर में एकरूपता बनाए रखना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जब वैकल्पिक विषयों की सूची काफी लम्बी हो जाती है तो विभिन्न विषयों में बैठने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि एक ही परीक्षा अनेक अलग-अलग परीक्षाओं में विभाजित हो जाती है। इसलिए जिन विषयों में प्रतियोगी उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो जाती है, अगर इसके विपरीत कोई सबल कारण न हो तो उनको पाठ्यक्रम में रखना नहीं चाहिए। यह स्पष्ट है कि सिविल सेवा परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का निर्धारण करने के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं हो सकता। हमने प्रधान परीक्षा में अधिक सामान्य विषयों में से लगभग सभी को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है—केवल उन्हीं विषयों को छोड़कर जो विशेष रूप से व्यावसायिक या प्राविधिक होते हैं। विभिन्न सेवाओं की सामान्य आवश्यकताओं को भी हमने दृष्टि में रखना है।

यह तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की सूची बनाने में अनेक परस्पर विरोधी आवश्यकताओं और अवरोधों के बीच में समझौता करना पड़ता है। हमारा विश्वास है कि विशेषज्ञों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श करने के बादप्रारम्भिक और प्रधान परीक्षाओं के लिए हमने जो विषय सूचियां तैयार की हैं, सामान्य रूप से वे संतोषजनक पाई जाएंगी। इन सूचियों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों के परामर्श से, समय-समय पर आयोग द्वारा पुनरीक्षा होनी चाहिए। आयोग सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची की समय-समय पर पुनरीक्षा करता रहेगा।

नेल्ला भाखड़ा बांध में छापे के कारखाने की स्थापना

1141. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के निकट नेल्ला स्थान में एक समाचारों के छापे के कारखाने का स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो क्या इसके लिए कोई आशय-पत्र जारी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो यह आशय-पत्र किस फर्म को और कौन सी तारीख को दिया गया है;

(घ) क्या अभी तक एक भी कारखाने की स्थापना नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरण जीत चानना) : (क) से (ङ) मैसर्स बल्लारपुर पेपर एंड स्ट्रा बोर्डस लिमिटेड (श्री गोपाल डिवीजन) को नीला टेरेस, भाखड़ा नांगल क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, में 60,000 मी० टन अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिए एक नए उपक्रम की स्थापना हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस सं० एल/24(2) (2)/एन० यू०/कैमी० (1)/61 दिनांक 31-1-61 स्वीकृत किया गया था। चूंकि पार्टी परियोजना को कार्यान्वित नहीं कर पाई थी अतः उनको स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंस दिनांक 27-4-77 को प्रतिसंहृत कर दिया गया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के श्रेणी 1 के अधिकारियों का एक दूसरे के स्थान पर भेजा जाना

1142. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या गृह मन्त्री केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अधिकारियों का एक कार्यालय से दूसरे में भेजे जाने के बारे में 19 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1062 के भाग (क) और (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और उस के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के श्रेणी 1 के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 24वर्षों से भी अधिक समय (वहां पर उनकी पूरी सेवा की अवधि सहित) से कार्य करते आ रहे हैं और अब प्रशासकीय पदों पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्वच्छ प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए उनको बारी-बारी से एक दूसरे के स्थान पर न बदले जाने के क्या कारण हैं;

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे अधिकारियों को बारी-बारी से एक दूसरे के स्थान पर बदले जाने से सम्बन्धित प्रश्न विचाराधीन है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के अधिकारियों और डाइरेक्टरों का स्थानान्तरण

1143. **श्री एस० एम० कृष्णा** : क्या गृह मंत्री केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को एक कार्यालय से दूसरे में भेजे जाने के बारे में 19 मार्च,1 980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1062 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड

के उन अधिकारियों और डाइरेक्टरों को जो उन मंत्रालयों में पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से हैं स्थानान्तरित करने के लिए स्वच्छ प्रशासन के हित में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) मामला विचाराधीन है ।

कम्पनियों को आशय-पत्र जारी किया जाना ;

1144. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के प्रथम चार माह में कंपनियों को कुल कितने आशय-पत्र जारी किए गए ; और

(ख) आशय-पत्र जारी किए जाने के लिए कितने आवेदन विचाराधीन हैं और उन कंपनियों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) (क) जनवरी-अप्रैल, 1980 की अवधि में उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 145 आशय-पत्र जारी किए गए थे ।

(ख) 1-5-1980 को निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त औद्योगिक लाइसेंसों के लिए 386 आवेदन पत्र निलम्बित थे । सरकार के विचारार्थ निलम्बित आवेदन पत्रों का ब्यौरा तब तक नहीं प्रकाशित किया जाता जब तक सरकार द्वारा उन पर विचार नहीं कर लिया जाता ।

20-सूत्री कार्यक्रम के राज्यवार लक्ष्य

1145. **श्री भगवान देव** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य प्राप्ति का निर्धारण करने के लिए कोई केन्द्रीय निगरानी कक्ष स्थापित किया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्यों द्वारा प्राप्त लक्ष्यों से सन्तुट हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार का इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) : 1980-81 की वार्षिक योजना तैयार करने में 20-सूत्री कार्यक्रम और उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है । इस कार्यक्रम में शामिल विभिन्न मदों के लिए, चालू वर्ष के लिए, जहां कहीं संभव हो, राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं या किए जा रहे हैं ।

(ख) : इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का सामान्य रूप से संबंध केन्द्रीय मंत्रालयों/अभिकरणों द्वारा प्रबोधन किया जा रहा है ।

(ग) : 1980-81 की अवधि के निष्पादन का मूल्यांकन इस समय संभव नहीं है।

(घ) : केन्द्रोय प्रबोधन एकक स्थापित करने का प्रश्न इस अवस्था में उपस्थित नहीं होता।

सीमेंट का आयात :

1146 : **श्री भगवान देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से आज तक कितनी सीमेंट आयात की गई है ताकि चालू वर्ष के दौरान सरकार का सीमेंट की कितनी और मात्रा आयात करने का विचार है ; और

(ख) क्या सीमेंट की देश में उत्पादित मात्रा और विदेशों से आयात की जा रही मात्रा से देश की चालू वर्ष की सीमेंट की मांग की पूर्ति हो जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरण जीत चानना) (क) जनवरी, 1980 से मई, 1980 की अवधि में 11.73 लाख मी. टन सीमेंट का आयात किया गया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 20 लाख मी. टन सीमेंट का आयात करने की संभावना है।

(ख) देश में सीमेंट की उपलब्धता मांग से कम रही है। मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को कम करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

चुनाव अभियानों के दौरान झगड़े

1147. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में हाल में हुए चुनाव अभियानों के दौरान हुए झगड़ों की संख्या कितनी है:

(ख) इन झगड़ों में कुल कितने आदमी मारे गए और घायल हुए : और

(ग) सरका र ने क्या कावाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार नौ राज्यों में हाल ही के विधान सभा के चुनावों के दौरान हिंसा की 1096 घटनाएं हुई थी।

(ख) इन झगड़ों में 84 व्यक्ति मारे गए और 1674 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ग) कानून के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कार्यवायी की गई है।

विभिन्न जेलों में मृत्यु दण्ड प्राप्त व्यक्ति

1148. **श्री के० मालन्ना :**

श्री के० प्रधानी :

श्री एन० ई० होरो : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार विभिन्न जेलों में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन को मृत्यु दण्ड घोषित किया जा चुका है ;

(ख) कितने व्यक्तियों ने क्षमा याचना की है ; और

(ग) मृत्यु दण्ड वाले ऐसे कितने मामले हैं जो देश में विभिन्न न्यायालयों अर्थात उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ग) : सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य/संघ शाशित क्षेत्र का नाम	राज्यवार विभिन्न जेलों में उन व्यक्तियों की सं० जो मृत्यु दन्ड प्राप्त करने वालों की सूची में हैं	दया के लिए आवेदन करने वालों की की संख्या	देश के विभिन्न न्यायालयों अर्थात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लम्बित मृत्यु दन्ड के मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	असम	—	—	—
2.	गुजरात	—	—	—
3.	केरल	2	2	—
4.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	2	—	2 (उच्च न्यायालय)
5.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
6.	लक्षद्वीप	—	—	—
7.	पांडिचेरी	—	—	—
8.	चंड़ीगढ़	—	—	—

अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना की प्रतीक्षा है ।

आसूचना ब्यूरो में प्रति नियुक्ति पर पुलिस अधिकारी

1149. **श्री ए० नीलालोहियादसन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसूचना ब्यूरो में ऊपर-ऊपर के सभी 50 व्यक्ति प्रति नियुक्ति पर आए हैं;

(ख) क्या आसूचना ब्यूरो में 15 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले पुलिस अधिकारी अभी भी वर्दियों के लिए वर्दी भत्ता प्राप्त करते हैं जो कि उन्होंने कभी भी नहीं सिलाए;

(ग) क्या सरकार को पता है कि आसूचना ब्यूरो के विभागीय अधिकारियों को अभी भी गैर-प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी कहा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हाँ, श्रीमान ।

उच्च पदों को भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों और अन्यों के द्वारा, उनकी योग्यता और उपयुक्ता की जांच के बाद, प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाता है ।

(ख) आसूचना ब्यूरो में कार्य कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नियम के अनुसार, किट रख-रखाव भत्ता दिया जाता है ।

(ग) और (घ) : ब्यूरो सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों को सामान्यत: विभागीय अधिकारी कहा जाता है और उन्हें गैर-प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी नहीं कहा जाता है ।

नेशनल इंस्ट्रमेंट लिमिटेड द्वारा सिफारिशों का अस्वीकार किया जाना

1150 : **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन कर्मचारियों को सताये जाने के बारे में पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग द्वारा एक अप्रैल, 1971 को की गई सिफारिशों को नेशनल इंस्ट्मेंट लिमिटेड के प्रबन्धकों ने अस्वीकार कर दिया था ।

(ख) क्या कैंटीन की व्यवस्था पर व्यय के विषय पर उद्योग मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के चेयरमैन/प्रवन्ध निदेशक/महा प्रबन्धक को सम्बोधित उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार का दिनांक 4 दिसम्बर, 1963 का कार्यालय ज्ञापन संख्या पी० आर० सी० 9 (32)/63 राष्ट्रीय इंस्ट्मेंट लिमिटेड, कलकत्ता पर लागू होता है; और

(ग) यदि हाँ, तो कैंटीन के कर्मचारियों से रोजगार क्यों छीन लिया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : उद्योग मंत्रालय ने नेशनल इस्मेट्न्ट्स लिमिटेड सहित सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को दिनांक 4 दिसम्बर, 1963 का परिपत्र भेजा था। कंपनी ने इस मामले पर विचार करने पर पाया था कि चूंकि केंटीन विभाग द्वारा नहीं अपितु केंटीन प्रबन्धकीय समिति द्वारा चलाई जा रही थी अत: केंटीन के कर्मचारियों की पदास्थिति में परिवर्तन करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई । चूंकि केंटीन कर्मचारी नेशनल इन्स्ट्मेन्ट्स लिमिटेड के कर्मचारी नहीं थे अत: कम्पनी द्वारा उन्हें रोजगार से निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कैंटीन कर्मचारियों को बहाल करना :

1151 : **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से ठीक-ठीक संकेत न मिलने के कारण अपने श्रमिक विभाग की दिनाँक 1 अप्रैल, 1971 की सिफारिश को लागू न कर विवाद को हल न कर सकी;

(ख) क्या अब उद्योग मंत्रालय का विचार पीड़ित कैंटीन कर्मचारियों को सेवा में पुन: लेने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने का है जब कि नेशनल इंस्ट्मेंट लि० के 52 में से 4 कर्मचारी

भूख और चिकित्सा के अभाव में मर गये हैं और जब कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल, 1980 को अपने फैसले में यह निर्णय दिया कि रेलवे में नियोजित कैंटीन कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से रेलवे कर्मचारी हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : केंटीन के भूतपूर्व कर्मचारी नेशनल इन्स्ट्मेंट्स लि. के कर्मचारी नहीं थे अतः कंपनी द्वारा उनका शिकार बनाये जाने अथवा उनका कंपनी की सेवा में बहाल किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी मानवीय आधार पर कंपनी इन कुछ कर्मचारियों को सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अधीन एक प्रावस्थाबद्ध रूप में भावी रिक्तियों में नई भर्ती के रूप में लेने व उनकी नियुक्ति करने पर विचार करने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।

कैंटीन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित किया जाना :

1152 : **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब नेशनल इन्स्ट्मेंट लिमिटेड में सेवारत कैंटीन कर्मचारियों की सेवाओं को भी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के ज्ञापन संख्या पी० आर० सी० 9 (32)/63 दिनांक 4 दिसम्बर, 1963 के अंतर्गत निदेश के अनुसार नियमित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी सेवाओं को कम्पनी के प्रत्यक्ष कर्मचारी के रूप में नियमित करने के लिए उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का क्या कार्ययाही करने का विचार है, और यदि हाँ, तो कब ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) 4 दिसम्बर, 1963 के परिपत्र में दिए गए परामर्श को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने केंटीन कर्मचारियों की स्थिति पर विचार करने पर यह पाया था कि केंटीन विभाग द्वारा नहीं अपितु केंटीन प्रबंधकीय समिति द्वारा चलाई जा रही थी। इस बात को ध्यान में रखकर केंटीन कर्मचारियों की पदास्थिति में परिवर्तन करने हेतु कार्यवाही करने की जरूरत नहीं समझी गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन

1153. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1980 में नई दिल्ली में बुलाए गए राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए;

(ख) उन निर्णयों को लागू करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उन में से एक निर्णय जो अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों पर निगरानी रखने के लिय केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष खोलने के बारे में था, और यदि हां, तो इस निर्णय को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अप्रैल, 1980 में हुए मुख्य सचिवों/राज्य पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में लिए गए मुख्य निर्णय और सामान्यतः राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अनुमोदित निर्णय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सम्मेलन के कार्यवृत्त को आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और संबंधित प्राधिकारियों को भेजा गया है। यह सुनिश्चित करने के विचार से कि निर्णयों का तेजी से कार्यान्वियन किया जाता है, केन्द्र और राज्यों में अनुवर्ती कार्रवाई को गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय अधिकारियों की मासिक बैठक में पुनरीक्षित किया जाता है।

(ग) जी हाँ, श्रीमान 1 अप्रैल, 1980 के अंत से एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष कार्य कर रहा है। केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष उपलब्धता और चुनी हुई वस्तुओं की कीमतों के रूख जैसे गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, नमक और सौफ्ट कोक के आंकड़े एकत्रित करता है और प्रवोधन के लिए आंकड़ों के संकलन में सहायता करता है। यह राज्य सरकारों और उपब्धता और कीमतों के विषय में उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक मंत्रालयों से सम्पर्क स्थापित भी करता है।

विवरण

अप्रैल, 1980 में राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में निकले निष्कर्ष

क. विधि व व्यवस्था :

1. विधि व व्यवस्था की स्थिति पर अधिक प्रभावकारी नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस बल की संख्या बढ़ाना।
2. अवैध अग्नेस्त्रों, गोलावारूद और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए राज्यों द्वारा सुनियोजित छानवीन के कार्य।
3. बड़े साम्प्रदायिक दंगों/हरिजनों पर अत्याचारों के सभी मामलों की तुरन्त जांच-पड़ताल करने के लिए सी. आई. डी. के विशेष दल गठित करना।
4. उन सभी प्रशासनिक तथा कानूनी पहलुओं की गहराई से जाँच करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त दल गठित करना, जिनका विधि व व्यवस्था बनाये रखने और अपराधों तथा अपराधियों से तुरन्त निपटने पर प्रतिकूल प्रभाव होता है।
5. न्यायालयों में बकाया काम को शीघ्र निपटाने के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।
6. कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 108-110 के अन्तर्गत अधिक शक्तियाँ देना।
7. विधि व्यवस्था से संबंधित मामलों के तुरन्त निपटान के लिए मजिस्ट्रेटों को संक्षिप्त शक्तियाँ देना।

8. भविष्य में सभी गंभीर साम्प्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति रोकने और उनसे अधिक प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए किये गये प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रशासनिक जाँच-पड़ताल करना ।

9. आसूचना ढांचे समेत पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ।

10. जिलास्तर पर आसूचना और प्रशासनिक प्रबंधों का गहन पुनरीक्षण करना ताकि गड़बड़ के सभी संकेतों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके;

11. साम्प्रदायिक स्थिति के सभी पहलुओं पर निगरानी रखने और उनका प्रबोधन करने के लिए राज्य मुख्यालयों पर विशेष कक्ष गठित करना;

12. जहां कहीं व्यापक तथा गंभीर साम्प्रदायिक गड़बड़ हो, वहां विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए दंगाग्रस्त क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का प्रयोग किया जाए;

13. साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार व्यक्तियों का शीघ्र पुनर्वास ।

14. साम्प्रदायिक प्रैस पर कड़ी निगरानी रखना और दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन भड़काने वाले लेखों के विरुद्ध तुरन्त तथा प्रभावशाली कार्यवाही करना;

15. साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित मामले वापस न लिए जाएं;

16. संचार के साधनों का उपयोग धर्म-निर्पेक्षता के विचारों के प्रचार और साम्प्रदायिक तथा धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किया जाए;

17. इतिहास की पुस्तकों का पुनरीक्षण किया जाए ताकि उनमें से राष्ट्रीय एकता के विरूद्ध किसी पक्षपात को निकाला जा सके;

18. यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाए कि सभी समुदायों के सदस्य किसी समुदाय के बड़े धार्मिक त्यौहारों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है;

19. अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में एक ऐसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स तैनात किया जाए जो पूरी तरह गतिशील तथा सुसज्जित हो;

20. अत्याचारों के मामलों की शीर्घ जांच-पड़ताल हो और विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाए,

21. अत्याचार ग्रस्त क्षेत्रों में अथवा जहां अत्याचार हुए थे, वहां पुलिस की टुकड़ियां तैनात की जाए; और

22. दण्डात्मक तथा सामूहिक जुर्माना लगाने पर विचार किया जाए ।

(ख) पुलिस और जेल :

1. थाने के कर्मचारियों का दृष्टि कोण सहायक हो, वे नम्र तथा सज्जन हों और शिकायतों, विशेषरूप से गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों की शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही करने के इच्छुक हों;

2. पुलिस कर्मचारियों को कमजोर वर्गों, गरीबों, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में सामाजिक न्याय तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणाओं के साथ अनुरूपता का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए;

3. समुदाय की सेवा के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए सेवा में प्रवेश के समय उचित प्रशिक्षण और उपयुक्त अन्तराल से सभी पदों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम होने चाहिए। सभी पदों, विशेषरूप से उप-"निरीक्षकों के स्तर के पदों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए एक समयबद्ध त्वरित कार्यक्रम चलाया जाए;

4. अवैध जमाव तथा भीड़ को तितर-बितर करने के क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार की जरूरत है;

5. पुलिस कर्मचारियों की कार्य दशा सुधारने के उपाय किये जाएं;

6. पुलिस कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावशाली तंत्र होना चाहिए।

7. विचारणाधीन बंदियों समेत कैदियों के लिए कार्य के कार्यक्रम का क्रमबद्ध विकास, वर्तमान दशाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को विविधता की भी जरूरत है ताकि कैदी अपनी रिहाई के बाद लाभदायक रोजगार प्राप्त कर सकें;

8. सभी स्तरों पर जल कर्मचारियों के दृष्टिकोण में सुधार लाने के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण और सेवा में प्रशिक्षण आयोजित किये जाएं;

9. गरीब कैदियों को कानूनी सहायता की सुविधा दी जाए।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक उत्थान :

1. जन जातियों की ऋण संबंधी जरूरतों की विशेष रूप से खाली समय में देख भाल करने के लिए ऋण तथा विपणन सुविधाओं का संगठन;

2. जनजाति-क्षेत्रों में बड़े बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां संगठित करने में अधिक प्रयास करना और उनके कार्य में तेजी लाना;

3. एकीकृत प्रशासनिक ढांचे का गठन करना और सही कर्मचारी रखने की नीति का अनुसरण करना;

4. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्यक्रमों में राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रभावशाली भाग लेना;

5. सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा अपने कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए रखे गये परिव्यय का पता लगाना;

6. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का पर्याप्त आबंटन करना।

(घ) नागरिक आपूर्ति-

1. उपभोक्ताओं के मन में विश्वास पैदा करने के लिए मूल्य प्रदर्शन आदेशों का कारगर कार्यान्वयन करना;

2. मूल्य स्थिरता और अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने के लिए प्रवर्तन की गति तथा आपूर्ति प्रबन्ध बनाये रखना।

चीन द्वारा अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र का परीक्षण

1154. **श्री एस. एम. कृष्ण :**

श्री चित्त महाटा :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने 18 और 21 मई के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर में पहले "कैरियर राकेट" छोड़े थे तथा चीन वालों द्वारा इन्हें "पूर्णतया सफल बनाया गया;

(ख) क्या उस ने बाद में दक्षिण प्रशांत महासागर में दूसरा अन्तर्महाद्वीपय प्रक्षेपणास्त्र पूरी सफलता के साथ छोड़ा तथा परीक्षण किया ; और

(ग) यदि हाँ, तो इन परीक्षणों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) (क) और (ख) चीन ने दक्षिण प्रशांत महासागर में दो कैरियर राकेट छोड़े। पहला 18 मई 1980 को और दूसरा 21 मई 1980 को। चीनी समाचारों में यह परीक्षण सफल होने का दावा किया गया है।

(ग) चीन के अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र कार्यक्रम (आई. सी. बी. एम.) की सरकार को जानकारी है। अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चीन द्वारा हाल में किए गये परीक्षणों से भारत को कोई नया खतरा पैदा नहीं हुआ है।

इस्पात ढलाई घरों का विस्तार

1155. **श्री के राममूर्ति : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन आधार ढांचे का संपूर्ण विकास करने के लिए ढलवा इस्पात की रेल बोगियों और सेन्टर-बफर कपलर का निर्माण करने हेतु इस्पात ढलाई घरों को स्वदेशी क्षमता का विस्तार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इन वस्तुओं के निर्माण में कितने ढलाई घर कार्यरत हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) वैगनों और सेन्टर-बफर-कपलरों के लिए ढलवां इस्पात बोगियों के तीन सुस्थापित

निर्माता/सम्भरणकर्ता हैं, अर्थात मे० बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा, मे० भारतीय इलेक्ट्रिक स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता और मे० मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड, बंबई जो कई वर्षों से भारतीय रेलों को ढलवां इस्पात की बोगियों और सेन्ट-बफर-कपलरों का सम्भरण करते आ रहे हैं। इन एककों के अलावा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स फाउंड्री भी कुछ ढलवां इस्पात बोगियों का उत्पादन करती है। सेन्टर-बफर-कलपरों के लिए मे० टैक्समाकों, कलकत्ता को भी कुछ क्रयादेश दिए गए हैं।

ढलवां इस्पात बोगियों के लिए रेलवे ने पिछले पांच वर्षों में कोई क्रयादेश नहीं दिया है। इस अवधि में ढलवां इस्पात बोगियों से वैगनों बने में पहले के क्रयादेशों पर उपलब्ध ढलवां इस्पात बोगियों को प्रयोग में लाया गया था। इस समय, 1980-81 और 1981-82 के लिए अपनी आवश्यकताओं हेतु ढलवां इस्पात बोंगियों को खरीद के लिए एक टैन्डर देने का विचार कर रही है।

जहां तक सेन्टर-बफर-कपलरों का संबंध है, इन तीनों कम्पनियों ने रेलवे द्वारा 1975, 1976, 1977 और 1978 के वर्षों में उनको दिए गए क्रयादेशों को पूरा कर दिया है। चूंकि इस समय रेलवे से दीर्घकालिक क्रयादेश नहीं मिले हैं इसलिए निर्माता निर्यात क्रयादेशों के लिए इस क्षमता को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं।

इन दो वस्तुओं के लिए विद्यमान क्षमता भारतीय रेलों की मांग पूरी करने तथा निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है।

यमुना पार क्षेत्र के लिए सप्लाई किया गया सीमेंट

1156 : **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना-पार क्षेत्र में मकानों की मरम्मत के लिये कुल कितना सीमेंट सप्लाई किया गया तथा यह किन विक्रेताओं के माध्यम से सप्लाई किया जाता है;

(ख) इस के परिणामस्वरूप अब तक कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राय मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) 1.1.80 से 60, 354 बोरी सीमेंट जारी किया गया है। जिन सीमेंट डीलरों द्वारा सीमेंट रिलीज की गई उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) 5723

(ग) जारी करने का स्रोत

	जारी की गई बोरियों की संख्या	लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या
(1) मुख्यालय	44979	2949
(2) यमुना पार क्षेत्र के 1 से 5 मंडल	15375	2774
	60354	5723

विवरण

सीमेंट डीलरों की सूची जिनके माध्यम से यमुना-पार के आवेदनकर्त्ताओं को सीमेंट जारी किया गया।

क्रम संख्या	स्टाकिस्टों का नाम व पता
1	2
1.	मैं० आदर्श ट्रेडिंग कारपोरेशन, भोलानाथ नगर, शाहदरा।
2.	अग्रवाल एण्ड सन्स, राम नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली।
3.	अनिल कुमार एण्ड, सन्स पाण्डव नगर, विश्वास नगर, दिल्ली।
4.	अरोड़ा बिल्डर्स स्टोर, लोनी रोड, शाहदरा।
5.	एशियन बिल्डर्स, एल-42, लक्ष्मीनगर।
6.	बसन्त बिल्डिंग मैटीरियल स्टोर, 66-न्यू लायलपुर कालोनी।
7.	चरनदास सूरी एन्ड सन्स, शिवपुरी, पटपड़गंज।
8.	दयाल ट्रेडिंग कारपोरेशन, दुर्गापुरी, लोनी रोड, शाहदरा।
9.	देविन्दर सिंह सिसौदिया, 95 खुरेजी-खास।
10.	दुर्गा सीमेंट स्टोर, मौजपुर, घोंड़ा।
11.	फ्रैंड्स ट्रेडर्स, लक्ष्मीनगर, शाहदरा।
12.	गांधी नगर, सीमेंट स्टोर।
13.	गोयल सीमेंट स्टोर, लोनी रोड़, शाहदरा।
14.	जैन ब्रादर्स, सरोजिनी पार्क, शास्त्री नगर।
15.	जैना सीमेंट डिस्ट्री-ब्यूटर्स, 455 छोटा बाजार, शाहदरा।
16.	जैना सीमेंट स्टोर, भोला नाथ नगर।
17.	जैन ट्रेडिंग कं०, भण्डोती रोड, शाहदरा।
18.	कंवर एन्ड कं०, ज्योति नगर, शाहदरा।
19.	लक्ष्मीनारायण जैन एन्ड कं०, लोनी रोड़, शाहदरा।
20.	मार्डन बिल्डर्स, 12-ए, ईस्ट आजाद नगर, कृष्णा नगर।
21.	पदमसेन राम निवास, लोनी रोड़, शाहदरा।
22.	प्रवीन कुमार एन्ड ब्रदर्स, भोला नाथ नगर, शाहदरा।
23.	प्रीमियर सेल्स कारपोरेशन, पाण्डव नगर, पटपड़ गंज।

1	2

24. प्रीतपाल सिंह एन्ड कं०, कृष्णा नगर, दिल्ली ।

25. रघुवीरसिंह एन्ड ब्रदर्स, राठी स्टील मिल के समीप।

26. राज सीमेंट कं०, राजपूत मोहल्ला, घोंडा ।

27. रामनिवास गुप्ता, लोनी रोड़, शाहदरा ।

28. संजय एन्टरप्राइजेज, ग्राम-बावरपुर ।

29. शाहदरा बिल्डर्स, ए-2, मानसरोवर पार्क, ।

30. शाहदरा सीमेंट स्टोर, 122 मौजपुर, घौंडा ।

31. शशिकान्त भोलानाथ नगर, शाहदरा ।

32. शर्मा सेल्स कारपोरेशन, 10-ए, पान्डव नगर, पटपड़गंज ।

33. सिंह ट्रेडिंग कं०, बावरपुर रोड़, शाहदरा ।

34. सुबोध बिल्डर्स, लोनी रोड, शाहदरा ।

35, यूनाइटेड़ ट्रेडर्स, मैंन मार्किट, लक्षमीनगर, दिल्ली ।

36. विजय सीमेंट स्टोर, विश्वासनगर, शाहदरा ।

मत्स्य नौका निर्माण उद्योग के लिये 10 वर्गीय योजना

1157. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य नौका निर्माण उद्योग के विस्तार हेतु बनाई गई 10 वर्षीय भावी योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) मत्स्य नौकाओं की सप्लाई की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने किस दर पर राजसहायता देने का निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) और (ख) इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी। 1980 की एक प्रति संलगन है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 925/80]

परमाणु उर्जा उत्पादन बढ़ाने की परियोजना

1158. **श्री चित्त बसु :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिजली की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए तापीय और जल संयंत्रों के प्रतिपूरक के रूप में परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक परियोजना बनाने का हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) तथा (ख) जी, हां। 640 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले उन बिजली घरों के अलावा जिन्हें पहले ही चालू किया जा चुका है, राजस्थान परमाणु बिजली घर में 220 मेगावाट क्षमता वाला दूसरा यूनिट तथा कलपाक्कम और नरोरा में दो-दो यूनिट, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी, निर्माणाधीन हैं। और परमाणु बिजलीघर लगाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। फास्ट ब्रीडर प्रौद्योगिकी की सहायता से परमाणु बिजली पैदा करने की सम्भाव्यता के अध्ययन के लिए कलपाक्कम में एक फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर भी बनाया जा रहा है।

खालों पर नवीन तरीके से डिजाइनों का मुद्रण

1160. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेंदुआ की खाल, साँप की खाल और चमड़े पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न डिजाइनों के मुद्रण का एक नया तरीका विकसित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके वाणिज्यिक विदोहन विशेष रूप से चमड़े की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिक में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां। केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ने विभिन्न चमड़ों पर ग्रेन और रोमयुक्त आकृतियों के मुद्रण के लिए प्रक्रम विकसित किया है।

(ख) व्यावहारिक प्रदर्शनों द्वारा, समाचार पत्रों और चमड़ा संबंधी पत्रिकाओं द्वारा और रेडियो, टी० वी० इत्यादि को समाचार देकर इस प्रक्रम का व्यापक प्रचार किया गया। अनेक पार्टियों ने इसमें रुचि दिखाई है। चमड़े के सामान भी संस्थान में बनाए और प्रदर्शित किए गए इन कदमों से, आशा है, वाणिज्यिक उपक्रम, विशेषत: चमड़े के सामान के लिए, किया जा सकेगा।

पुलिस बल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की भर्ती

1161. **श्री अर्जुन सेठी** :

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को पुलिस बल में भर्ती करने का द्रुत कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इसके लिए कुछ धन की भी मंजूरी दी गई है; और

(ग) क्या सरकार ने पुलिस को कुछ निदेश भी दिए हैं कि वह जनता के प्रति अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने और भीड़ को नियंत्रित करने तथा समाज के दुर्बल वर्गों के प्रति अपने दृष्टिकोण तथा व्यवहार में बेहतर तरीकों का इस्तेमाल करें ?

(गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री) (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकारों को यह देखने के लिए अनुरोध किया गया है कि क्या अनुसूचित जातियों का पुलिस बल में विभिन्न स्तरों

पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व है । जहां प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, वहां इसको अपेक्षित स्तर पर लाने के लिए तुरन्त विशेष भर्ती करना आवश्यक है । राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजातियों के संबंध में नहीं लिखा गया है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) मामले का 3 अप्रैल, 1980 को हुए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव गृह सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में और 8 अप्रैल, 1980 को हुए राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी पुनरीक्षण किया गया था और उनसे इस संबंध में दिए गए सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

उड़ीसा में उद्योग स्थापित करना

1162. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1977-82 के दौरान उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र में, कुछ उद्योग अपनी वित्तीय सहायता से स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी प्रगति से सम्बन्ति ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरनजीत चानना) (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विकसित तथा अविकसित राज्यों को सीमेंट वितरण

1163. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट के वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(ख) उपरोक्त आधार पर विकसित तथा अविकसित राज्यों को सीमेंट की कितनी-कितनी मात्रा दी गई है और इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) और (ख) देश में सीमेंट के समान वितरण और उचित मूल्य पर सीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 (छ) और 25 के अधीन जारी किए गए सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के उपबन्धों के अन्तर्गत सीमेंट का वितरण विनियमित है। देश में सीमेंट की उपलब्धता का पूर्वानुमान प्रत्येक तिमाही के प्रारम्भ में लगाया जाता है और विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों व केन्द्रीय सरकार के विभागों को सीमेंट का उपपुक्त बल्क आबंटन किया जाता है । राज्यों के तिमाही आवंटन सीमेंट के पिछले उपभाग और उसकी कुल उपलब्धता के आधार पर निश्चित किए जाते हैं । विभिन्न राज्यों को वर्ष 1977, 1978 व 1979 में सीमेंट की भेजी गई मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण विवरण के रूप में सलंग्न है ।

विवरण

(हजार मी० टनों में)

क्रम सं	राज्य क्षेत्र	वर्ष 1977 में भेजी गई सीमेंट	वर्ष 1978 में भेजी गई सीमेंट	वर्ष 1979 में भेजी गई सीमेंट
1	2	3	4	5
उत्तर				
1.	हरियाणा	571	612	579
2.	हिमाचल प्रदेश	71	94	98
3.	जम्मू और कश्मीर	153	173	145
4.	पंजाब	773	815	717
5.	राजस्थान	529	666	609
6.	उत्तर प्रदेश	1859	1870	1776
7.	चंडीगढ़	71	87	77
8.	दिल्ली	424	443	446
पूर्व				
9.	आसाम	183	176	158
10.	बिहार	877	870	813
11.	मणीपुर	20	23	30
12.	मेचालय	25	37	39
13.	नागालैंड	9	21	36
14.	उड़ीसा	321	440	412
15.	सिक्किम	10	26	24
16.	त्रिपुरा	13	20	22
17.	प० बंगाल	1100	1062	1127
18.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	22
19.	मिजोरम	5	9	9
पश्चिम				
20.	गुजरात	1270	1549	1471
21.	मध्य प्रदेश	685	751	820
22.	महाराष्ट्र	1824	2087	1766
23.	दादर नगर हवेली	3	5	6
24.	गोआ, दमन, द्विव	61	95	76

2	2	3	4	5
	दक्षिण			
25.	आंध्र प्रदेश	1351	1462	1514
26.	कर्नाटक	813	1003	1000
27.	केरल	724	787	780
28.	तामिलनाडु	1266	1382	1389
29.	अंडेमान और निकोबार	9	9	8
30.	लक्ष्यदीव	× न	1	3
31.	पोंडीचेरी	28	34	36
	कुल	15020	16711	16008

× न = 500 मी० टन से कम

छठी योजना के लिए जम्मू तथा कश्मीर की योजनाएं

1164. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने छठी योजना में सम्मिलित किये जाने के लिए अपनी योजनांए बना ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने योजना आयोग को वे योजनाएं भेज दी हैं ;

(ग) क्या राज्य द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा छठी योजना में सम्मिलित किये जाने का विचार है ;

(घ) यदि नहीं, तो उनमें से कितनी योजनाओं को छोड़ दिया जायेगा ; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा कुल कितना योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है तथा उसे वर्ष 1980-81 योजना अवधि में कितना परिव्यय उपलब्ध कराया जाएगा ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नही ।

(ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

(ङ) जम्मू और कश्मीर सरकार ने 1980-85 की छठी योजना के लिए कुल योजना परिव्यय अभी तक प्रस्तावित नही किया है । तथापि, 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 137.48 करोड़ रु० है ।

योजना प्राथमिकताओं का निर्धारण

1165. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री पी० एम० सईद : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने योजना प्राथमिकताओं का पता लगा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस संबंध में नियतन में वृद्धि करने का भी निर्णय किया है ;

(ग) 1980-81 की वार्षिक योजना के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ; और;

(घ) इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) : सरकार ने यह निर्णय किया है कि नई पंचवर्षीय योजना वर्तमान वर्ष के अन्त तक तैयार कर दी जाएगी जो 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि के लिए होगी और जिससे नई सरकार की प्राथमिकताएं अभिव्यक्त होंगी। अस्थायी रूप में, योजना आयोग ने राष्ट्रीय आय की वृद्धि की 5 प्रतिशत वार्षिक दर को नई योजना के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। इसके साथ ही, यह योजना तैयार करते समय और अधिक उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने की संभावना की भी जांच की जाएगी ।

नई योजना के ब्यौरे तैयार करने के लिए अभ्यास किए जा रहे हैं। इस समय क्षेत्रकवार प्राथमिकताएं और आवंटन बताना संभव नहीं है ।

(ग) और (घ) : 1980-81 की वार्षिक योजना सदन में इस सत्र में बाद में प्रस्तुत की जाएगी। वार्षिक योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पूर्ति सहित न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जाएगा। वार्षिक योजना में अनुसूचित जातियाँ/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की दशा को सुधारने के लिए विशेष ध्यान देने की परिकल्पना भी की जाएगी। वर्ष में 20-सूत्री कार्यक्रम को भी जोर से चलाया जाएगा।

साम्प्रदायिक हिंसा और हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं को रोकना

1166. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री पी० एम० सईद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार साम्प्रदायिक हिंसा और हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं को रोकने और राष्ट्रीय एकतावादी ताकतों को मजबूत करने की दोमुखी नीति तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो माह के दौरान साम्प्रदायिक दंगों और हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(घ) यदि हां, ऐो असम में साम्प्रदायिक हिंसा की कुल कितनी घटनाएं हुई ; और

(ङ) इन सब घटनाओं में अल्पसंख्यकों को कितनी हानि हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान। सरकार हरिजनों पर अत्याचारों और हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए बहुमुखी नीति अपना

रही है। सरकार ने हिंसक दंगों को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं। 3 अप्रैल, 1980 को मुख्य सचिवों, गृह सचिवों और राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के पुलिस महानिरीक्षकों का एक सम्मेलन किया गया था। इसके बाद 8 अप्रेल 1980 को राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ प्रथम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों और सामान्यतः द्वितीय सम्मेलन में अनुमोदित किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों/निष्कर्षों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अनु० जातियों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचारों के संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में राज्य मुख्य मंत्रियों/राज्यपालो को पत्र लिखे हैं जिसमें अनु० जातियों पर अत्याचारों के उन्मूलन और इनसे निपटने के लिए उठाए जाने वाले उपायों को मार्गदर्शित किया है। उसमें उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण उपाय संलग्न द्वितीय विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार का राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनर्जीवित करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) जी नही, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नही उठता।

(ङ) अप्रैल और मई माह के लिए सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

3 अप्रैल 1980 को हुए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में लिए गए और 8 अप्रैल, 1980 को हुए राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सामान्यतः अनुमोदित किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का विवरण।

(1) विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के उपबंध विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाएं।

(2) धार्मिक जलूसों के मार्गों पर विवाद का पूर्वानुमान लगाया जाए और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समय पर निर्णय लिया जाए।

(3) धार्मिक स्थानों से संबंधित भूमि/सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी विवादों में न्यायालयों के निर्णय तुरन्त प्राप्त किए जाएं।

(4) दंडात्मक जुर्मानों से संबंधित कानूनों के प्रयोग की बार-बार आवृति की आवश्यकता है जहां पर ऐसे जुर्माने करने के लिए व्यवस्था विद्यमान है, यदि नहीं तो राज्य इस विषय पर कानून बनाए, पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अधीन अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाए।

(5) अल्पसंख्यकों को सतर्कता स्थापनाओं समेत पुलिस बलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।

(6) गंभीर सामुदायिक और जाति स्थितियों से निपटने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बहुत अधिक संयोजन से राज्य में सशस्त्र पुलिस की कुछ यूनिटें गठित कर दी जाएं।

(7) साम्प्रदायिक स्थिति के सभी पहलुओं की देखभाल करने और प्रबोधन करने के लिए प्रत्येक राज्य के मुख्यालयों की विशेष शाखा में एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाए ।

(8) शान्ति को बढ़ावा देने वाली समितियां सक्रिय होनी चाहिए और उन्हें बार-बार बैठक करनी चाहिए न कि केवल किसी दंगे के पश्चात ।

(9) साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों का तीव्र पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए ।

(10) साम्प्रदायिक प्रेसों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उत्तेजक लेखों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153-क के अधीन तुरन्त और प्रभावी कार्यवाही की जाए ।

(11) साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित मामलों को वापस नहीं लिया जाए ।

(12) औद्योगिक क्षेत्र जिनमें अन्तर-सम्प्रदाय दंगों की प्रवृति है अथवा इनकी संभावना है, के लिए जिला स्तर पर त्रिदलीय समिति गठित की जाए । इन समितियों में सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और स्थानीय अल्पसंख्यक समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

(13) पूजा के स्थान बैठकें करने के लिए प्रयोग नहीं किए जाने चाहिऐ जिनसे साम्प्रदायिक कटुता और द्वेष उत्पन्न करने की प्रवृति उत्पन्न होती है ।

(14) विभिन्न समुदायों विशेष तौर से हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल जोल और उनमें आपस में एक दूसरे के लिए धार्मिक सहनशीलता को बढ़ावा देकर आरंभ से अर्थात् गांव तथा मोहल्ला स्तरों पर धार्मिक और साम्प्रदायिक मैत्री को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं ।

(15) राजनैतिक दलों के लिए एक आचार संहिता तैयार की जाए और दलों के नेताओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके अनुयायी जातियों और समुदायों के बीच वर्तमान भेदभावों को बिगाड़ने अथवा आपसी घृणा उत्पन्न करने के लिए कुछ न करें ।

विवरण द्वितीय

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के उन्मूलन और अत्याचारों से निपटने के लिए गृह मंत्री द्वारा 10 मार्च, 1980 को राज्य मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को लिखे गए पत्र में सुझाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों को दिखाने वाला विवरण ।

(1) पुलिस प्रशासन को और खासतौर पर आसूचना एकत्र करने में लगी एजेंसियों को चुस्त बनाने में प्रशासनिक उपाय किए जाएं ।

(2) प्राप्त आसूचना के आधार पर काफी समय पहले पुलिस और सशस्त्र पुलिस टुकड़ियों की तैनाती सहित दण्डात्मक उपाय किए जाने चाहिए ।

(3) अपराध बाहुल्य क्षेत्रों में ऐसे अपराधों में अन्तर्ग्रस्त होने वाले संभावित व्यक्तियों के गन लाइसेंसों को मुअतिल किया जाए और रद्द भी किया जाए ।

(4) ऐसे क्षेत्रों में गैर-कानूनी शस्त्रों और गोला बारूद को खोज निकालने के लिए निरंतर अभियान चलाया जाए ।

(5) अपराधों की जांच पड़ताल तेजी के साथ की जाय और अपराधियों को अविलम्ब दंडित किया जाए ।

(6) ऐसे अपराधियों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाय ताकि उन पर इनका निवारक प्रभाव पड़े ।

(7) पीड़ितों को तत्काल राहत पहुचाई जाय और उनके पुनर्वास कार्य को शीघ्रता से किया जाय ।

(8) स्थायी समझौता करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में, विभिन्न जातियों और ग्रुपों के सम्मानीय व्यक्तियों को मिलाकर शान्ति समितियों का गठन किया जाय ।

(9) कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाय ।

(10) भीतरी भागों में संचार सुविधाओं विशेषतौर पर सड़कों को सुधारा जाय ।

(11) सरकार ने अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास की महता पर भी गौर किया है और आवश्यक उपाय आरंभ किए हैं, खासतौर से अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं और विकास निगमों के माध्यम से ।

भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों का संघ

1167. **श्री नीलालोहिया दसन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का एक संघ है और क्या इसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

(ख) क्या आसूचना ब्यूरो एक सिविल संगठन है, यदि नहीं, तो जब पुलिस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आसूचना ब्यूरो में जाते हैं तो वे अपनी सनद को क्यों वापस देते हैं; और

(ग) क्या आसूचना ब्यूरों का विशेष दर्जा है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे गृह मंत्रालय से अलग करने और एक राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन के रूप में इसे एक विशेष दर्जा देने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की केन्द्र और राज्य संस्थाएं बहुत पहले से ही विद्यमान हैं । इनको सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है ।

(ख) आसूचना ब्यूरो अधिक सुरक्षा और उत्तरदायित्वों का एक सिविलियन संगठन है । सनद उस अधिकारी को दी जाती है जो राज्य में कार्यकारी पुलिस शक्तियों का प्रयोग करता है।

आसूचना ब्यूरो में ऐसी सनद आवश्यक नहीं है क्योंकि इसके अधिकारी कार्यकारी पुलिस शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं।

(ग) इसको गृह मंत्रालय से अलग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, न ही इसको अन्य सरकारी कार्यालयों से भिन्न कोई विशेष दर्जा देने का है।

आसूचना ब्यूरों के उच्च (एडवान्स) संचार प्रशिक्षण केन्द्र के पास ट्रांसमीटर

1168. **श्री ए० नीलालोहिया दसन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि आसूचना ब्यूरो के उच्च संचार प्रशिक्षण केन्द्र के पास वैसे ट्रांसमीटर नहीं है जैसे कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रशिणार्थियों द्वारा अनुरक्षण हेतु होने चाहिए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी नहीं, श्रीमान। प्रशिक्षण केन्द्र को पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रकार का पर्याप्त सामान और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

आसूचना ब्यूरो के संचार विंग में पदोन्नतियां न होना

1169. **श्री नीलालोहिया हसन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसूचना ब्यूरो के संचार में सभी रैंकों में विशेषकर सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी ग्रेड दो में पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं और जिनमें से 70 प्रतिशत व्यक्ति 1981 में अपने वेतन मान का अधिकतम वेतन पाने लगेंगे; और

(ख) क्या आसूचना ब्यूरो के संचार विंग में माध्यमिक श्रेणियों में अभी भी लिपिक वर्गीय संवर्ग के निम्न श्रेणी लिपिकों की भर्ती की जा रही है और इस प्रकार पहले की विद्यमान पदोन्नति-स्थिरता को और अधिक बढ़ाया जा रहा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द मकवाना) : (क) आसूचना ब्यूरो के संचार विंग में पदोन्नति के अवसर खराब नहीं हैं। सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी ग्रेड-II की अवस्था में स्थिति अपेक्षाकृत कठिन है; किन्तु यह सही नहीं है कि इन सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारियों में से 70 प्रतिशत व्यक्ति 1981 में अपने वेतन मान का अधिकतम पाने लगेंगे।

(ख) यह सत्य है कि कुछ अवसर श्रेणी लिपिकों को संचार संवर्ग में शामिल किया गया है, किन्तु इससे सेवारत पदधारियों के पदोन्नति अवसरों पर असर नहीं पड़ा है।

आर्थिक नीतियों को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व राज्यों के साथ विचार विमर्श

1170. **श्री नीरेन घोष :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य सरकार द्वारा प्रमुख आर्थिक नीतियों को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व राज्य सरकारों एवं केन्द्र के बीच विचार विमर्श की आवश्यकता पर विचार करने के रास्ते में क्या रुकावटें हैं।

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : योजना आयोग पंच वर्षीय और वार्षिक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझी जाने वाली आर्थिक नीतियों का सामान्य स्वरूप ही निर्धारित करता है। योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया में अधिकारी और मंत्री स्तर पर राज्यों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किए जाते हैं। राज्यों से राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों के माध्यम से भी परामर्श किया जाता है, जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ राज्यों के मुख्य मंत्री सदस्य होते हैं। तथापि विशिष्ट आर्थिक नीतियों को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है और जहां कहीं वे आवश्यक समझते हैं वहां वे राज्यों से परामर्श करते हैं।

औद्योगिक लाइसेंस दिया जाना

1171. **श्री नीरेन घोष** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान (राज्य वार) राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को दिए गए औद्योगिक लाइसेन्सों की संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से लाइसेन्सों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनमें से कितनों को अस्वीकार किया गया है और उस के क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(विवरण 1)

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(विवरण 2)

(ग) वर्ष 1978 और 1979 के दौरान अस्वीकृत किए गये आवेदनपत्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	संख्या
1978	346
1979	423

आमतौर पर ये आवेदन पत्र निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा एकाधिक कारणों से अस्वीकृत किए गये थे :

1. विद्यमान उत्पादन की प्रस्तावित लाइन में पर्याप्त क्षमता/स्वीकृति प्राप्त क्षमता/लाइसेंस प्राप्त क्षमता का होना।
2. ये योजनाएं चालू औद्योगिक नीति (एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले एककों अथवा लघु एककों के लिए आरक्षण से संबंधित नीतियों सहित) के अनुसार नहीं थीं।

3. एकक का स्थापना, स्थल स्थापना स्थल संबंधी नीति के अनुसार नहीं था।

4. योजनाऐं (क) व्यवस्थित रूप में नहीं बनी थी। (ख) तकनीकी रूप से सुदृढ़ नहीं थी।

5. प्रारम्भ में आवेदनों को स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से वास्तविक उत्पादन काफी कम था।

विवरण 1

वर्ष 1978-79 के दौरान राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का ब्यौरा देने वाला विवरण :–

क्र० सं०	राज्य संघशाशित क्षेत्र	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस	
		1978	1979
1.	आन्ध्र प्रदेश	17	17
2.	अंडमान और निकोबार	1	—
3.	आसाम	1	2
4.	बिहार	12	3
5.	चंडीगढ़	1	—
6.	दादर व नागर हवेली	—	—
7.	दिल्ली	6	6
8.	गोवा द्रमन व दीव	2	—
9.	गुजरात	46	48
10.	हरियाणा	13	16
11.	हिमाचल प्रदेश	4	1
12.	जम्मू और कश्मीर	2	2
13.	कर्नाटक	26	24
14.	केरल	7	11
15.	मध्य प्रदेश	8	7
16.	महाराष्ट्र	101	111
17.	मणिपुर	—	—
18.	मेघालय	—	—
19.	नागालैंड	—	—
20.	उड़ीसा	2	6
21.	पांडिचेरी	—	—

22.	पंजाब	9	13
23.	राजस्थान	10	8
24.	तमिलनाडु	28	26
25.	त्रिपुरा	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	26	33
27.	पश्चिम बंगाल	23	29
28.	जिनमें राज्य का नाम नहीं बताया गया है	3	2
	कुल	348	365

विवरण 2

वर्ष 1978-79 में राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार प्राप्त हुए औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या को बताने वाला विवरण ।

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	1978	1979
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	100	117
2.	असम	17	6
3.	बिहार	34	25
4.	गुजरात	156	223
5.	हरियाणा	57	86
6.	हिमाचल प्रदेश	22	22
7.	जम्मू और कश्मीर	13	15
8.	केरल	29	28
9.	कर्नाटक	67	103
10.	मध्य प्रदेश	73	75
11.	महाराष्ट्र	316	304
12.	मेघालय	—	2
13.	नागालैंड	—	1
14.	उड़ीसा	32	25
15.	पंजाब	62	49
16.	राजस्थान	62	80

1	2	3	4
17.	तमिलनाडु	83	99
18.	त्रिपुरा	—	1
19.	उत्तर प्रदेश	93	112
20.	पश्चिम बंगाल	109	87
21.	चंडीगढ़	3	1
22.	अन्दमान और निकोबार	1	—
23.	दादर और नागर हवेली	4	3
24.	दिल्ली	29	12
25.	गोवा, दमन और द्विव	7	14
26.	पांडिचेरी	1	2
	योग :	1370	1492

गुजरात में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

1172. **श्री अहमद पटेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में अब तक कितने जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए हैं और वे किन-किन जिलों में हैं; और

(ख) राज्य के शेष जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) तथा (ख) गुजरात के सभी 19 जिलों को शामिल करके 17 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

जिला उद्योग केन्द्र का नाम	स्वीकृति की तारीख
(1) (2)	(3)
1. अमरेली	
2. वनासकंठा	
3. भड़ौंच	
4. भावनगर	
5. जूनागढ़	10-4-1978
6. कूच	
7. मेहसाना	

(1)	(2)	(3)
8.	पंचमहल	
9.	सावरकंठा	
10.	सुरेन्द्रनगर	
11.	अहमदाबाद (गांधी नगर जिला भी शामिल है)	30-3-79
12.	राजकोट	
13.	जामनगर	
14.	खेड़ा	
15.	बड़ौदरा	30-3-1979
16.	सूरत	
17.	बलसाड (डांग जिला भी शामिल है)	

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष धावक दल (स्ट्राइक फोर्स) की स्थापना

1173. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष धावक दल की स्थापना के लिए राज्यों को सुझाव दिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विश्वास दिलाने के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : गृह मंत्री ने 10.3.1980 को उन राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों, राज्यपालों और उपराज्यपालों को, जहां अनुसूचित जातियों आदि के सदस्यों के विरुद्ध अपराध होते रहे हैं अपराधों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए एहतियाती तथा निरोधात्मक दण्डात्मक और पुनर्वास उपाय करने के वास्ते व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत सूचित करने के लिए एक पत्र लिखा है। अर्ध सरकारी पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाया गया है कि सामरिक महत्व के क्षेत्रों में विशेष प्रहार बलों की कुछेक यूनिटें स्थापित की जाएं, जो काफी गतिशील हों और हथियारों से अच्छी तरह युक्त हों। इन बलों की रचना और इस प्रकार के अधिकारियों को लगाया जाय कि अनु० जातियों और अन्य कमजोर वर्गों में विश्वास उत्पन्न हो और अत्याचार करने वालों और सम्भावी अत्याचार करने वालों को रोका जा सके। गृह मंत्री के अर्ध सरकारी पत्र की एक प्रतिलिपि 19 मार्च, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1077 के उत्तर में पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के स्थायी हल के आधार के रूप में भारत सरकार उनके आर्थिक विकास के लिए उच्च प्राथमिकता दे रही है।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के खिलाफ कारगर कार्यवाही करने और उन्हें रोकने और उनके आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले उपायों पर 8.4.1980 को हुई मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों की बैठक में व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया।

भारत सरकार अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों और उनके आर्थिक विकास के विषय में राज्य सरकारों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है।

भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों को समाप्त करने का पक्का इरादा कर रखा है।

सोवियत रूस से लिखाई तथा छपाई के कागज का आयात

1174 : **श्री जनार्दन पुजारी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ से कहा है कि लिखाई और छपाई के कागज का इस देश को निर्यात करने की संभावना पर विचार करें; और

(ख) यदि हां. तो हमारे प्रस्ताव पर उस देश की क्या प्रतिक्रिया है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरनजीत चानना) : (क) तथा (ख) : लुगदी तथा कागज उद्योग के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच एक सहयोग कार्यक्रम तैयार किया गया है। कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है कि दोनों देश परस्पर किए गए समझौते के आधार पर लुगदी और कागज की कुछ किस्मों के पारस्परिक विनिमय की संभाव्यताओं पर विचार करेंगे। रूस (यू० एस० एस० आर) से आयात किए जाने वाली लुगदी तथा कागज उत्पाद संबंधी वस्तुओं का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

1980-81 के दौरान राजस्थान में सीमा सड़कों के लिए लक्ष्य तथा आवंटन

1175. **श्री मूलचन्द डागा : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरान राजस्थान में सीमा सड़कों के निर्माण के बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा इसी अवधि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) 1979 के दौरान कितने मील सड़क पूरी की गई; और

(ग) क्या सीमा सड़कों का विकास निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) 1980-81 में सीमा सड़क संगठन द्वारा राजस्थान में सड़क बनाने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए है :–

(1)	सड़क बनाना/सुधार करना (श्रेणी 9 के समकक्ष)	10 कि० मी०
(2)	सतह चढ़ाना	204 कि० मी०*
(3)	दोबारा सतह चढ़ाना	203 कि० सी०*
(4)	स्थायी निर्माण आवास आदि	29.75 लाख रु०

1980-81 वर्ष के लिए 629.76 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई है।

(ख) 1979-80 में पूरी की गई सड़कों की लम्बाई इस प्रकार है :—

(1)	सड़क बनाना/सुधार करना (श्रेणी 9 के समकक्ष)	43 कि० मी०*
(2)	सतह चढ़ाना	102 कि० मी०*
(3)	दोबारा सतह चढ़ाना	13 कि० मी०
(4)	स्थायी निर्माण आवास आदि	14.27 लाख रु०

(ग) राजस्थान में सीमा सड़कों का विकास कुल मिलाकर कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। यद्यपि 1979-80 में निम्नलिखित कारणों से इसमें कुछ ढील आ गई थी:—

(1) डीजल और कोयले की बेहद कमी, जिसकी वजह से सड़क निर्माण सामग्री की सप्लाई में रुकावट आई; और

(2) राज्य सरकार ने सीमा सड़क संगठन को पांच सड़कें सौंपने में विलम्ब किया।

छोटे ट्रैक्टर का निर्माण करने वाले कारखाने

1176. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में छोटे ट्रैक्टर बनाने वाले कारखाने कितने हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या ये कारखाने छोटे कारखानों छोंटे कारखानों की मांग पूरी कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार छोटे ट्रैक्टरों का निर्यात करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) (क) से (ग) संगठित क्षेत्र में इस समय 5 एकक हैं जो 30 अ० श० से कम के ट्रैक्टरों का उत्पादन कर रहे हैं। इन एककों द्वारा इस रेंज में 1978-79 तथा 1979-80 में ट्रैक्टरों का उत्पादन क्रमश: 14,596 तथा 16,199 नग रहा। चूंकि छोटे ट्रैक्टरों की बहुत कुछ मांग देशी उत्पादन से पूरी की जा रही है, इसलिए छोटे ट्रैक्टरों के आयात का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

साम्प्रदायिक दंगे

1177. **श्री मूलचन्द डागा** :

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः मास के दौरान देश में कुल कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुए;

*नोट : ये आंकड़े निर्माण के मदों के समान वर्ग के आधार पर दिए गए हैं। जिनकी भूमि पर नाप प्रत्येक योजना के अनुसार भिन्न होती है।

(ग) क्या सरकार ने उन दंगों के कारणों का पता लगा लिया है और उनके लिए कौन लोग दोषी पाए गए और उन व्यक्तियों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण और साम्प्रदायिक दंगों की रोक-थाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) 1.12.1979 से 31.5.1980 तक की अवधि में देश में 223 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई ।

(ख) इन घटनाओं में 56 व्यक्ति मारे गए और 1114 घायल हुए ।

(ग) इनमें से अधिकांश घटनाओं का कारण साधारण झगड़ा था । किन्तु उनमें से कुछ घटनाएं छेड़खानी तथा जमीन के झगड़ों के कारण घटी थी । संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की गई ।

(घ) अप्रेल, 1980 में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों का एक सम्मेलन हुआ था । उसके बाद उसी महीने राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ । पहले सम्मेलन में किए गए और सामान्यत: दूसरे सम्मेलन द्वारा अनुमोदित किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय/निष्कर्षों का एक विवरण इस सदन में दिनांक 11.6.80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 355 के उत्तर में संलग्न किया गया था जिसकी एक प्रति सहज संदर्भ के लिए संलग्न है ।

विवरण

3 अप्रैल, 1980 को हुए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में लिये गये और 8 अप्रैल, 1980 को हुए राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सामान्यत: अनुमोदित किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का विवरण ।

(1) विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के उपबन्ध विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाएं ।

(2) धार्मिक जुलूसों के मार्गों पर विवाद का पूर्वानुमान लगाया जाए और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समय पर निर्णय लिया जाए ।

(3) धार्मिक संस्थाओं से संबंधित भूमि/सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी विवादों में न्यायालयों के निर्णय तुरन्त प्राप्त किए जाए ।

(4) दंडात्मक जुर्मानों से संबंधित कानूनों के प्रयोग की बार-बार आवृति की आवश्यकता है जहां पर ऐसे जुर्माने करने के लिए व्यवस्था विद्यमान है, यदि नहीं तो राज्य इस विषय पर कानून बनाए, पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अधीन अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाए ।

(5) अल्पसंख्यकों को सतर्कता स्थापनाओं समेत पुलिस बालों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए ।

(6) गंभीर सामुदायिक और जाति स्थितियों से निपटने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों अनु० जा० तथा अनुसूचित जनजाति के बहुत अधिक संयोजन से राज्य में सशस्त्र पुलिस की कुछ यूनिटें गठित कीं जाए।

(7) साम्प्रदायिक स्थिति के सभी पहलुओं की देखभाल करने और प्रबोधन करने के लिये प्रत्येक राज्य के मुख्यालयों की विशेष शाखा में एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाए।

(8) शान्ति को बढ़ावा देने वाली समितियां सक्रिय होनी चाहिए और उन्हें बार-बार बैठक करनी चाहिए न कि केवल किसी दंगे के पश्चात।

(9) साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों का तीव्र पुर्नवास सुनिश्चित किया जाए।

(10) साम्प्रदायिक प्रेसों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उत्तेजक लेखों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153–क के अधीन तुरंत और प्रभावी कार्यवाही की जाए।

(11) साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित मामलों को वापस नहीं लिया जाए।

(12) औद्योगिक क्षेत्र जिनमें अन्तर–सम्प्रदाय दंगों की प्रवृति हैं अथवा इनकी संभावना है, के लिए जिला स्तर पर त्रिदतीय समिति गठित की जाए। इन समितियों में सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और स्थानीय अल्पसंख्यक समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिये

(13) पूजा के स्थान बैठकें करने के लिए प्रयोग नहीं किये जाने चाहिए जिनसे साम्प्रदायिक कटुता और द्वेष उत्पन्न करने की प्रवृति उत्पन्न होती है।

(14) विभिन्न समुदायों विशेषतौर से हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल-जोल और उनमें आपस में एक दूसरे के लिए धार्मिक सहनशीलता को बढ़ावा देकर आरम्भ से अर्थात गांव तथा मोहल्ला स्तरों पर धार्मिक और साम्प्रदायिक मैत्री को बढ़ाने के लिये प्रयास किए जाए।

(15) राजनैतिक दलों के लिये एक आचार संहिता तैयार की जाए और दलों के नेताओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके अनुयायी जातियों और समुदायों के बीच आधीन भेद-भावों को बिगाड़ने अथवा आपसी घृणा उत्पन्न करने के लिए कुछ न करें।

गुजरात के पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों की स्थापना

1178. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के पिछड़े जिलों में, जिलावार, कितने औद्योगिक एककों की स्थापना की गई है और उनमें क्षेत्रोन्मुखी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या रियायतें दी गई हैं;

(ख) नये एकक खोलने के कितने नए प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ग) गुजरात में निजी रोजगार (टी० आर० वाई० एम० ई० एम०) कार्यक्रम के लिए पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त और प्रशिक्षण पा रहे ग्रामीण युवाओं की जिलावार संख्या कितनी है; और

(घ) गुजरात में प्रतिष्ठापन-क्षेत्रोन्मुखी कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने हरिजनों और आदिवासियों को लाभ पहुंचाया गया:

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में अमरेली, बांसकठा, भावनगर, भड़ोंच, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, पंचमहाल, ताबरकंठा तथा सुरेन्दर नगर नामक 10 जिलों का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के रूप में पता लगाया गया है। इन जिलों में जिला उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978-79 और 1979-80 की अवधि में 9,502 औद्योगिक एकक स्थापित किये गए हैं।

1975-79 की अवधि के दौरान उद्योगों की स्थापना करने के लिये 59 औद्योगिक लाइसेंस और 134 आशय-पत्र जारी किये गये थे।

क्षेत्र-परक कार्यक्रमों के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये जाते हैं :—

(1) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त देना;

(2) अर्हता प्राप्त औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को उपलब्ध केन्द्रीय निवेश राजसहायता देना;

(3) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर इस योजना के अन्तर्गत लाभभोगियों पर लागू अधिकतम 3000/– रु० पर राजसहायता की सामान्य दर 33⅓ प्रतिशत है. जबकि आदिवासी लाभ भोगियों पर राजसहायता की दर 50 प्रतिशत है :

(ग) इसे समय लगभग 6500 नवयुवक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा आशा है कि 4000 नवयुवक शीघ्र ही प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे।

(घ) संस्थागत क्षेत्रोन्मुखी कार्यक्रमों के अन्तर्गत गुजरात राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में 27.86 अनुसूचित जाति और 7.88 अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता दी गई थी।

पिछड़े वर्गों के लोगों की दशा में सुधार

1179. **श्री छोतू भाई गामित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल में राज्य सरकारों के साथ पिछड़ी जातियों-हरिजनों आदिवासियों तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार करने के बारे में चर्चा की; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबन्ध में निर्धारित की गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दो सम्मेलन, एक मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/पुलिस महानिरीक्षकों और दूसरा मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों का

क्रमश: 3.4.80 और 8.4.80 को हुये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर विशेषरूप से इस दृष्टि से विचार विमर्श किया गया था कि उनका तुरन्त विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने अनुसूचित जातियों के बिकास के लिये नीति पर विचार विमर्श करने के लिये 19.4.80 को राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्त्रालयों इत्यादि के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई।

चूंकि अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा और अत्याचारों तथा सामाजिक अयोग्यताओं, जिनके वे शिकार होते हैं, के बीच स्पष्ट सम्बन्ध है, इसलिए उनके विकास की नीति द्वारा एक निश्चित आर्थिक आधार की व्यवस्था करनी है। राज्यों को यह जोर देकर कहा गया है कि वे अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक अनुकूलतम विशेष संघटित योजना तैयार करे, जो विभिन्न व्यावसायिक वर्गों में उनकी जरूरतों पर आधारित हों, यह भी वल दिया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिये ये कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अधिक विस्तृत हों। ताकि उनका विशेष प्रभाव हो।

अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं का विकास उन जनजातियों उप योजनाओं के तंत्र के जरिये सुनिश्चित होता रहेगा; जिनमें एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं, बिखरी हुई जनजातियों और आदिम जनजातियों के अन्तर-निवास आ जाते हैं। राज्यों से यह कहा गया है कि वे विकास के सभी क्षेत्रों को लेकर क्षेत्र की जरूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर जनजाति उप योजनाए बनाएं।

हरिजनों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाने की योजना

1180. **श्री छीतू भाई गामित :**

श्री लक्ष्मण मालिक : क्या **योजना मंत्री** निम्नलिखित को दर्शाने वाले एक विवरण को सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने चालू योजना अवधि के दौरान हरिजनों की कम से कम आधी जनसंख्या को गरीवी रेखा से ऊपर उठाने की दृष्टि से कोई विशेष केन्द्रीय सहायता योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता संवंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने विशेष संघटक योजनाओं को तैयार करने के लिए राज्यों के संसाधनों के अतिरिक्त धनराशि के रूप में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 100 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की है। राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाए तैयार करेने के लिये कहा जा चुका है।

(ख) हरेक राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता के वितरण के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

प्राकृतिक विपदाओं का सामना करने के लिए आकस्मिक योजना

1182. **श्री के० मालन्ना** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बाढ़ अथवा सूखा जैसी आपदाओं से और तेल तथा ऊर्जा के अन्य स्रोतों की लागत से, जिनके बारे में कोई पुर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता प्रायः योजनाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं जिनको बार-बार पुनरीक्षित करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसी आकस्मिक योजना बनाई है जो प्रकृति की अनिश्चितता तथा ऊर्जा की बढ़ती हुई कीमत के साथ मुकाबला कर सकती है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

बाढ़ अथवा सूखा जैसी प्राकृतिक विपत्तियों के लिए आकस्मिक योजना

विभिन्न योजना दस्तावेजों में सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों तथा शुष्क भूमि कृषि के विकास से संबंधित स्कीमों पर काफी बल दिया गया है । इसी प्रकार बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं और भू-संरक्षण उपाय बाढ़-नियंत्रण कार्यनीति के महत्वपूर्ण भाग हैं ।

भारत सरकार ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया है कि प्राकृतिक विपत्तियों को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता और समय-समय पर उनके होने की सम्भावना रहती है । इसलिए, योजना निवेशों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुमान तैयार करने में राहत कार्यों पर होने वाले संभावित व्यय को ध्यान में रखा जाता है । सरकार ने घोर विपत्तियों का मुकाबला करने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए आकस्मिक योजना नामक एक योजना भी तैयार की है । इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें संक्षेप में नीचे दी गई हैं :

1. राहत/कमी से संबंधित मैनुअलों को परिशोधित करने और उन्हें अद्यतन बनाने तथा घोर विपत्तियों का मुकाबला करने के कार्यक्रमों और बाढ़, सूखा अथवा तूफान का सामना करने के लिए आकस्मिक योजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है ।

2. इस विषय से संबंधित नमूने की क्रियात्मक योजना तैयार की गई है और उन सभी राज्यों को भेजी गई है जहां बार-बार बाढ़ आती रहती है । इस योजना में इसमें निहित विभिन्न क्रियात्मक बातों पर बल दिया गया है । आंन्ध्र प्रदेश, तमिल-नाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में, जो प्रायः तूफानों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं, इन राज्यों द्वारा नियुक्त तूफान विपत्ति प्रशामक समितियों ने क्रियात्मक बातें तैयार की हैं ।

3. वर्तमान सूखे की स्थिति से अनुभव होने के परिणामस्वरूप सूखे से निपटने की

व्यवस्था करने के लिए एक 'नमूना मैनुअल' तैयार किया गया है और स्थानीय दशाओं के अनुरूप इसके अनुकूलन के बाद इसे उपयुक्त आकस्मिक योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों को भेजा गया है ।

4. केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर, मौसम की परिवर्तित होने वाली दशाओं के पक्ष का प्रबोधन करने और उपयुक्त फसल प्रणाली का सुझाव देने के लिए फसल मौसम निगरानी दल स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें कृषि विशेषज्ञ और मौसम वैज्ञानिक होंगे ।

5. भूमि में उपलब्ध नमी का अधिकतम उपयोग करने के लिए जल प्रबंध पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि छोटे और मझौले किसानों को विशेष रूप से बीज, उर्वरक और कीट नाशक औषधियां उपलब्ध कराई जा सकें और पीने के पानी की पूर्ति के लिए साज-सामान का अधिकतम उपयोग किया जा सके ।

6. चारे को सशक्त बनाकर, मोटे चारे का उपयोग करके, संद्रित खाद्य पदार्थों की पूर्ति करके, और पशु शिविर आदि की स्थापना के जरिए पशुओं को राहत देने का प्रस्ताव है ।

7. सूखा प्रबंध के लिए प्रधान मंत्री के 12 सूत्री कार्यक्रम को राज्यों से अपनाने के लिए भी हाल ही में कहा गया है । इसमें आपातिक स्तर पर राहत कार्यों के संचालन के लिए कार्य-दिशा और आधारस्वरूप दिया गया है ।

ऊर्जा पूर्ति

ऊर्जा की पूर्ति में अनिश्चितता निम्नलिखित बातों से उत्पन्न होती है :

(क) वर्षा का न होना, जिसके कारण जल-विद्युत का कम पुनरुत्पादन होता है; और

(ख) अंतर्राष्ट्रीय तेल पूर्ति में अप्रत्याशित घटनाएं ।

जल-विद्युत जलाशय 90 प्रतिशत निर्भरता के लिए बनाए जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि 10 प्रतिशत वर्षों में जल आवर्तन में कुछ उत्पादन कम होने की संभावना रहती है । यह कमी एक निश्चित समय के भीतर जल और तापीय विद्युत उत्पादन के बीच उपयुक्त सम्मित प्राप्त करके और विद्युत प्रणालियों का एकीकृत प्रचालन करके संभावित सीमा तक कम कर दी जाती है । विद्युत की लगातार कमी की स्थितियों में खपत के विभिन्न क्षेत्रों में पालन की जाने वाली प्राथमिकताओं के बारे में समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए जाते हैं ।

तेल उत्पादनों के संबंध में नियमित अंतरालों में व्यवस्थित रूप में मांग के अनुमान तैयार किए जाते हैं । उत्पादन का सतत प्रबोधन भी किया जाता है । वास्तविक प्रवृत्तियों की मासिक समीक्षा की जाती है और तेल के आयात के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाता है ताकि मांग और पूर्ति के बीच संतुलन रखा जा सके । इस बात को स्वीकार करना होगा कि तेल उत्पादन करने वाले देशों द्वारा तेल की कीमतों में बार-बार वृद्धि करने से भुगतान शेष की गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न

हो सकती हैं और इस समय तैयार की जा रही नई छठी पंच वर्षीय योजना में आयातित तेल के उपयोग में किफायत करके, तेल के देशीय उत्पादन तथा कोयले और विद्युत उत्पादन के विकास की गति तेज करके और निर्यात संवर्धन के अधिक प्रबल प्रयासों के जरिए प्रभावी उपाय करने होंगे।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग के लिए आधुनिक विमान प्राप्त करने का निर्णय

1183. **श्री के० मालन्ना** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय ने अति विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग के लिए आधुनिक विमान प्राप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में किन-किन देशों को भारत सरकार की सहायता करने के लिए कहा गया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) और (ख) अति विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा के लिए भारतीय वायुसेना के पास टी यू-124 विमान हैं जिन्हें तकनीकी रूप से उनकी अवधि पूरी हो जाने के बाद 1981 में कार्य से हटा लिया जाना है। अति विशिष्ट व्यक्तियों को यह सुविधा उपलब्ध रखने के लिए किसी आधुनिक विमान का होना जरूरी समझा गया है अभी तक किसी विमान का चयन नहीं किया गया है और इस बारे में भारत सरकार की सहायता करने के लिए किसी देश को कहा भी नहीं गया है।

रक्षा विभाग के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

1184. **श्री के० मालन्ना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग के उत्पादन के मामले में हमारा देश आत्म-निर्भर है; और

(ख) यदि नहीं, तो विदेशी डिजाइनों उपकरणों और तकनीकी जानकारी पर हमारी निर्भरता कब तक बनी रहेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विमान और इसकी प्रणालियों का स्वदेशी डिजाइन और विकास करने को उच्चतम प्राथमिकता दी है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच० ए० एल०) ने विभिन्न प्रकार के रक्षा विमानों का सफलतापूर्वक विकास एवं निर्माण किया है। भावी विमान के लिए उपयुक्त डिजाइन का विकास करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। सेवाओं की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करने और इस क्षेत्र में आधुनिकतम जानकारी को अद्यतन बनाए रखने के लिए स्वदेशी डिजाइन और विदेशी जानकारी को उचित रूप से मिलाकर कार्य करने की आवश्यकता है।

जनजाति के लोगों की समस्याएं हल करने के लिए कार्यवाही

1185. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में

जनजाति के लोगों की समस्याए हल करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : गृह मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है :–

1. जनजाति उप-योजना ।
2. उप-योजनाओं के बाहर जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम ।
3. आदिम जातियों के लिए कार्यक्रम ।
4. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं ।
   1. कन्या छात्रावास ।
   2. अनुसंधान और प्रशिक्षण ।
   3. स्वयं सेवी संगठनों को सहायता ।
   4. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति ।
   5. अनुसूचित जनजातियों के लिए समुद्रपारीय छात्रवृतियां ।
   6. प्रशिक्षण और सम्बद्ध योजनाएं ।
   7. पुस्तक बैंक ।

शस्त्रागार के लिए टैंकों का चयन

1186. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शस्त्रागार को अद्यतन रखने के प्रयोजन से सरकार विजयन्ता टैंकों के स्थान पर नये टैंक ला रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कोई चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कौनसा टैंक चुना गया है और यह नया टैंक पहले टैंक की तुलना में किस प्रकार सुधार हुआ है ।

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) विजयन्त टैंक के स्थान पर कोई और टैंक बनाने के विचार से हम मुख्य युद्ध टैंक का देश में ही डिजाइन एवं विकास कर रहे हैं । विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य आधुनिक टैंकों का भी मूल्यांकन किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाओं में कमी

1187. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार महीनों के दौरान देश में हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाओं में कमी हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार लोगों के उन वर्गों पर दबाव बनाए रखने का है जो प्रायः हरिजनों से द्वेषभाव रखते हैं; और

(ग) उन क्षेत्रों तथा राज्यों के क्या नाम है जहां यह समस्या अभी भी विद्यमान है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जनवरी, फरवरी और मार्च, 1980 के महीनों के लिए भेजी गई सूचनाओं से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च, 1979 के महीनों की तुलना में हरिजनों पर अत्याचारों में कमी का रूख आया है ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों में समस्या अभी भी काफी विस्तृत है ।

पूर्वी क्षेत्रों की आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाली कोयला, इस्पात और बिजली की कमी

1188. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयला, इस्पात और बिजली की कमी पूर्वी-क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो पूर्वी क्षेत्र की इन्जीनियरिंग यूनिटों को प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त महत्वपूर्ण कच्चा माल सप्लाई करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) . (क) : यह सच है कि कोयले, इस्पात और विद्युत की कमियों का पूर्वी क्षेत्र सहित देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) : पूर्वी क्षेत्र और देश के अन्य भागों में इन निवेशों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं । इनमें ये उपाय शामिल हैं-(क) बिजलीघरों को कोयले की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करना जिसके परिणामस्वरूप कोयले के संतोषजनक स्टाक में वृद्धि हो सके; (ख) समस्याओं का पता लगाने और सुधारात्मक उपाय अपनाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा बिजलीघरों के दौरे; (ग) उपलब्धता के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों से विद्युत की पूर्ति की पूरक व्यवस्था करना; (घ) आगामी वर्षों में विद्युत उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन की नई क्षमताओं का अनुमोदन और फरक्का उच्च तापीय परियोजना की मंजूरी; (ङ) कोयला खानों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत की पूर्ति; (च) कोयला खानों और कोयला प्रधालित्रों में चुनी हुई अवस्थितियों पर आबद्ध विद्युत उत्पादन इकाइयाँ

स्थापित करने के लिए संभावना की जांच करना; (छ) कोयला प्रधालित्रों को विद्युत की पूर्ति और इस्पात संयंत्रों को कोयला भेजने में प्राथमिकता; और (ज) कोककारी कोयले का आयात करके इस्पात संयंत्रों को कोयले की पूर्ति की पूरक व्यवस्था करना।

बी. एच. ई. एल.—साइमैन सहयोग

1189. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकल कंडेंसरों के लिए बी० एच० ई० एल० और के० डबल्यू० यू० नामक एक साईमेन सहायक कम्पनी के बीच विदेशी सहयोग की सहमति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि बी. एच. ई. एल. चालित अनुसंधान और विकास विभाग के कंडेंसरों के डिजाइन पूरे कर लिये जो के० डब्ल्यू० डिजाइन है; और

(ग) यदि हाँ, तो एक विदेशी कंपनी के साथ नया व्यापार करार करने संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) सरकार को बी० एच० ई० एल० से इस संबंध में इस महीने के शुरू में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है और इसकी अभी जांच की जानी है।

(ख) कारपोरेट आर एन्ड डी ने अभी तक प्रमाणित तथा व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य कंडेंसरों का पूर्ण डिजायन विकसित नहीं किया है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

"डेडवूमन्स सिस्टर टू टेक अप इंवेस्टीगेशन" शीर्षक समाचार

1190. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अप्रैल, 1980 के स्टेटसमैन दिल्ली संस्करण में "डेड वूमन्स मिस्टर टू टेक अप इन्वेस्टीगेशन" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस बारे में राजरानी से एक रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, महोदया।

(ख) और (ग) : श्रीमती राजरानी ने अपनी बहन की हत्या करने के षडयंत्र में उसकी बहन के पति तथा कुटुम्बियों का हाथ होने के बारे में रजिस्ट्री द्वारा पत्र भेजा था। दिनाँक 5.10.79 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 966 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन एक मामला प्रारंभ में हौज खास पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। किन्तु इस मामले में हत्या करने के बारे में पर्याप्त सबूत न होने के कारण दिनाँक 23.4.80 को उक्त धारा को बदल

कर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 किया गया और इस समाचार को प्रकाशित होने से पूर्व दिनांक 23.4.80 को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन मृतक के पति को गिरफ्तार किया गया। सत्र न्यायालय ने उसकी जमानत की अर्जी रद्द कर दी परन्तु बाद में उसको दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत पर छोड़ दिया। आवेदक ने अब मृतक द्वारा अपने माता पिता को लिखे हुए मूल पत्र दिल्ली पुलिस को सौंप दिए हैं। मामले की जांच प्रगति पर है।

सीमेंट बनाने वाले एककों की क्षमता बढ़ाना

1191 : **श्री एस० एम० कृष्ण : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन सीमेंट निर्माता एककों को अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई है; और

(ख) किन नये एककों को स्थापित करने का विचार है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) जिन सीमेंट उत्पादक एककों को क्षमता का विस्तार करने की अनुमति प्रदान की गई है, उनकी एक सूची विवरण-I में संलग्न है।

(ख) जिन नए एककों को औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र स्वीकृत किए गए हैं, उनकी एक सूची विवरण-II में संलग्न है। तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत किए गए, नए एककों की भी सूची विवरण-III में संलग्न है।

विवरण I

क्रम सं०	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	वार्षिक क्षमता (लाख मी० टन में)
1	2	3	4
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया	दिल्ली (मानक शहरी क्षेत्र के बाहर)	4.00
2.	–वही–	हिसार (हरियाणा)	2.00
3.	–वही–	भटिंडा (पंजाब)	4.00
4.	इंड० डेव० कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०	बारगढ़ (उड़ीसा)	1.30
5.	जे० के० सिन्थेटिक्स	निम्ब्राहेड़ा	0.50
6.	बिड़ला जूट मन्यु० कं० लि०	सतना	8.00
7.	ए० सी० सी० लि०	जमूल	5.00
8.	सेन्चूरी सीमेंट	बैंकूठ	2.00
9.	ए० सी० सी० लि०	केमोर	0.25
10.	ए० सी० सी० लि०	चंड़ा	1.60

1	2	3	4
11.	सोन वेली पोर्टलैंड सीमेंट कं०	जापला	3.30
12.	ए० सी० सी० लि०	वादी	10.00
13.	डालमिया सीमेंट्स,	डालमियापुरम	0.70
14.	केसोराम सीमेंट्स	पड्डापल्ली	2.00
15.	के० सी० पी० लि०	माचेरला	0.96
16.	हिन्दुस्तान सुगर मिल्स	उदयपुर	2.00
17.	कल्याणपुर लाइम एन्ड सीमेंट वर्क्स लि०	बंजारी	1.34

विवरण-II

क्रम सं०	नाम	स्थापना स्थल	क्षमता/प्रतिवर्ष (लाख मी० टन में)
1	2	3	4
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, 59. नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	येरागुन्तला जिला कुडप्पा (आ० प्र०)	4.00
2.	–वही-	बिसालवास (नीमच) जि० मन्दसौर (म० प्र०)	4.00
3.	–वही–	अकलतारा जि० बिलासपुर (म० प्र०)	4.00
4.	जे० एन्ड के० सीमेंट लि०, श्री नगर	खीरू, जि० अनन्तनाम (जे० एन्ड के०)	2.00
5.	केरल स्टेट इंड० डव० कार० लि०, त्रिवेंद्रम	टेक० एन्ड जिला पालाघाट (केरल)	4.20
6.	मेघालय इन्ड० डवलपमेंट कार०, शिलाग	गारो हिल्स (मेघालय)	4.00 (किलकर)
7.	यू० पी० स्टेट सीमेंट कार०, चरक (यू० पी०)	डल्ला/चूनार	16.80
निजी क्षेत्र			
8.	मेहर सीमेंट 159, चर्चगेट रिक्लेमेशन, बम्बई	मेहर (म० प्र०)	8.00

1	2	3	4
9.	पन्याम सीमेंट एन्ड मिनिरल इन्ड० लि० (ए० पी०)	अनन्तपुर ताडपतरी तालूक (ए० पी०)	4.00
10.	तालीकोट सीमेंट एन्ड केमीकल्स लि० (एम० बासावराजप्पा)	अलमती जिला बीजापुर (कर्नाटक)	4.00
11.	ताडपतरी, सीमेंट, 20/152, एच० नगर, गुन्टाकुल (ए० पी०)	तह० ताडपतरी, जिला अनन्तपुर (ए० पी)	4.00
12.	मैसूर सीमेंट लि०,	नरसिंहपुर जिला दमौह (म० प्र०)	4.00
13.	मंगलम सीमेंट लि०	मोरक, जि० कोटा (राज०)	4.00
14.	नरमदा सीमेंट कं० लि०, नारीमन पांइट, बम्बई	जाफरावाद/मेगडल्ला जि० अमरेली/ जि० सूरत	10.00
15	दामोदर सीमेंट एन्ड स्लेग लि०	मधुकुन्डा जि० पुरूलिया (वे० बं०)	2.60
16.	रस्सी सीमेंट लि०	वडापल्ली, तह० मिरयालगुडा, जि० नालगौंडा (ए० पी०)	3.00
17.	सीमेंट कार० आफ इंडिया लि०, 59 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	तन्दूर	10.00
18.	–वही–	आदिलावाद (आ० प्र०)	4.00
19.	जे० एन्ड के० मिनिरल लि०	बासोली (जे० एन्ड के०)	2.00
20.	आर० एस० आई० एन्ड एम० डी० सी०, जयपुर 100 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर	जयतरन जि० पाली (राज०)	0.66
21.	–वही–	बिलारा जि० जोधपुर (राज०)	0.66
22.	–वही–	कोटपुतली, जयपुर (राज०)	0.66
23.	–वही–	अबरोड अखरा, जिला सिरोही (राज०)	0.66
24.	–वही–	नीम–का–थाना, जिला सीकर (राज०)	0.66

1	2	3	4
25.	मेघालय आई० डी० सी० लि० शिलांग	लूमसनांग, जि० जैनतिया हिल्स (मेघालय)	2.00
26.	एच० एस० एल०, राऊरकेला	चिलहट्टी जि० बिलासपुर (म० प्र०) स्पिलट लोकेशन राऊकेला, जि० सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)	11.55
27.	ए० सी० सी० लि०, बम्बई	गागल जि० बिलासपुर (एम० पी०)	5.60
28.	रेमन्ड वूलन मिल्स, बम्बई	अरसमेटा, जि० बिलासपुर (म० प्र०)	4.00
29.	श्री दिग्विजय सीमेंट लि०,	व्यावर, जि० अजमेर (राज०)	12.00
30.	ओरिन्ट पेपर मिल्स लि०, कलकत्ता	आशिफाबाद, जि० आदिलाबाद (ए० पी०)	9.00
31.	स्टारव प्रोडक्टस लि०, 4, बहादुरशाह जफर, मार्ग, नई दिल्ली	बनास, जि० सिरोही (राज०)	4.18
32.	टेक्समेको, कलकत्ता	येरागुन्तुला, जि० गुडप्पा (आ० प्र०)	4.00
33.	लार्सन एन्ड टूब्रो लि०,	राजपुरा, जि० चन्द्रपुर (महा०)	11.09
34.	सेन्चुरी सिपि० एन्ड मन्यु कं० लि०	राजपुरा जि० चन्द्रपुर (महा०)	10.00
35.	कोरोमन्डल फर्टीलाइजर लि०, 126 सरोजिनी देवी रोड, सिकन्दराबाद, (आ० प्र०)	कालामाला जि० गुडप्पा (आ० प्र०)	9.00
36.	केसोराम इन्डस्ट्रीज एन्ड काटन मिल्स लि०	अंकिरडी पल्ली, जि० कुरनूल (आ० प्र०)	4.00
37.	भगवान दास एच० मेहता "पारिसराम" पास विमल हाउस, पास सरदार पटेल स्टेडियम पैट्रोल पम्प, अहमदाबाद-14.	गनेर, त० पोसिना/खेदब्रमहा जि० सावरकंठा (गुजरात)	5.00

1	2	3	4
38.	बी० वेंकठास्वामी द्वारा जे० सी० नागाप्पा, बस्तीयान रोड कुरूनूल	तह० एन्ड जि० कुरूनुल (आ० प्र०)	0.60
39.	आन्ध्र सीमेंट लि०, 111 सरोजनी देवी रोड, पो० बा० 1706, सिकन्दराबाद	नाडीकुडी, जि० गुन्टूर (आ० प्र०)	2.50
40.	दक्षिण सीमेंट लि०, नागारजूना हिल्स, पंजघुटा, हैदराबाद–4	मिरयालगुढ़ा, चिला नालगोंड़ा (आ० प्र०)	0.66
41.	कर्नाटक स्टेट इन्ड० इन्वेस्टमेंट डव० कार० लि०, हरी निवास, 36, गन्नी धम रोड, बंगलौर–560052	चितापुर, जि० गुलबर्गा (कर्नाटक)	4.00
42.	के० आई० विध्यासागर 1-2-412/6 गगन महल को० आलोनी, हैदराबाद	विकराबाद जि० के० वी० रेड्डी (आ० प्र०)	0.66
43.	पी० वेन्कटेश्वरलू 1-10-140/1, गुरू कुरूपा अशोक नगर, हैदराबाद	जग्गायापेट, जिला कृष्णा (आ० प्र०)	0.66
44.	नागारजून सीमेंट्स लि० 29-107, मुल्ला अली,हैदराबाद	हजूर नगर, जिला नालगौंड़ा (आ० प्र०)	0.66
45.	दक्षिण अल्कली लि० मोरे हाऊस, दूसरी मंजिल, 226, एस० वी० रोड, बान्दरा, बम्बई	चितापुर, जि० गुलबर्गा (कर्नाटक)	0.66
46.	मोदी रबर लि०, मोदीनगर, (यू० पी०)	भाटापाड़ा, जिला रायपुर (म० प्र०)	9.00
47.	के० हर्षवर्द्धन रेड्डी 4/179, कोठी रेड्डी स्ट्रीट गुडुप्पा (आ० प्र०)	कृष्णापुरम आर० एस० तह० एन्ड (जि० गुडुप्पा (आ० प्र०)	0.60
48.	श्री रनवीर मोरारजी खेतान, 15-अ, जमनादास मेहता रोड, मालाबार हिल, बम्बई	तह० दांता, जिला बनासकंठा (गुजरात)	0.66
49.	मैसर्स रीवा कोलफील्ड्स लि०, कलकत्ता	तह० खारसिया, जिला रायपुर (म० प्र०)	0.66

1	2	3	4
50.	मैसर्स हरीगंगा सीमेंट्स लि० ओल्ड मोटर स्टेंड, इतवारी, नागपुर	तह० राजपुरा, जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	0.66
51.	मैसर्स दी इंडीस्ट्रियल डव० कार० आफ उड़ीसा लि०, पो० बा० न० 78, भुवनेश्वर	कुटरा-किरीगंरारू, तह० राजगंगपुर, जि० सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)	0.66
52.	मैसर्स अग्रिमा प्रोजेक्ज इन्जी० एन्ड कन्सलटेन्सी सर्विसस लि०, ऐन० के० मेहता इन्टरनेशनल हाउस 178, वेकवे रीक्लेमेशन, बम्बई–400020	तह० धरमकोट, जिला कांगड़ा, (हि० प्र०)	0.66
53.	मैसर्स दार्जिलिंग ड्रआर्स प्लानटेशन लि०, 576, फैन्सी लेन, कलकत्ता	तह०/जि० रायपुर (म० प्र०)	0.66
54.	डा० सूर्यकान्त नन्हालाल गाँधी, एच० 16, एवरेस्ट, 9 वीं, मंजिल तारदेव रोड, बम्बई	तह०, दंता जि० बनासकंठा, गुजरात	0.66

विवरण–III

क्र० सं०	एकक का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (मी० टन में)
1	2	3	4
1.	अमीरगढ़ सेमेंटस लि. वम्बई	जिला बनसकानटा	33,000
2.	राम अग्रावाल, नई दिल्ली	चन्द्रापुर (महाराष्ट्र)	9,000
3.	केसर सेमेंट (महेश भरद्वाज) उदयपुर	जिला उदयपुर	20,000
4.	एम एम जय आइरन एन्ड स्टील प्राइवेट जलन्धर	धरमकोट	9,000
5.	लोकपुर समेंटस (प्रा.) लि., जिला. बिजापुर	लोकपुर तहसील मुधाल (करन)	9,000
6.	बेद सीमेंट इंण्डस्ट्रीज बंगलौर–20	मालापुरा	9,000
7.	धार सेमेंट लि., इंदोर (म. प्र)	तहसील धार (म. प्र.)	30,000

1	2	3	4
.8	आई. डी. सी. आफ मडेडिसा लि., उड़िसा	किरिनगसेरा जिला सुन्दरगढ़ उड़ीसा	33,000
9.	आर. वी. शोफ (वैटेको सीमेंट प्रा. लि. बंबई—46	तलेजा जिला—भावनगर गुजरात	10,500
10.	वी. के. अग्रवाल (लकी माइनमेंट प्रा. लि. (जिला–सीकर) राजस्थान	दलपतपुरा नीम का थाना	16,500
11.	अशोक कुमार (बाजीरांगवली सीमेंट्स) नई दिल्ली ।	कोटपुतली राजस्थान ।	30,000
12.	संदीप सीमेंट (प्रा. लि. महुआ ।	तह.–महुवा जिला–भावनगर (गुज.)	30,000
13.	बी. रामास्वामी, बंगलौर	मल्लापुर तह–होसादुर्गा जिला–चित्रदुर्गा (कर.)	90,00
14.	दीपक सीमेंट इण्डस्ट्रीज इंदौर—452001	जि० जीराबाद जिला धार (मध्य प्रदेश)	50,000
15.	राक सीमेंट (इं.) प्रा. लि. देहरादून (उत्तर प्रदेश)	तह.–कलसी देहरादून (उ. प्र.)	35,000
16.	श्री आपा रायो कपिला (टिरूमलागिरी सीमेंट इंण्डस्ट्रीज, हैदराबाद	जगएऐपथा (ए. पी.) जिला क्रीशना (ए. पी)	,500
17.	न्यू भारत रिफैक्टोरिज (दुर्गा सेमेंट कं. लि., दिल्ली	अरगडा, तहसील राम गरहबिहार	36,000
18.	विनोड भाई एम, बच, राजकोट	बमेनबोर जिला सुरेन्द्रानगर गुजरात	30,000
19.	पी. एच. पी. सीमेंट इंडीस्ट्रीज जिला भावनगर	नेसवड, जिला भावनगर	27,000
20.	ओनगोल सीमेंट लि. सिकन्दराबाद (ए. पी.)	पिडूगुरंल्ला जिला गनटूर (ए. पी.)	20,000
21.	केमेलिया इंडिस्ट्रीज (प्रा. लि. जबलपुर	बानी पथर जिला रायगरढ़ (एम. पी.)	50,000
22.	श्रीवरी सीमेंटस लि. मद्रास	भेमपल्ली जिला अदिलाबाद (ए. पी.)	33,000

1	2	3	4
23.	हिमालया सीमेंटसे लि. पोरबन्दर	धरम पुर जिला जुगागध (गुजरात)	49,000
24.	रोबेरटस मेकलोल सेरविसेस (प्रा.) लि. कलकत्ता	रघुनाथपुरा जिला पुरलिया (प. बं.)	30,000
25.	श्री अमविका सीमेंट (प्रा.) लि., चोखड (गुजरात)	जुनागध गुजरात	9,000
26.	एस. जी. हवानावस (वासेसवर (सीमेंट) बंगलौर —10	जिला विजापुर करनाटक	15,000
27.	योगेस सोलेंकी, बम्बई	जिराबाद जिला धार (एम. पी.)	60,000
28.	नायक सीमेंट लि. बम्बई —80	दत्ता जिला भावनगर (गुजरात)	66,000
29.	भोगेश्वरा सीमेंटस एन्ड मिनिरलस हैदराबाद	कालबाजिला कुरनूल आंध्र प्रदेश	60,000
30.	आर. एन. जैन, मेरठ यू. पी.	भारली जिला सिरमुर (हिमांचल प्रदेश)	50,000
31.	नाउदम सीमेंट, बंसवारा	खोदन जिला बंसवारा	9,000
32.	श्री बी. एस. कौजलगी (वरीशमा सीमेंट प्रा. लि.) कर्नाटक	अरालीमती तह. गोक्क जिला बेलगौम (कर्नाटक)	30,000
33.	नटराज सीमेंट लि., बैंगलौर	कल्ला बनाय केना तह. सथुर, जिला रामनाथपुर, (तमिलनाडु)	15,000
34.	श्री राब हरि सिंह, जिला-जित्तौड़गढ़ (राजस्थान)	परसोली, तह. बेगू, चित्तौड़गढ़ राजस्थान	66,000
35.	श्री गोपाल सरन सिंह, सतना (म. प्र.)	बैजनाथ, हुजूर, जिला—रीवा (म. प्र.)	66,000
36.	गोदावरी सीमेंट लि., हैदराबाद	नरेला, तह. जगतयाल जिला—करीमनगर (आंध्र प्रदेश)	60,000

1	2	3	4
37.	मोहन सीमेंट लि., बैंगलौर-560008	ग्राम-बुखासागरा तह. होसादुर्गा, जिला-चितरादुर्गा, कर्नाटक	18,000
38.	प्रेम हैवी इंजी. वर्क्स (प्रा.) लि., मेरट, उत्तर प्रदेश	रामासलिया, तह. दमोद (म. प्र.)	50,000
39.	दि कृष्णा सीमेंट लि., हैदराबाद-500873	ग्राम-वेदावरी तह. जगगइफेल, जिला-कृष्णा (आ. प्रा.)	32,000
40.	हिमाचल प्रदेश मिना एन्ड इण्ड. डवलपमेंट कारपोरेशन लि., सिमला	समलोटी, तेह. कांगड़ा, जिला-कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	60,000
41.	—वही—	पओनता, जिला-सिरश्रुर (हिमाचल प्रदेश)	60,000
42.	समता सीमेंट इन्डस्ट्री, बम्बई	महुवा, तेह. जिला-भावनगर (गुजरात)	30,000
43.	श्री डी० वी० सक्सैना, इन्दौर	बदवा इण्ड० इस्टेट, जिला-खरगौन (म० प्र०)	30,000
44.	श्री अमिन मयूर मनुभाई, तारापुर गुजरात	टोकी, दोहद जिला-पंचमहल	60,000
45.	डा० सूर्यकात नंदलाल गाँधी (बानास सीमेंट कं०) बम्बई	ग्राम-रामपुर, तेह० डेनटा, जिला-बनसकन्था (गुजरात)	33,000
46.	मेलूर सीमेंट्स (प्रा०) लि०, मदुरई जिला (तमिलनाडु)	ग्राम-तिरुयादुर, तेह० मेलूर जिला-बदुरई (तमिलनाडु)	15,000
47.	केलकर प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता-700071	मौजा हंसापथार, तेह० तघुनाथरूपुर जिला-पुरूलिया (प० बं०)	36,000
48.	गिरनार सीमेंट्स, राजकोट	खादिया, जिला जूनागढ़, गुजरात	30,000
49.	जेनिथ स्टील पाइपस एण्ड इण्ड० लि०	खजूरिया, तेह० कोटरा जिला-उदयपुर (राजस्थान)	66,000

1	2	3	4
(50)	पारस सीमेंट एण्ड कैमीकल इण्ड० जूनागढ़	पलासवा, तेह० और जिला-जूनागढ़, गुजरात	9,000
(51)	शत्रुन्जय सीमेंट प्रा० लि०, बम्बई	ग्राम-जनजमेर तेह० तलजा, जिला-भावनगर, गुजरात	66,000
(52)	श्री रनवीर एम० खटाऊ, बम्बई	मोती रामपुर तथा नानी रानापुर, तेह० दोहद, जिला-पंच महल, गुजरात	50,000
(53)	एच० एस० आई० डी० सी०, लि० चंडीगढ़	शुरला, तेह० नारायणगढ़ जिला- अम्बाला, हरियाणा	66,000
(54)	स्वातिक सीमेंट, जामनगर	गुजरात	36,000
(55)	मैं० इशा लिमको एण्ड सीमेंट (प्रा०) लि०, चर्च गेट, बम्बई	तेह० उदयपुर, राजस्थान	66,000
(56)	डा० एम० जहीराउद्दीन (मैं० रेहन मिन० एण्ड केमीकल्स प्रा० लि, मैसूर	तेह० हसादुर्गा, जिला-चतरूगा (कर्नाटक)	39,000
(57)	मैं० बेहर इस्टेट इण्ड० डव० कारपो० बनदार बजीखा, पटना	तेह० पी० एस० मनडू, जिला हजारीबाग विहार	33,000
(58)	मैं० सलेनी ओनरशिप फ्लैट्स स्कीम (प्रा०) लि०. कलकत्ता	तेह० खरिया, जिला-रायगढ़ मध्य प्रदेश	33.000
(59)	मैं० आर० एल० कलथिया एण्ड कं० (गुजरात)	तेह० तलाजा, जिला-भावनगर (गुजरात)	30,000
(60)	श्री क्वालिटी सीमेंट (प्रा०) लि० पूना	तेह० मुधोल जिला-बीजापुर (कर्नाटक)	33,000
(61)	मैं० इन्टरनेशनल इन्जी० कंसलटेंसी सर्विस, नई दिल्ली	सरीनतला, तेह० मलनखंड म० प्रा०	60,000
(62)	श्री भीकूभाई एन० पटेल (राधा कृष्ण सीमेंट्स (प्रा०) लि० आनन्द, गुजरात	तेह० डनटा, जिला-बनसकंथा, गुजरात	33,000
(63)	मैं० इन्टर ओसीन प्रोजेक्ट्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	तेह० विल्लयनुर, जिला-पाण्डिचेरी	55,000
(64)	मैं० चक्कापान सीमेंट प्रो० लि०, मद्रास	तेह० विल्लयपुर जिला-पाण्डिचेरी	39,900
(65)	श्री प्रियाकांत शांतिलाल शाह	पिथनपुर तलाया भावनगर (गुजरात)	49,500
(66)	कुतच सीमेंट प्रा० लि०, भुजकुतच–370001	नितरा भुज-कुतच, गुजरात	30,000

मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों का सम्मेलन

1192. **श्री चित्त बसु :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों और-राज्यपालों का एक सम्मेलन 8 और 9 अप्रेल, 1980 को नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये;

(ग) क्या केन्द्र–राज्य सम्बन्ध, जैसे इस समय हैं, के प्रश्न पर विचार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या सरकार उपर्युक्त विषय पर विचार–विमर्श जारी रखने को उपर्युक्त समझती है; और

(च) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सम्मेलन में निकले मुख्य निष्कर्ष संलग्न **विवरण** में दिये गए हैं ।

(ग) से (च) :– सम्मेलन की कार्यसूची में केन्द्र–राज्य संबंधों के बारे में कोई विशिष्ट मद नहीं थी सम्मेलन के विचार–विमर्श के दौरान कुछ मुख्य मंत्रियों ने यह मामला उठाया था संविधान में केन्द्र–राज्य संबंधों को शासित करने वाले विद्यमान उपबंध ठोस हैं और उनमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है ।

विवरण

अप्रेल, 1980 में राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में निकले निष्कर्ष

(क) **विधि व व्यवस्था :–**

1. विधि व व्यवस्था की स्थिति पर अधिक प्रभावकारी नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस बल की संख्या बढ़ाना ।
2. अवैध अग्नेस्त्रों, गोलाबारूद और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए राज्यों द्वारा सुनियोजित छानबीन के कार्य ।
3. बड़े साम्प्रदायिक दंगों/हरिजनों पर अत्याचारों के सभी मामलों की तुरन्त जाच–पड़ताल करने के लिए सी. आई. डी. के विरोध दल गठित करना ।
4. उन सभी प्रशासनिक तथा कानूनी पहलुओं की गहराई से जांच करने के लिए उच्चाधिकारी प्राप्त दल गठित करना, जिनका विधि व व्यवस्था बनाये रखने और अपराधों तथा अपराधियों से तुरन्त निपटने पर प्रतिकूल प्रभाव होता है ।
5. न्यायालयों में बकाया काम को शीघ्र निपटाने के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करना ।

6. कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 108-110 के अन्तर्गत अधिक शक्तियां देना ।

7. विधि व व्यवस्था से संबंधित मामलों के तुरन्त निपटान के लिए मजिस्ट्रेटों को संक्षिप्त शक्तियां देना ।

8. भविष्य में सभी गंभीर साम्प्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति रोकने और उनसे अधिक प्रभावकारी ढंग से निपटाने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रशासनिक जांच-हड़ताल करना ।

9. आसूचना ढांचे समेत पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ।

10. जिला स्तर पर आसूचना और प्रशासनिक प्रबंधों का गहन पुनरीक्षण करना ताकि गड़बड़ के सभी संकेतों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके;

11. साम्प्रदायिक स्थिति के सभी पहलुओं पर निगरानी रखने और उनका प्रबोधन करने के लिए राज्य मुख्यालयों पर विशेष कक्ष गठित करना;

12. जहां कहीं व्यापक तथा गंभीर साम्प्रदायिक गड़बड़ हो, वहां विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए दंगाग्रस्त क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों का प्रयोग किया जाए;

13. साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार व्यक्तियों का शीघ्र पुनर्वास ।

14. साम्प्रदायिक प्रैस पर कड़ी निगरानी रखना और दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन भड़काने वाले लेखों के विरुद्ध तुरन्त तथा प्रभावशाली कार्रवाही करना;

15. साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित मामले वापस न लिए जाएं;

16. संचार के साधनों का उपयोग धर्म–निर्पेक्षता के विचारों के प्रचार और साम्प्रदायिक तथा धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किया जाएं;

17. इतिहास की पुस्तकों का पुनरीक्षण किया जाए ताकि उनमें से राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध किसी पक्षपात को निकाला जा सके;

18. यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाए कि सभी समुदायों के सदस्य किसी समुदाय के बड़े धार्मिक त्यौहारों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है;

19. अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के एक ऐसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स तैनात किया जाए जो पूरी तरह गतिशील तथा सुसज्जित हो;

20. अत्याचारों के मामलों की शीघ्र जांच-पड़ताल हो और विनिर्दिष्ट समय सोमा के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाए;

21. अत्याचार ग्रस्त क्षेत्रों में अथवा जहां अत्याचार हुए थे वहां पुलिस की टुकड़ियां तैनात की जांए; और

(ख) पुलिस और जेल :–

1. थाने के कर्मचारियों का दृष्टिकोण सहायक हो, वे नम्र तथा सज्जन हों और शिकायतों, विशेषरूप से गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों की शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही करने के इच्छुक हों;

2. पुलिस कर्मचारियों को कमजोर वर्गों, गरीबों, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में सामाजिक न्याय तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणाओं के साथ अनुरुपता का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए;

3. समुदाय की सेवा के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए सेवा में प्रवेश के समय उचित प्रशिक्षण और उपयुक्त अन्तराल से सभी पदों के लिए पुनश्चर्या पाटयक्रम होने चाहिए । सभी पदों विशेषरूप से उप-निरीक्षकों के स्तर के पदों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए एक समयबद्ध त्वरित कार्यक्रम चलाया चाए;

4. अवैध जमाव तथा भीड़ को तितर-बितर करने के क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिक्षण में सुधार की जरूरत है;

5. पुलिस कर्मचारियों की कार्य दशा सुधारने के उपाय किए जाए;

6. पुलिस कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावशाली तंत्र होना चाहिए ।

7. विचारणाधीन बंदीयों समेत कैदियों के लिए कार्य के कार्यक्रम का क्रमबद्य विकास वर्तमान दशाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को विविधता की भी जरूरत है ताकि कैदो अपनी रिहाई के बाद लाभदायक रोजगार प्राप्त कर सकें;

8. सभी स्तरों पर जेल कर्मचारियों के दृष्टिकोण में सुधार लाने के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण और सेवा में प्रशिक्षण आयोजित किये जाए;

9. गरीब कैदियों को कानूनी सहायता की सुविधा दी जाए ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक उत्थान :

1. जनजातियों की ऋण सम्बंधी जरूरतों की विशेष रूप से खाली समय में देख भाल करने के लिए ऋण तथा विपणन सुविधाओं का संगठन;

2. जनजाति क्षेत्रों में बड़े बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां संगठित करने में अधिक प्रयास करना और उनके कार्य में तेजी लाना;

3. एकीकृत प्रशासनिक ढांचे का गठन करना और सही कर्मचारी रखने की नीति का अनुसरण करना;

4. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रमों में राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रभावशाली भाग लेना;

5. सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा अपने कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए रखे गए परिव्यय का पता लगाना;

6. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रोय सहायता का पर्याप्त आवंटन करना।

(घ) नागरिक आपूर्ति–

1. उपभोक्ताओं के मन में विश्वास पैदा करने के लिए मूल्य प्रदेशों आदेशों का कारगर कार्यान्वयन करना;

2. मूल्य स्थिरता और अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने के लिए पूर्वतन की गति तथा आपूर्ति प्रवन्ध बनाये रखना ।

बैरकपुर में हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड का बन्द किया जाना

1193. **श्री चित्त बसु :**

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बैरकपुर, पश्चिम वंगाल में हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड का बन्द कर देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं;

(ग) उस में वर्ष 1964-65 और 1979-80 में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी-कितनी थी;

(घ) वर्ष 1964-65 और 1979-80 में उत्पादन कितना-कितना था;

(ङ) क्या सरकार इसे एक पृथक एकक बनाने और इस का पुनर्निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1979-80 में कुल 755 कर्मचारी थे । वर्ष 1964-65 में कर्मचारियों की ठीक-ठीक संख्या कितनी थी इसका रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

(घ) 1964-65 में 47.57 लाख रु० का उत्पादन हुआ । वर्ष 1979-80 में हुए उत्पादन का मूल्य 130.39 लाख रु० था ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) उपलब्ध कौशल और सुविधाएं हवाई जहाज की पूरी तरह से मरम्मत करने के लिए ही उपयुक्त हैं । वर्तमान कार्यभार और भविष्य में पड़ने वाले कार्यभार को ध्यान में रखते

हुए बैरकपुर यूनिट को एक अलग यूनिट में बदलना या उसका पुनर्निमाण करना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा ।

आयजोल-सिलचर मेंजवाल रोड पर मीजो नेशनल फ्रंट के लोगों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों पर गोली चलाया जाना

1194. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों से भरे एक ट्रक पर आयजोल सिलचर रोड पर 22 मई, 1980 को मीजो नेशनल फ्रंट के लोगों ने गोली चलाई थी, और

(ख) यदि हां, तो मीजो नेशनल फ्रंट के लोगों द्वारा कितने जवान मारे गये और इन अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । किन्तु घटना आयजोल-स्यालसुक रोड पर मोलफुंगलहों के निकट हुई थी और थींगदवाल में नहीं ।

(ख) घटना में एक व्यक्ति मारा गया और बारह व्यक्ति घायल हुए थे । आयजोल के पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे । मिजो नेशनल फ्रंट के 6 विद्रोही घात द्वारा इस आक्रमण के लिए उत्तरदायी बताए जाते हैं ।

छावनी बोर्डों की देख-रेख में स्कूल

1195. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ स्कूल छावनी बोर्डों की देख-रेख में चलाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूल कितने हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने ऐसे कुछ स्कूलों को चलाने का काम राज्य सरकारों को सौंपा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी व्यवस्था करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 204.

(ग) जी हां ।

(घ) 1977 में अम्बाला छावनी में एक हाई स्कूल और छः प्राइमरी स्कूल हरियाणा सरकार को सौंपे गये थे ।

(ङ) 1977 में छावनी से कुछ क्षेत्र अलग कर दिए जाने के कारण इन स्कूलों को भी हस्तांतरित कर दिया गया ।

ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री

1196. **श्री के० एम० मधुकर** ; क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान को हथियार बेचने का नया निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपर्टें देखी हैं कि ब्रिटेन, पाकिस्तान को हथियार बेचने को तैयार है । हमें इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई है । ब्रिटेन बहुत से देशों को जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है परम्परा से हथियार और रक्षा उपकरण देता रहा है । सरकार हमारे पड़ौस में होने वाली घटनाओं की जिनमें सैनिक जमाव भी शामिल है, समय समय पर समीक्षा करती रहती हैं और भारत की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा के लिए समय पर समुचित उपाय करती है ।

सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के बारे में 1978 के लिए चयन सूची

1197. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठता के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति की 1978 की चयन सूची जारी नहीं की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सूची जारी करने में विलम्ब के कारण कुछ मंत्रालयों में काफी कनिष्ठ सहायकों की तदर्थ पदोन्नति की गयी हैं जबकि दूसरे मंत्रालयों में वरिष्ठ सहायक पदोन्नति की प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) चयन सूची तैयार कर ली गई है, किन्तु 29 मई, 1980 को हुई कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद् (जे० सी० एम०) की बैठक में कर्मचारी पक्ष द्वारा किए गए विशेष अनुरोध पर चयन सूची का जारी किया जाना 16 जून, 1980 तक रोक दिया गया है ।

(ग) तथा (घ) सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पदों पर अस्थायी, तदर्थ पदोन्नतियां, विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने संवर्गों में उनकी परस्पर वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं । किन्तु चयन सूची के जारी किए जाने से यदि उसमें कोई असंगतियां हैं, तो वे दूर हो जाएंगी ।

दल-बदल विरोधी विधेयक

1198. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **गृह मन्त्री** दल-बदल विरोधी विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के बारे में 30 जनवरी, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद के चालू सत्र के दौरान दल-बदल विरोधी विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये इस बीच निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है क्योंकि दल-बदल विरोधी कानून निर्वाचन सुधारों के विस्तृत परिप्रेक्ष्य का एक अंग है ।

वर्ष 1980-81 के लिए सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य

1199. **श्री भीखा भाई** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 के लिए सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 में 220 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन करने की प्रकल्पना है । विद्यमान क्षमता के पूर्ण उपयोग द्वारा तथा अति रिक्त क्षमता की स्थापना कर यह लक्ष्य प्राप्त करने का विचार किया गया है ।

जहाज निर्माण ठेकों को क्रियान्वित करने में विलम्ब

1200. **इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका उनका ध्यान नौसैनिक जहाजों के निर्माण संबंधी ठेकों को क्रियान्वित करने में विलम्ब के बारे में नौ सेना अध्यक्ष द्वारा 16 मई, 1980 को व्यक्त की गयी चिन्ता की ओर गया है;

(ख) क्या उन्होंने विलम्ब में कमी करने हेतु ठेकेदारों के लिए प्रोत्साहन बोनस तथा दण्ड संबंधी योजना का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) पोत निर्माण ठेकों में हमेशा "परिनिर्धारित हानि" के रूप में दण्ड धारा रखी होती है । भावी ठेकों में प्रोत्साहन धारा को शामिल करने के प्रश्न पर मन्त्रालय विचार करेगा ।

वर्ष 1977 में सोवियत रूस से आयातित भारी पानी

1201. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री नन्द किशोर शर्मा :

श्री तारिक अनवर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में सोवियत रूप से कब और कितनी मात्रा में भारी पानी का आयात किया गया;

(ख) क्या सोवियत रूस ने इस स्थिति में पूर्ण परमाणु निगरानी की शर्त भारत को स्वीकार करने के लिए कहा जबकि वह इस भारी पानी का उपयोग करे;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने पानी का प्रयोग हमारे परमाणु विद्युत संयंत्रों में करते हुए इस शर्त को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) इस भारी पानी का प्रयोग वस्तुतः कब से आरम्भ हुआ ;

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मार्च 1980 में, हमने सितम्बर, 1976 में सोवियत संघ के साथ हुई संविदा के एक परिशिष्ट पर 256 मीटरिक टन भारी पानी की सप्लाई के लिए हस्ताक्षर किए थे। भारी पानी की यह मात्रा 200 मीटरिक टन उस मात्रा के अतिरिक्त है जो इस संविदा के अंतर्गत अक्तूबर 1996 तथा मार्च 1979 के बीच पहले ही सप्लाई की जा चुकी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(घ) सितम्बर 1976 की संविदा के अन्तर्गत सोवियत संघ से मिला भारी पानी अभी काम में नहीं लाया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के लिए प्रारूप-नियम

1202. **श्री टी० एस० नेगी** . क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों और सम्बद्ध कार्यालयों ने केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (ग्रुप "ए" और "बी" के पद) के प्रारूप नियमों पर यह टिप्पणी की थी कि हिन्दी अधिकारी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने 1969 में किसी समय अपनी यह स्वीकृति दी थी कि हिन्दी अधिकारी के पदों के लिए न्यूनतम अर्हता अनुवाद के पांच वर्ष के अनुभव के साथ बी० ए० (हिन्दी सहित) होनी चाहिए और उस स्वीकृति के आधार पर, 1969 में हिन्दी अधिकारी के पद के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का नियमों में यह प्रावधान करने का विचार है कि विभागीय प्रत्याशियों (जो आजकल कार्य कर रहे हैं) के लिए शैक्षिक अर्हता वही होगी, जो 1969 में घोषित की गई थी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी नहीं, श्रीमान। मंत्रालयों से प्राप्त उत्तर में इन अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(ख) 1969 में संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में हिन्दी अधिकारियों के पदों के लिए चयन आरम्भ किया था। यह चयन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अपने अपने पदों के लिए था और भर्ती उन विभागों में पहले से कार्य कर रहे अनुवादकों तथा अन्य हिन्दी कर्मचारियों में से की जानी थी उस समय केन्द्रोय सचिवालय राजभाषा सेवा गठित करने के विचार ने मूर्त रूप धारण नहीं किया था और यह आशा की गई थी प्रत्येक विभाग अपना अपना हिन्दी अधिकारी रख ले जिसके लिए यह चयन शुरू किया गया था।

संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से तैयार किये गये माडल नियमों के चयन के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई थी और इसमें बी० ए० हिन्दी की अर्हता अनुवाद कार्य का 5 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया था। जिनके पास हिन्दी में स्नातकोत्तर की अर्हता थी उनके मामले में अनुभव की अवधि 3 वर्ष तक सीमित थी।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के नियम अभी बनाये जा रहे हैं और उनको अन्तिम रूप नहीं दिया है।

मृत्यु दण्ड

1203. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री के. प्रधानी :

श्री एन. ई. होरो : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत्यु दण्ड देने के प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय को क्रियान्वित किया जायेगा।

(ग) इस प्रश्न पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) विधि आयोग ने अपनी 35वीं रिपोर्ट और 42वीं रिपोर्ट में मृत्यु दण्ड को समाप्त करने की सिफारिश नहीं की है उच्चतम न्यायालय ने 1979 की याचिका संख्या 564 आदि आदि (माल सिंह बनाम भारत संघ) में तारीख 9 मई, 1980 को दिए गए अपने फैसले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 की व्यवस्था जिसमें हत्या के लिए मृत्यु दण्ड की सजा भी एक व्यवस्था है की सांविधिकता की चुनौती को रद्द कर दिया है भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 संबंधी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर जिनमें हत्या के कुछ उग्र रूपों में धारा 302 के अधीन फांसी की सजा को बनाए रखने के प्रावधान भी सम्मिलित हैं, जनता के विचार आमंत्रित किए थे। संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयकों को कुछ संशोधनों के बाद नवम्बर, 1978 में सदन ने पारित कर दिया था। तथापि छठी लोक सभा के भग हो जाने

पर विधेयक समाप्त हो गया । इसमें धारा 302 (हत्या के लिए सजा) में संशोधन करने के लिए कहा गया था ताकि यह व्यवस्था हो कि हत्या के लिए सामान्य सजा आजीवन कारावास हो और केवल कुछ उग्र परिस्थितियों में ही न्यायालय को फांसी की सजा देने का विवेकाधिकार हो। समाप्त विधेयक के प्रावधान अब सरकार के विचाराधीन हैं। तथापि फांसी की सजा को पूर्ण रूप से समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

"सुला" संगठन

1204. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सात पूर्वोत्तर राज्यों को स्वतंत्र कराने के लिए "सुला" (सेवन सिस्टर्स यूनाइटिड लिबरेशन आर्मी) नामक संगठन की ओर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) ; (क) और (ख) सरकार ने इस विषय पर कुछ रिपोर्ट देखी हैं। संबंधित प्राधिकारियों को निगरानी रखने के लिए सावधान कर दिया गया है ।

रक्षा सम्बन्धी गुप्त वार्ता का बेचा जाना

1205. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मई 1-15-1980 के "ओन लुकर" बम्बई साप्ताहिक में प्रकाशित एक लेग की ओर दिलाया गया है जिसमें रक्षा सम्बन्धी गुप्त वार्ता (डिफेंस सीक्रेट्स) की विक्री का आरोप लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की जाँच करने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) यह लेख दिल्ली पुलिस द्वारा पता लगाए गए जासूसी के मामलों पर आधारित है : सात व्यक्तियों के विरुद्ध तीन मामले सरकारी रहस्य अधिनियम के अधीन निर्णयाधीन हैं, एक मामले में अभियुक्त व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया था ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में भारतीय तकनीकी जानकारी की मांग

1206. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्ता 90 कम्पनियों जिनमें से कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी हैं, कई उत्पादों को बनाने में भारतीय तकनीकी जानकारी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कम्पनियों को अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं आया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजगिर, पटना में गर्मजल का स्रोत

1207. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु खर्जा आयोग ने बिहार के पटना जिले में राजगिर के गर्म जल के स्रोत को रेडियोधर्मी पाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

संगठित और असंगठित क्षेत्र में माचिस की डिब्बियों का उत्पादन

1208 : **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में माचिस की डिब्बियों का कुल उत्पादन कितना है,

(ख) इसी अबधि के दौरान वर्षवार, संगठित क्षेत्र के कुल उत्पादन में "विमको" का हिस्सा कितना है,

(ग) क्या पोर्टब्लेयर में माचिस फलिका बनाने के कारखाने की जरूरत को पूरा करने के लिए "विमको" को अंडमान और निकोवार द्वीपसमूह में नाममात्र रायल्टी पर सरकार से नरम लकड़ी की किसी मात्रा को निर्बाध रूप से अधिप्राप्त करने के लिए अनुमति दी गई है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या असंगठित क्षेत्र के एककों को इसी प्रकार की सुविधायें दी गई है, और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) पिछले तीन वर्षों में माचिस की डिब्वियों का कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	1977-78	1978-79	1979-80
	(हजार ग्रुस डिब्बयों में उत्पादन)		
(1) संगठित क्षेत्र (विद्युतचालित)	27538	29769	27626

(2) गैर-मशीनीकृत क्षेत्र (कुटीर क्षेत्र को छोड़कर)	61006	5615ø	57222
(3) कुटीर क्षेत्र (खादी ग्रामोद्योग आयोग व सहकारी एकक)	9721	19581	31809

(ख) संगठित क्षेत्र में केवल विमको ही माचिसों का उत्पादन कर रहा है।

(ग) और (घ) मैसर्स विमको के 9,00,000 लाख तीलियों की क्षमता वाले पोर्टब्लेयर स्थित एकक को बढ़िया माचिस की लकड़ी बनाने के लिए सरकार द्वारा रायल्टी दर पर नरम लकड़ी और उसे सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित जहाज चमड़ा मुक्त मूल्य पर काटकर गिराई गई लकड़ी उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ) और(च) असंगठित क्षेत्र में लघु अंडमान में केवल एक ही अन्य एकक तीलियों का उत्पादन कर रहा है और इस एकक की लकड़ी की आवश्यकता को अंडमान व निकोबार के वनों से व वनरोपण विकास निगम (प्लानटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन) द्वारा पूरा किया जाता है।

लोकतंत्र के कार्यकरण के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

1209. **श्री ज्योतिर्मय वसु :**

प्रो० मधु दंडवते : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1980 में किसी समय उन्होंने तामिल के एक समाचार-पत्र के संवाद-दाता को बताया था कि यदि लोकतंत्र से देश की प्रगति में मदद नहीं मिलती है तो लोग लोकतंत्र को ठुकरा देंगे और कोई अन्य प्रणाली स्थापित करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) और (ख) : मैं लोकतंत्र के प्रति दृढ़ता से बचनबद्ध हूं। मैंने संवाददाता को यह बताने का प्रयास किया कि विभिन्न देशों में लोकतंत्र के ढांचे अलग-अलग हैं। जीवित रहने और उन्नति करने के लिए, किसी भी प्रणाली को लोगों की जरूरतों और मांगों को पूरा करना चाहिए, अन्यथा वे इसे अस्वीकार कर देंगे। मेरी टिप्पणी में लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को लागू करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया गया था, ताकि लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था कायम रहे।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये जा रहे मामले

1210. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आयोगों अर्थात् शाह आयोग, गुप्ता आयोग, जगनमोहन रेड्डी आयोग और ग्रोवर आयोग के प्रतिवेदनों के आधार पर दायर किये गये मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जाँच किए जा रहे आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बर्खास्त किये जा चुके अथवा वापस लिये गए मामलों को ब्यौरा क्या है ?

(घ) कितने मामलों में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो अथवा किसी अन्य जाँच ऐजेंसी ने और आगे जांच बन्द कर दी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर मामलों का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इन मामलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(क्रम संख्या विवरण में दिए मामलों को उल्लिखित करते हैं)

(i) न्यायालय द्वारा बर्खात मामले—2 (क्रम संख्या 1 और 5)

(ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन मामलों को समाप्त करने की भेजी गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत रिपोर्ट—12 (क्रम सं० 2, 6, 9, 11, 12, 13, 15, से 18, 21 और 23)

(iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत न्यायालय को भेजी घई रिपोर्ट—2 (क्रम सं० 14 और 19)

(iv) भेजी जा रही समाप्ति की रिपोर्ट—1 (क्रम सं० 7)

(v) जांच पड़ताल के अधीन -7 (क्रम सं० 3, 8, 10, 20; 22, 24, और 25)

(vi) यामले को वापस लेने के लिए नियमों के अनुसार कार्यवाई की जानी है—1 (मामला सं० 4)

विवरण

क्रम सं०	मामला संख्या और तारीख	संक्षिप्त में आरोप
1	2	3
शाह जाँच आयोग		
1.	आर० सी० 1/78–एस० आई० यू० (एस० आई० बी––I) तारीख 10.7.78	मैसर्स मारुति लिमिटेड को आयातित मशीनों की आपूर्ति के संबन्ध में के सम्बन्ध में संसद प्रश्न के बारे में सूचना एकत्र करने के लिये उद्योग मंत्रालय के चार अधिकारियों के विरुद्ध तथाकथित आपराधिक कार्रवाई करना ।
2.	आर० सी० 2/78–एस० आई० यू० (एस० आई० बी०–I) तारीख 10-7-78	25-7-75 को मीसा के अधीन श्री भीमसेन सच्चर तथा सात अन्य की तथाकथित गैर-कानूनी नजरबदी ।
3.	आर० सी० 3/78–एस० आई० यू० (एस० आई० बी०–I) तारीख 10-7-78	25-9-75 को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक छात्र श्री प्रवीर पुर्कयाष्ठ की तथाकथित गलत तरीके से गिरफ्तारी और बन्दी बनाना ।
4.	आर० सी० 1/78–एस० आई० यू० (एस० आई० बी०–II) तारीख 10-7-78 (डी० ए० वी० पी० केरा)	1777 में आम चुनाव से पूर्व अभियान के लिए चुनाव पोस्टरों के डिजाइन की तैयारी मामले में तयाकथित सरकारी तंत्र का दुरुपयोग ।
5.	आर० सी० 2/78–एस० आई० यू० एस० आई० बी०–II) तारीख 10-7-78 (कापसहेड़ा में तोड़फोड़))	दिल्ली में गुड़गांवां रोड पर गांव कापसहेड़ा में कई मकानों, दुकानों और फैक्टरियों को कथित अवैध रूप से गिराना ।

1	2	3
6.	आर० सी० 6/78–एस० आई० यू० (एस. आई. बी.–III) तारीख 10-7-78	कानूनी कार्रवाईयों के कथित उच्छेदन, पद का दुरुपयोग और सत्ता का दुरुपयोग और आन्तरिक आपातकाल की उद्घोषणा और प्रमुख नेताओं समेत 67 व्यक्तियों की गिरफ्तारी/नजरबन्दी ।
7.	आर. सी. 3/78–एस. आई. यू. (एस.आई.बी.–II) 22-7-78	मैसर्स बड़ोदा रेयन कारपोरेशन से दस्तावेजों का अधिग्रहण और दस्तावेजों को कथित अनधिकृत रूप से रोकना ।
8.	आर सी. 4/78–एस. आई. यू. (एस.आई.बी.–II) तारीख 1-8-78	स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा आयात व्यापार और विदेशी मुद्रा विनियमन का उल्लंघन करके मोले एयर क्राफ्ट का तथाकथित जाल-साजी से आयात ।
9.	आर. सी. 4/78 एस. आई. यू. (एस. आई. बी.–I) तारीख 21-12-78	मीसा के अधीन टैक्सटाइल/सीमा शुल्क कर्मचारियों की तथाकथित गैर कानूनी नजरबन्दी और उनमें से चार के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामलों का गठन ।
10.	आर. सी. 5/78–एस. आई. यू. (एस. आई. बी.–II) तारीख 22-12-78	गफ्फार मार्कीट करोल बाग नई दिल्ली में तथाकथित गैर-कानूनी तोड़फोड़ ।
11.	आर. सी 6/7–एस. आई. यू. (एस. आई. बी.–II) तारीख 22-12-78	पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक श्री टी. आर. तुली द्वारा मैसर्ज एसोसिएटिड जनरल को 8.5 लाख रुपए का ओवर ड्राफ्ट देने में सत्ता का तथाकथित दुरुपयोग ।
12.	आर. सी. 1/79–एस. आई. यू. एस. आई. बी.–II) तारीख 15-2-79	श्री मामचन्द की तथाकथित गैर-कानूनी नजरबंदी और डिसिर के के अधीन मामला दर्ज करना ।

1	2	3
13.	आर. सी. 1/79–एस. आई. यू. (एस. आई. बी.–II) तारीख 15-2-79	डी.ए.वी.पी. द्वारा कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र के अनुवाद करने में अनुवादकों की सेवा प्रयोग करने में सत्ता का तथाकथित दुरुपयोग ।
14.	आर. सी. 2/79–एस. आई. यू. (एस.आई.बी.–II) तारीख 17-2-79	सम्पत्ति का तथाकथित गैरकानूनी तोड़फोड़ और झूठे प्रमाण-पत्रों का बनाना ।
15.	आर. सी. 3/79 एस. आई. यू. (एस. आई. बी.–I) तारीख 17-2-79	भगतसिंह मार्किट का तथाकथित गैरकानूनी तोड़फोड़ ।
16	आर. सी. 2/79–एस. आई. यू. (एस. आईI बी.–।) तारीख 19-2-79	11-11-75 को फाइनेंसियल एक्सप्रेस के रिपोर्टर श्री विरेन्द्र कपूर, पत्रकार की तथाकथित नजरबन्दी ।
17.	आर. सी. 3/79 एस. आई. यू. (एस. आई. बी.–I) तारीख 20-2-79	सितम्बर, 1976 में मीसा के अधीन डा० करुनेश शुक्ला की तथाकथित गैर-कानूनी नजरबन्दी ।
18.	आर. सी. 4/79–एस. आई. यू. एस.आई.बी.–II) तारीख 20.2.79	ग्रीन पार्क में आर्य समाज मंदिर का तथाकथित गैर कानूनी तोड़फोड़ और झूठे रिकार्ड आदि बनाना ।
19.	आर. सी. 5/79–एस. आई. यू. (एस.आई.बी.०II) तारीख 20-2-79	अर्जुन नगर में तथाकथित गैर-कानूनी तोड़फोड़ और श्री अर्जुनदास को अर्जुन नगर में गिराये गये दो किराये के मकानों के बदले में डी.डी.ए. कालोनियों में 13 फ्लैटों का आवंटन ।
जगमोहन रेड्डी जांच आयोग		
20.	आर.सी. 2/78 एस- आई. यू. एस.आई.बी.–III) तारीख 10-11-79	रक्षा भन्त्री के रूप में सरकारी स्थिति और सत्ता का गैरकानूनी दुरुपयोग और 50 हैवी रिकवरी वाहनों के खरीदने के ठेके के मामले में मैसर्स मान को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाना ।

1	2	3
	गुप्ता जांच आयोग (मारुति मामले)	
21.	आर. सी. 1/79–एस. आई. यू. (एस.आई.बी.–II) तारीख 12-10-79	तथाकथित आपराधिक षडयंत्र और इस प्रकार से मारुति परियोजना को औद्योगिक लाइसैंस और लैटर आफ इनटेंट प्रदान करने के मामले में श्री संजय गांधी को वित्तीय सहायता लाभ पहुंचाकर उनका पक्ष लेना ।
22.	आर. सी. 2/79 एस. आई. यू. एस.आई.बी.–III) तारीख 12-10-79	मैसर्स मारुति को वित्तीय सहायता पहुंचाकर सत्ता का तथाकथित दुरुपयोग ।
23.	आर. सी. 7/79 एस. आर. यू. (एस.आई वी.–II) तारींख 17-12-79	मैसर्स मारुति लिमिटेड द्वारा लोहे और स्टील पर कब्जा और आवेदन में निहित उद्देश्य को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिये लोहे और स्टील का तथाकथित निपटान और प्रयोग ।
24.	आर. सी. 6/79 एस. आई. यू. (एस. आई. वी.–II) तारीख 12-10-79	तथाकथित आपराधिक षडयत्र और इस प्रकार पूंजी और अन्य वित्तीय स्रोतों के लेख में लूट खसोट और जालसाजी ।
	ग्रोवर जांच आयोग	
25.	आर. सी. 1/78–सी. आई.–II तारीख 23–3–78	जिला बंगलौर के बामन हाली गांव में नियमों का उल्लंघन करके श्री देवराज के दामाद डा० एम. डी. नटराज को चारागाह के लिये आरक्षित 20 एकड़ भूमि का तथाकथित आबंटन ।

भारतीय पुलिस सेवा के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संयुक्त सचिवों के पद पर नियुक्ति

1211. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष भारतीय पुलिस सेवा के उपयुक्त अधिकारियों का पैनल भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के पद पर नियुक्ति के लिए तैयार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, भारतीय पुलिस सेवा के कुल कितने अधिकारी भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के पद पर नियुक्त किए गए;

(ग) उनमें से, वर्षवार, भारतीय पुलिस सेवा के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों को भारीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के रूप में अपेक्षा करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) भारतीय पुलिस सेवा के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के प्रति किये जा रहे इस भदभाव को दूर करने और इस कमी की पूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है।

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन संयुक्त सचिवों के स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्यतः भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारियों की उपयुक्तता का प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन किया जाता है जिन्होंने कम से कम 17 वर्ष की श्रेणी-1 की सेवा पूरी कर ली थी और उन्हें उनके मूल संवर्गों में उप-महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था अथवा केन्द्र में जिनकी उप-महानिरीक्षक अथवा समकक्ष पद पर नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया गया था।

(ख) से (ङ) : केन्द्र में संयुक्त सचिता तथा समकक्ष पदों को अखिल भारतीय सेवाओं तथा अन्य संगठित समूह "क" की केन्द्रीय सेवाओं के उपलब्ध अधिकारियों में से, कार्यकाल प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रत्येक पद की विशिष्ट अपेक्षाओं तथा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए प्रस्तुत अधिकारियों की योग्यताओं और अनुभव को ध्यान में रखते हुए उपयुक्तता के आधार पर भरा जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान संयुक्त सचिव तथा उसके समकक्ष पदों पर नियुक्त किये गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सुचना नीचे दी गयी है :–

वर्ष	नियुक्त किए गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या
1977	3
1978	6
1979–80	5

इनमें से कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं है।

वस्तर जिले में सेल्यलोज पल्प के कारखाने का स्थापित किया जाना

1212. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक निजी क्षेत्र की एक एकक मध्य प्रदेश के वस्तर जिले में 30,000 टन क्षमता के एक सेल्युलोज पल्प कारखाने को लगाने के लिए तैयार हैं,

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) से (ग) : इस समय केवल मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम (राज्य सरकार का एक उपक्रम) के पास ही मध्य प्रदेश के वस्तर जिले में 30,000 मी० टन रेयन ग्रेड पल्प का उत्पादन करने के लिये एक नए उपक्रम की स्थापना करने हेतु वैध आशय-पत्र है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा बस्तर में एक समेकित कागज संयंत्र स्थापित किया जाना

1213. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने मध्य प्रदेश के वस्तर जिले में एक समेकित कागज संयंत्र को स्थापित करने में रुचि दिखाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चरणजीत चानना) (क) और (ख) : इस समय हिन्दुस्तान पेपर निगम के पास मध्य प्रदेश के वस्तर जिले में एकीकृत कागज संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

राज्यों में जिला उद्योग केन्द्र

1214. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में राज्यवार कितने जिला उद्योग केन्द्र कार्य कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) अब तक देश के 392 जिलों के लिए 382 जिला औद्योगिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उनकी राज्यवार अलग-अलग जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य संघशासित प्रदेश का नाम	जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या	जिला उद्योग केन्द्र का नाम	स्वीकृति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	1. अनन्तपुर	
			2. कुडप्पा	
			3. चित्तूर	
			4. गुन्टूर	
			5. हैदराबाद	
			6. करीम नगर	
			7. कम्माम	11.5.78
			8. मेडल	
			9. बालगोंडा	
			10. श्री काकुलम	
			11. विशाखापत्तनम	
			12. प्रकाशम	
			13. कूरनूल	28.3.79
			14. आदिलाबाद	
			15. पूर्वी गोदावरी जिला	
			16. पश्चिमी गोदावरी जिला	
			17. कृष्णा	
			18. नेलोर	
			19. वरांगल	13.7.79
			20. महबूब नगर	
			21. निजामाबाद	
			22. विजय नगरम्	
2.	आसाम	10	1. कछार	
			2. डिब्रूगढ़	
			3. गोलपाड़ा	24.7.78
			4. नामरूप	
			5. नौगंग	
			6. दारांग	

1	2	3	4	5
			7. लखीमपुर	
			8. सिब सागर	30.8.79
			9. करबी एंगलोन	
			10. उत्तरी कछार पहाड़ी	
3.	बिहार	31	1. औरंगाबाद	
			2. भागलपुर	
			3. भोजपुर (अराह)	
			4. चम्पारन (पूर्वी मोती हारी)	
			5. चम्पारन (पश्चिमी मोती हारी)	
			6. दरभंगा	22.4.78
			7. गया	
			8. कटिहोर	
			9. मधुबनी	
			10. मुज्जफरपुर	
			11. नालन्दा	
			12. नवादा	
			13. पलामऊ (डेल्टनगंज)	
			14. पटना	
			15. पुरनिया	
			16. रांची	
			17. समस्तीपुर	
			18. संथाल परगना (डुमला)	
			19. रोहतास	
			20. सारन	
			21, सिवान	
			22. गोपालगंज	
			23. वैशाली	
			24. सीतामढ़ी	15.3.79
			25, मोंगहार	
			26. बेंग सराय	
			27. सहेरसा	
			28. हजारी बाग	
			29. गिरडीह	

1	2	3	4	5
			30. धनवाद	
			31. सिंहभूम	
4.	गुजरात	17	1. अमरेली	
			2. बनासकंठा	
			3. भड़ोंच	
			4. भावनगर	
			5. जूनागढ़	10-4-78
			6. केच	
			7. मेहसाना	
			8. पंचमहल	
			9. सावरकंठा	
			10. सुरेन्द्रनगर	
			11. अहमदाबाद (गांधीनगर जिला सहित)	
			12. राजकोट	
			13. जामनगर	
			14. खेड़ा	
			15. वरोदरा	30.3.79
			16. सूरत	
			17. वलसाद (कवर डांग जिला सहित)	
5.	हिमाचल प्रदेश	12	1. विलासपुर	
			2. चम्बा	
			3. हमीरपुर	
			4. कांगड़ा	
			5. किनौर	22.4.1978
			6. कुल्लु	
			7. लाहौल और स्पिति	
			8. मंडी	
			9. शिमला	
			10. सिरमूर	
			11.सोलन	
			12. यूना	

1	2	3	4	5
6.	हरियाना	12	1. अम्बाला	
			2. भिवानी	
			3. गुड़गाँवा	
			4. हिसार	26.6.78
			5. जींद	
			6. करनाल	
			7. कुरुक्षेत्र	
			8. महेन्द्रगढ़	
			9. रोहतक	
			10. सिरसा	
			11. सोनीपत	
			12. फरीदाबाद	61.11.79
7.	जम्मू और कश्मीर	14	1. अनन्तनाग	
			2. बारामूला	13.4.78
			3. डोडा	
			4. जम्मू	
			5. कठुआ	
			6. लदाख	7.6.78
			7. पूंछ	7.11.78
			8. राजोरी	7.6.78
			9. श्री नगर	13.4.78
			10. उधमपुर	13.4.78
			11. बडगाम	
			12. कूपवाड़ा	11.10.79
			13. कारगिल	
			14. पूलवामा	
8.	कर्नाटक	13	1, बेलगाम	
			2. बीदर	
			3. बीजापुर	
			4. मारवाड़	6.6.78
			5. हासन	
			6. शिमोगा	
			7. टुमकूर	

1	2	3	4	5
			8. मैसूर	
			9. रायचूर	
			10. उत्तर कनाडा	30.3.79
			11. दक्षिण कनाडा	
			12. गुलबर्गा	
			13. कोलार	
9.	केरल	11	1. एलप्पी	
			2. कनोर	
			3. एरणकुलम	
			4. इडिक्की	
			5. कोट्टायम	
			6. कोजीकोड	12-5-78
			7. पालघाट	
			8. मालापुरम	
			9. क्विलोन	
			10. त्रिचूर	
			11. त्रिवेन्द्रम	
10.	मध्य प्रदेश	45	1. भिण्ड	
			2. बिलासपुर	
			3. छतरपुर	
			4. दुर्ग	
			5. गुना	
			6. खण्डवा (पूर्वी निमाड)	
			7. खडगांव (पश्चिमी निमाड)	
			8. मांडला	
			9. मन्दसौर	
			10. मुरैना	
			11. नरसिम्वापुर	
			12. रागगढ़	
			13. रायपुर	
			14. राजनन्दगढ़	
			15. रीवा	

1	2	3	4	5
			16. राजगढ़	29-4-78
			17. सतना	
			18. सिहोर	
			19. सरगुजा	
			20. शिवनी	
			21. सागर	
			22. उज्जैन	
			23. इन्दौर	
			24- धार	
			25. देवास	
			26. झबुआ	
			27. शाहजापुर	
			28. रतलाम	
			29. भोपाल	
			30. रायसेन	5-1-79
			31. विदिशा	
			32. वैतूल	
			33. ग्वालियर	
			34. शिवपुरी	
			35. दतिया	
			36. सिधी	
			37. टिक्कमगढ़	
			38. शाहदोल	
			39. पुना	
			40. जबलपुर	
			41. दमोह	
			42. छिंदबाड़ा	
			43. बेलाघाट	
			44. बस्तर	
			45. होशंगाबाद	
11.	महाराष्ट्र	25	1. अहमद नगर	
			2. औरंगाबाद	
			3. मनडारा	

1	2	3	4	5
			4. भीर	
			5. बुलगाना	
			6. चनडरपुर (घण्डा)	14-4-78
			7. कोलाबा	
			8. धुलिया	
			9. जलगांवां	
			10. ननदेड	
			11. ओसमानाबाड	
			12. परभानी	
			13. रतनीगिरी	
			14. बरश्रा	
			15. येवतमल	
			16. थाने	
			17. नासिक	
			18. पुये	
			19. सतारा	
			20. सनगली	
			21. कोल्हापुर	
			22. शोलापुर	24-2-79
			23. नागपुर	
			24. अकोला	
			25. अमरावती	
12.	मणीपुर	6	1. पूर्वी जिला	
			2. केन्द्रीय जिला	
			3. उत्तरी जिला	
			4. पश्चिमी जिला	10-5-78
			5. तेनगानाप्पल	
			6. दक्षिणी जिला	
13.	मेघालय	5	1. गारो हिलस	2-5-78
			2. पूर्वी खासी हिलस	
			3. पश्चिमी खासी हिलस	30-3-79
			4. पूर्वी गारो हिलस	
			5. जयतिया हिलस	

1	2	3	4	5
14.	नागालैंड	7	1. कोहिमा	
			2. मोकोकचुग	6-6-78
			3. फेक	
			4. तयूनसेन्ग	
			5. मोन	13-8-79
			6. जुनहबोटा	
			7. वोखा	
15.	उड़ीसा	13	1. बोलनगिर	11-4-78
			2. बालासौर	,,
			3. कटक	,,
			4. धेनकेनाल	,,
			5. गंजम	2-5-78
			6. कालाहन्डी	11-4-78
			7. कोरापुर	,,
			8. केवनझार	,,
			9. मयूरगंज	,,
			10. फुलबानी	,,
			11. पुरी	2-5-78
			12. सम्भंलपुर	11-4-78
			13. सुन्दरगढ़	2-5-78
16	पंजाव	12	1. होशियारपुर	23-9-78
			2. संगरूर	
			3. भटिण्डा	
			4. गुरदासपुर	
			5. जालन्धर	
			6. अमृतसर	
			7. लुधियाना	
			8. पटियाला	
			9. रोपर	
			10. फिरोजपुर	
			11. कपुरथला	11-10-79
			12. फरीदकोट	

1	2	3	4	5
17.	राजस्थान	26	1. अलवर	20-2-79
			2. बांसवाड़ा	
			3. भीलबाड़ा	
			4. चुरू	
			5. झालबाड़	
			6. जोधपुर	
			7. नागौर	
			8. टोंक	
			9. उदयपुर	
			10. जयपुर	20-2-79
			11. अजमेर	
			12. कोटा	
			13. बिकानेर	
			14. भरतपुर	
			15. पाली	
			16. श्री गंगानगर	
			17. चित्तौड़गढ़	
			18. सिकार	
			19. दीनगड़पुर	
			20. बारोड़	
			21. जयसलमेर	26-2-80
			22. जालोर	
			23. सिरोही	
			24. बूंदी	
			25. झूनझूनू	
			26. सवाई माधोपुर	
18.	सिक्किम	1	1. पश्चिमी जिला	23-5-78
19.	तमिलनाडु	14	1. चिंगलपुट	
			2. धर्मपुरी	
			3. करुणकुमारी	
			4. रामनाथपुरम	
			5. पुधकोटइ	20-6-78
			6. समील	

1	2	3	4	5
			7. साउथ अरकोट	
			8. तिरुनयवेली	
			9. कोयम्बटूर नीलगिरी को भी शामिल करके)	19-3-78
			10. पेरियर	
			11. मदुरई	
			12. नार्थ अरकोट	
			13. तिरुचिरापल्ली	10-3-79
			14. तनजाबुर	
20.	त्रिपुरा	3	1. त्रिपुरा नार्थ	
			2. त्रिपुरा साउथ	26-7-78
			3. त्रिपुरा वेस्ट	
21.	उत्तर प्रदेश	56	1. इलाहाबाद	
			2. अलमोड़ा	
			3. बलिया	15-4-78
			4. देवरिया	
			5. फतेहपुर	
			6. गाजियाबाद	
			7. झांसी	
			8. लखनऊ	
			9, मथुरा	
			10. मुरादाबाद	15-4-78
			11. रायबरेली	
			12, सहारनपुर	
			13. उन्नाव	
			14. देहरादून	
			15. बस्ती	
			16. फैजाबाद	
			17. ललितपुर	
			18. जौनपुर	
			19, आजमगढ़	
			20. देहराइच	

1	2	3	4	5
			21. सुल्तानपुर	
			22. शाजहानपुर	
			23. वधौर	
			24. बुलंदशहर	
			25. एटा	
			26. पौरी गढ़वाल	
			27. छमोली	
			28. गोंडा	
			29. नैनीताल	
			30. टेहरी गढ़वाल	
			31. उत्तर काशी	
			32. पिथौरागढ़	
			33. जालौन	
			34. बाँदा	
			35. हमीरपुर	
			36. गोरखपुर	
			37. प्रत्तापगढ़	
			38. मिरजापुर	
			39. वाराणसी	
			40. अलीगढ़	
			41. आगरा	
			42. इटावा	
			43. पिलीभीत	--9
			44. फरुखाबाद	
			45. बरेली	
			46. बिजनौर	
			47. मुजफ्फर नगर	
			48. मेरठ	
			49. मैनपुरी	
			50. रामपुर	
			51. गाजियाबाद	29.3.79
			52. कानपुर	
			53. बाराबकी	
			54. लखिमपुर	
			55. सीतापुर	
			56. हरदोई	

1	2	3	4	5
22.	पश्चिम बंगाल	15	1. बंकपुरा	
			1. बीरभूमि	
			3. बरदवान	13.4.78
			4. कोच बिहार	
			5. दार्जिलिंग	
			6. हुगली	
			7. हावड़ा	8-5-78
			8. जलपाइगुड़ी	
			9. मालदा	
			10. मिदनापुर	
			11. मुर्शिदाबाद	
			12. नादिया	
			13. पुरलिया	
			14. पश्चिमी दीनजपुर	
			15. 24-परगना	
23.	अरुणाचल प्रदेश	5	1. कमेगा	
			2. लोहित	
			3. सुबानसिरी	12-3-78
			4. सेइंग	
			5. तिरप	
24	मिजोरम	2	1. ऐजावल (सतना को भी शामिल करके)	22.4.78
			2. लुगलेड	
25.	पाडिचेरी	1	1. पांडिचेरी (करैयकल, मेह और यनम जिला सहित)	15-4-78
26.	गोवा, दमन् और द्वीप	1	1. समस्त केन्द्र शासित प्रदेश (दमन और दीव जिला सहित)	16-4-78
27.	दादरा और नागर हवेली	1	1. सिलवासा	25-5-78
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1. आ० और नि० द्वीप समूह (निकोबार को भी शामिल करके)	7-6-78
29	चंडीगढ़		1. चंडीगढ़	22-3-78
कुल		382		

आर्डर न मिलने से भारी इंजीनियरिंग निगम में संकट

1215. **श्री आर० के० महालगी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम रांची (बिहार) निरन्तर आर्डर न मिलने के कारण घाटे में चल रहा है;

(ख) क्या उक्त निगम स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड से पर्याप्त आर्डर नहीं ले सका क्योंकि निगम स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के डिजाइन विंग, मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (मीकान) उनके साथ स्पर्धा में सफल नहीं हो सका;

(ग) क्या यह सच है कि 'मेकान' का किसी अमरीकी फर्म के साथ उनुबंध है;

(घ) क्या निगम ने अपनी ही परामर्श सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव पेश किया था, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उसका अनुमोदन करेगी; और

(ङ) क्या निगम सोवियत रूस के सहयोग से अन्य देशों में परियोजनायें स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है और यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि सोवियत रूस की सरकार भारी इंजीनियरिंग निगम के उपकरणों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय दरों से कम पर भुगतान कर रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) 1979-80 में इसके लगभग 50 करोड़ रु० के बिक्री योग्य उत्पादन की तुलना में अप्रैल, 1980 के शुरू में भारी इंजीनियरी निगम के पास लगभग 206 करोड़ रु० मूल्य के क्रयादेश थे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र से और सोवियत संघ को या सोवियत रूस की सहायता प्राप्त तीसरे देशों की परियोजनाओं को निर्यात करने के लिए पर्याप्त क्रयादेश मिलने वाले हैं। अतः क्रयादेशों की कमी अपने कार्य में सुधार लाने में समर्थ होने के लिए भारी इंजीनियरी निगम के मार्ग में बड़ी अड़चन नहीं है।

(ख) सेल के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र की सो आर जी औ परियोजना, सेलम इस्पात संयंत्र आदि के लिए उपकरणों की सप्लाई हेतु भारी इंजीनियरी निगम ने दरें प्रस्तुत की थीं। भारी इंजीनियरी निगम को मेकोन के साथ ही नहीं बल्कि अन्य सम्भरणकर्ताओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। सेलम इस्पात संयंत्र के लिए एक क्रयादेश प्राप्त करने में भारी इंजीनियरी निगम सफल रहा।

(ग) मेकोन ने रोलिंग मिल और सहायक उपकरणों के डिजाइन और सम्भरण के लिए 1969 में यू. एस. ए. को वीन यूनाइटेड के साथ एक सहयोग करार किया था। इस करार की अवधि 1 अप्रैल, 1969 से 10 वर्षों के लिए थी और यह 31-3-79 को समाप्त हुआ। इसे 10 वर्ष की अग्रेतर अवधि तक बढ़ाने के लिए मेकोन का आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) तीसरे देशों में रूसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए इस्पात संयंत्र उपकरणों की सप्लाई के लिए भारी इंजीनियरी निगम को सोवियत रूप से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। जो मूल्य प्राप्त हुए हैं वे आमतौर पर प्रतियोगी हैं और पार्टियों के बीच बातचीत के जरिए मूल्यों को निश्चित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग का एक परीक्षण-केन्द्र खोलना

1216. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, संघ लोक सेवा आयोग का एक परीक्षा केन्द्र छत्तीसगढ़ में खोलने के बारे में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ निवासियों को बहुत पहले से चली आ रही मांग पर पुनर्विचार करेगी क्योंकि छत्तीसगढ़ क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिये नागपुर बहुत दूर पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक अंतिम रूप दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) (क) से (ग) : संघ लोक सेवा आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसे परीक्षाएं लेने के लिए पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है और वह जिस ढंग से परीक्षा लेना चाहें, ले सकता है। आयोग, विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर जैसे, स्थान की उपलब्धता, आवश्यक पर्यवेशी कार्मिक, संचार सुविधाएं तथा परीक्षाओं के सुरक्षित तथा सुचारू रूप से संचालन के लिए अन्य आवश्यक प्रबन्धों के आधार पर परीक्षा केन्द्र खोलता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कोई केन्द्र खोलने के प्रश्न पर आयोग द्वारा उस समय विचार किया जाएगा जब वह परीक्षा केन्द्रों की वर्तमान सूची में वृद्धि करने पर विचार करेगा। इसमें अन्तर्ग्रस्त विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए आयोग के लिए यह बताना सम्भव नहीं है कि वह किस समय तक इस सन्बन्ध में कोई निर्णय ले लेगा।

कोचीन हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन और कारों के खड़े करने का कम्पलैक्स बनाने के लिए भूमि का अन्तरण

1217. **श्री जी. एस. बनातवाला** : क्या **रक्षा मन्त्री** कोचीन हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन तथा कारों के खड़े करने के कम्पलैक्स के लिए भूमि के अन्तरण के बारे में 19 मार्च, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 130 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जारी किये गये अनुदेशों के अनुसरण में, कोचीन हवाई अड्डे के विकास के लिए नौसैनिक प्राधिकारियों से अपेक्षित भूमि नागर विमानन प्राधिकारियों को अन्तरित कर दी गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो अपेक्षित भूमि के शीघ्र अन्तरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त अन्तरण वास्तव में कब तक किया जायेगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) (क) और (ख) नागरिक विमानन प्राधिकारियों के 2.65 एकड़ भूमि 2.4.1980 को दे दी गई थी ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम

1218. **डा. वसन्त कुमार पंडित** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रधान कार्यक्रमों का समावेश करने वाली ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संसाधनों के विशेष आवंटन के लिए विशेषकर पिछड़े जिलों में क्षेत्रों का चयन कर दिया है; और

(घ) ग्रामीण रोजगार के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए क्या व्यवस्था है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) : 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वियन के लिए इस समय एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

(ख) : इस कार्यक्रम के ब्यौरे छठी योजना के आधारस्वरूप के भाग के रूप में अभी तैयार किए जा रहे हैं, यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीब लोगों की आर्थिक दशाओं को सुधारने पर पूर्ण रूप से केंद्रित होगा । इसका उद्देश्य, एक ओर, लक्षियत समूहों के लिए प्रशिक्षण और निश्चित ऋण की उपयुक्त स्कीमों द्वारा समर्थित, अधिक आय के सृजन और स्व-रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना होगा ओर, दूसरी और, कम रोजगार के मौसम में ग्रामीण गरीब लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर देने के लिए मजदूरी के रूप में खाद्यान्न के साथ एक सुव्यवस्थित योजनाबद्ध ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम इसके पूरक कार्यक्रम के रूप में होगा ।

(ग) : संसाधनों के विशेष आवंटन के लिए, देश के पहाड़ी क्षेत्रों में 12 जिले, 4 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में फैले हुए पश्चिमी घाट क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों में 114 जिले, 74 सूखा-प्रवृत जिले और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 जिले निर्धारित किए गए हैं । इसके अलावा, योजना आयोग द्वारा स्थापित एक समिति, अर्थात् पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंध राष्ट्रीय समिति, पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिए मापदण्ड और उनके विकास के लिए कार्यनीतियां निश्चित करने के प्रश्न पर इस समय विचार कर रही है ।

(घ) : 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए आधार स्वरूप और लक्ष्य इस समय तैयार किए जा रहे हैं । तथापि, लघु कृषक विकास अभिकरण और एकीकृत ग्रामीण विकास के गरीबी को दूर करने के इस समय चल रहे इन दो कार्यक्रमों के अंतर्गत 1980-

81 में सहायता दिए जाने वाले परिवारों के लक्ष्य क्रमश: 2,70 लाख और 10 लाख परिवार हैं। 1980-81 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए धनराशि की वर्तमान व्यवस्था संलग्न विवरण में बताई गई है।

विवरण

(लाख रु.)

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम–1980-81––
अनुमोदित परिव्यय अखिल भारतीय

1–ग्रामीण विद्युतीकरण	4737,0
2–ग्रामीण सड़कें	14834,0
3–प्रारंभिक शिक्षा	10114,2
4–प्रौढ़ शिक्षा	1194,3
5–ग्रामीण स्वास्थ्य	6266,9
6–ग्रामीण जल पूर्ति	19443,0
7–ग्रामीण भूमिहीनों के लिए आवास	4957,5
8–पोषाहार	2456,7
जोड़:	64003,6

विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक दशा का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों की बैठक

1219. **डा. बसंत कुमार पंडित :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक दशा के अनुकूल एक सामान्य विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिये हाल ही में नई दिल्ली में विकासशील देशों के वैज्ञानिकों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने उसमें भाग लिया;

(ग) उक्त बैठक में की गई सिफारिशों/निकले निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उनके क्रियान्वयन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) भारत को इससे कहाँ तक लाभ मिलेगा ;

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) (क) "विकास के लिए वैकल्पिक नीतियाँ" पर परियोजना विकास की एक बैठक एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स ऑफ एशिया ऐन्ड पैशिफिक (ए. डी. आई. पी. ए.) के तत्वाधान में 25-28 फरवरी,

1980 को हुई । इसमें सी. एस. आई. आर. का रूप एक प्रथप्रदर्शक संस्थान का था । इस बैठक का उद्देश्य विकासशील देशों के भाग लेने वाले संस्थानों के अनुसंधान प्रस्तावों पर वार्ता करना और इस क्षेत्र के देशों के संगत विकास की सामान्य रूपरेखा तैयार करना था ।

(ख) भारत और ए डी आई पी ए सचिवालय के अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नकित देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ;

इन्डोनेशिया

बंगलादेश और

नेपाल

(ग) विविध सहयोगी संस्थानों द्वारा पेश अनुसंधान प्रस्तावों पर वार्ता और समीक्षा के उपरांत भाग लेने वालों ने एक मत से महसूस किया कि एक ही दृष्टि कोण और समझ वाली व्यापक परियोजना का विकास करना उपयुक्त रहेगा । यह संस्तुति की गई कि विकास का एक ही ढांचा होना चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रस्तावों को संशोधित किया जा सके । भाग लेने वाले संस्थाओं को उनके परियोजना प्रस्तावों को संशोधित करने को कहा गया । सी एस आई आर ने "उपयुक्त प्रौद्योगिकी-इसकी उत्पत्ति, संचालन और विकासशील देशों पर इसके प्रभाव" नामक परियोजना तैयार की है जिसे इसके विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन केंद्र द्वारा पूरा किया जाएगा ।

(घ) भारत किस सीमा तक लाभान्वित होगा, इस प्रकार है :–

1. इससे विकास की नीतियों वाले क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी क्योंकि मुख्य निवेश देश प्रदान करेगा ।
2. विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा ।
3. इससे इस क्षेत्र के देशों की विकास नीतियों का आकलन और तुलना विश्व के अन्य भागों में लागू विकासनीतियों से करना संभव हो सकेगा ताकि हमारी अपनी तकनीकें और भी उन्नत की जा सकें ।

भारत-अमरीकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी उप आयोग की बैठक

1220. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी उप-आयोग की एक बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं और उसमें क्या निर्णय विशेष रूप से सौर परियोजनाओं के संदर्भ में लिये गये हैं; और

(ग) उप-आयोग के सम्मुख विचाराधीन शेष परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिये कब तक लिये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ! विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-अमरीकी उपआयोग की पांचवीं बैठक 28-29 फरवरी, 1980 को नई दिल्ली में हुई थी ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण–1 में दिए गए हैं । दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के नाम विवरण-2 में दिए गए हैं ।

(ग) लागू नहीं होता, क्योंकि उप-आयोग परस्पर हित के क्षेत्रों/प्राथमिकताओं का अभिनिर्धारण करता है, प्रायः विशिष्ट विषयों पर आयोजित कार्यशालाओं के आधार पर परियोजनाएँ तैयार की जाती हैं और सु-निर्धारित पद्धतियों के अनुसार इन परियोजनाओं पर पृथक-पृथक आगे कार्यवाही की जाती है ।

विवरण

सहयोग के वर्तमान क्षेत्रों, कार्यशालाओं का आयोजन करने और परियोजनाएं तैयार करने के कार्यों में हुई प्रगति की सामान्य तौर पर समीक्षा करने और सहयोगात्मक कार्यक्रमों के वित्तीयन से सम्बद्ध पद्धति संबंधी पहलुओं पर विचार करने के अतिरिक्त, उप-आयोग ने उपयोगी सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों, विशिष्ठ परियोजनाओं का अभिनिर्धारण करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने, सूचना का विनिमय करने तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में एक देश से दूसरे देश में वैज्ञानिकों के दौरों की सिफारिश की है :

—चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान

क्षेत्र उर्वरता विनियमन, संचरणीय रोग, महामारी विज्ञान, पोषण, व्यावसायिक स्वास्थ्य, इत्यादि ।

—ऊर्जा

भारतीय परिस्थितियों के लिए संगत निम्नलिखित तीन प्रस्ताव तैयार किये गए :

(1) अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके विकेन्द्रीयकृत ऊर्जा प्रणाली का विकास एवं अनुप्रयोग ।

(2) कृषि उत्पादों के लिए सौर शुष्कन प्रणालियाँ

(3) ग्रामीण एवं औद्योगिक अनुप्रयोग के लिये मध्यम तापमान, उच्च दक्षता वाले ट्रेकिंग और नान-ट्रेकिंग सौर ऊर्जा संग्राहक ।

भारतीय पक्ष की ओर से प्रस्ताव संख्या । का सभी दृष्टियों से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और अमरीकी पक्ष की ओर से इसी प्रकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। दूसरे दो प्रस्ताव आगे की कार्यवाही की अंतिम अवस्था में हैं । ऊर्जा के क्षेत्र में जिन दूसरे क्षेत्रों पर आगे विचार करने और परियोजनाएं तैयार करने की सिफारिश की गई है उनमें ऊर्जा वानिकी, जैव-भार रूपान्तरण, सौर तापीय और प्रकाश-वोल्टीय उपकरणों के परीक्षण और मानकीकरण, इत्यादि को शामिल किया गया है ।

—आधुनिक प्रकाशिकी, सामग्री विज्ञान, माप विज्ञान और इलैक्ट्रानिकी

उच्च विभेदन स्पेक्ट्रमिकी, सैमी कन्डक्टर उपकरणों के लिये क्रमवीक्षक इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी यंत्र के अनुप्रयोग, इत्यादि ।

—(क) भूमि और वायूमंडलीय विज्ञान

रासायनिक धात्विकी और खनिज प्रक्रियन, ओज़ोन संबंधी विश्वव्यापी समस्यायें, स्थलानुरेख विवर्तनिकी, इत्यादि ।

—(ख) पर्यावरण और पारिस्थितिकी

अन्यजीवन, (प्राणिजात) पर आविषाक्तों के प्रभाव और पादप प्रणालियों पर प्रदूषकों के प्रभाव, एयर क्वालिटी माडलों और क्रांतिक क्षेत्रों का विकास, इत्यादि ।

—सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी

मिनी कम्प्यूटरों और माइक्रोप्रोसैसरों का इस्तेमाल करके नमूना सर्वेक्षण के लिए क्रिया पद्धतियों और पैकेजों का अभिकल्पन और विकास, कम्प्यूटर संचार जाल के क्षेत्र में अध्ययन, इत्यादि ।

—समुद्र विज्ञान

उपग्रह बिम्बावली (दृश्यावली) और मौनसून और महासागरीय परिसंचरण, आदि के सन्दर्भ में मात्स्यकी अध्ययन, इत्यादि ।

विवरण-2

भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य

1. प्रो० एम० जी० के० मेनन ... नेता
सचिव,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं महा
निदेशक,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्,
नई दिल्ली ।

2. डा० ओ० पी० गौतम,
महा निदेशक,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
कृषि भवन,
नई दिल्ली ।

3.	डा० वी० रामलिंगास्वामी महा निदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी अंसारी नगर, नई दिल्ली ।	... संयोजक कार्यदल 1 (चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान)
4.	श्री महेश्वर दयाल, सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ।	... संयोजक कार्यदल 2 (ऊर्जा)
5.	प्रो० ई० सी० सुब्बाराव, धातु विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आई. आई. टी. पोस्ट आफिस, कानपुर—208 016	... संयोजक कार्यदल 3 (आधुनिक प्रकाशिकी, सामग्री विज्ञान, माप विज्ञान और इलैक्ट्रानिकी)
6.	प्रो० जय कृष्ण, 61, सिविल लाइन, रुड़की—247 667.	... संयोजक कार्यदल 4 (भूमि विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी)
7.	डा० के. सी. सियाल, निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली ।	... संयोजक कार्यदल 5 (सूचना विज्ञान)
8.	प्रो० डी० लाल, निदेशक, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद ।	... संयोजक कार्यदल 6 (समुद्री विज्ञान)
9.	डा० बी० शंकरन, महा-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।	

10. श्री टी० आर० सतीशचन्द्रन,
सलाहकार (ऊर्जा)
योजना आयोग,
योजना भवन,
नई दिल्ली ।

11. प्रो० सी० एस० झा,
शिक्षा सलाहकार,
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली ।

12. श्री एस० वी० एस० जुनेजा,
संयुक्त सचिव,
वित्त मंत्रालय,
(आर्थिक कार्य विभाग),
नई दिल्ली ।

13. श्री पी० पी० डी० सूजा,
संयुक्त सचिव,
विदेश मंत्रालय,
साउथ ब्लाक,
नई दिल्ली ।

14. प्रो० बी० रामाचन्द्र राव,
उपाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110002.

15. श्री के० एन० जोहरी,
प्रधान, अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान सहयोग,
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
रफी मार्ग,
नई दिल्ली 110001

16. डा० पी० जे० लवाकरे,
परियोजना समन्वयक,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,
नई दिल्ली ।

17. डा॰ आर॰ डी॰ देशपांडे,
वैज्ञानिक सहचारी,
भारतीय दूतावास,
वाशिंगटन डी. सी.

अमरीकी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य

1. एम्बेसेडर टामस आर॰ पिकरिंग ... नेता
असिस्टैंट सेक्रैटरी,
ब्यूरो आफ ओशन्स एन्ड इंटरनेशनल
एन्वायरन्मेन्टल एन्ड साइंटिफिक अफेयर्स (ओ॰ ई॰ एस),
डिपार्टमेंट आफ स्टेट ।

2. श्री क्रेग बैक्स्टर, ओ॰ ई॰ एस॰ ।

3. श्री जान वैस्टले,
डिपुटी चीफ,
प्रोग्राम आफिस,
यू॰एस॰ए॰आई॰डी॰/नई दिल्ली ।

4. डा॰ राबर्ट कसाडी,
एक्टिंग डायरेक्टर,
फार ईस्टर्न रीजनल रिसर्च आफिसर (एफ॰ई॰आर॰आर॰ओ॰),
यू॰ एस॰ डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर,
नई दिल्ली ।

5. डा॰ डैविडमैकहैफे,
आसिस्टेंट डायरेक्टर,
एफ॰ई॰आर॰आर॰ ओ ।

6. डा॰ पीटर हेडमान,
प्रोग्राम एनालिस्ट,
नेशनल ब्यूरो आफ स्टैन्डर्ड,
यू॰ एस॰ डिपार्टमेन्ट आफ कामर्स ।

7. डा॰ गैरार्ड बर्ट्रेन्ड,
चीफ,
इन्टरनेशनल अफेयर्स,
यू॰ एस॰ फिस एन्ड बाइल्ड लाइफ सर्विस,
यू॰ एस॰ डिपार्टमेन्ट आफ इंटीरियर ।

8. श्री डेविड फरगूसन,
मैम्बर,
इन्टरनेशनल स्टाफ, एफ० डब्ल्यू० एस०

9. डा० डेविड ट्रागर,
बाइल्ड लाइफ रिसर्च स्टाफ, एफ० डब्ल्यू० एस०

10. डा० हैनरी फोले,
एडसिनिस्ट्रेटर,
हैल्थ रिसोर्सिज एडमिनिस्ट्रेशन,
पब्लिक हैल्थ सर्विसिज,
डिपार्टमेन्ट आफ हैल्थ, एजुकेशन एन्ड वैल्फेयर (डी० एच० ई० डब्ल्यू०)

11. डा० डार्ल स्टीफन्स,
डायरेक्टर,
आफिस आफ इंटरनेशनल अफेयर्स, एच० आर० ए०

12. कुमारी लिंडा वोगल,
स्पैशल असिस्टैंट,
आफिस आफ इन्टरनेशनल हैल्थ,
पब्लिक हैल्थ सर्विसिज,
डिपार्टमैन्ट आफ हैल्थ एजूकेशन एंड वेल्फेयर (डी० एच० ई० डब्ल्यू)

13. डा० कार्ल वैस्टर्न,
नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एलर्जी एंड इन्फक्शंस डिजीजिज,
डिपार्टमैंट आफ हैल्थ, एजूकेशन एंड वैल्फेयर (डी० एच० ई० डब्ल्यू)

14. डा० विलियम जे० एश,
प्रोग्राम एसोसिएट,
डिविजन आफ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स,
नेशनल साइंस फैंडेशन, एन० एस० एफ०

15. डा० ओस्मान ए० शिनाईशिन,
प्रोग्राम मैनेजर, अफ्रीका एन्ड एशिया सैक्शन,
डिवीजन आफ इन्टरनेशनल एन्ड प्रोग्राम्स, एन० एस० एफ०

16. डा० मार्टिन मोइनहान,
स्मिथसोनियन इनस्टीट्यूट

17. श्री टामस जे० लेपाइन,
चीफ,
साइंटिफिक एक्टीविटीज ओवरसीज प्रोग्राम,
यू० एस० एन्वायरेन्मेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ।

18. प्रो० रोजेन रेवेले,
प्रोफेसर आफ साइंस एंड पब्लिक पालिसी,
यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया,
सान डियागो ।

19. डा० टामस व्रेबालोविच,
कौंसलर फार सांइटिफिक एंड टैक्नोलौजीकल अफैयर्स,
अमेरिकन एम्बैसी,
नई दिल्ली ।

20. डा० वेनिस ओ० जानसन,
साइंटिफिक एन्ड टैक्नोलोजीकल अफेयर्स,
अमेरिकन एम्बेसी,
नई दिल्ली ।

21. श्री जोर्ज कैप्लान,
यू० एस० डिपार्टमेंट आफ एनर्जी

मंत्रालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त हिन्दी अधिकारी

1221. **श्री टी. एस. नेगी :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों और उनके सम्बद्ध कार्यालयों में तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हिन्दी अधिकारियों को जून 1980 तक कार्य करते रहने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके लिये संवर्ग बनाये जाने में अभी अधिक समय लगने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का वर्तमान समय में तदर्थ रूप से नियुक्त हिन्दी अधिकारियों को एक वर्ष और अथवा संवर्ग बनाये जाने तक जो कोई भी पहले आता हो, तक अपने पदों पर कार्य करते रहने के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके निर्देश जारी करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) आदेश जारी किये जा रहे हैं कि उन व्यक्तियों को जो ऐसे पदों पर कार्य कर रहे जिनके प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सम्मिलित होने की संभावना है और जिनकी सेवायें संतोषजनक पाई गई हैं वित्त मंत्रालय से परामर्श करके और जहां आवश्यक हो संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के बनने अथवा 31 दिसम्बर, 1980 तक जो कोई भी पहले आता हो, अपने अपने पदों पर बने रहने के लिये अनुमति दी जाय ।

मंत्रालयों में हिन्दी के पदों के लिये कर्मचारी व्यवस्था निर्धारित करना

1222. **श्री टी. एस. नेगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत सरकार के मंत्रालयों और उनके सम्बद्ध कार्यालयों के प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या के आधार पर हिन्दी के पदों के लिए एक कर्मचारी व्यवस्था (स्टार्पिंग पैट्रन) को निर्धारित किए जाने के सुझाव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में आदेशों को कब तक जारी कर दिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान ।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी पदों के सृजन के लिए उचित मानक निर्धारित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा है । इस विषय पर निष्कर्षों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

भारत तिब्बत सीमा पर विदेशी व्यक्ति

1223. **श्री टी. एस. नेगी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-तिब्बत सीमा पर हाल में कुछ विदेशियों को देखा गया है; और

(ख) उस सीमा से विदेशी नागरिकों के प्रवेश करने पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) ऐसे तीन मामले गत तीन महीनों के दौरान ध्यान में आए थे । भारत तिब्बत सीमा के साथ सतर्कता बनाये रखने के लिए और विदेशी नागरिकों से उपयुक्त रूप से निपटने के लिए जो सीमा पार करने की कोशिश करते हैं चैकपोस्ट स्थापित की गई है ।

योजना आयोग के पास विचाराधीन पड़ी रेल, परिवहन तथा उर्जा विकास संबंधी परियोजनाओं की संख्या

1124. **श्री राजेन्द प्रसाद यादव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के पास रेल, परिवहन तथा ऊर्जा विकास संबंधी कितनी योजनाएं विचाराधीन पड़ी हैं तथा कब से पड़ी हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) वांछित सूचना दिनांक 12-6-1980 तक यथा उपलब्ध रूप में संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	विषय	प्रस्ताव की प्राप्ति का दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4
1. रेल			
1.	दिल्ली-अहमदाबाद के बीच छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन	सितम्बर, 1979	जांच की जा रही है।
2.	करुर-तूतीकोरिन के बीच रेल लाइन	मई, 1980	जांच की जा रही है।
3.	दईतरी-बंसापानी के बीच रेल लाइन-चरण-2	मार्च, 1980	जांच की जा रही है।
4.	रायदुर्ग-चित्रदुर्ग बड़ी लाइन	मई, 1980	जांच की जा रही है।
5.	तैलपुर से पटनचेरू तक बड़ी रेल लाइन	12 जून, 1980	जांच की जा रही है।
6.	इस समय दसगांव तक निर्माणाधीन आप्टा रोहा नई बड़ी रेल लाइन का विस्तार	जून, 1980.	जांच की जा रही है।
2. परिवहन (रेल के अलावा)			
1.	सामान्य और भारी माल शायिका का निर्माण और माल गोदाम का निर्माण विशाखापट्टनम पत्तन	6-6-1980	जांच की जा रही है।

1	2	3	4
	2. स्थायी तेल जेटी का निर्माण-125 लाख रु० के लिए परिशोधित लागत अनुमान की मंजूरी-तूतीकोरिन	7-6-1980	जांच की जा रही है।
	3. उप तट के लिए टन की खरीद-नया मंगलौर पतन	10-6-1980	जांच की जा रही है।
	3. ऊर्जा		
	1. यू० पी० डी० सी० के साथ थीन बांध बहु-उद्देशीय परियोजना-चरण 2-पा-बिजली (4×120+3×15 मै० वा०, पंजा)ब	अप्रैल, 1979	निम्नलिखित के बारे में विद्युत विभाग ये स्पष्टीकरण के लिए लिखा गया है :- (1) परियोजना का संगठन, प्रबन्ध और धनराशि की व्यवस्था। (2) सिंचाई और विद्युत के बीच लागत का उपयुक्त आवंटन (3) अन्तर्राज्जीय प्रश्न।
	2. नागार्जुन सागर पम्प संचयन स्कीम चरण 2 (3×100 मै० वा० आंध्र प्रदेश	फरवरी,1980	राज्य ने नागार्जुन सागर पम्प संचयन स्कीम-चरण 2, श्रीसेलम विस्तार पांचमपाद पन-बिजली, भद्राचलम तापीय, आदि जैसी कई स्कीमों को 1980-81 में शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। राज्य सरकार को 1980-81 के वर्ष में ऐसी शुरूआत के लिए उपलब्ध धनराशि के भीतर 1980-81 में शूरूआत करने के लिए उनके द्वारा परिकल्पित इन स्कीमों के बीच प्राथमिकता के संबंध में लिखा गया है।
	3. राजस्थान नहर की अनूपगढ़ शाखा पर पन-बिजली घर (6×1.5 म० वा०) राजस्थान	मई, 1980	इस स्कीम के लिए धनराशि की उपलब्धता की जांच की जा रही है।

1	2	3	4
	4. जम्मू और कश्मीर में दुल-हस्ती परियोजना	12-6-1980	जांच की जा रही है ।
	5. ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए अर्वेषण और अध्ययन	12-6-1980	मूल्यांकन किया जा रहा है ।
	6. कोल इंडिया लि० की खानों के लिए आवद्ध गैस टर्बाइन	2-6-1980	अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।
	7. सतपुड़ा खान 1 और 2 का परिशोधन वेस्टर्न कोल्स लि०	12-6-1980	अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।
	8. उत्तरी अमलाबाद, भारत कोकिंग कोल लि०	12-6-1980	अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।
	9. इस्टर्न कोल लि० की कुमार दीही कोयला खान के पुनर्गठन के लिए साध्यता रिपोर्ट	25-2-1980	शिल्प विज्ञान, खान सुरक्षा और पूंजी लागत से संबंधित प्रश्नों पर अन्तर-मंत्रालयीन दल की बैठक में विचार-विमर्श किया जाना है ।
	10. सेंट्रल कोल लि० की राय-बेचरा(पुनर्गठन) भूमिगत परियोजना के लिए साध्यता रिपोर्ट ।	5-5-1980	–वही–
	11. सेंट्रल कोल लि० की धोरी पश्चिम खुली खान परियोजना	23-1-1980	विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीन दल की दिनांक 21-5-1980 की बैठक हुई थी । मूल्यांकन टिप्पणी को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।
	12. सेंट्रल कोल लि० की चुनी हुई धुरी खुली खान	27-10-1980	–वही–

1	2	3	4
13.	सेंट्रल कोल लि० की लेयो कोयला खान (भूमिगत) के लिए साध्यता रिपोर्ट	15-5-1980	खनन की पद्धति निर्धारित करने के उद्देश्य से सरकारी उद्यम ब्यूरो के सुझाव के अनुसार कोयला खान अनुसंधान केन्द्र द्वारा मापांक परीक्षण किए जाने हैं।
14.	सेंट्रल कोल लि० की निगाही (सिंगरौली) के संबंध में अग्रिम कार्य प्रस्ताव	15-4-1980	प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए एक अन्तर-मंत्रालीय दल की बैठक की जानी है।
15.	सेंट्रल कोल लि० की रामगढ़ खुली खान	15-5-1980	इस परियोजना का परियोजना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकन किया गया था और इसे 41 करोड़ रु० की पूंजी लागत से सरकारी निवेश बोर्ड द्वारा 1977 में अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना संबंधी कोई बड़ा निर्माण-कार्य नहीं किया गया है और लगभग 80 करोड़ रु० की अनुमानित पूंजी लागत से साध्यता रिपोर्ट फिर से भेजी गई है। इसके प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीन दल की बैठक जुलाई, 1980 में की जाएगी।
16.	सेंट्रल कोल लि० के अन्तर्गत सिंगरौली में केन्द्रीय वर्कशाप	27-10-1979	विभिन्न विकल्पों की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है जिसमें तकनीकी विकास के महानिदेशक, भारी इंजीनियरी निगम सरकारी उद्यम ब्यूरो, कोल इंडिया लि० और डीजल लोको वर्क्स के प्रतिनिधि सदस्य हैं।
17.	सेंट्रल कोल लि० की चूरी भूमिगत खान	22-9-1979	रेल लाइन और आधारिक संरचना संबंधी सुविधाओं के प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।
18.	बीने कोयला निर्माण संयंत्र	3-4-1980	कोयले की बिक्री की कीमत के प्रश्न को तय किया जाना है।

1	2	3	4
19.	संबद्ध करणपुरा कोयला खान का पुनर्गठन, सेन्ट्रल कोल लि०	27-10-1979	तकनीकी परिमापकों और खनन सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार किया जाना है।
20.	श्रीराम पुर संख्या 2-क इक्लाइन के लिए साध्यता रिपोर्ट, साउथ सेंट्रल कोल लिमिटेड	15-5-1980	जांच की जा रही है।
21.	गोदावरी खानी संख्या 7 इन्क्लाइन, के लिए यांत्रिक लंबी दीवार विद्युत आधार के लिए साध्यता रिपोर्ट, साउथ सेंट्रल कोल लि०	2-6-1980	जांच की जा रही है।
22.	कोलेटी संख्या 2 इन्क्लाइन के साध्यता रिपोर्ट, साउथ सेंट्रल कोल लि०	15-5-1980	जांच की जा रही हैं।
23.	भूमिगत धानपुरी, वेस्टर्न कोल लि०	16-4-1980	19-6-80 को होने वाली अंतरमंत्रालयीन दल की बैठक में कुछ मामलों में स्पष्टीकरण मांग जाना है।
24.	गोविंदा कोयला खान, वेस्टर्न कोल लि०	16-4-1980	
25.	शिवपुरी खुली खान विस्तार, वेस्टर्न कोल लि०	16-4-1980	
26.	छिंदा कोयल खान, वेस्टर्न लि०	3-4-80	सूचना 24-5-1980 को प्राप्त हुई थी। मूल्यांकन टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1	2	3	4
27.	सिलेवारा विस्तार, वेस्टर्न कोल लि०	9-3-1979	सिलेवारा परियोजना मूलतः 1973 में 8.5 लाख टन के उत्पादन के लिए 8.19 करोड़ रु. की लागत में मंजूर की गई थी। 1978 में, वेस्टर्न कोल लि. ने सिलेवारा विस्तार के लिए परिशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी लागत 17.23 करोड़ रु. थी और माध्यक प्रावस्था 4.5 लाख टन वार्षिक उत्पादन की थी जिसकी लागत 12.24 करोड़ रु. थी। खान कार्य प्रणाली की जल भूगर्भीय और अन्य समस्याओं का अध्ययन करने और उन्हें हल करने के लिए उपाय सुझाने के लिए अन्तर मंत्रालयीन दल ने 4-5-1979 को एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। इस दल ने सितंबर, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट पर 21-4-80 को हुई अन्तर-मन्त्रालयीन दल की बैठक में विचार विमर्श किया गया। सूचना 24-5-80 को प्राप्त हुई है। टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
28.	पथेरखेरा खान-I पर विद्युतीय आधारस्वरूप का शुरू किया जाना, वेस्टर्न कोल लि०	10-8-1979	19-10-1979 और 21.4-1980 को हुई अन्तरमंत्रालयीन दल की बैठक में विभिन्न प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया। बागडोना सीम कोयले के केकन गुणों का पता लगाने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं। केकन गुण परीक्षणों के परिणाम उपलब्ध होने के बाद ही मूल्यांकन टिप्पणी परिचलित की जाएगी।
29.	राजगमर, वेस्टर्न कोल लि०	2-6-1980	जांच की जा रही है।
30.	लाजकुरा खुलीखान, वेस्टर्न कोल लि०	2-6-1980	जांच की जा रही है।
31.	नंदन प्रक्षालित्र, वेस्टर्न कोल लि०	22-2-1978	21-5-1980 को हुई अन्तरमंत्रालीन दल की बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार कोयले के ताजा नमूनों में राख की मात्रा के आधार पर एकल जिग और दोहरी जिग के प्रश्नों का निर्णय किया जाना है।

1	2	3	4
32.	भालगोड़ा के लिए अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव, बी० सी० सी० एन०	2-12-1978	परियोजना की अद्यतन लागत के बारे में सूचना 6-6-1980 को प्राप्त हुई है। इस संबंध में टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
33.	कोरबा उच्च तापीय बिजली घर का विस्तार	26-5-1980	मूल्यांकन किया जा रहा है।
34.	बम्बई हाई क्षेत्र में आर 12 क्षेत्र का विकास	3-4-1980	मूल्यांकन के लिए अपेक्षित स्पष्टीकरण 12-6-80 को प्राप्त हुए।
35.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विकास छेदन के लिए 2 जैक अप रिग्स की खरीद	29-5-1980	मूल्यांकन किया जा रहा है।
36.	एल० पी० जी० का विपणन-बी० पी० सी० एल० (प्रावस्था 2)	4-6-1980	मूल्यांकन किया जा रहा है।
37.	बरौनी उर्वरक संयंत्र पर 2.5 मे० वा० गैस टवाईन की स्थापना	9-10-1979	इस प्रस्ताव पर 19-3-80 को हुई अन्तरमंत्रालयीन बैठक में विचार-विमर्श किया गया। अतिरिक्त 5-5-80 को प्राप्त हुए। टिप्पणियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
38.	हल्दिया उर्वरक संयंत्र पर आवद्ध बिजली घर	11-3-1980	परियोजना से संबंधि मामलों पर 18-6-1980 को होने वाली अन्तर-मंत्रालयीन बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।
39.	प्रस्तावित उड़ीसा एल्यूमीनियम परियोजना के लिए आबद्ध विद्युत संयंत्र	29-5-1980	मूल्यांकन किया जा रहा है।

उड़ीसा में सीमेंट की कमी

1225. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में सीमेंट की अत्याधिक कमी है ।

(ख) यदि हां, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तथा जून, 1980 में क्रमशः उड़ीसा को कितना आबंटन किया गया; और

(ग) क्रमशः कितना सीमेंट उठाया गया, वहाँ पहुंचा तथा वितरित किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) उडीसा राज्य सहित देश में सामान्यतः सीमेंट की कमी है ।

(ख) और (ग) प्रथम एवं द्वितीय तिमाही, 1980 की अवधि में उड़ीसा राज्य को आबंटित तथा भेजे गये सीमेंट की मात्रा नीचे बतायी जाती है :–

तिमाही	किया गया आबंटन (मीट्रिक टन)	की गई सप्लाई (मीट्रिक टन)
प्रथम तिमाही (जनवरी से मार्च 1980)	133400	113781
द्वितीय तिमाही अप्रैल से जून, 1980	94282	81560 (अप्रैल-मई, 1980)

केरल के मंदिरों में अपराध

1226. **श्री बी० के० नायर :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान केरल के मंदिरों में मूर्तियों सोने के आभूषण तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी तथा मूर्तियों को तोड़ने से सम्बद्ध बहुत से अपराध हुए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

(ग) क्या इस प्रकार से इन मूर्तियों के विध्वंस को रोकने और उपासकों की भावनाओं को शान्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केरल सरकार द्वारा फरवरी, 1980 से मई, 1980 तक मूर्तियों सोने की जंजीरों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी के केवल नौ मामले सूचित किये गये हैं ।

(ख) चोरी के इन नौ मामलों में 13 मूर्तियां, 2 सोने की जंजीरे, 2 चांदी की कान की बालियां और 2 चांदी की गोपी चुराई गई थी ।

(ग) तथा (घ) सरकार द्वारा किये गये उपायों का विवरण संलग्न है ।

विवरण

मंदिरों इत्यादि से पुरावशेषों तथा मूल्यवान वस्तुओं की चोरी रोकने के लिए केरल सरकार द्वारा किये गये उपायों का विवरण

1. पुरावशेषों और कला कृतियों के निर्यात व्यापार को नियमित करने के उद्देश्य से पुरावशेषों तस्करी तथा कपटपूर्ण व्यापार को रोकने की व्यवस्था करने, सार्वजनिक स्थानों पर रखने के लिए पुरावशेषों तथा कलाकृतियों का अनिवार्य अधिग्रहण करने व्यवस्था करने और उनसे सम्बद्ध अथवा प्रासंगिक अथवा उनके सहायक कुछ अन्य मामलों की व्यवस्था के लिए पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के स्थान पर "पुरावशेष तथा कलाकृति अधिनियम, 1972" नामक एक व्यापक कानून अधिनियमित किया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा सी० बी० आई० को अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इसको सौंपे गये जटिल तथा महत्वपूर्ण मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए सी० बी० आई० में 1 पुलिस अधिक्षक, 1 पुलिस उप अधीक्षक, 1 निरीक्षक और 2 पुलिस उप निरीक्षकों का एक विशेष सेल (यूनिट) बनाया गया है।

3. सांस्कृति सम्पत्ति की चोरी तथा बरामदगी के मामलों का एक आंकड़ा बैंक, जिसमें अपराधों, अपराधियों और सम्पत्ति के बारे में सूचना होती है, सी० बी० आई० में विकसित किया गया है। मामलों की जांच-पड़ताल सहायता करने और सूचना एकत्र करने के लिए रिकार्डों का संगठन किया जाता है।

4. राज्य पुलिस/सी० आई० डी० जिनसे ऐसे सभी मामलों की सूचना तुरन्त सी० बी० आई० को देने का अनुरोध किया गया है, के अतिरिक्त भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण के सर्कल अधिकारियों से भी ऐसे सभी मामलों की टेलीफून पर सी० बी० आई० को सूचना देने का अनुरोध किया गया है।

5. मूर्तियों पर निगरानी रखने और उनकी तस्करी रोकने के लिए सी० बी० आई० द्वारा चोरी की गई। बरामद की गई सम्पत्ति और अपेक्षित/गिरफ्तार/दोषसिद्ध इत्यादि अपराधियों के ब्यौरों के साथ ऐसे मामले घटने के बारे में सभी सूचना देश में सभी राज्य पुलिस/सी० आई० डी०, कस्टम चैक पोस्ट इत्यादि को सावधिक तथा विशेष लुक आउट नोटिसों के माध्यम से भेजी जाती है।

6. सी० बी० आई० मूर्ती चोरी के मामलों में अपराधों, अपराधियों और सम्पत्ति केन्द्रीय रिकार्ड रखता है।

7. कस्टम प्राधिकारियों और सम्बद्ध सेवाओं के प्रयोग के लिए कला की वस्तुओं के सभी विदेशी व्यापारियों और उनको एकत्र करने वालों की एक सूची सकलित करने के लिए आई० सी० पी० ओ० (इन्टरपोल) के महा सचिव की सहायता मांगी गई है।

8. चोरी के ऐसे मामलों की छानबीन तथा जांच-पड़ताल में, जहां आवश्यक होता है, सी० बी० आई० द्वारा विदेशी पुलिस तथा इन्टरपोल की मदद से राज्यों को सहायता दी जाती है ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर के मूल्यांकन के लिये मानदण्ड

1227. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा किस आधार पर सम्पत्ति कर का मूल्यांकन किया जाता है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल में कर योग्य मूल्य में वृद्धि न करने के बारे में कोई फैसला दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या समान '-कवर्ड एरिया'' वाले मकानों के लिये अलग-अलग कर योग्य मूल्य हो सकता है; और

(ङ) क्या केवल एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के परिणामस्वरूप कर योग्य मूल्य 380/- रुपये से बढ़ाकर 1080/- रुपये किया जा सकता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि निगम द्वारा दिल्ली नगर पालिका अधिनियम, 1957 की धारा 116 के परन्तुक के अनुसार निकाले गये कर योग्य मूल्य के आधार पर सम्पत्ति कर का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सम्पत्ति कर के लिए मूल्यांकन योग्य किसी भूमि अथवा भवन का कर योग्य मूल्य वह वार्षिक किराया होगा, जिस पर ऐसी भूमि अथवा भवनों की मरम्मत आदि के लिए 10% घटाकर वर्ष दर वर्ष यथोचित किराये पर दिये जाने की आशा की जा सकती है । उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक निर्णय में यह निर्धारित किया है कि किसी सम्पत्ति का यथोचित किराया मूल्य दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के परन्तुकों के संदर्भ में ही निर्धारित किया जा सकता है । निगम द्वारा न्यायालय ने इस निर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार समान कवर्ड एरिया वाले मकानों के लिए भिन्न-भिन्न कर योग्य मूक्ष्य हो सकता है और केवल एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के परिणामस्वरूप कर योग्य मूल्य में वृद्धि की जा सकती है जो प्रत्येक मामले के गुणदोष पर निर्भर होगा ।

दिल्ली प्रशासन की वरीयता सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के नाम शामिल किया जाना

1228. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के नाम योग्यता के अनुसार उनके अपने ग्रेड की वरीयता सूची में शामिल नहीं किये गये हैं अपितु उनके नाम सूची के अन्त में रखे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) योग्यता के अनुसार वरीयता सूची में उनके नाम शामिल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उनके साथ न्याय किया जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। जैसा दिल्ली प्रशासन द्वारा बताया गया है, अधिकारियों को वरीयता देने से संबंधित नियमों का पूरी तरह पालन किया जाता है। इस समय प्रशासन द्वारा अपनाये गये नियमों के दो सेट हैं अर्थात क्वालिफाइंग सर्विस की लम्बाई के अनुसार किसी ग्रेड में अधिकारियों की वरीयता निर्धारित करने के लिए दिल्ली राज्य सेवा (वरीयता) नियम, 1954 और दिल्ली प्रशासन सेवा (वरीयता) नियम, 1965 जिसमें चयन बोर्ड अथवा विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उनको दिये गये गुणदोष के अनुसार अधिकारियों की वरीयता निर्धारित करने की व्यवस्था है। किसी विशेष ग्रेड में चयन करने के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित तत्संबंधी अनुदेशों पर उचित ध्यान दिया जाता है और एक बार चयन हो जाने पर सामान्य और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों दोनों उम्मीदवारों को वरीयता सूची में उनके पारस्परिक गुण-दोष के क्रम में रखा जाता है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्टेनोग्राफरों/हैड क्लर्कों से अभ्यावेदन

1229. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में काम कर रहे कुछ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजानियों के कुछ स्टेनोग्राफर तथा हेड क्लर्क ग्रेड-II (एम) के पदों पर पदोन्नति विनियमित किये जाने तथा उनकी वरिष्ठता नियत किये जाने के बारे में 1973 से अभ्यावेदन दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उनको न्याय देने में उदासीनता के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी-गई रिपोर्ट के अनुसार केवल एक स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (लिपिक-वर्गीय) के पद पर पदोन्नति विनियमित किए जाने तथा वरिष्ठता नियत किए जाने के बारे में 1973 के बाद अभ्यावेदन दिया है। यह स्टेनोग्राफर अब 1974 से ग्रेड-2 (लिपिक-वर्गीय) के पदों पर पदोन्नत हो गया है। दिल्ली प्रशासन यह पूछताछ कर रहा है कि संबद्ध विभागीय पदोन्नति समिति 1973

में ग्रेड-2 (लिपिक-वर्गीय) के हद पर पदोन्नति के लिए पात्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के नामों पर विचार क्यों नहीं कर सकी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"योजनाबद्ध विषय" के रूप में पुलिस

1230. **श्री नारायण चौबे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पुलिस" विषय "योजनाबद्ध विषय" के रूप में शामिल किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या उत्पादन, उद्योगों के योजनाबद्ध विकास; कृषि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की क्रमिक वृद्धि को देखते हुए अपराध तथा अन्य गतिविधियां जो धीरे-धीरे बढ़ रही हैं; का मुकाबला करने के लिए योजनाबद्ध विषय के रूप में "पुलिस" को शामिल करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पुलिस आवास योजना, जेल भवनों और अन्य पुलिस भवनों के अतिरिक्त राज्यों में पुलिस को योजनाबद्ध विषय नहीं माना जाता है क्योंकि "पुलिस" एक प्रशासनिक विषय है और विकास के स्वरूप का नहीं है। फिर भी सभी राज्य सरकारों को अपने विचार भेजने के लिए लिखा गया है। उनके विचार मालूम होने के पश्चात मामले का पुनरीक्षण किया जाएगा।

पड़ौसी देशों में पृथकतावादी तत्वों को सैनिक प्रशिक्षण

1231. **श्री पी० जे० कुरियन** :

श्री एस० आर० ए० एस० अप्पाला नायडू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी दी है कि एक पड़ौसी देश में पृथकतावादी तत्वों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1979 में त्रिपुरा सरकार से प्राप्त रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया था कि राज्य के कुछ जनजाति के लड़कों को पता चला है कि मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा प्रशिक्षण के लिए बेचो में बंगला देश भेजा गया है।

इस मामले पर बंगला देश सरकार से कई अवसरों पर वार्ता हो चुकी है।

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद

1232. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघीय गृह मंत्री ने लम्बे समय से विचाराधीन महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के बारे में 14 अप्रैल 1980 को महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम रहे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के बीच सीमा विवाद के बारे में 16 अप्रैल 1980 को गृह मंत्री से भेंट की थी। इस बैठक के दौरान गृह मंत्री ने यह आशा व्यक्त की थी कि विवाद संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो जाएगा और केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समय पर विवाद के समाधान के लिये प्रयत्न करेगी।

दिनांक 19-3-80 के अतारांक्ति प्रश्न संख्या 1087 आर्क फ्लक्सेस के निर्माण के लिए लाइसेंस हेतु इंडियन आक्सीजन लि० का आवेदन के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० चरणजीत चानना) : लोक सभा में दिनांक 19 मार्च, 1980 को श्री आर० के० महालगी द्वारा आर्क फ्लक्सेस के निर्माण के लिए लाइसेंस हेतु मैं० इंडियन आक्सीजन लि० द्वारा दिये गए आवेदन के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 1087 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में दिए गए उत्तर के स्थान पर कृपया सलग्न विवरण में दिए गए उत्तर को रखा जाए।

इस प्रश्न का उत्तर दिए जाने के बाद इस मंत्रालय को जानकारी मिली है कि एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 15 मार्च, 1980 को प्रस्तुत कर दी थी। चूंकि यह जानकारी लोक सभा के पिछले सत्र के अन्त में प्राप्त हुई थी, अतः खेद है कि विवरण में दी गई सही जानकारी सातवीं लोक सभा के दूसरे सत्र में सभा के पटल पर नहीं रखी जा सकी।

विवरण

(क) जी, हां। मैसर्स इंडियन आक्सीजन लि० के आवेदन पत्र को एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को उनकी रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। इस बारे में अब रिपोर्ट मिल गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) लघु एककों ने अभ्यावेदन दिया है कि यदि मैं० इडियन आक्सीजन लि० को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है तो उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(घ) और (ड.) भारत सरकार द्वारा मैसर्स इन्डियन आक्सीजन लि० के आवेदन पत्र पर अन्तिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही लिया जाएगा।

सामान्य बजट प्रस्तुत करने के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि जैसी कि प्रथा है सभा आज मध्याह्न पश्चात् 4.30 बजे आधा घन्टे के लिये स्थगित होगी और सामान्य बजट प्रस्तुत किये जाने के लिये मध्याह्न पश्चात 5 बजे पुनः समवेत होगी ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम तथा नेशनलइन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड की वर्ष 1978-79 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा एक विवरण

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) अन्तर्गत आयातित सीमेंट नियंत्रण (पहला संशोधन) आदेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 236 (ड.) में प्रकाशित हुआ था ।

ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–903/80

(2) हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम 1978 की धारा 34 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 281 (ड.) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई भी जिसमें दिनांक 3 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 13 (ड.) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 904/80

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति : –

(एक) नेशनल इन्स्ट्रमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल इन्ट्रयूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त तीन में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 905/80

अन्तर्राज्जीय निगम अधिनियम के अधीन अधिसूचना, मन्त्री (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेषधिकार) संशोधन नियम का प्रारूप, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा वल अधिनियम के अधीन अधिसूचना, असम निवारक निरोध अध्यादेश, आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण (असम) अध्यादेश 1980 के अधीन अधिसूचनाएं आदि एक विवरण।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (5) के अंतर्गत धर्मार्थ धर्मस्व के कोषाध्यक्ष, पंजाब (पुनर्निर्माण और पुनर्गठव) आदेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 286 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-906/80

(2) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत मन्त्री (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य विशेपाधिकार) संशोधन नियम, 1980 के प्रारूप (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–907/80

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा, (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 776 की एक प्रति जो दिनांक 9 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें दिनांक 21 अप्रैल, 1979 की अधिसूचना सा० सां० नि० 564 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

ग्रन्थालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–908/80

(4) आसाम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 12 दिसम्बर, 1979 की उद्घोषणा के खंड (ग) (3) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत असम के राज्यपाल द्वारा 18 अप्रैल, 1980 का प्रख्यापित असम निवारक निरोध अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 3) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–909/80

(5) (एक) असम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 12 दिसम्बर, 1979 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (3) के साथ पठित आवश्यक सेवाएं (असम) अध्यादेश, 1980 की धारा 2 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या पी० एल० ए० 334/80/7 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनाक 7 अप्रैल, 1980 के असम राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा कतिपय आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को चालू सत्र के पहले दिन सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एलं० टी०–910/80

नौसेना अधिनियम के अधीन अधिसूचना, नेशनल रिमोट सेनसिंग एजेंसी, सिकन्दराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा सम्बन्धी विवरण।

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 175 में प्रकाशित हुए थे।

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–911/80

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नेशनल रिमोट सेनसिंग एजेंसी, सिकन्दराबाद का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ

(दो) नेशनल रिमोट सेनसिंग एजेंसी, सिकन्दराबाद के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों संबंधी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

ग्रन्थालय ने रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०–912/80

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचना

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं श्री पी० वेंकट सुब्बैया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) नौवां संशोधन विनियम, 1980, जो दिनांक 5 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 287 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतक) छठा संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 5 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 288 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1980 जो दिनांक 5 जून 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 289 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 5 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 290 (ड.) में प्रकाशित हुए थे।

ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०–913/80

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय नियम 372 के अन्तर्गत मेरा एक वक्तव्य का प्रश्न है। कल मन्त्री महोदय ने एक वक्तवय दिया था और नियम 372 के अधीन उस समय में कोई प्रश्न नहीं पूछ सका। परन्तु उचित सूचना देकर में वक्तव्य पर प्रश्न पूछ सकता हूं। अफगानिस्तान के मामले पर मैं अनेक सूचनाएं दे चुका हू परन्तु सभा ने अभी तक अफगानिस्तान समस्या पर चर्चा नहीं की है। मन्त्री महोदय के वक्तव्य के आधार पर हम चाहते हैं कि सदन में इस मामले पर चर्चा की जाए। मैं पहले भी सूचनाएं दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक तो हमने स्वीकृत कर लिया है जो कि आपका नहीं है परन्तु उसी प्रश्न से सम्बद्ध है। उस विषय को समेट लिया गया है।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में रेजीडेंट डाक्टरों की सांकेतिक हड़ताल

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्ननीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें ?

"दिल्ली के मुख्य अस्पतालों में रेजीडेंट डाक्टरों की 16 जून, 1980 को सांकेतिक हड़ताल का समाचार"

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, लोक नायक जय प्रकाश नरायण अस्पताल कम्पलैक्स तथा डा० राम मनोहर लौहिया अस्पताल के रेजिडेंट डाक्टरों ने 16 जून, 1980 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावति सरन बाल चिकित्सालय के रेजिडेंट डाक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल नहीं की। सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डाक्टरों ने 16 जून दोपहर बाद से 17 जून, 80 की सुबह तक हड़ताल की।

2. 15 जून, 1980 को दैनिक समाचार पत्रों में यह समाचार छपा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हड़ताली रेजिडेंट डाक्टरों के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए दिल्ली के बड़े-बड़े अस्पतालों के जूनियर डाक्टर 16 जून की सुबह से सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इस संबंध में यह बतला दें कि अपनी मांगों पर समझौता करने के मामले पर तसल्ली हो जाने के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट डाक्टरों ने रविवार 15 जून, 1980 की शाम को अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी। जब सभी प्रमुख अस्पतालों के जूनियर डाक्टरों का घोषित इरादा स्पष्ट रूप से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हड़ताली रेजिडेंट डाक्टरों के साथ अपनी एकता और सहानुभूति प्रकट करने का था तो यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के रेजिडेंट डाक्टरों को 16 जून, 1980 की सुबस से हड़ताल करने की आवश्यकता क्यों हुई।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों की मांगें औपचारिक रूप से मान ली गई थीं।

श्री बी. शंकरा नन्द : उनके हड़ताल वापिस लेने की बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि वे उनकी मांगों के सम्बन्ध में हुए समझौते से सन्तुष्ट हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : अध्यक्ष महोदय सरकार द्वारा दिया गया वक्तव्य बड़ा ही विचित्र और अधातक है। मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यह वक्तव्य आपराधिक मतभेद का एक वाकपटु गवाह है कि सरकार ने यह तर्क देकर कि उसे प्रमुख अस्पतालों के इन रेजीडेन्ड डाक्टरों की मांगों की जानकारी ही नहीं है उनके प्रति बेहद लापरवाही का प्रदर्शन किया है। कुछ समाचार पत्रों ने यह समाचार दिया है कि रेजीडेन्ट डाक्टर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हड़ताली रेजीडेन्ट डाक्टरों के साथ अपनी एकता प्रकट करने के लिए हड़ताल पर जाना चाहते थे। मैं नहीं जानता कि सरकार के सूचना स्रोत केवल प्रेस के कुछ सहज अनुभागों तक ही सीमित हैं। मुझे एक के बाद एक पत्र उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं आपको एक दृष्टांत दूंगा। 15 जून के हिन्दुस्तान टाइम्स ने एक समाचार दिया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टर हड़ताल समाप्त कर रहे हैं। ठीक उसके नीचे एक दूसरा समाचार था कि अन्य प्रमुख अस्पतालों के डाक्टर अपनी काम की शर्तें और वेतन में सुधार को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शिकायतों का अध्ययन करने के लिये दिल्ली के रेजीडेन्ट डाक्टरों के संघ के प्रतिनिधित्व वाली एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करने की मांग की है। मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि सरकार ने कुछ समाचार पत्रों में कुछ रिपोर्ट रखना अच्छा समझा जोकि उनके लिये सहज था और इस प्रकार सारे मामले को बदलने का प्रयास किया।

मैं इन डाक्टरों की मांगों के प्रति दर्शाये गये भेदभाव के सम्बन्ध में इस सरकार से कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछता हूं। यदि सरकार को यह पता था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान डाक्टरों के साथ अपनी एकता प्रदर्शित करने हेतु इन प्रमुख अस्पतालों के रेजीडेन्ट डाक्टर

हड़ताल पर जाने वाले हैं तो इस हड़ताल को रोकने के लिए जिससे कि ऐसी हड़ताल के परिणाम-स्वरूप होने वाले कष्टों से लोगों को बचाया जा सके तो क्या सरकार ने रेजीडेन्ट डाक्टरों को यह सूचित करने के लिए उनसे सम्पर्क किया था कि उनको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों के साथ एकता प्रदर्शित करने के लिये हड़ताल पर जाने की आवश्यकता नहीं है जबकि मामले पर उनके साथ पहले ही समझौता हो चुका है ? क्या सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया और हड़ताल को रोकने का प्रयास नहीं किया तथा यह देखने का प्रयत्न भी किया कि लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिये ? क्या सरकार ने उन डाक्टरों से यह जानने का प्रत्यक्ष प्रयत्न किया जिन्होंने अपने संघ के साथ हड़ताल पर जाने की इच्छा प्रकट की कि उनकी उचित शिकायतें और मांगें क्या है ? जब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों के साथ समझौता हो गया तो क्या सरकार ने समस्या की समग्रता पर ध्यान दिया तथा सामान्य रूप में सभी डाक्टरों की कार्य शर्तों और वेतन में सुधार की आवश्यकता पर गौर किया ? क्या उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेन्ट डाक्टरों के साथ हुए समझौते के प्रभाव को जाँचने का प्रयास किया, उस प्रभाव का जो कि अन्य प्रमुख अस्पतालों के डाक्टरों पर पड़ सकता है ?

17 तारीख के हिन्दुस्तान टाइम्स ने रेजीडेन्ट डाक्टरों की हड़ताल का समाचार देते हुए आगे बताया है कि यदि डाक्टरों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिये कोई उच्चस्तरीय समिति नियुक्त नहीं की जाती और यदि उस समिति-विशेष में संघ के प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया जाता तो 19 जून यानि कल को और उसके बाद वे अपना आन्दोलन और तेज करेंगे। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि उठाई गई इन सभी आपत्तियों को स्पष्ट उत्तर दें और सदन को इस आशय को आश्वासन दे जैसा कि कुछ समाचारपत्रों ने समाचार दिया है, सरकार ने उस दिशा में कौन से कदम उठाये हैं जिससे उन अस्पतालों के रेजीडेन्ट डाक्टर आन्दोलन को तेज न करें। वक्तव्य भी इतना एक तरफा है कि यह हमें बताता है कि हड़ताल कहीं पूर्ण नहीं रही परन्तु कुछ ऐसे भी अस्पताल थे जिनमें पूर्ण हड़ताल थी। सरकार का कहना है कि अन्य प्रमुख अस्पतालों के रेजीडेन्ट डाक्टर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेन्ट डाक्टरों के साथ एकता प्रदर्शित करने के लिये हड़ताल पर जाने वाले थे और उन डाक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली हैं। क्या सरकार बतायेगी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेन्ट डाक्टरों ने अन्य प्रमुख अस्पतालों के रेजीडेन्ट डाक्टरों के समर्थन में हड़ताल की थी ? अतः हमारे समक्ष यह जो वक्तव्य दिया गया है वह हास्यास्पद प्रकार का एक वक्तव्य है।

श्री बी. शंकरानन्द : माननीय सदस्य महोदय ने प्रश्न को जिस रूप में रखा है मैं उस पर टिप्पणी करने का साहस नहीं कर सकता। यह नोट करके मुझे अफसोस है कि स्वयं माननीय सदस्य महोदय ने प्रश्न को नहीं समझा है, यद्यपि लाता यही है कि प्रश्न उन्होंने ही किया है। वह नहीं जानते कि सवाल क्या है, वह क्या बात कर रहे हैं ..... (एक माननीय सदस्य महोदयः आप हमें बताएं) क्या माननीय सदस्य महोदय की मंशा यह है कि रेजीडेंट डाक्टरों के फैडरेशन को जिसकी कि वह बात कर रहे हैं, केवल अखबारों के माध्यम से ही सरकार अथवा अस्पताल के अधिकारियों से बात करनी चाहिए ? इनमें से किसी भी व्यक्ति ने सरकार अथवा

अस्पताल के अधिकारियों को किसी भी तरह का कोई अभ्यावेदन अथवा नोटिस नहीं दिया है .....(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि रेजीडेन्ट डाक्टरों ने, जो हड़ताल पर मत थे, सरकार अथवा अस्पताल के अधिकारियों के सामने किसी भी तरह कोई मांग प्रस्तुत नही की है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के वक्तव्य पर हमारे मित्र श्री बनातवाला को हैरत हुई और श्री बनातवाला की हैरत पर मंत्री महोदय को हैरत हुई। यह हैरतअंगेज मामला हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे डर यह है कि आपको तो हैरत नहीं होने जा रही ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे जवाब सुनकर थोड़ा ताज्जुब जरूर हुआ है। 16 अप्रैल को 2 महीने पहले दिल्ली के जूनियर डाक्टरों ने दो दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी और उसमें यह मांग की थी कि 1979 में सरकार के साथ उनका जो समझौता हुआ है, उस समझौते को लागू किया जाये। मांगे इस प्रकार थीं : कार्य-शर्तों में सुधार, मरीजों की अच्छी देखरेख, काम करने के उचित घंटे, डाक्टरों के लिए आवास की व्यवस्था, और कार्य काल के दौरान सुरक्षा। इन मांगों को लेकर 1979 में कुछ समझौता हुआ था, उस पर अमल नहीं किया गया, इसलिये 2 महीने पहले डाक्टरों ने 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी। वह 16 अप्रैल को थी और इस बार डाक्टरों ने 16 जून को फिर से हड़ताल की, क्योंकि उनकी मांगों पर कोई कार्य-वाही नहीं की गई। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने केवल समाचारःपत्रों की रिपोर्ट के आधार पर इस सांकेतिक हड़ताल को आल इंडिया मैडिकल इन्स्टीटूयट के साथ कैसे जोड लिया ? उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई मांग नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जब लैफ्-टिनेन्ट गवर्नर दिल्ली के एक अस्पताल में गये थे और उस अस्पताल के बारे में उन्हो। कहा कि वहां की हालत खराब है, यह तो मैं जानता था, लेकिन इतनी खराब है नहीं जानता था मैं उद्घत करता हूं। परन्तु वह इतनी खराब हो सकती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आदमी के साथ इसकी उदासीनता और लापरवाही बरती जा सकती है। में इतनी बुरी हालत की कभी भी कल्पना नहीं कर सकता। 22 अप्रैल को दिल्ली के लैफ्टिनेन्ट गवर्नर गये थे और उन्होंने वायदा किया था कि जूनियर डाक्टरों की मांगे जल्दी से जल्दी मान ली जायेंगी, मगर उन मांगों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या मन्त्री महोदय यह समझना चाहते हैं कि दिल्ली के लैफ्टि-नेन्ट गवर्नन दिल्ली में अपना अलग साम्राज्य चला रहे हैं और केन्द्र के स्वास्थ्य मंत्रालय से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

क्या यह सच नहीं है कि डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल में जब आपरेशन थियेटर में लोग जाते हैं तो उनके पहनने के लिए जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं हैं, अगर मरीजों की गर्दन टूट जाती है तो गर्दन को रोकने के लिए "टांग" नहीं हैं ? डाक्टरों ने शिकायत की है कि वह इस तरह से आपरेशन नहीं कर सकते। अच्छी-अच्छी मशीनें पड़ी हैं, जिनको चलाने वाला नहीं है, बिजली का कनैक्शन नहीं है। केन्द्रीय सरकार के डाक्टरों ने इस तरह की शिकायतें की हैं। क्या मंत्री महोदय को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है ?

इन-डिफरेंस, कैजुलनैस, जिसका आरोप लैफ्टिनेन्ट गवर्नर ने अस्पतान के अधिकारियों पर लगाया है, क्या वह मंत्री महोदय के विभाग पर लागू नहीं होता है ?

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अस्पताल खुद बीमार हैं, वह बीमारों का इलाज क्या करेंगे ? में पुरानी बात नहीं कहना चाहता, अब तो नई सरकार आ गई—गवर्नमैंट दैट वर्क्स, ऐसी सरकार जो काम कर के दिखाती है। मैं जानना चाहता हूं कि आल इन्डिया मैडिकल इन्स्टीट्यूट में 59 दिन तक हड़ताल चलती रही, उस हड़ताल को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या किया ? क्या किसी अस्पताल में डाक्टरों की हड़ताल इतनी लम्बी चलने दी जा सकती है ? क्या मरीजो के प्रति डाक्टर अपनी जिम्मेदारी का पालन करें, इसका उन्हें अहसास कराने का प्रयत्न किया गया ?

डाक्टर 8 घंटे से कितना ज्यादा काम करें, इसका मंत्री महोदय थोड़ा सदन को खुलासा करें और यह भी बतायें कि जो डाक्टर रात में अस्पताल में काम कर रहे हैं, अगर पास में उनके रहने की जगह नहीं है, तो वह रात में कहां जायें ? दिल्ली की सड़कों पर चलना सुरक्षित नहीं है, कम तनख्वाह वाले डाक्टरों को टैक्सी में जाना भी संभव नहीं है। यह छोटे डाक्टरों की व्यावहारिक कठिनाइयां हैं और इसलिए डाक्टर मांग कर रहे हैं कि इन सब की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाये।

मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कमेटी बनाने में सरकार को क्या आपत्ति है। एक बात स्पष्ट है कि बार-बार होने वाली अस्पतालों की हड़ताले बन्द होनी चाहिए। और अगर सरकार यह नहीं कर सकती है, तो वह यह दावा छोड़ दे कि वह ऐसी सरकार है, जो देश को ठीक तरह से चला सकती है।

श्री पी० शंकरानन्द : श्री अटल विहारी वाजपेयी की बात सुनकर मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ है। मैं नहीं जानता कि वह 1977 से 1980 तक क्या कर रहे थे। वह सरकार के एक अंग थे। इस तरह की बात जनता पार्टी के शासन के दौरान शुरू हुई थी। यह इस समय शुरू नहीं हुई है। उन्होंने क्या इस बात को स्वीकार किया है। मैं नहीं जानता कि पिछली सरकार चुप क्यों रही। श्री वाजपेयी ने मुंह से यह पूछे जाना कि यह सरकार क्या कर रही है, शोभा नहीं देती। हम जिम्मेदारी असने ऊपर लेने को तैयार हैं, हम जिम्मेवारी से बचना नहीं चाहते। माननीय सदस्य महोदय को ज्ञात होना चाहिए कि उनकी मांगों के समर्थन में 14 और 15 अप्रेल को एक सांकेतिक हड़ताल हुई थी। तत्पश्चात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अस्पताल में अलग से एक हड़ताल पर चले गए। माननीय सदस्य महोदय एवं सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन रेजीडन्ट डाक्टरों की मांगों को स्वयं मैंने 13 मई को ही निपटा दिया था। अस्पताल के निदेशक ने उन्हें लिखा था कि ये मांगे स्वीकार करने योग्य है और सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मांगों के बारे में इस समझौते के आधार पर ही उन्होंने एक महीने के पश्चात अपनी हड़ताल वापस ले ली। दोस किसका है ? ये मांगे 13 मई 1980 को पूरी कर दी गई थीं और उन्होंने इसी समझौते के आधार पर हड़ताल वापस ले ली अधिकांश मांगे स्वीकार किये जाने पर उन्होंने हड़ताल वापस ले ली। क्या यह रेजीडेन्ट डाक्टरों की गलती नहीं है कि

वे अनावश्यक रूप से एक महीने से ज्यादा समय तक हड़ताल पर बने रहे ? मैं नहीं जानता कि श्री वाजपेयी डाक्टरों की ओर से बोल रहे थे अथवा कष्ट झेल रही जनता की ओर से ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं दोनों की ओर से बोल रहा था ।

श्री बी० शंकरा नन्द : नहीं, वह केवल रेजीडेन्ट डाक्टरों की ओर से बोले । वह पीड़ित जनता को भूल गए । सरकार इस तरह की बातों को अर्थात, इन अस्पतालों में हड़ताल जारी नहीं रखने देना चाहती । वह इस तरह की बातों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं एक विशेष प्रश्न पूछता हूं । क्या सरकार ने जूनियर डाक्टरों के इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जानी चाहिए ?

श्री बी० शंकरानन्द : हम उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय. अभी मंत्री महोदय ने कहा कि इधर के माननीय सदस्यों को कोई जानकारी नहीं है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को एजूकेशन की जानकारी भले ही हो. लेकिन डाक्टरों की समस्याओं की जानकारी नहीं है बिल्कुल जानकारी नहीं है । यदि उन्हें जानकारी रहती, तो वह हाउस में इस तरह की बात न करते । मेमोरेंडम जूनियर डाक्टर्ज फेडेरेशन आफ देहली ने 5 जून को दिया है. अगर वह मंत्री महोदय को नहीं मिला है, तो मैं उनको देता हूं । जूनियर डाक्टर्ज फेडेरेशन आफ देहली क्या है, पता नहीं, मत्री महोदय को यह मालूम है या नहीं । चूंकि मूल रूप से सब डाक्टरों की समस्यायें एक सी हैं और प्रत्येक हास्पिटल के डाक्टर अपनी-अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, तो सब हास्पिटल्ज के डाक्टरों ने मिल कर सोचा कि हम एक फेडेरेशन बना लें और मिल कर मंत्री महोदय को एक जायंट मेमोरेंडम दें ।

पिछले दस साल में दिल्ली में सरकार का कोई नया हास्पिटल नहीं खुला है । मरीजों की संख्या लाखों तक पहुंच गई है, लेकिन हास्पिटल्ज उतने ही है और डाक्टर भी उतने ही हैं । यही कारण है कि यह सारा मामला हाच-पाच हो रहा है ।

जूनियर डाक्टरों के फेडेरेशन ने मंत्री महोदय को 5 तारीख को एक मेमोरेंडम दिया । उसमें उन्होंने कहा कि आप इस पर इम्मीडिएट विचार कीजिए, नहीं तो हम लोग हड़ताल पर जायेंगे । उसके मुताबिक वे 16 तारीख को हड़ताल पर गये । मंत्री महोदय ने दो बार जबाव दिया है कि डिमांड्ज पर सैटलमेंट हो गया है । स्पीकर साहब ने हम लोगों के आग्रह पर यह कालिंग एटेन्शन नोटिस एक्सेप्ट किया है । उन्होंने स्थिति की गम्भीरता को समझ कर ऐसा किया है । हाउस पर प्रति मिनट लाखों रुपये खर्च होते हैं । यह कोई मामूली बात नहीं है । अब कम से कम मंत्री महोदय जानकारी दे दें । वह बार-बार यही कह रहे हैं कि सैटलमेंट हो कि सेटिलमेंट हो गया है गया है । डाक्टरों की कौन-कौन डिमांड्स थीं जिन को आप ने माना ? मैं आप को बतला दूं कि डाक्टरों ने कहा कि उनकी पहली डिमांड है कि एक हाई पावर कमेटी

नियुक्त की जाय । वे यह नहीं कहते हैं कि उनकी क्या डिमांड जायज है या क्या नाजायज है ? डाक्टर स्वयं नहीं चाहते कि अननेसेसरिली मरीज भी मरें और डाक्टरों की भी तबाही हो। इसलिए वे चाहते हैं कि एक हाई पावर कमेटी बना दी जाय जो जांच करे कि उनकी कौन सी मांग जायज है कौन नाजायज है ? उस पर आप विचार कीजिए । यह उनकी पहली डिमांड है ।

दूसरी डिमांड क्लास और पे के सम्बन्ध में है । वे कहते हैं कि जब वे रेजीडेंट डाक्टर के रूप में रहते हैं तब तो वे थर्ड क्लास माने जाते हैं और वही डाक्टर जब गवर्नमेंट के दूसरे एम्पलायमेंट में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास माने जाते हैं । या तो उन्हें थर्ड क्लास मानिए वा फर्स्ट क्लास मानिए । एक ही क्वालीफिकेजन को आदमी एम० बी० बी० एस, एम० डी० या एम० एस० पास है, वह जब रेजीडेंट डाक्टर के रूप में काम करता है तो थर्ड क्लास उसकी पे, थर्ड क्लास उसके रहने का मकान, सब थर्ड क्लास उसका होता है और वही जब दूसरी जगह चला जाता है तो वह फर्स्ट क्लास का माना जाता है । एक डिमांड इसके सम्बन्ध में है ।

तीसरी डिमांड काम के मम्बन्ध में है । वे कहते हैं कि हमें 80 घंटे काम करना पड़ता है जबकि लेबर लाज के मुताबिक 48 घंटे काम करने के वे हकदार हैं । वे यह नहीं कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे । वे कहते हैं कि 48 घंटे से ज्यादा काम लिया जाय तो उनको ओवर टाइम दिया जाय ।

फिर आवास के सम्बन्ध में उनकी शिकायत है । वे कहते हैं कि हमारे हास्पिटल्स हैं, उससे दूर हम रहते हैं तो रात में किसी मरीज की हालत खराब होती है तो आने जाने में दिक्कत होती हैं और इन्होंने ठीक कहा कि जो आप ने दाम बढ़ा दिए है, टैक्सी भाड़ा वगैरह बढ़ गया है उसके कारण और भी नहीं आ सकते हैं । उनका कहना है कि केवल 30 परसेंट डाक्टर हैं उनके लिए भी नजदीक में मकान की व्ववस्था कीजिए ।

फिर है थीसिस का मामला । आप ने 74 से लेकर 78 तक के बीच में आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मैडिकल साडसेज में थीसिस हटा दी थी । चंडीगढ़ में आपका पोस्ट-ग्रेज्युएट इंस्टीच्यूट है, वहां थीसिस नहीं है । यह थीसिस क्या है ? इसके जरिए जो वरिष्ठ डाक्टर हैं वे छोटे डाक्टरों का शोषण करते हैं । उनका कहना है कि क्या थीसिस की उपयोगिता है, आप इतना बतला दीजिए । अगर उपयोगिता है तो रहना चाहिए, नहीं उपयोगिता है तो खत्म कीजिए । मरीज को देखने का काम वे करेंगे ।

फिर है दबाई ओर संयंत्र का सवाल । आपके यहां जो आपका बजट प्राविजन है उसको आप देखें । लाखों की संख्या में मरीज बढ़ गए हैं लेकिन दवाई पर-मरीज के रूप में देखिए कितनी पड़ती है । तो ये सारी समस्याएं हैं और मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि जब आप जवाब देते है तो गुस्से में मत आएं । सहानुभूतिपूर्वक जबाब दें । चेयर की मर्यादा का सवाल है, अध्यक्ष महोदय ने इसे रखा है, हम लोग उनके माध्यम से जानकारी हासिल करना चाहते हैं । इसलिए ये मांगें हैं···(व्यवधान)···मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या आपको 5 जून को उन लोगों ने कोई मेमोरेंडम दिया या नहीं ? अगर दिया था तो उनकी मांगों पर आपने

क्या किया और जो आपने कहा कि आप ने सैटिलमेंट किया है, उस पर उन्होंने हड़ताल वापस ले ली तो आप ने क्या सेटिलमेंट किया है, वह भी एक-एक करके बतलाने की कृपा करें।

श्री बी० शंकरानन्द : उच्च शक्ति प्राप्त एक समिति की नियुक्ति के विषय में मैं पहले ही सदन को सूचित कर चुका हू कि मैं इस तरह की समिति नियुक्त नहीं कर रहा हूं।

माननीय सदस्य महोदय ने रेजीडेन्ट डाक्टरों की बहुत सी मांगों पर विचार किया है। मैं इन सभी मांगों को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता – अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रेजीडेन्ट डाक्टरों के साथ विचार विमर्श किया गया था। जब वे इन मांगों से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने हड़ताल वापस ले ली। परन्तु मैं नहीं जानता कि सदस्य महोदय चाहते क्या हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अब आप हमारी रक्षा कीजिए यह चार्टर आफ डिमांड्स है। मेरे दो ही प्रश्न हैं। मैंने कहा कि 5 तारीख को हैल्थ मंत्री के नाते आपको मेमोरेंडम दिया गया है या नहीं और आपने क्या सेटिलमेंट किया है ? जब उनको बतलाया है तो हाउस को बतलाने में क्या आपत्ति है ? कोई सीक्रेट डाक्यूमेंट तो है नहीं कि आप नेशन के इंटरेस्ट में नहीं बतला सकते। वह बतलाइए।

अध्यक्ष महोदय : एक ही का जवाब दिया जा सकता है कि 5 तारीख को मेमोरेंडम दिया गया है या नहीं। दूसरा तो बतलाया कि फैसला हो गया।

श्री राम विलास पासवान : नहीं, हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या फैसला हुआ है। आप ने सेटिलमेंट किया है, हाउस जानना चाहेगा कि क्या सेटिलमेंट किया है ?

अध्यक्ष महोदय ; शंकरानन्द जी, बतला दीजिए 5 तारीख के उन के मेमोरेंडम के बारे में।

श्री बी० शंकरा नन्द : कौन सा ज्ञापन ?

श्री राम विलास पासवान : 5 तारीख को फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर्स आफ डेलही की तरफ से आप को मेमोरेंडम दिया गया है या नहीं ?

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे यह नहीं मिला है।

श्री राम विलास पासवान : आपने सेटिलमेंट क्या किया है ?

श्री बी० शंकरानन्द : सेटिलमेंट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेन्ट डाक्टरों के साथ हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह शासकीय दस्तावेज नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बसिरहाट) : सदन को समझौते की शर्तों के विषय में निश्चित जानकानी होनी चाहिए। यह एक गोपनीय दस्तावेज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह प्रश्न श्री पासवान ने पूछा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने जानकारी देने से इन्कार नहीं किया है । उन्हें बताने दीजिए । (व्यवधान) शंकरानन्द जी आप बताइए ।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय सदन को इसकी जानकारी है । उन्होंने रेजीडेंट डाक्टरों की सारी मांगों को उद्धृत किया है । क्या मुझे सारी मांगें फिर से दोहरानी चाहिए ?

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यह तो उनकी मांगें हैं, लेकिन सेटिलमेंट क्या हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : राम विलास जी, जो स्ट्राइक थी वह विदड्रा हो गई और मंत्री जी ने आपका हवाला दे दिया कि जो डिमांड्स थीं वह आपने पढ़ी हैं । क्या उन डिमांड्स को वे दोबारा पढ़ें ? (व्यवधान) कृपया बताएं आप कहना क्या चाहते हैं । (व्यवधान) उन्हें बताने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समझौते की शर्तें क्या हैं ? क्या वह हमें बता नहीं सकते हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, रेजीडेन्ट डाक्टरों के संघ ने कभी भी कोई नोटिस अथवा मांगें नहीं दी हैं । इसलिए, उन पर समझौते का प्रश्न नहीं उठता । परन्तु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेन्ट डाक्टरों की मांगों पर समझौता निस्संदेह हुआ है । इसलिए उन्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए । चूंकि रेजीडेन्ट डाक्टरों के संघ की कोई मांग नहीं थी, इसलिए समझौते का प्रश्न बिल्कुल उठता ही नहीं ।

श्री राम विलास पासवान : आल इण्डिया मेडिकल इंस्टीट्यूठ में आपने क्या सैटिल किया ?

श्री बी० शंकरा नन्द : आपने यह नहीं पूछा है । क्या आपने यह पूछा था ? आपने पूछा नहीं था । आपने केवल रेजीडेन्ट डाक्टरों के संघ की मांगों के बारे में पूछा था ।

श्री राम विलास पासवान : मेरे दो प्रश्न अलग-अलग हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री राम विलास पासवान : मेरे दो अलग-अलग प्रश्न हैं । क्या 5 तारीख का मैमोरेंडम आपको मिला या नहीं और आप ने क्या सेटिलमेंट किया ।

अध्यक्ष महोदय : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आपका प्रश्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से सम्बन्धित है ।

उसमें आपका प्रश्न उठता ही नहीं ।

श्री राम विलास पासवान : वही मैं कह रहा हूं । वे कहते हैं कि आल इण्डिया मेडीकल इंस्टीट्यूट में हमने समाधान कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका सवाल सिर्फ इतना है —बड़े अस्पतालों में रेजीडेन्ट डाक्टरों के बारे में।

श्री राम विलास पासवान : उन्हीं के समर्थन में हड़ताल की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बड़े अस्पतालों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शामिल है। यदि वहां समझौता हुआ है तो सदन को उसे जानने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में आप अलग से एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : वही तो हमने पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं समझता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आपने मंत्री महोदय का वक्तव्य पढ़ा है ? उन्होंने दावा किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेन्ट डाक्टरों के साथ एक समझौता हुआ है। सदन को यह जानने का अधिकार है कि उस की शर्तें क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वक्तव्य पढ़ लिया है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे इन डाक्टरों ने डाक्टरों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने अथवा उनके साथ अपनी एकता सिद्ध करने के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय किया।

क्या यह बात नहीं है ? यही बात है। उससे ज्यादा कुछ नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेन्ट डाक्टरों के साथ एक समझौता किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : वह हडताल वापस ले ली गई है।

(व्यवधान)

श्री अटत बिहारी वाजपेयी : हमें यह जानने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें से वह बात नहीं उठती। (व्यवधान)। वक्तव्य में यह कहा गया है "अपनी मांगों के समाधान किए जाने के मुद्दे पर संतुष्ट होने के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेंट डाक्टरों ने रविवार 15 जून 1980 की शाम को अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी।" यह प्रश्न उस मांग के बारे में नहीं है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या भविष्य में मैं आपका मार्ग दर्शन ले सकता हूं ? जब हड़ताल एक लम्बी हड़ताल चल रही थी, तब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के कई नोटिस दिए गए थे और आपने अपने विवेक के आधार पर उस समय उनमें से किसी को स्वीकार नहीं किया। अब हड़ताल समाप्त हो गई है और इसका निपटारा किया जा चुका है। उनका कहना है कि हडताल 15 तारीख को समाप्त हो गई थी। आज 18 तारीख है। तब उनके समर्थन में कोई सांकेतिक हड़ताल शुरू हो गई है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : कौन सी गलत थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गलत हो या सही । आपने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया है। क्या उसका मतलब यह है कि नोटिस से उठने वाले प्रश्न बाद की सांकेतिक हड़ताल तक जिसका पिछली हड़ताल से कुछ वास्ता था, सीमित रहने चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उसके बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं, तो आप एक दूसरा नोटिस दे सकते हैं ।

इन्द्रजीत गुप्त : क्या उन्हें सदन को यह नहीं बताना चाहिए कि समझौता किन शर्तों पर किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे एक नया नोटिस दीजिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप इसे रोचक चाहते हैं तो आपने इस नोटिस को पेश किए जाने के लिए क्यों स्वीकार किया ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को कुछ और बात कहनी है ?

श्री बी० शंकरानन्द : दुर्भाग्यवश उन्होंने अपने नोटिस में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेन्ट डाक्टरों की हड़ताल का हवाला नहीं दिया है, केवल रेजीडेंट डाक्टरों के संघ का उल्लेख किया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेंट डाक्टर 21 अप्रैल 1980 से एक अनिश्चित कालीन हड़ताल पर गए । रेजीडेंट डाक्टर की मांगों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है :–

(क) सेवा की शर्तों, अर्थात् कार्य समय, छुट्टी, वेतन, प्रैक्टिस बंदी भत्ता तथा रेजिडेंट डाक्टरों तथा भारत सरकार के बीच 1974 में हुए समझौते के माध्यप पर करार की अन्य शर्तों संबन्धी मांगें ।

(ख) स्नातकोत्तर शिक्षा मैटर प्रशिक्षण संबन्धी शैक्षिक आवश्यकता, अर्थात शोधपत्र लिखे-जाने और प्रयोगशाला संबन्धी जांच किये जाने सम्बन्धी मांगें ।

(ग) कार्य की शर्तें तथा आवास संबन्धी मांगे । इन मांगों पर संस्थान की विभिन्न समितियों द्वारा विचार किया गया जिनमें डा० एच० डी० टंडन, प्रोफैसर तथा पैथोलोजी विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति भी है । इस पर कर्मचारी परिषद संक्राय, विद्यापरिषद तथा संस्थान के निकाय ने भी विचार किया । रेजिडेंट डाक्टरों के साथ विभिन्न स्तरों पर हुई बैठकों में निरन्तर बातचीत जारी रही 10-5-80 को एक बैठक संस्थान के प्रेजिडेंट की अध्यक्षता में हुई जिसमें निदेशक, रेजिडेंट डाक्टरों के संघ के प्रतिनिधि, संस्थान के स्थानीय सदस्य एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए । चर्चा के आधार पर कुछ समझौते हुए जोकि निदेशक द्वारा 13 मई को महा सचिव, रेजिडेंट डाक्टर संघ को सूचित कर दिये गये । समझौते इस प्रकार हैं ।

इसके बावजूद रेजिडेंट डाक्टरों ने अपनी हड़ताल जारी रखी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बंबई उत्तर-पूर्व) मैं भी आपसे मिला था वे केवल यही चाहते थे कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो जाये । आपने दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किये ।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्यों को पता होना चाहिए की संस्थान के निदेशक ने पत्र पर 13 मई को यह उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर किए थे कि हम इससे सहमत हैं । इसका क्या अर्थ है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ है, समझौता हो गया ।

श्री बी० शंकरानन्द : समझौता इस प्रकार है ।

(1) यह तय हुआ कि संस्थान जूनियर रेजिडेंट डाक्टरों के लिए 20 दिन की अर्जित छुट्टी 12 दिन की आकस्मिक छुट्टी तथा बीमारी की छुट्टी के मामले स्वास्थ्य मंत्रालय के पास उसके सहानुभूति पूर्ण तथा इसके पक्ष में विचारार्थ भेजेगा ।

(2) यह भी तय हुआ कि रेजिडेंट डाक्टरों को अब नेमी ढंग की प्रयोगशाला जांच नहीं करनी पड़ेगी परन्तु वे एसी जांच करते रहेंगे जिन्हें वे समझते हैं कि ये रोगियों के इलाज एवं प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं ।

(3) यदि यह भी तय हुआ कि रेजिडेंट डाक्टरों को 24 घंटे की ड्यूटी के बाद 24 घंटे की छुट्टी दी जाएगी । फिर भी कार्य की इस प्रकार से व्यवस्था की जायेगी कि वर्तमान कर्मचारियों से ही काम चला लिया जाये ।

(4) यह भी तय हुआ कि संस्थान सप्ताह में एक अवकाश के अलावा राजपत्रित छुट्टियों संबंधी आपकी मांग सरकार के पास सहानुभूति पूर्वक और अनुकूल विचारार्थ, भेज देगा वशर्ते कि कार्य की आवश्यकता इस की अनुमति दे और ऐसी छुट्टियों में दी गई ड्यूटी के बदले संचयी छुट्टी दी जाये ।

(5) इस बात की पुष्टि की गई कि निर्माणधीन क्वार्टरों में से 80 विवाहित रेजीडेंट डाक्टरों की 31, जुलाई 1980 तक आवंटित कर दिये जायेंगे । यह भी तब हुआ कि 32 'एफ' टाइप क्वार्टर, जोकि इस समय होस्टल आवास के रूप में रेजीडेंट डाक्टरों द्वारा प्रयोग किये जा रहे हैं, भी उनको ही भविष्य में वरीयता के आधार पर आवंटन के लिए रहने दिये जायेंगे । अगले वर्ष निर्मित होने वाले 84 क्वाटरों में से इन 'एफ' टाइप क्वाटरों के बदले उतकी ही संख्या में क्वार्टर जनरल पूल में डाल दिये जायेंगे ।

(6) करार के विभिन्न खण्ड, जिनका उल्लेख आपने अपने पत्र के उपपैरा 5 में किया, है, पर संस्थान सहानुभूंतिपूर्वक विचार करेगा तथा उन्हें सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज देगा ।

(7) वेतन मानों में वृद्धि संबन्धी मांग पर संबद्ध अधिकारी विचार करेंगे ।

(8) प्रयोगशाला जांच की रिपोर्टें वार्डों में वितरित की जायेंगी तथा इस वितरण कार्य में सुधार लाया जायेगा ।

(9) संस्थान की बैठक । जून. 1980 को होनी थी जोकि बाद में हुई–उसमें शोधपत्र के मामले के सभी पहलुओं पर तथा उन बातों पर जिनका आपने पत्र में उल्लेख किया है, का भी ध्यान विचार किया जायेगा ।

(10) हड़ताल की अवधि शैक्षणिक अवधि मान लिये जाने के मामले को उसी प्रकार तय किया जायेगा जैसा कि पूर्वस्नातकों के मामले में फरवरी 1980 में किया गया था, अर्थात ऐसी कक्षाएं जो आपको परीक्षा में तैयार करने के लिए नितान्त आवश्यक है उन्हें विभागाध्यक्षों के साथ परामर्श के बाद पुनः नियोजित किया जायेगा ।

(11) हड़ताल की अवधि के वेतन का मामला सरकार के निर्णयार्थ भेज दिया जायेगा ।

इन बातों पर ही समझौता हुआ था ।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) आप को ये बातें पहले बता सकते थे,

श्री बी. शंकरानन्द : प्रश्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में या आप साँकेतिक हड़ताल की बात कर रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मामला जनता के स्वास्थ्य से संबन्धित महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने अनुमति दे दी है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री एम० एम० ए० खां (एटा) मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

Rule

समिति के लिये निर्वाचन

राष्ट्रीय केडेट कारे की केन्द्रीय सलाहकार समिति

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एम० सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति में जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति में चुनाव की तारीख से एक वर्ष तक के कार्यकाल के लिए सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि राष्ट्रीयकैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति में जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर को केन्द्रीय सलाहकर समिति में चुनाव की तारीख से एक वर्ष तक के कार्यकाल के लिए सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कागज के लघु उद्योग क्षेत्र के आधुनिकीकरण की आवश्यकता

श्री एस० ए० दोराई से बिस्तयन (करूर) : कागज तथा गत्ते के उत्पादन में 20 प्रतिशत कमी आ गई है जिससे उनका आयात आवश्यक हो गया है । सख्त लकड़ी, मुलायम लकड़ी कागज के बड़े कारखाने सस्ते दामों में उपलब्ध मुलायम लकड़ी, तथा बांस के सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर रहे है । हाथ द्वारा कागज बनाने वाले उद्योग कुछ नहीं कर पा रहे हैं । क्योंकि उनका योगदान देश में कुल कागज के उत्पादन का एक प्रतिशत भी नहीं है ।

एक ओर तो साक्षरता के अनिवार्य कार्यक्रम के कारण और दूसरी ओर ऊचे ग्रामों वाले कागज की मौर गत्ते की मांग के कारण इसका समाधान लघु उद्योग क्षेत्र में मिल सकता है । लघु उद्योग क्षेत्र में कागज उद्योग में कुछ प्रौद्योगिकीय सुधार हुए हैं तथा यह पाया गया है कि उत्पादन बढ़ सकता है तथा कागज और गत्ते की वर्तमान मांग एवं उत्पादन के अन्तर को पूरा किया जा सकता है ।

लघु उद्योग क्षेत्र छोटे कागज कारखानों के लिए सुधरे हुए मॉडल तब तक नहीं कर सकता जब तक उन्हें अपने कारखानों को खड़ा करने और बढ़ाने के लिए कुछ ठोस प्रोत्साहन न दिये जाए । इस मामले में और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन मामलों में शीघ्र ध्यान दिया जाए तथा आदेश दिये जाये कि (1) किसी भी लघु उद्योग द्वारा किसी भी ग्राम या किस्म के कागज तथा गत्ते का एक वर्ष में 300 टन तक के उत्पादन के लिए उत्पादन शुल्क की पूरी छूट दी जाये, (2) मोटे, घटिया किस्म के क्राफ्ट पेपर, मनीला कागज रैपर कागट और लुगदी–गत्तों तथा अन्य ऊचों ग्राम की किस्म के कागज के निर्माण का कार्य लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित किया जाये, और (3) सरकारी कार्यालयों की रद्दी, पुराने रिकार्ड आयु वस्त्र कारखाने, और राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में बेकार कपड़े तथा कपड़े की कतरने बिचौलियों के माध्यम से न देकर सीधे लघु उद्योग कागज एककों को दी जायें । जब तक ये रियायतें नहीं दी जाती तब तक आगामी संकट का सामना करने के लिए नये क्षेत्र का निर्माण नहीं हो सकता ।

(श्री वी० शिवराज पाटिल पीठासीन हुए)

(दो) किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक सप्लाई करने की आवश्यकता

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूरी) : मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न प्रश्न को उठाना चाहता हूं ।

कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दिन–प्रति–दिन बढ़ते जा रहे हैं । मजदूरी, लोहा, लकड़ी, सीमेंट तथा अन्य वस्तुएं दुर्लभ होती जा रही है तथा उनके मूल्य आकाश को छूने लगें हैं । इस मूल्य वृद्धि तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से कृषक बिना हानि उठाये कृषक उत्पादन नहीं कर सकते तथा उनके मूल्य अलाभदायक बन गये है ।

हाल में सरकार ने यूरिया के मूल्य प्रति टन 1450–रुपए से बढ़ाकर 2000/–रुपए करके उनकी कठिनाई और भी बढ़ा दी है वृद्धि वर्तमान मूल्य का लगभग 40% है समाचार पत्रों में छपा है कि नाइट्रोजन युवत उर्वरक की कीमत यूरिया की बड़ी हुई कीमत के अनुपात से वढ़ाई जायेगी : जब तक मूल्य घटाये नहीं जाते तब तक कृषकों में भारी रोष होगा। इसलिए सरकार को उर्वरकों की कीमत नहीं वढ़ानी चाहिए। कुछ लोग समझते है कि इसका प्रभाव केवल बड़े किसानों पर, जो उर्वरक का उपोग करते हैं पड़ेगा, परन्तु यह सच नहीं है। उर्वरक का उपयोग करने वाले लगभग 80 प्रतिशत किसान छोटे तथा सीमांत किसान हैं जिन पर उर्वरक के बढ़े हुए मूल्य का प्रभाव पड़ता है।

जिन व्यापारियों ने सस्ते मूल्य पर उर्वरक खरीदे वे इस मूल्य वृद्धि के कारण किसानों की कीमत पर लाखों रुपए कमा लेंगें। सरकार को आदेश देना चाहिए कि वर्तमान स्टाक को पहले के मूल्यों पर बेचा जाये।

ब्रिटेन की सरकार, जो कि मूल्य वृद्धि के दबाव में है को भी ई० ई० सी० करार के माध्यम से महाद्वीपीय देशों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले आनाज के लिए उच्च मूल्य स्वीकार करना पड़ा ताकि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिल सके। हमारी सरकार सस्ते मूल्य पर उर्वरक देने की चली आ रही नीति को जारी रखने को क्यों नहीं उद्यत है कम से कम पेट्रोलियम उत्पादों से बनने वाले उर्वरक के मूल्य में वृद्धि न कर उसे राज–सहायता माना जा सकता है। अन्यथा किसान लोगों का यह करना उचित माना जायेगा कि अधिक मूल्य बड़ा करके उन पर प्रति हैक्टेयर 100 रुपए का बोझा डाला गया है जोकि भू–राज्यस्व से भी अधिक है।

(तीन) उड़ीसा को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में कमी

श्री चित्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : श्रीमान मैं नियम 377 के अधिन अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्न मामला उठाना चाहता हूं।

उड़ीसा को नमक, कंट्रोल का कपड़ा, चीनी, मिटटी का तेल साफ्ट कोक तथा सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तुयें आंवटित मात्रा से कम सप्लाई किया जाता है उड़ीसा की 2 लाख टन नमक की आवश्यकता की तुलना में उसे माल डिब्बे न मिलने के कारण तथा तूतीकोरन से नमक लाने पर रोक के कारण कम नमक मिल रहा है कंट्रोल का कपड़ा राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार नहीं मिलता। प्रति मास 2000 गाँवों के स्थान पर वस्त्र आयुक्त बंबई ने केवल 892 गाठें ही सप्लाई की है।

17 दिसम्बर 1979 से मई 1980 की समाप्ति तक के लिए 57,582 मैट्रिक टन चीनी का आवंटन हुआ, परन्तु 48,775 मैट्रिक टन चीनी ही प्राप्त की गई है। अत: उड़ीसा में चीनी की अत्यधिक कमी है। मिट्टी के तेल के आवंटन में भी इस राज्य में कमी की गई है। जहां तक नरम कोक का सम्बन्ध हैं इस राज्य को एक माह के लिए 250 वैगनों की आवश्यकता है जबकि मात्र 22 वेगन प्रतिमाह कोक की पूर्ति की जा रही है।

उड़ीसा सरकार को सीमेंट उसकी पूरी आवश्यकता 2 लाख टन प्रति तीन माह के अनुसार आबंटन नहीं किया गया है। केवल 77.400 टन ही अप्रैल 1980 से जून 1980 के लिए

निर्धारित किया गया था। केन्द्रीय सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त बताई गई आवश्यक वस्तुएं उड़ीसा को निर्धारित मात्रा में जल्दी दिलाने के लिए अत्यावश्यक एवं प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए।

(चार) प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटिड बम्बई में तालाबन्दी

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं नियम 377 के अधीन निम्न मामला उठाना चाहता हूं। वांवे में प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड और फीएट प्रोटोटाइप पद्मिनी कार बनाने वालों ने एक बार और तालेबन्दी की है इस तालेबन्दी के कारण कारखाने के कर्मचारी और इस कार के खरीददार प्रमुखतः टैक्सी चालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रत्येक तालेबंदी के बाद पद्मिनी कार की कीमत में वृद्धि होती है।

इस तथ्य से पता लगता है कि कम्पनी की तालेबंदी प्रबंध और कुछ ट्रेडयूनियन नेताओं के बीच सांठगांठ के कारण होती है। केन्द्रीय सरकार को इसमें शीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए और कारखाने को पुनः खुलवाने का आश्वासन देना चाहिए।

(पांच) पाकिस्तान की सीमा के पास राजस्थान के कुछ गांवों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी

श्री मनफूलसिंह चौधरी (बीकानेर) : माननीय चेयरमेन महोदय, नियम 377 के अधीन सूचना।

सूरतगढ़ तहसील एवं पाकिस्तानी सीमा से सटी हुई अनूपगढ़ तहसील क्षेत्र के अनेक गांव पीने के पानी का गम्भीर संकट का सामना कर रहे हैं। सूरतगढ़ तहसील के राजियासर, मोलसर, खारिया डीडवाना, किंगरासर, बच्छवारा, करडू, देवी दासपुरा, कोनपालसर, सांवलसर, भौजूसर, एटा, ठुकराना आदि गांवों में हालत बहुत खराब है। राजस्थान केनाल के पास के गांव जैसे पूरबसार और पल्लू में पानी की कमी है। कुंए सूख गए हैं, लोग खारा पानी पीते हैं। कीचड़युक्त पानी पीने से अधिकांश लोग बाहर निकलने से परेशान हैं। पीने के पानी की मांग को लेकर वीरधवाल, हिन्दौर, भोजूसर, देवीदासपुरा, कोनपालसर, लघेर, किंगिरासर, सांवलसर, एटा आदि ग्रामवासियों ने तथा मानकठेडी गांव ने भी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया है। प्रजातंत्र में जनता का मतदान में भाग न लेकर उसका बहिष्कार करना गम्भीर बात है। किन्तु जनता इस उग्र कदम को उठाने के लिए इसलिए विवश हो गई कि उस क्षेत्र में पीने के पानी की गम्भीर समस्या को हल करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए। यह सब गांव राजस्थान नहर के समीप स्थित हैं और पाइप लाइनों से वहाँ आसानी से पानी पहुंचाया जा सकता है। आजादी के बाद से अब तक लोग इस समस्या से जूझते आ रहे हैं यह वस्तुतः चिंता की बात है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए तुरन्त स्थायी कदम उठाए जाएं।

———

रेलवे बजट, 1980-81 सामान्य चर्चा

सभापति महोदय : अब हम रेलवे बजट पर चर्चा करेंगे । मैं माननीय सदस्य श्री भागवत झा आजाद से अपना भाषण शुरू करने के लिए कहता हूं ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सभापति महोदय मैं रेलवे बजट की हार्दिक प्रशंसा करते हुए उसकी अद्वितीय विशेषता का उल्लेख करता हूं । पूरे देश के प्रत्येक क्षेत्र में आदमी यह महसूस करेगा कि रेलवे से सम्बन्धित कुछ नई व पुरानी चीज हो रही है । अगर आप रेलवे बजट को देखेंगे तो पायेंगे कि कुछ स्थानों में नई रेलवें लाइनें बिछाई जायेंगी और कुछ जगहों में चल रहे काम को गति दी जायेगी और कुछ भाग में दोहरी लाइने बनाई जा रही है । अतः मैंने इस बजट में देखा है–और आदमी इसकी सनसनी को महसूस कर सकता है–कि देश के सभी भागों में कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी और कामरूप तक रेलवे का कुछ न कुछ काम चल रहा है ।

कुछ जगहों में नये इंजीनियर अपने सहायकों के साथ आ रहे हैं तो उस क्षेत्र के लोगों में एक नई उमंग पैदा हो रही है जिन्होंने कभी लाइन नहीं देखी है नये आदमी नयी लाइनों के लिए आ रहे हैं । हम देखते हैं कि उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में छः लाइनें और बिछायी जानी है । कुछ स्वीकृत लाइनें भी हैं जैसे रामपुर-न्यू हल्द्वानी । सप्ताह में दो बार और तीन बार चलने वाली गाड़ियां हैं । सप्ताह में तीन बार चलने वालो तेज गाड़ी जैसे नीलाचल हमें नया आराम दे रही है । इसे हम देख सकते हैं । परन्तु मौजुदाकुल स्थिति यह है कि अभी भी, हालांकि देश के बहुतायत क्षेत्रों में नहीं कुछ क्षेत्रों में कमी रह गई है ।

हम देखते है कि पिछड़े इलाकों पर अधिक जोर दिया गया है । मैं अब सबसे पहले यह विषय शुरू करता हूं । कि इसका श्रेय मुझे नही मिलना चाहिए । चूंकि सदन में दशकों से इसकी मांग थी । मैं प्रथम लोकसभा 1952 से अब तक रेलवे बजट में भाग लेता आ रहा हू और पहली बार रेलमन्त्रालय और रेलवे बोर्ड जिसे सफेद हाथी–की संज्ञा दी जा सकती है कीऊल और भागलपुर के बीच दोहरी लाइनें करने के लिए सहमत हुए जिसमें 680 लाख रुपये खर्च किये जाने हैं । उन्होंने इसे कृपा पूर्वक स्वीकार किया और इस साल के लिए 20 लाख रुपये दिये हैं । मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि काम तुरन्त शुरू होगा । आज हम तिनसुखिया से यात्रा कर सकते हैं, हमारे पास सुपर फास्ट गाड़ी विक्रमशीला भी हैं हमारे पास सप्ताह में दो बार चलने वाली गाड़ी बम्बई–भागलपुर भी है, परन्तु इन किन्ही भी सुपर फास्ट गाड़ियों से इस क्षेत्र को लाभ नहीं हो सकता क्योंकि उस लूपलाइन (अतिक्ति लाइन) एकहरी लाइन में गाड़ियां घंटों देर से चला करती हैं जिससे हम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं । यहां तक कि हमारे उत्तर बंगाल व बोन्गाई गांव के दोस्त भी इससे लाभान्वित नहीं हो सकते हैं क्योंकि इस छोटी लाइन को दुहरी नहीं किया गया है । क्या आप कल्पना कर सकते हैं की रेलवे बोर्ड और रेलमंत्रालय कितना मंदबुद्धि है । मुझे स्वय संघर्ष करना पड़ा है कभी मैं चुनौती देकर संघर्ष करता था । परन्तु इस समय मैं वह आजाद नहीं हूं इसलिए मैं श्री शरीफ और श्री कमलापति त्रिपाठी से बार–बार अनुरोध और निवेदन करता रहा हूं । मैं अब वह पुराना लड़ाकू और किसी चीज को शक्ति के बल पर लेने वाला व्यक्ति नहीं रहा । जैसा भी हो मुझे खुशी है कि उन्होंने यह कार्य किया

है । अब मेरी यही उनसे सारी प्रार्थना है कि मात्र उन्हें छोटे से क्षेत्र में दोहरी लाइन विछाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि उन्हें पूरे क्षेत्र के बारे में लूप लाइन क्षेत्र (अतिरिक्त लाइन) जहाँ रेलगाड़ियाँ समय पर नहीं चलती है के बारे में सोचना चाहिए मुझे नहीं मालूम कि रेलवे बोर्ड के नियम या परमादेश देश के उस भाग में लागू होते हैं क्योंकि पटना से कीऊल और कीऊल से भागलपुर और सियालदा तक कोई नियम नहीं है । शायद रेलवे बोर्ड व उनके अधिकारी गण इस वात को नहीं जानते हैं । छोटा सा कर्मचारी भी किसी भी समय विना कोई नोटिस के गाड़ी रद्द कर सकता है । मंत्री महोदय ने कहा है कि "मैं विशेष और व्यक्तिगत रूप से गाड़ी के समय के बारे में ध्यान दे रहा हूं ।" यह बात देश के दूसरे भाग में सही हो सकती है किंतु देश के उस भाग में नहीं क्योंकि उस भाग में समय पर कभी गाड़ी नहीं चलती है । गाड़ियों का देरी से चलना और वह भी कुछ घंटों का उस लूपलाइन में हमेशा का नियम है । मैं मंत्री महोदय और अधिकारियों से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका उनके स्टाफ पर नियंत्रण है और वे जानते है कि देश में क्या हो रहा है । कोई लाइन नहीं कोई रेलगाड़ी नहीं, कोई प्रतीक्षाकय नहीं है जनता सरकार केवल एक ही चीज अर्थव्यवस्थां के नाम पर की थी वह है कि उन्होंने भागलपुर जक्शंन में महिलाओं के पहले दर्जे के प्रतीशालय को खत्म किया । उन्होंने क्या आश्चर्य जनक सुधार किया जिसके लिये मुझे छः महीने से प्रतीक्षा थी । हर बात के लिये उन्होंने कहा कि "हाँ हम लोग मामले की जाच कर रहे हैं । "वे क्या जांच करते हैं ? हर छोटी सी बात के लिए उन्हें लिखने पर एक ही चीज कहते हैं । आप उन्हे स्टेशन बनवाने के लिए लिखेंगे तो वे कहेंगे–'मैं देख रहा हूं" । आप उन्हें दोहरी लाइन के लिए कहें तो कहते है–"मैं देख रहा हूं ।" क्या देख रहे हैं? विशेष ढग का ग्लास या रंगीन ग्लास लगाइये या हुक रखिये और बड़े छोटे का पता लगाइये। अतः मैं यह कह रहा हूं । मैं श्री कमलापति त्रिपाठी की अनुपस्थिति में राज्य मंत्री को वधाई देता हूं । मैं उनके समक्ष कुछ और कहना चाहता था किन्तु वे यहाँ नहीं हैं अतः मैं धन्यवाद देने वाले भाग को छोड़ता हूं । मेरा अनुरोध है कि आपको उक्त कार्य अवश्य करना चाहिए । सभापति महोदय शायद आप अब दोपहर के भोजन के लिए उठना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : सभा अब दोपहर के भोजन के लिए स्थगित होती है अब हम पुनः 2 बजे समवेत होंगे । माननीय सदस्य अपना भाषण तव जारी रखेंगे ।

तत्पश्चात लोकसभा मध्याहन भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थागित हुई ।

लोकसभा अध्याहन भोजन के पश्चात 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगवत झा आजाद ।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, मैंने ठीक उसी समय अपना भाषण शुरू किया था जव सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होने वाली थी । मैं कुछ ही मिनट वोल पाया था । महोदय, इस विशेष मामले में कोई विरोधी नहीं होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतला रहा था कि इस बजट की अद्वितीय विशेषता है कि देश के किसी भी भाग का काफी रेलवे के द्वारा कुछ होने या कुछ किये जाने की उमंग महसूस कर सकता है —चाहे वह नई लाइन हो या पुरानी लाइन या कुछ काम जो उन पर चल रहा है। दूसरी विशेषता इस बजट की यह है कि माननीय मंत्री श्री त्रिपाठी और उनके सहयोगी श्री शरीफ द्वारा पिछड़े इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके बिना हम कैसे लूपलाइन (अतिरिक्त लाइन) में दोहरी लाइन कीऊल और भागलपुर तक बनवाने की सपना देख सकते थे जिसकी मांग में गत पन्द्रह वर्षों से करता आ रहा हूं ? तिनसुखिया रेलगाड़ी जो एक तेज गाड़ी माना जीती है और यह विक्रमशिला सुपर-फास्ट गाड़ी तथा बम्बई भागलपुर सप्ताह में दो बार चलने वाली गाड़ी समय से नहीं चल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय हम लोग करीब साठ मील की छोटी सी दूरी के लिये दिल्ली और बुर्दवान और बोगाई गांव के बीच एकहरी लाइन चाहते थे। परन्तु उस लाइन को अब तक भी नहीं दिया गया है। रेलवे बोर्ड को इसकी कल्पना भी नहीं हुई सौभाग्यवश इस बार ऐसा हुआ मैं यह कह रहा हूं कि इस बजट की दूसरी विशेषता यह है कि पिछड़े इलाकों की ओर ध्यान दिया गया है। परन्तु यह ध्यान लंबे समय के लिये होना चाहिये। 680 लाख रुपये का 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से खर्च प्रर्याप्त नहीं है। इस तरह से इस साठ मील की दूरी वाले लाइन को पूरा होने में 34 साल लगेंगे। मैं आशा करता हूं कि यह 34 साल के लिये बल्कि 3 या 4 साल के लिए होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, कई नई लाइनों और नये जांच कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया गया है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि न तो पुरानी लाइनों जिनकी जांच पहले हो चुकी है और न ही नयी लाइनों जिनका परीक्षण कार्य किये जाना हैं, उसमें मुझे बौंसी-मन्डार हिल लाइन का नाम मिला जिसके लिये स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने आश्वासन दिया था। उन्होंने बौंसी-मन्डार हिल लाइन को देवगढ़-दुमका तक बढ़ाने का वचन दिया था, डाल्टन गंज की तरह यह भी राज्य का ऐसा मुख्यालय है जिसे रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया है। निःसंदेह माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह उनका मुख्यालय होने के कारण इस पर ध्यान देंगे। वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इसलिये उन्हें यह रेलगाड़ी मिलनी चाहिये। परन्तु वे मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेशक मैं यह कहूंगा कि रेलवे बोर्ड इस पर ध्यान दे रही है। बौंसी-मन्डार हिल लाइन का परीक्षण करने के लिये स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने जो आदेश दिया था उसका क्या हुआ, क्या वह झूठा आश्वासन था ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का आश्वासन मंत्रियों के बदलने से बदलते रहते हैं ?

मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय श्री शरीफ ने बिहार राज्य को पटना से दिल्ली जाने के लिये एक रात्रि गाड़ी का बचन दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमें वह कब मिल रही है ? (व्यवधान) श्री मधुदंडवते के समय प्रेस में ऐसी घोषणा की गई थी कि 136 नई रेलगाड़ियां पूरे देश में शुरू की जायेगी।

मैं यह देखना चाहता हूं। ये तीन, चार अथवा पांच गाड़ियां हो सकतीं हैं। कहीं

भी किन्तु ये 136 गाड़ियां नहीं हो सकतीं ये नहीं होंगी। इस में क्या इन्द्रजाल है ? उन्होंने इतनी गाड़ियां कैसे बना लीं ? भारत बच्चे पैदा कर सकता है क्योंकि यही एकमात्र लक्ष्य है जिसके रिकार्ड को हमने समूचे विश्व भर में तोड दिया है। किन्तु आप एक दिन में 136 गाड़ियां कैसे बना सकते हैं। दो महीनों में जनता सरकार ने क्या किया ? उसने विभिन्न गाड़ियों से चार या पांच डिब्बे हटा लिये ताकि उन्हें नयी गाड़ियों में जोड़ा जा सके। किन्तु फिर भी लोग गाड़ियों की छतों पर बैठं कर यात्रा करते थे। यह एक इन्द्रजाल है। मैं नहीं चाहता कि श्री शरीफ श्री दंडवते के पद चिह्नों पर चलें। क्या आप मुझे बिहार राज्य की राजधानी पटना से एक नयी गाड़ी चलाने की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं एक रास्ता आपको बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आजाद आप उनसे श्री दंडवते के पदचिह्नों पर चलने की आशा कैसे कर सकते हैं ? वह एक अन्य दल से संबंधित हैं आज तक भिन्न दल की सरकार सत्तारूढ है।

श्री भागवत झा आजाद : किन्तु वह मेरे मित्र हैं। वह ऐसा कर सकते हैं। वह चतुर व्यक्ति हैं, यद्यपि वह बहुत सीधे सादे दिखाई देते हैं। किन्तु वह चालाक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय' इसके लिये मैं एक समाधान आपको बताता हूं। भागलपुर से दिल्ली के बीच विक्रमशिला नामक एक तीव्र गति से चलने वाली गाड़ी है। सरकार को चाहिये कि वह इसे पटना से दिल्ली तक चलने वाली गाड़ी बना दे। यह गाड़ी कानपुर, लखनऊ और इसके बाद दिल्ली में रुकती है। ऐसा कर देने से कोई समस्या नहीं होगी। जब तक आप मुझे एक गाड़ी और नहीं दे सकते, तब तक इसे दैनिक गाड़ी तथा रात भर में चलने वाली गाड़ी बनाया जा सकता है। इससे देश के इस भाग में काफी अधिक लोगो को सहायता मिलेगी।

श्रीमान जी बजट में दो महत्वपूर्ण बातें कही गयी हैं। वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं उन पर जोर देना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने दावा किया है कि नयी सरकार के सत्तारूढ़ होने के पश्चात गत कुछ महीनों में रेलों ने अधिक कोयले की ढुलाई की है जिससे इस्पात संयंत्रों के पास कोयले का अच्छा भंडार हो गया है। मेरी इच्छा है कि इस कार्य को जारी रखा जाये किन्तु ऐसा अन्य वस्तुओं की ढुलाई को कम करके नहीं किया जाना चाहिये। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुएं देश के विभिन्न भागों में उनके गन्तव्य स्थानों पर पहुंचायी गयी है ताकि मूल्य स्तर को बनाये रखा जाये। जनता सरकार ने डीजल, पेट्रोल आदि के संबंध में कठिनाई पैदा कर दी थी। किसी भी तरह ये सभी वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंची तो सही। यदि ये वस्तुएं लोगों तक न पहुंचती तो गत विधान सभा के चुनावों में हमारा क्या हाल हुआ होता ? हमने लोगों के लिये काम किया और हमें मत प्राप्त हुये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को अनुसंधान तथा विकास पर उचित बल देने के लिये बधाई देता हूं। बड़ी जनसंख्या वाले हमारे देश को हमेशा बड़ी संख्या में गाड़ियों, बोगियों तथा यात्री डिब्बों की आवश्यकता रहेगी। इन बोगियों और यात्री डिब्बों को एक दिन में तो नहीं बनाया जा सकता और इसके अतिरिक्त वित्तीय बाधाएं भी हैं। इसलिये केवल अनुसंधान

और विकास पर जोर देकर ही हम बोगियों तथा यात्री डिब्बों के नये डिजाईन प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारी सदैव बढ़ते रहने वाली मांगों को पूरा किया जा सके : अनुसंधान और विकास पर यह जोर देना एक सही दिशा में कदम है और मैं मंत्री महोदय को इसके लिये बधाई देता हूं।

श्रीमान जी, मैं कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धी कार्य के महत्व की ओर ध्यान दिया है। यह बात सच है। अब उत्पादिकता संबद्ध बोनस रेल कर्मचारियों को दिया जा रहा है। इसका स्वागत है। दूसरों को भी इसका अनुसरण करना चाहिये। किन्तु मैं यह बात तुरन्त कहूंगा कि कल्याण कार्यों में वृद्धि कर देने तथा उत्पादिकता संबद्ध बोनस दे देने के साथ-साथ रेल कर्मचारियों के कार्य में भी सुधार होना चाहिये। हम ने देखा है कि जब गाड़ियों को चलाने में रेल कर्मचारी अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, तो वे किस प्रकार उत्साहवर्धक परिणाम दे सकते हैं और यदि वे सहयोग देना बंद कर देते हैं, तो वे अन्यवस्था भी पैदा कर सकते हैं। अतः कल्याण संबंधी कार्य का विस्तार किया जाना चाहिये और उत्पादिकता से संबद्ध बोनस दिया जाना चाहिये किन्तु इसके साथ उन्हें सर्वोत्तम कार्य-निस्पात करने के लिये भी कहा जाना चाहिये।

श्रीमान् जी, इस सबके लिये हमें धन की आवश्यकता है, और इस प्रकार किरायों में वृद्धि आदि की जा रही है। हम नयी लाइनों की मांग करते चले आ रहे हैं, वर्तमान लाइनों के लिए हम नई सुविधाओं की मांग करते आये हैं। अतः, उनके लिये भी धन की आवश्यकता है : श्री मधु दंडवते ने दावा किया है कि सम्भवतः यह बचत का बजट उन्हीं के कारण से हुआ है : ऐसा 'उन्हीं के कारण से क्यों ? उनके तीन वर्षो के कुशासन में क्या कभो ऐसा हुआ था कि कभी कोई गाड़ी समय से आयी हो ? क्या उस अवधि के दौरान किसी प्रकार का अनुशासन था ? क्या कोई उत्पादन हुंआ था, क्या कोई गाड़ी समय पर चली है, जैसा कि मैंने पहले कहा है ? वही ड्राइवर है, वही 'रेलवे ट्रेक' है। कम से कम उन्होंने उन्हें पूरी आजादी दे दी थी। पटना स्टेशन पर आप को देखकर आश्चर्य होगा कि सार्वजनिक सम्बोद्धन पद्धति द्वारा यह बताया गया : --

ड्राइवर साहब, कृपा कीजिये आप गाड़ी ले जाइये, गाड़ी आने वाली है, और ड्राईवर साहब अनुपस्थित हैं कोई भी व्यक्ति परवाह नहीं करता। आप पटना जंक्शन पर सार्वजनिक सम्वोधित पद्धति द्वारा इस प्रकार से घोषणा की जाते देखते हैं। इसी कारण से मैंने एक बार प्रश्नकाल के दौरान यही बात कही थी। यह एस० पी० का प्रश्न है। एस० पी०, डी० एस० पी० के अधीन है। डा० एस० पी० कांस्टेबल के अधीन है। इसी प्रकार रेलवे बोर्ड में, रेलवे बोर्ड डिवीजन के अधीन है, डिवीजन सब डिविजन के अधीन है, डिविजन सब डिविजन के अधीन और वे ड्राइवरों के अधीन हैं। यह अनुशासन का कौनसा मानदंड है। मंत्री महोदय ने कहा 'मैं गाड़ियों के समय पर चलने के बारे में विशेष रूप से ध्यान दे रहा हूं। श्रीमान् जी. हम यहां पर रचनात्मक आलोचना कर रहे हैं। माननीय सदस्यों खड़े होकर ईमानदारी से बतायें कि उनमें से कितनों ने ऐसा देखा है। मैं यात्रियों के बारे में कह रहा हूं, उनके बारे में भूल

जाइये, यात्री तो हैं ही नहीं । श्रीमान जी, मैंने कुछ समय पूर्व अपने बजट भाषण में कहा था कि तीन प्रकार की गाड़ियां होनी चाहियें अर्थात 'लूट गाड़ियां,' 'विलम्ब गाड़ियां' और 'भरोसा गाड़ियां' होनी चाहियें । यही कुछ मैंने कहा था। किन्तु अब मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। जब तक नये माननीय सदस्य सब बातें स्वयं नहीं देख लेंगे, तब तक उन्हें भरोसा दिलाना कराना कठिन होगा और वे समझने में समर्थ नहीं हो पायेंगे, किन्तु कुछ महीनों में वे जान जायेंगे। गाड़ियों के समय पर चलने के बारे में क्या है ? नीलांचल एक्सप्रैस को ही लीजिये, कल या एक दिन पहले यह 3 घंटे लेट थी। तिनसुखिया एक्सप्रैस 4 घंटे लेट थी । ऐसा क्यों ?. मेरे विचार में प्रभाव अगले 6 सप्ताह में महसूस होना शुरू हो जाना चाहिये और गाडियों को समय पर चलना चाहियें । मैं न केवल अपनी सुविधा की दृष्टि से ही कह रहा हूं । आप इस बात को सोचिये कि प्लेटफार्मों और रेलवे स्टेशनों आदि पर प्रतीक्षा करते हुये लाखों लोगों के कितने घंटे नष्ट हो जाते हैं । आप इस बात को सोचिये कि करोड़ों रुपयों में देश को कितनी हानि होती है । इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि समय पर गाड़ियाँ चलें ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति यही है ।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय को एक बात मिल गयी जब वह यह कहते हैं कि कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति यही है । वह तुरन्त बिहार का नाम ले सकते हैं और मैं इस संदर्भ में कुछ समस्याओं पर तुरन्त विचार कर सकता हूं । किन्तु अन्य स्थानों के बारे में क्या है ? कर्नाटक के बारे में क्या हे ? देश के अन्य भागों के बारे में क्या है, जहां गाड़ियां अभी भी समय पर नहीं चल रही हैं ? क्या आप कह सकते हैं कि ऐसी विशेष बात देश के किसी एक भाग के लिये कही जा सकती है ? यदि ऐसी बात है तो मैं कहता हूं, इसमें एक बात है । किन्तु, श्रीमान जी, हम देख रहे हैं कि अधिकांशतः गाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं। कृपया आप इस पर निगरानी रखिये । इसी शब्द पर उद्योग मंत्री द्वारा बार-बार आज प्रातः जोर दिया गया है । आप निगरानी रखिये और हमें बताइये कि आप की निगरानी का क्या परिणाम निकला है । अतः मैं जो कह रहा हूं वह यह है ; यह किराया वृद्धि आवश्यक थी क्योंकि रेलवे को उत्पादकित से संबंद्ध बोनस देना पड़ा । ईंधन का खर्चा बढ़ गया। मूल्यह्रास निधि को बढ़ाना । आपको स्थागित भुगतानों की ओर भी ध्यान देना है । इन सभी को मान लिया गया है । श्री मधु दंडवते दावा करते हैं कि बचत का बजट होना चाहिये था । किन्तु, आपने अपने समय में क्या किया । आपने कहा 'आप आये हैं, ठीक बात है, आप कुछ करोड़ ले जाइये । दूसरे को आपने कहा "आप आये हैं, कुछ करोड़ ले लीजिए ।" यही कुछ आपने किया । उसी कारण से रेलवे की देनादारियां बढ़ गयी है । अतः, मंत्री महोदय को यात्री किरायों और माल भाड़ों को बढ़ाना पड़ा है । किन्तु मैं यह कहूंगा कि भाड़ों और किरायों में वृद्धि अवैज्ञानिक ढंग से नहीं की जानी चाहिये, मंत्री महोदय को 15 प्रतिशत की समान दर लगाने का लालच नहीं करना चाहिये । यातायात जांच समिति बनी हुई है । मंत्री महोदय ने उसका उल्लेख किया है । मैं उस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाया । हम सामान्यतयः उसके द्वारा कही हुई बात को

देखते हैं। वह चाहती है कि परिवहन नीति लागत आधारित होनी चाहिये। जी हां, सिद्धान्त रूप से मैं इस बात से सहमत हूं। किन्तु मूल्यांकन करते समय लागत वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिये। यदि उसमें अन्तर्निहित गतिशीलता और लागतन्वेतन कार्यकुशलता हो, तो सभी कुछ ठीक हो जायेगा। किन्तु दुर्भाग्यवश गत दो दशकों के दौरान इन दो बातों के बारे में हमें कोई उत्साहवर्धक प्रवृति नहीं पाये हैं। और इसलिये यह लागत आधार ठीक है, किन्तु कार्यकुशलता हेतु एच्छिक सहयोग भी होना चाहिये। यातायात जांच समिति ने कहा है कि मितव्यता एवं कार्यकुशलता की गुंजाइश है। मैं यह कहूंगा कि रेल मंत्री महोदय को भाड़ों और किराओं में वृद्धि करते समय अवश्य ही इस पर भी विचार करना चाहिये।

गत अन्तिरिम वजट पर चर्चा में भाग लेते समय मैंने रेलवे विभाग द्वारा सुरक्षित विद्युत संयंत्रों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। हम देश में व्याप्त परिस्थितियों और देश में विद्युत की मांग के बारे में जानते है। रेलवे विभाग अपने सुरक्षित संयत्र स्थापित करने में समर्थ है। और उसके द्वारा यह कहा गया है कि वह इस बारे में विचार कर रहा है। रेल प्रशासन को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

जब तक रेलवे प्रशासन अपने कार्य में कार्यकुशलता नहीं ला सकता, बस केवल 7000 किलोमीटर और जोड़ने के लांछन को दूर नहीं कर सकता जो विश्व में अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। ऐसा केवल विकसित देशों में नहीं, प्रत्युत अफ्रीका आदि के देशों में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसे ध्यान में रखा जामें चाहिये।

मितव्यता बरतने के बारे में मैं एक अन्य बात का सुझाव दूंगा। रेलवे प्रशासन को रेलवे 'उठाईगीरी' बल को पूर्ण रूप से भंग कर देता चाहिये। आप इसे रेलवे सुरक्षा बल कहते है; बिल्कुल गलत बात है। यह रेलवे 'उठाईगीरी' बल है। क्या आप को पता है कि रेलों में कितनी अधिक हानि होती है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि दिल्ली में बैठे हुए आप को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि देश में ऐसे भाग भी हैं जो भागलपुर, सयालदा और बोंगाई गाँव के बीच अतिरिक्त लाईने (लूप लाइनें) हैं जहां कि बहुत सी सुविधाएं विद्यमान ही नहीं है प्रतीक्षालय में छोटी सी चीज के लिये हमें आप से झगड़ा करना पड़ता है और आप को पत्र लिखने पड़ते है। तथा उत्तर मिलता है "मैं मामले पर ध्यान दूंगा।" हमें एक छोटी चीज, भागलपुर में जनरेटर नहीं मिलता है। निसन्देह आप के प्रयासों से इकहरी लाइन की बाधा को दूर कर दिया जायेगा—मैं आशा करता हूं कि आप इस लाइन का निर्माण आरम्भ करने के लिए एक विशेष कार्यकारी बल नियुक्त करेंगे। हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जायेगा परन्तु यह बहुत आवश्यक है कि आप को उस अतिरिक्त लाइन (लूप-लाइन) की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए जहाँ आप के अधिकारी विना सूचना के गाड़िया रद्द कर देते है। ऐसा करने का आप को कोई अधिकार नहीं है। यदि वैसा करते है तो इस प्रकार की बात को ध्यान में रखिये जो एक पक्के इरादे को प्रोत्साहन देगी जिसका अर्थ होगा : रेल का चक्का जाम रहेगा। और उसके बाद आप के सामने समस्यायें

उत्पन्न हो जाएगी । इस विचार से ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । अन्त में, मैं मंत्री महोदय को एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं परन्तु मैं उन से मितव्ययता करने तथा कार्य-कुशलता बढ़ाने की आशा करता हूं ताकि हम अधिक यातायात रख सके, हम अधिक राजस्व प्राप्त कर सके तथा अधिक विकास कर सकें । और मैं आशा करता हूं कि उस विकास में भागलपुर तथा अन्य भागों के लिये तथा लूप लाइन में भी हमें उचित हिस्सा प्राप्त होगा जिसे बहुत दिनों से उपेक्षित रखा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सत्तारूढ़ दल से अनेक सदस्य बोलने वाले है । मैं सभी सदस्यों को अवसर प्रदान करना चाहता हूं । इसलिये, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनमें से प्रत्येक पांच मिनट का समय लें उन्हे समय का ध्यान रखना चाहिए और सही पाँच मिनट के बाद भाषण बन्द कर देना चाहिए ।

श्री पी० ए० संगमा (तुरा) : मैं रेल मंत्री महोदय को बजट प्रस्तुत करने के लिये वधाई देता हूं जो उन्ही के शब्दो में, राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को फिर से ठीक कर देगी । विशेषकर मैं मंत्री महोदय का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 6 नई लाइनों पर कार्य करने के लिये अधिक धन राशि का प्रावधान करने के लिए आभारी हूं ।

सभा इस बात से अवगत है कि उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में 5 राज्य तथा 2 संघ राज्य क्षेत्र है जिनमें से सही अर्थ में असम राज्य को छोड़ कर किसी राज्य में भी अभी तक कोई रेल संपर्क नहीं है । निसन्देह, नागालैंड में दीमापुर में कुछ किलोमीटर लम्वी रेलवे लाइन है । परन्तु उसको छोड़कर उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में किसी भी राज्य में कोई रेलवे संपर्क नहीं है । मुझे प्रसन्नता है कि यह सरकार उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में नई रेल लाइनें डालने पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

रेलवे इस देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यकरूप से एक मूलभूत ढांचा है । इस लिए इस क्षेत्र के आर्थिक विकास की दृष्टि से इन राज्यों का रेल से सम्पर्क बनाना वहुत अनिवार्य है । यद्यपि उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के लिए 6 नई रेलवे लाइषें दी जा चुकी है मैं कहूंगा कि वे विलकुल भी पर्याप्त नहीं है । मेरे अपने राज्य में रेल-संपर्कों के बारे में मेरा निवेदन है कि मेघालय के दक्षिण में केवल एक स्टेशन है जवकि सारी रेल लाइन असम राज्य में है । बहुत से प्रमुख स्थान है जहाँ रेलवे लाइनें दी जा सकती थीं । इस संबंध में सर्वेक्षण पहले ही किए जा चुके हैं । मैं नहीं समझता हूं कि जनता सरकार ने गत वर्ष अधिक महत्वपूर्ण लाइनों को छोड़कर कम महत्वपूर्ण लाइनें क्यों चुनी थी । उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र को सैदव ही बड़ा संवेदनशील कहा जाता रहा है । सभी 5 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों की वहुत लम्वी अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें हैं । इस लिए, न केवल आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में रेलवे लाइनों की अपेक्षा की जाती है । इस सभा को याद होगा कि 2 युद्ध जो भारत को लड़ने पड़े थे एक बार 1962 में तथा दूसरे 1971 में उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में हुए थे । चूंकि सारा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भाग है जिसकी एक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है मैं महसूस करता हूं कि वहाँ पर अधिक रेलवे लाइनें दी जानी चाहिए थी ।

आर्थिक दृष्टि कोण से यह सभा तथा समस्त देश यह जानता है कि उत्तरी क्षेत्र बहुत

पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैं सरकार से वहाँ अधिक रेलवे लाइनें देने का अनुरोध करता हूं। मेरे जिले में नए सर्वेक्षण किए जा चुके है। उदाहणार्थ गारो पहाड़ियों मे गोल पारा से महेसकोला तक लाइन संभव है। मैंने गत वर्ष की इसकी मांग की थी। इस पर ध्यान देने के लिए में सरकार से पुनः अनुरोध करता हू।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : डिप्टी स्पीकर साहब, 5 मिनट के अन्दर तकरीर नहीं हो सकती, इस लिए मैं जल्दी-जल्दी अपनी बातें आप के सामने रखूंगा। मेहरबानी कर के मेरे प्वाइन्टस को मुकम्मिल हो जाने दें।

मैंने इस बजट को देखो और स्पीच को पढ़ा और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह बजठ काफी सोच-विचार के बाद तैयार किया गया है। इस में कुछ ऐसी बातें जरूर हैं, जिन पर नुक्ता-चीनी की जा सकती है, मगर समस्याओं को हल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इस में जो कदम उठाए गए हैं, काफी सोच-समझ कर उठाए गए हैं। यह कहा गया है कि यह कन्जर्वेटिव बजट है, इस में डायनैमिज्म नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि देखने में चाहे डायनैमिक नजर न आए, लेकिन काफी सोच-विचार के बाद इस को पेश किया गया है।

जहाँ तक गाड़ियों के लेट-रनिंग का ताल्लुक है --यह समस्या मुल्क के हर हिस्से में है, विहार में ज्याद है और जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा है यह जैनरल ला-एण्ड-आर्डर को रिफलैक्ट करता है, इसी लिए वहां ज्यादा नजर आता है, दोनों बातें दुरूस्त हैं। इस के लिए हमारी रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे बोर्ड को सोचना होगा कि पहले हमारी गाड़ी कैसे वक्त पर चलती थीं और आज क्यों नहीं चल रही हैं। मगर यह है कि पहले के मुकाबले में इम्पूवमेंट है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा संकता।

एक बात में आप से अर्ज करूंगा और आप के जरिए रेलवेमिनिस्ट्री से अर्ज करूंगा कि देश के एकोनामिक डेवलपमेंट के लिए तो रेलवे जरूरी है ही लेकिन मुल्क के डिफेन्स को भी मध्य नजर रख कर जब तक आप रेलवे नहीं बनाएगें, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। होता क्या है कि यहां पर अगर कहीं से प्रेशर पड़ गया, तो रेलवे लाइन बना दी जाती है वरना जहां उन की बृहुत जरूरत है, वहां नहीं बनती है। हमारी जम्मू स्टेट को ही आप लीजिए। उस स्टेट का 3 मुल्कों कें साथ इन्टरनेशनल बोर्डर है, चाइना के साथ है, रूस के साथ वह मिलता है और पाकि-स्तान के साथ वह मिलता है। जहां तक रेलवे का ताल्लुक है, वहां पर वे बहुत कम हैं और हैं भी तो सिर्फ रेलवे का सिंगिल ट्रैक्ट ही है। अगर सिंगिल ट्रैक्ट आप रखेगें तो इस से आप इस मुल्क को डिफेन्ड नहीं कर सकते हैं। जब तक आप हमारे यहां रेलवे लाइनों को नहीं बढ़ायेंगे और रेलों का जाल नहीं विछाएगें, तब तक आप डिफेन्स की जरूरयात को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि सड़कों के जरिये से डिफेन्स की जरूरयात पूरी हो जाएंगीं, तो यह नामुमकिन बात है। श्रीनगर तक एक रेलवे लाइन ले जाने के सर्वे में देर लग रही है और इस स्पीच में भी उस का कोई जिक्र नहीं है। यह निहायत अफसोस की बात है कि इतने बड़े रेलवे के मंत्री पंडित जी हों और श्री जाफरश शरीफ स्टेटमिनिस्टर हों और इतना सब होने के बाद भी जम्मू व काश्मीर का नाम इस में नहीं है जोकि एक की स्टेट है और जिस से इस मुल्क को

डिफेन्ड किया जा सकता है, नार्थ इस्टर्न रीजन को डिफेन्ट किया जा सकता है। उस की बात इस में आने से रह जाए, इस तरह की भूल हो जाए, यह बड़े गजब की बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है। इस चीज की तरफ आप को ध्यान देना चाहिए इसलिए एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप डबल ट्रेकिंग नहीं करेगें जालन्दर से ले कर जम्मू तक, आप देश के डिफेन्स की तमान जरूरयात को पूरा नहीं कर सकते हैं, न गुड्स ट्रेफिक को पूरा कर सकते हैं, न यात्री ट्रेफिक को पूरा कर सकते हैं और न डिफेन्स सर्विसेज की जरूरयात को पूरा कर सकते हैं।

इसलिए आप को डबल ट्रैकिंग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। वहां पर डे टू डे ट्रैफिक की जरूरयात को पूरा करने के लिए डबल ट्रैकिंग की बहुत जरूरी है और मैं तो यह कहूंगा कि अगर कहीं पर आप को डबल ट्रैकिंग करनी है, तो यह जालंधर से जम्मू तक होनी चाहिए। उसे पूर्व रूप से छोड़ दिया है। इसकी बहुत ही दयनीय दशा है। इस तरह से आप यह देखें कि हमारी जम्मू व कश्मीर स्टेट जो है, वह रेलवे के मालले में बिल्कुल बैकग्राउन्ड में पड़ गयी है। इस से इन्कार नहीं किया जा सकता। जहां तक ट्रान्सपोर्ट का सवाल है, रेलवे से चीपर और ट्रान्सपोर्ट नहीं हो सकता। हमारे यहां न लोगों की कोई ज्यादा आमदनी है और न वहां पर इंडस्ट्री है। एक दो जगह जम्मू या श्रीनगर में अगर कहीं इंडस्ट्री है भी, तो उस से लोगों का पेट नहीं भरता और उन की जरूरयात को पूरी करने के लिए दूसरी चीजें बाहर से अगर आप ले जाएगें, तो आज आप यह देख रहे हैं कि बाई रोड ले जाने में वे वहुत महँगी पड़ेगी क्योंकि डीजल की कास्टर वढ़ रही है, पेट्रोल की कास्ट बढ़ रही है। इस तरह से वह माल बहुत मंहगा उन को मिलेगा, तो वे लोग क्या खांएगें। इसलिए चाहे वैगन्स का सवाल हो और चाहे रेलवे लाइन देने का सवाल हो, हमारे एरिया को प्रायटरी मिलनी चाहिए क्योंकि अगर वहां के लोग डिसकन्टेन्टे रहेगें, तो वे मुल्क की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। मुल्क का डिफेन्स तो वहीं के लोग कर सकते हैं। (व्यवधान) मुझे दो मिनट और दे दीजिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेन्ट मसले उठाने हैं।

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि आप की जो झेलम एक्सप्रेस जाती है या जम्मू-तवी मेल जाती है, उन के स्टोपेज वहुत कम हैं। उन के स्टोपेज पूरे होने चाहिए। इस से ज्यादा इस मामले में मैं और नहीं कहूंगा। एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां फ्रूट तैयार होता है। उस फ्रूट के लिए और टिम्वर के लिए ट्रान्सपोर्ट का पूरा इन्तजाम करना चाहिए इस वक्त उस के लिए डनरडीकेट इन्तजाम है। एक वात मैं यह कहता हूं कि दिल्ली से जम्मू और वापस, अमृतसर से जम्मू और वापस। इस किस्म की डेट्रेन वहुत लाजमी है। एक ट्रेन सरगोधा ट्रेन हैं, जो अहमदाबाद से चलती है, उस में जितने विजिटर्स लोग आते हैं, वह दिल्ली में आ कर खड़ी हो जाती है, सुवह आ कर खड़ी हो जाती है और इस तरह से उन लोगों का दिन खराब होता है। अगर उस ट्रेन को जम्मू तक पहुंचाया जाय, तो विजिटर्स, टूरिस्ट्स अपनी जगहों पर सही समय से पहुंच जाएगें और हमारा डेट्रेन का मतलव भी पूरा हो जाएगा।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि अमृतसर एक डिस्ट्रीव्यूटिंग सेन्टर है। इसलिए

वहां से हमारे यहां के लिए एक डेट्रेन चलनी चाहिए। बातें तो मुझे बहुत कहनी थीं लेकिन वक्त नहीं है। मैं सिर्फ एक बात यह और कहना चाहता हूं कि एक प्रोजेक्ट था, जिस को मैं जिस के नोटिस में लाना चाहता हूं। रेलवे के पास दुकानें बननी चाहिए और रेलवे के पास जो टैक्सी वाले हैं, उन को फैसेलिटीज मिलनी चाहिए जहां पर वे अपनी गाड़ियों को खड़ी कर सकें। पेसेंजर्स जाते हैं, उनको शेलटर्स मुहैया करने चाहिए। यह हमारे रेलवे के स्टेट मिनिस्टर के नोटिस में आया है। इनको जल्दी कम्प्लीट करना चाहिए ताकि बेकार नौजवानों को दुकानें मिल जाएं। पहले उन्होंने वहां पर शेड्स बनाए हुए थे जो कि उखाड़ दिए गए, यह कह कर उखाड़ दिए गये कि स्टेशन के सामने शेड्स नहीं होने चाहिएं। इस चीज की तरफ जल्दी तवोज्जह दी जानी चाहिए और जम्मू में स्टेशन का एक्सपेन्शन होना चाहिए।

मैं एक सजेशन देना चाहता हूं। हमारा जिनता गुड्स का लोड है वह बड़ी मात्रा में श्रीनगर को माल जाना है। उस गुड्स क लोड को हीरागढ़ में करें जो कि बाईपास ट्रांसपोर्ट से के पास है। इ ससे आपका काम इस वक्त जो आपके पास प्रेजेन्ट एको मोडेशन है उस से चल जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, टाइम थोड़ा है इसलिए में ज्यादा कह नहीं सकता हूं। मजबूरन मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए बैठ जाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शेजवलकर।

श्री कुम्भाराम आर्य (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल से इन्तजार कर रहा हूं बोलने के लिए। मेरा नाम भी मेरी पार्टी की तरफ से आपको भेजा गया है। मैं कल भी इन्तजार कर रहा था। और आज भी इन्तजार कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पहला दौर समाप्त होने दीजिए। आप दूसरे दौर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने पहले दौर में भी भाग नहीं लिया।

श्री शेजवलकर : आपके पास पन्द्रह मिनट का समय है और सूची में चार नाम हैं। यह आपकी सूचना के लिए है।

श्री एन० के शेजवलकर : (ग्वालियर) यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे रेलवे बजट पर कुछ विचार प्रकट करने का अवसर मिला है। मैंने आज श्री आजाद का भाषण ध्यान से सुना है। वह न्यायालय में वकील की तरह से दलील दे रहे थे। जब न्यायाधीश ने उनसे कहा कि वह उनकी बात पर नाराज है तो भी बह अपनी बात कहते चलें गए। उन्होंने कहा है कि सब तरफ ऐसी भावना है कि देश के हर भाग को कुछ दिया गया, वह इसके अलावा बजट को कोई अन्य समर्थन नहीं दे सके तथापि इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है इससे बड़ी भारी मूल्य वृद्धि हुई है। यह ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए हालांकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने यह कहा है कि इससे मूल्यों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

परन्तु मुख्य प्रश्न यह है : बजट बनाते समय मुख्य विचार क्या होना चाहिए ? क्या यह एकदम सामान्य बजट होना चाहिए ? यदि इसमें कुछ घाटा अर्थात लगभग 2 करोड़ रुपये

का है तो आप सीधे भाड़े तथा यात्री की दरों की प्रतिशतता बढ़ाते हैं और घाटे को पूरा करते हैं। क्या यह उद्देश्य हो सकता है ? हमें आगामी 20 वर्षों के लिए व्यवस्था करनी होती है। योजना क्या होनी चाहिए ? क्या राष्ट्र के लिए समेकित परिवहन नीति नहीं होनी चाहिए ? क्या रेलवे पर पृथक् रूप से, या अन्य परिवहन सुविधाओं विशेषकर सड़क परिवहन के साथ विचार किया जाना चाहिए ? अन्ततः 20 बर्ष बाद, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और हम उसे किस ढंग से प्राप्त करने जा रहे हैं ? हमारे सामने सही स्थिति नहीं है। इस तरह से मुझे डर है, हम राष्ट्र के साथ तथा उस पद के साथ जिस हम आसीन हैं न्याय नहीं कर रहे हैं। यातायात जाँच समिति ने सन 2000 ई० में भारतीय रेलवे द्वारा चलाये जाने वाले अनुमानित यातायात का उल्लेख किया है और इसने कहा है कि रेल में वृद्धि करने तथा प्रतिस्थापन करने तथा सन 2000 ई० तक रेल के विकास के लिए कुल परिव्यय, 1977-78 के मूल्यों पर, लगभग 36,000 करोड़ रुपये होगा; इससे यह मान लिया गया है कि इस शोधित योजना के प्रथम वर्ष के लिए परिव्यय 1,000 करोड़ रु० होगा। "प्रतिस्थापन की आवश्यकता को जोड़कर सन 2000 ई० तक रेलवे के विकास का कुल परिव्यय 1977-78 के मूल्यों पर लगभग 36,000 करोड़ रु० होगा। यह मान लिया जाए कि छठी योजना के प्रथम वर्ष का परिव्यय उस स्थिति में यदि 20 वर्षों के लिए 36,000 करोड़ रुपये का परिव्यय पूरा हो जाता है तो 1000 करोड़ रुपये होगा। उस स्थिति में कि 36000 करोड़ रु० का कुल परिव्यय उपलब्ध रहेगा जो कि 20 वर्षों में पूरा होगा तो 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है जिसके विपरीत जैसा कि हर कोई जानता है, 600 से अधिक करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है।

यह एक समस्या बन जाएगी कि इन सबको कैसे प्राप्त किया जाए; जो एक बड़ी समस्या है ? इस संबंध में मुझे डर, है कि कोई उचित ध्यान नहीं दिया गया है कि यात्री यातायात बढ़ता ला रहा हैं यात्री यातायात का क्या अनुपात है; क्या जनसंख्या वृद्धि तथा राष्ट्रीय आय वृद्धि के बीच कोई अनुपात है ? उस पर विचार नहीं किया गया है। मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार यातायात में बृद्धि हैं, जो जनसंख्या तथा राष्ट्रीय आय के अनुपातिक रूप से विभिन्न है। विचारण हेतु हम उसे साधन मान सकते हैं, उसके आधे को ही। परन्तु वह हिसाब में नहीं लिया गया है तथा मुझे डर है—यह सही ढंग से कार्य कर सकती है ?

सड़क परिवहन के संबंध में भी उदाहरणार्थ, कुछ स्टेशन है जहाँ इन दिनों रेलवे लाइन बिछाने की लागत, मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 10 लाख प्रति किलो मीटर आती है। ऐसे ऊँचे पूंजी व्यय के साथ, क्या सारे देश में दूर-दराज के स्थानों पर लाइनें बिछाना उपयुक्त होगा जब कि यह किफायती नहीं है। क्या बहुत सी रेलवे लाइनें बिछाना संभव होगा। इन परिस्थितियों में क्या यह आवश्यक नही है कि क्या कोई विकल्प रेलवे के साथ सड़क परिवहन की व्यवस्था नहीं की जा सकती है ? इस स्थिति में मेरा विनम्र सुझाव यह है कि समेकित परिवहन मंत्रालय होना चाहिए जो रेलवे तथा सड़क परिवहन पर एक साथ विचार कर सके। मैं समझता हूं कि अगले आने वालें 20 वर्षों के लिए समेकित तथा एकीकृत नीति बनाई जा सकती है।

कार्य कुशलता एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जिसे हम भूल रहे हैं, यह है कि हम तीस साल पुराने जमाने में रह रहे हैं। उदाहरण के लिए, इन्टीग्रल कोच फैक्टरी और दूसरी वैगन फैक्ट्रियां हमारे पास हैं। परन्तु अब भी डिब्बों की संख्या पर्याप्त नहीं है। जो डिब्बे रेलों में चल रहे हैं वे दुरुस्त नहीं हैं। वे बुरी हालत में हैं। इन सब चीजों की हमारे यहां अत्यधिक कमी है। इसका क्या कारण है ? कारण यह है कि जो कारखाने हमारे पास इन वाहनों को ठीक-ठीक रखने के लिए हैं वे पुराने ढंग के हैं—तीस साल पुराने इस संबंध में एक रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ी है। उसमें बताया गया है कि मशीनों के 80 प्रतिशत पुर्जे पुराने हो गए हैं। उस स्थिति में आप अच्छी तरह कल्पना कर सकते हैं कि कारखाने क्या कर सकते हैं ? वास्तव में इन कारखानों को सुधारने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता हुआ है। 1978 में उन्होंने बैंक से इन कारखानों के आधुनिकी करण हेतु 95 करोड़ डालर के ऋण की व्यवस्था की थी। परन्तु बजट में इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गर्या है। विश्व बैंक ने 95 मिलयन डालर दिए तब भी भारत सरकार द्वारा 95 मिलियन डालर की व्यवस्था की जानी होगी। इससे ऐसा नहीं लगता कि उस बात पर किसी तरह का विचार किया गया है।

मैं आधुनिकीकरण से सम्बन्धित विस्तृत विवरण में नहीं जाना चाहता परन्तु में आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ मुद्दों का उल्लेख करूंगा तब मिट्टी के तेल से ब्रश से सफाई करने की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर रालर नियरिंगस की अल्ट्रा सोनिक तरीके से सफाई, एक्सल बाक्स की भाप से चिकनाई दूर किया जाना, परतदार वियरिंग स्प्रिग पत्तियों का रख चालित उभार आदि, जब तक इन चीजों को शुरू नहीं किया जाता तब तक कारखानों की क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता और स्वाभाविक है कि हम पिछड़े रहेंगे।

आधुनिकीकरण केवल कारखानों तक ही सीमित नहीं है मैं चाहता हूं कि दूसरे क्षेत्रों में भी आधुनिकीकरण पर विचार किया जाए। उदाहरण के लिए यह जानी-मानी बात है कि बिजली के इंजिनों के मामलों में रेल इंजिनों की क्षमता बहुत ज्यादा है। डीजल के इंजिनों में यह कुछ कम है और भाप के इंजिनों में यह क्षमता एकदम आधी है। इसलिए जहां तक संभव हो, ज्यादा से ज्यादा विद्युतीकरण किए जाने का प्रयास किया जाना होगा। दुर्घटनाओं से बचने और रेलों को समुचित रूप से चलाने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें आवश्यक हैं, जैसे संकेतन (सिगनेलिंग) दूरसंचार, सुरक्षाकार्य, स्वचालित ब्लाक संकेतन, रास्ते में किए जाने वाला अंतःपाशन (रूट रिले इन्टरलार्किग), सादा अंतः पाशन (पेनल इन्टरलार्किग) मार्ग परिपचन (ट्रेक सरकटिंग) स्वचालित रेल नियंत्रण, सूक्ष्म तरंग सम्बद्ध रेलगाड़ी और यार्ड रेडियो तंत्र और सड़क की क्रासिग पर सुरक्षा साधन इन सब चीजों के लिए प्रावधान किए जाने हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित सभी पत्रिकाओं में इन चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है, उन्होंने उल्लेख किया है कि लखनऊ में एक अनुसंधान प्रयोगशाला है जो इस बात की निगरानी कर रही है, परन्तु आपने यह बात स्पष्ट नहीं की है कि आपने उसके लिए क्या प्रावधान किया है।

यात्री सुविधाओं की बात की जाए, अब समय आ गया है कि हमें आरक्षण कार्य के लिए संगठन का प्रयोग करना चाहिए। जितना जल्दी संभव हो सके, यह किया जाना चाहिए क्योंकि

आप उन यात्रियों की दुर्दशा की अच्छी तरह कल्पना कर सकते हैं जो आरक्षण के लिए लाइन लगाते हैं। समयाभाव के कारण में विस्तृत विवरण में जाए विना सिर्फ मुख्य बातों का उल्लेख कर रहा हूं। बड़े शहरो में हम हमेशा यही देखते हैं कि रेलवे पूछताछ कार्यालय के फोन हमेशा व्यस्त रहते हैं। इसका मतलब है पूछताछ के लिए नियत किए गए टेलीफोनों की संख्या अपर्याप्त है। इसलिए इस तरह के टेलीफोनों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जानी चाहिए।

यह आपकी बड़ी कृपा हुई है कि आपने झेलम एक्सप्रेस और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जैसी लम्बी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ियों की व्यवस्था कर दी है, परन्तु आपने उनमें एक भी जलयान पेंट्री कार की व्यवस्था नहीं की है। मुझे भोजन यान (डायनिंग कार) की आवश्यकता नहीं परन्तु वहां पीने के पानी की समस्या होती है। गाड़ी दिल्ली से चलती है और केवल ग्वालियर रुकती है; फिर यह ग्यालियर से झांसी और झांसी से भोपाल तक जाती है। उसके बीच में जलयान की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए ताकि यात्री पीने का पानी, चाय और कुछ स्नैक्स ले सकें। इस तरह की लम्बी दूरी तक जाने वाली सभी रेलगाड़ियों में जलयान (पेंट्रीकार) की व्यवस्था होनी चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है और मैं सरकार को नए डिब्बों में जो आ रहे हैं, गद्दों की व्यवस्था करने के लिए वधाई देता हूं, परन्तु पुराने स्लीपर डिब्बों में भी गद्दों की व्यवस्था क्यों न की जाए? यदि ऐसा कर दिया जाता है तो इससे यात्रियों को बड़ी भारी राहत मिलेगी।

मैं नहीं जानता कि नई रेल गाड़ियां शुरू करने का क्या सिद्धान्त है। वरिष्ठ मन्त्री महोदय यहां नहीं हैं। वे वाराणसी के हैं और चाहते है कि प्रत्येक रेलगाड़ी वाराणसी तक जाए। यह वहुत अच्छी बात है। जितना अधिक संभव हो उतनी रेलगाड़ियां वाराणसी ताक जाएं। परन्तु दिल्ली के लिए अधिक रेलगाड़ियां क्यों न हों, जोकि केन्द्र बिन्दु है? मध्य रेलवे मार्ग पर पिछले पचास वर्षों से दिल्ली और वम्वई के वीच सिर्फ दो रेलगाड़ियां हैं।

एक है 57 डाउन और 58 अप और दूसरी है पंजाव मेल। इस मार्ग पर तेज गति की कोई तीसरी रेल गाड़ी नहीं है। मैं इस रेलगाड़ी की मांग करता आ रहा हूं। परन्तु वे हमेशा यही कहते हैं कि न तो कल्याण में और वम्वई में कोई टर्मिनल क्षमता उपलब्ध है, इसलिए वे ऐसा नहीं कर सकते। उनका नवीनतम उत्तर यह है कि वहां कोई लाइन क्षमता नहीं है। यदि वहां कोई टर्मिनल क्षमता नहीं है तो वम्वई से वाराणसी तक नई रेलगाड़ी कैसे शुरू हो सकती है? जो कुछ भी हो, मैं ऐसी किसी रेलगाड़ी के विरुद्ध नहीं हूं जिसका वाराणसी से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। परन्तु मैं चाहता हूं कि दिल्ली और वम्वई के वीच भी एक तेज गति वाली रेलगाड़ी अवश्य शुरू की जानी चाहिए।

श्री नन्दी येल्लैया (सिद्दीपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसके साथ दुनिया के हर एक आदमी का सम्बन्ध होता है, क्योंकि समाज के हर एक व्यक्ति को रेल में सफर करने का मौका मिलता है। हम देखते हैं लोगों को जितनी शिकायतें रेल विभाग से होती हैं, उतनी किसी और मंत्रालय के बारे में नहीं हैं।

आन्ध्र प्रदेश के मेडक डिस्ट्रिक्ट में सिद्दीपेट एक एसा मुकाम है, जहां से मैं चुन कर

आया हूं, जहां के लोगों ने आजादी के बाद सिर्फ एक ही लाइन देखी है : बीबीनगर-नालगोंडा लाइन। बहुत जमाने से उसका काम हो रहा है, लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है।

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहां रेलवे लाइन बिछाना जरूरी है। हम देखते हैं कि इस सदन में हर एक सदस्य कहता है कि मेरा एरिया बैकवर्ड है। मेरी समझ में नहीं आता है कि फार्वर्ड एरिया कहां है। कई नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, लेकिन एक भी सदस्य यह नहीं कहता है कि मेरे एरिया में एक नई लाइन बिछाई गई है।

रेलवे मंत्री, श्री कमलापति त्रिपाठी, ने अपने भाषण में कहा है कि पाटनचेरू पेद्दपल्ली सांगारेड्डी और मेडक के रास्ते वाली लाइन सर्वेक्षण को बजट में शामिल किया गया है। मैं रेल मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सिद्दीपेट, दुवाग, गजविल, रामायणपेट, नरसापुर और मेडचल इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि आज उसे रेलवे लाइन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है और इस लिए इस नई लाइन का लाभ उस इलाके को भी होना चाहिए। इस लाइन को सर्वे में शामिल करने में के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और उन्होंने जो रेलवे बजट पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

हमारे आन्ध्र प्रदेश में सिकन्दरा बाद से नई दिल्ली आने के लिए ए० पी० एक्सप्रेस वीक में दो बार चलती है, जबकि तामिलनाडू एक्सप्रेस वीक में तीन बार और के० के० एक्सप्रेस भी वीक में दो बार चलती है।

मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सिकन्दराबाद से दिल्ली एक बहुत लम्बा सफर है। व्यापारियों को, राजनैतिक दलों को और कई सरकारी अफसरों को उस में सफर करना पड़ता है। आप तो जानते हैं रिजर्वेशन का क्या हाल है, कितना करप्शन उसमें भरा हुआ है? एक महीना पहले भी रिजर्वेशन कराने पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है लेकिन गाड़ी के अन्दर आने के बाद वहां जो टी सी या जो भी अधिकारी होते हैं उनके यहाँ वर्थ मिल जाता है। इस के अलावा रेलवे मंत्री के ध्यान में लाना है कि सिकन्दराबाद से दिल्ली आने वाले एक मोहन लाल नाम के व्यक्ति एक पेटी के अन्दर अपने जेवरात और कुछ सामान लेकर सफर कर रहे थे, वह अपने बेटे से बात कर रहे थे, इतने में दो मिनट के अन्दर 35 हजार रुपये की उनकी चोरी हो गई। यह जो चोरी हुई इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसका सही इंतजाम नहीं है। कई किस्म के लोग उसमें सफर करते हैं जिसमें व्यापारी लोग भी हो सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले भी कई व्यक्ति होते हैं। लेकिन रेलवे के जो अधिकारी हैं, रेलवे बोर्ड के अन्दर जिनकी यह रेस्पांसिबिलिटी होती है, वे लोग बोर्ड में बैठने के अलावा इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। बाहर क्या हो रहा है, मुसाफिर क्या चाहता है, रेल के अन्दर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वे सही माने काम कर रहे हैं या नहीं, इन तमाम चीजों को देखना उन के लिए लाजिमी होना चाहिए क्योंकि जो गाड़ियों में सफर करते हैं उनकी बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो हमारा रेल बजट पेश किया गया उस में कई किस्म की बातें कही गईं। चाहे विरोधी दल के लोग हों या अपने लोग हों, कई किस्म की नुक्ताचीनी उन की तरफ से की गई। हम देखते हैं कि इतनी तरक्की होने के बाद भी कई ऐसी चीजें हैं तो वह हमें कहनी पड़ती हैं।

श्री अशफाक हुसेन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा रेल बजट में जो रेल मंत्री महोदय ने पेश किया है जिसमें 15 परसेंट सरचार्ज लगाया गया है और यात्री भाड़े में भी बढ़ोत्तरी की गई है, उसको अगर हम रेल ट्रैफिक एन्क्वायरी कमेटी की मुख्य रिपोर्ट के साथ और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर मेन्जीज की प्रेस कान्फरेंस के साथ-साथ देखें तो उसकी आगे की तस्वीर नजर आएगी। मिस्टर मेन्जीज ने अपनी प्रेस कान्फरेंस में बहुत साफ कहा है रेल ट्रैफिक एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से कि यह मुख्य रिपोर्ट है, फाइनल नहीं है। इस रिपोर्ट के द्वारा 15 प्रतिशत की और बढ़ोत्तरी की बात माल भाड़े में और यात्री भाड़े में करने का प्रस्ताव है। मैं चाहूंगा कि इसको इस ढंग से देखें। एन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश के मुताबिक 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायगी तब जाकर 770 करोड़ सालाना की आमदनी हो सकेगी। यह बढ़ोत्तरी 80-81 के बजट प्रस्तावों के अलावा होगी। लेकिन इस 15 प्रतिशत के सिलसिले में न तो रेल मंत्री महोदय ने अपने भाषण में और न बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी प्रेस कान्फरेंस के अन्दर चर्चा की। मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री महोदय इसके बारे में स्पष्ट बताएं कि आया इस साल या आने वाले सालों में और बढ़ोत्तरी रेल भाड़ा एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक होने वाली है या नहीं ? रेल मंत्री ने अपने बजट में इसको इंटेरिम मैजर्स की संज्ञा दी है। रेल मंत्री जी ने माल भाड़े में 15 परसेंट सरचार्ज लगाते समय जरूरियात जिन्दगी की कुछ अहम अशिया को उससे मुक्त रखा है। हम उन के ऐसे काम का स्वागत करते हैं जो उन्होंने इन को उस से मुक्त रखा है।

लेकिन जहां नमक, चीनी, गल्ला, मिटटी का तेल, वगैरह को आपने सरचार्ज से मुक्त रखा है' वहां कंट्रोल का कपड़ा, खादी, बच्चों की किताबों और कापियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है जिसका असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिन्दगी पर पड़ेगा। इस टैरिफ इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में हैंडलूम के कपड़े का भाड़ा 24.67 रु० फी. क्वींटल है जिसको 57 .28 रुपए फी. क्वींटल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा किताबों का भाड़ा 18.4 रु० फी. क्वींटल की जगह पर 30.16.रु० करने की सिफारिश की गई है। मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से आपने जरूरियाते जिन्दगी के 9 आइटम्स को सरचार्ज से मुक्त रखा है, उसी तरह से हैण्लूम का कपड़ा, कन्ट्रोल का कपड़ा, खादी, टेक्स्ट बुक्स, बच्चों की किताबें—इन चीजों को भी सरचार्ज से मुक्त रखा जाए।

अब मैं रेल स्टाफ की थोड़ी सी तस्वीर आपके दस्तावेजों के मुताबिक जैसी सामने आई है, उस पर रोशनी डालना चाहता हूं। इंडियन रेलवेज में 1950-51 से ए—ग्रुप बढ़कर चार गुना हो गया है लेकिन डी—ग्रुप सवा गुना ही बढ़ा है। चूंकि समय कम है इसलिए दूसरी बातों की तरफ भी थोड़ा सा संकेत देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हरिजनों की भर्ती का जहां तक सवाल है, वह 11.9 और 7.9 परसेंट भी अभी तक हो पाया है। इसको बढ़ाकर मौजूदा शरह के मुताबिक किया जाना चाहिए। इसी तरह से 15 लाख मुलाजिम जो रेलवे में हैं उनमें ढाई लाख ऐसे हैं जो टेम्पोरेरी मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहे है। इनमें भी बहुत से एसे लोग हैं जो कि 6 महीने या साल भर से ज्यादा एक मजदूर की हैसियत से काम कर रहे हैं। बड़े शर्म

की बात है कि बदनाम बड़े तिजारती घरानों की तरह से पब्लिक सेक्टर की रेलवेज ने भी वही डथकंडा अपनाया है, वह भी बेबस मजदूरों को कैजुअल लेबर बनने पर मजबूर कर रही है। मंत्री जी को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

मैं मंत्री जी का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी ले जाना चाहूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बगहा पर एक पुल बनाने की बात कही जा रही है। बगहा पर पुल बन जाने से बगहा का सीधा सम्बन्ध पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से हो जायेगा। मैं चाहूंगा कि जो लूप लाइन गोंडा से गोरखपुर आती है उसको ब्रजनन्दगंज से लेकर बगहा से मिलाया जाए ताकि बिहार से सीधा संबंध हो सके। पुरानी स्कीम के मुताबिक बगहा वाला पुल रेल कम रोड ब्रिज था, यदि हो सके और हमारी मांग भी है कि उसको रेल कम रोड ब्रिज बनाना चाहिए यानी जो प्रस्ताव पहले सें था उसी पर अमल किया जाए।

मैं रेल मंत्री से यह भी मांग करूगा कि एक सीधी गाड़ी ऐसी चलाई जाए जो गोरखपुर को दिल्ली से जोड़ सके। अभी बड़ी लाइन गोरखपुर से लखनऊ तक नहीं बन सकी है इसलिए ऐसी व्यवस्था को जाए कि जो गाड़ी गोरखपुर से चले वह समय से लखनऊ पहुंचे ताकि हम लोग और दूसरे जरूरी सफर करने वाले लोग दिल्ली समय से पहुंच सके। मेल ट्रेन जिससे हम लोग सफर करते हैं, ओ टी मेल, वह हमेशा लेट आती है इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

अन्त में मैं एक खास बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं। फ्रेट टेरिफ इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है उसमें संकेत दिया गया है कि और बातों के अलावा पोस्टल टेरिफ चार्जज पर नजरसानी होगी जिससे पोस्टल चार्जज भी बढ़ सकते है। इस संबंध में मैं रेल मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि पोस्ट पार्सल रेट इसी तरह से रहेंगे या यह और बढ़ने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस रेल लाइन की आप मांग कर रहे है वह अन्तिम हो।

श्री अशफाक हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय और लूगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ इलाका है उसी तरह से इस प्रदेश के पहाड़ी इलाके भी पिछड़े हुए हैं। वहां आजादी के बाद एक किलो मीटर की रेल लाइन नहीं बनी है। क्या मंत्री महोदय इन पहाड़ी इलाकों–बद्रीनाथ केदारनाथ–की तरफ रेल लाइन बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे।

इस शब्दों के साथ जो यह बजट प्रस्ताव पेश किए गए हैं, उनका मैं विरोध करता हूं।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम कल की कुन्जी में शामिल किया गया था इसलिए, मेरा निवेदन यह है कि मुझे आज का पहला वक्ता होना चाहिए था मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे ज्यादा समय दिया जाना चाहिए क्योंकि मेरे प्रदेश में रेलवे से सम्बन्धित अनेक समस्याएं हैं जिन्हें सदन के समक्ष रखा जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेगें ?

श्री बृजमोहन महन्ती : दस मिनट ।

पूर्वी भारत में उड़ीसा ही केवल ऐसा प्रदेश है जहां की अलगाववादी आंदोलन ने अपना कुत्सित रूप नहीं दिखाया है । आरंभ में, मैं इस बजट के लिए और साथ ही अत्याधिक तेज गति वाली नीलांचल एक्सप्रेस को, जो कि उड़ीसा को भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ती है, शुरू करने के लिए रेल मंत्री को बधाई देता हूं । हम श्री त्रिपाठी के उनकी पहल और वरित कार्यवाही के लिए आभारी है । यद्यपि विपक्षक के मेरे मित्र कहते हैं कि इसका निर्णय पहले ही कर लिया गया था, मेरा कहना है कि वे गलत वक्तव्य दे रहे हैं ।

पहले में उड़ीसा की कुछ मांगों की और तत्पश्चात आम नीति की बात करूंगा । मुझे प्रसन्नता हुई होती यदि रेल मंत्री देवारी से बासपानी तक रेल लाइन के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लेते । यह एक पुरानी योजना है जो बहुत पहले योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई थी और उस समय इस परियोजना की लागत 43 करोड़ रुपए थी । इस कार्य के एक आम पर अर्थात 33 किलो मीटर तक कार्य किया जा चुका है । मुझे बताया गया है कि इस मामले की योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है पहले योजना आयोग ने इसे गति प्रदान की थी। रेलमंत्री ने बताया हैं कि यह मामला विचाराधीन हैं । यह बात स्पष्ट रूप सें बतायी जानी चाहिए कि रेलवे द्वारा इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का भार अपने ऊपर लिया जाएगा । इस रेलमार्ग से उड़ीसा के खनिज क्षेत्रों तक पहुंचा जा सकेगा ।

मेरा अगला निवेदन एक मांग के बारे में है जो कि उड़ीसा के लोगों की करीब करीब संवेदनात्मक और भावात्मक मांग हैं । उड़ीसा के प्रति उपेक्षा दिखाई गई है । दक्षिण-पूर्वी रेलवे का एक बहुत बड़ा भाग उड़ीसा में है परन्तु वहां इसका कोई मुख्यालय नहीं है । पिछले दस साल से वहां विभिन्न रूपों में इसके लिए आन्दोलन होते हैं परन्तु अब तक कुछ भी नहीं किया गया है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह उड़ीसा के लोगों की इस मांग पर विचार करें । उड़ीसा की भौगोलिक सीमाओं के भीतर इसका एक मुख्यालय होना चाहिए । यह एक भावनात्मक मांग है । हमारे लोगों की ऐसी भावना रही है कि ब्रिटिस राज द्वारा हमारा शोषषण किया गया और हमारा उपनिवेशन कर दिया गया था । (व्यवधान) हम यह नहीं कहते कि कलकत्ता में कोई मुख्यालय न हो । कलकत्ता में मुख्यालय बना रहे । उड़ीसा के लोग इस बात की पर जोर मांग करते है कि उड़ीसा में इसका एक मुख्यालय होना चाहिए ।

भारत सरकार ने कोरापुत जिले में एक अलम्यूनियम कम्पलैक्स स्थापित करने का निर्णय किया है । स्वयं इसी निर्णय की वजह से, रायगढ़ से कोरापुत तक एक रेलमार्ग आवश्यक है । मुझे आशा थी कि रेलमन्त्री के बजट भाषण के उड़ीसा के लिए कुछ रेलमार्गों की बात होगी । परन्तु उसमें ऐसी कोई बात नहीं है । मैं अनुरोध करता हूं कि रायगढ़ से कोरापुत तक के इस रेलमार्ग पर सक्रिय रूप से विचार किया जाए क्योंकि अलम्यूनियम काम्पलैक्स के लिए यह बहुत ही आवश्यक है ।

इसी तरह, एक दूसरा रेल मार्ग, जिसका मैं सुझाव दे रहा हूं, बावगिरिपासा--रूपसा है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए । इससे उड़ीसा की वन- सम्पदया तक पहुंचा जा सकेगा ।

यह लाईन एक सिंगल गेज लाइन है। इसे डबल गेज लाइन की जानी चाहिए। उसके लिये पिछले तमाम वर्षों से उड़ीसा के लोग मांग करते रहे हैं। यह एक बहुत ही साधारण बात है। इसमें केवल थोड़ी सी लागत आएगी। परन्तु अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

एक अन्य रेलमार्ग अम्बागुडा से लांगीगढ़ तक का है जो कि इन्द्रावती परियोजना के लिए आत्यावश्यक है। मैं यह नहीं कहता कि हम नई रेल लाइनें चाहते हैं। मैं केवल यही कहता हूं कि भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई कुछ परियोजनाओं की वजह से ये रेलमार्ग अत्यन्त आवश्यक है। वहां सर्वेक्षण ओर जांच पड़ताल की गई थी। यह एक 10 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना है। इस सम्बन्ध में काफी पत्र-व्यवहार हुआ है परन्तु हम नहीं जानते कि इसका क्या होगा। मेरा निवेदन है कि रेलमन्त्री अपने उत्तर में इस बात को स्पष्ट रूप से कहें कि इस बारे में अब तक कितना काम हुआ है। हमा री मांग है कि इस परियोजना को इस वर्ष शुरू कर दिया जाना चाहिए।

इसके बाद तालचेर-सम्बलपुर रेलमार्ग आता है। यह एक ऐसा रेलमार्ग है जो उड़ीसा को एक कर देगी। पूर्वी उड़ीसा भावनात्मक रूप से पाश्चिमी उड़ीसा से अलग रहा है। यह ऐसी समस्या है जो इस रेलवे लाइन के बिछ जाने से हल हो जायेगी। उससे उड़ीसा में भावात्मक एकता स्थापित होगी।

लालचेरी-पुरी रेलवे लाइन की बात यह है कि इसकी हालत बहुत खराब है। यदि दक्षिण-पूर्वी रेलवे के महा प्रबन्धक जाकर देखें तो वह पायेंगे कि वहां न तो बिजली और न ही पानी आदि का प्रबन्ध है। वर्षों से, दशकों से ऐसा ही चलता आ रहा है। इस रेलवे लाईन के चलने से कुछ सुधार अवश्य होगा। मैं रेल-मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर आकृष्ट करता हूं।

कुछ स्टापों की व्यवस्था करने के बारे में हमारा विचार था कि यह तो महा-प्रबन्धक के स्तर पर ही हो जायेगा। परन्तु इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। हमें कुछ स्टाप चाहियें जैसे जगन्नाथ एक्सप्रेस का सत्यवाड़ी पर, ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस का कल्पुराघाट पर, और मेल का वलूगा पर। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इन स्टापों की व्यवस्था पर विचार करें।

अब रही नीति सम्बन्धी पहलू से मेरा निवेदन है कि जहां तक यात्री किराये और माल भाड़े की सरकारी नीति का सम्बन्ध है में सदन का ध्यान मूल्य-सूची जांच समिति के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां तक किराये-भाड़े का सम्बन्ध है, उसकी एक मुख्य सिफारिश यह है कि इसका सन्तुलन संचालन लागत और रेलवे द्वारा किए गए खर्च से तय होना चाहिए। इसकी जांच बड़ी सावधानी से की जानी चाहिए। रेलवे कोई शतप्रतिशत वाणिज्यिक उपक्रम नहीं है इसका सामाजिक दायित्व भी है। मेरा यह कहना नहीं है कि इसका शतप्रतिशत सामाजिक दायित्व होना चाहिये। परन्तु इसके साथ-साथ इसे शतप्रतिशत वाणिज्यिकी भी नहीं होना चाहिए। यदि कार्यगत दक्षता में वृद्धि कर दी जाती है तो बहुत सी समस्या हल हो जाएगी और किराये और भाड़े को बढ़ाने की कोई आवश्यकता न पड़ेगी। ऐसा सोचा गया है कि कार्य

कुशलता में वृद्धि नहीं हुई है और गत दो वर्ष से इसका ह्रास हो रहा है यदि समय हो तो मुझे उन संगत अंशो का उल्लेख करने की अनुमति दी जाए जहां यह समझा गया है कि संचालन कार्य-कुशलता में वृद्धि नहीं हुई है। टैरिफ जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 3 पर स्पष्टतया कहा है।

"रेलवे की असंतोषजनक वित्तीय निष्पादन का कारण या तो यह हो सकता है कि विगत में किराए और भाड़े की दरों मे वृद्धि रेलवे के कार्यगत व्यय में वृद्धि के समान नहीं हुई है अथवा लागत में असंगत रूप वृद्धि हुई या दोनों।"

इसके साथ ही साथ उसी टैरिफ जांच समिति ने पृष्ठ 47 पर कहा है कि संचालन कार्य-कुशलता में सुधार हुआ है।

जिस अन्य महत्वपूर्ण बात का मैं निवेदन करूंगा वह यह है कि जहा तक द्वितीय श्रेणी के यात्रियों का सम्बन्ध है उनके लिए किराए-भाड़े में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

एक अन्य जिस पहलू पर टैरिफ जांच समिति ने सिफारिश की है मैं टैरिफ जांच समिति का केवल एक अनुच्छेद ही उद्धत करूंगा— वह पृष्ठ 51 पर है जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसी भी वृद्धि उसमें की जाए इसको विकासात्मक परियोजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। अब वृद्धि तो 203 करोड़ रुपये हुई है परन्तु रेल-मन्त्रालय ने यह नहीं दर्शाया है कि इसे विकासात्मक लागत में खर्च किया जायेगा। मैं केवल एक अनुच्छेद प्रस्तुत कर रहा हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस विषय पर बोलें।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : सविनय निवेदन है कि समय का बँटवारा युक्तियुक्त हो। कुछ वक्ताओं ने आधा-आधा घन्टे तक बहस में भाग लिया है। समिति ने कहा है।

"रेल प्रयोक्ताओं की शंकाओं को दूर करने के लिये हमारे प्रस्तावों को कार्यन्वित करते करते समय यह आवश्यक है कि सरकार यह स्पष्ट करे कि अतिरिक्त आय का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिये न किया जाकर उत्तम कार्यान्वयन तथा रेलवे को और अधिक विकसित करने के लिए किया जाए।"

मेरा निवेदन है कि जब 203 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है तो रेलवे को यह बताना चाहिए कि इसका उपयोग किस लिए किया जायेगा। उपयोग 'विगत' विकास के लिए नहीं बल्कि 'भावी' विकास के लिए होना चाहिए। 203 करोड़ रुपये से और कौन सा विकास किया जाना है? उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अब मैं निवेदन करूंगा कि वृद्धि होनी ही नहीं चाहिए, द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को तो हुआ ही नहीं जाना चाहिये तथा कुछ प्रकार के टिकटधारियों के मामले में इसे घटाया ही जाना चाहिए।

अन्त में मैं माल की ढुलाई के बारे में निवेदन करूंगा। शब्दकोश में कुछ छूटें दी गई हैं। मेरा निवेदन है कि दो या तीन और छूटें दी जाएं। मेरा निवेदन है कि बाल-आहार को वृद्धि से विमुक्त किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके देश में वृद्धि का विरोध करते हैं, क्या नहीं करते ? तो खुलकर बात कीजिए ।

श्री ब्रजमोहन मोहन्ती : मैं सांविधिक छूटों की बात कर रहा हूं । मैं इस सूची में कुछ और वस्तुएं जोड़ना चाहता हूं । ये है बाल-आहर पाठ्य पुस्तकें, औषधियां, कृषियन्त्र जो गरीब वर्गो के लिए हो जैसे ट्रेकटर आदि । इन्हें छूट मिलनी चाहिए ।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में ही मैं रेल मन्त्री महोदय को मुबारिकबाद देता हूं जिन्होंने बजट में, छः राज्यों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र संघ राज्यक्षेत्रों को भारतीय रेल मानचित्र में लाने का प्रयास किया है । विशेषकर मेरे प्रदेश में अर्थात कच्छार क्षेत्र, सिल्चर-जिरीबम, लालाघाट भैरावी और धर्मनगर-कुमारघाट को नई लाइनों से जोडने करने का प्रस्ताव है । परन्तु रेल-मंत्री महोदय से मेरा हार्दिक निवेदन है कि विभिन्न अवसरों पर सदन में असम आन्दोलन पर चर्चा की जा चुकी है और असम के लोगों की इन भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए सरकारी पक्ष और विपक्ष की बात हम सुन चुके है अर्थात असम बहुत उपेक्षित रहा है और यह कि उपेक्षा भी परिवहन की अड़चनों के कारण हुई है । यद्यपि हम बड़ी लाइन को डिब्रूगढ़ तक बढ़ाने के लिए पिछले 32 वर्ष से बहुत जोर देते आ रहे है परन्तु दुर्भाग्य से गत 32 वर्ष में इसे केवल बोंगाईगांव तक पहुंचाया जा सका है । अब मैं देख रहा हूं कि इसे गौहाटी तक बढ़ाने की योजना बजट में है । वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि असम के योजना परिव्यय में लगभग 12 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है । मैं नहीं जानता कि इसको किस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा ।

मैं रेल मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय दोनों से ही निवेदन करता हूं कि वे ऐसा प्रवन्ध करें जिससे यह राशि बड़ी लाइन को डिब्रूगढ़ तक बढाने में ही खर्च हो जोकि न केवल असम के लिए अनिवार्य है, अपितु अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और कच्छार के लिये भी है, क्योंकि यदि बड़ी लाइन डिब्रूगढ़ तक बन जाती है तो यह लुम्डिग स्टेशन से होकर जाएगी, जिससे त्रिपुरा, कच्छार और मिजोरम की आवश्यकताएं पूरी होंगी, उन राज्यों को और अधिक माल ढोया जा सकेगा और इसका उन्हें भी लाभ मिलेगा ।

जहाँ तक रेल गाड़ियों की संख्या बड़ाने की बात, जब कभी हम केन्द्रीय मंत्रालय या उत्तरी-सीमान्त रेलवे के महा-प्रबन्धक को कोई अभ्यादेदन देते हैं तो हमें बताया जाता है कि लुम्डिग से लेकर बदरपुर तक का पहाड़ी क्षेत्र 12 से अधिक यात्री माल गाडियों का भार वहन नहीं कर सकता । परन्तु प्रस्तावित नई लाइनों के लिये-नामशः सिल्चर-जीरीबाम, लालघाट-भैरावी और धर्मनगर-कुमारघाट एक उसी पटरी को यात्री और माल गाड़ियों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है । जब प्रो० मधु दण्डवते रेल मन्त्री थे तो मेरे विचार में एक समिति गठित की जानी थी जिसे यह रिपोर्ट देनी थी कि लुम्डिग से बदरपुर तक की रेलवे लाइन को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय किये जाएं जो 75 वर्ष पुरानी है और जिसमें 29 से 30 तक सुरंगें हैं । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे समस्या के उस भाग विशेष की जांच करने के लिये कम से कम राशि जुटाने की सम्भावना का पता लगाएं । यदि लुम्डिग-बदरपुर रेंलवे लाइन को मजबूत बनाने

का कार्य तुरन्त शुरू नहीं किया जा सकता तो प्रस्तावित नई लाइनों के बिछने पर तो उस क्षेत्र में और अधिक अव्यवस्था फैलेगी ।

अन्य विकास कार्यों को शुरू किए जाने की सराहना करने के साथ-साथ मैं एक और बात का निवेदन करूंगा । सिल्चर से जीरीबाम तक की प्रस्तावित रेलवे लाइन पर मजुमदार बाजार से घूतपटली तक पुल बनेगा । रेल-मंत्री महोदय से मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि वे इसे रेल व सड़क पुल बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाएं । इसमें राज्य सरकार भी अन्तर्ग्रस्त है, क्योंकि ऐसा रेल मंत्री महोदय ने मुझे लिखा है कि यदि राज्य सरकार खर्च का अपना हिस्सा वहन करने को राजी है तो रेलवे भी निर्माण में अपने वित्तीय उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये तैयार है । अब चूंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, मामले पर केन्द्र में ही समन्वयन होना चाहिये ।

एक और भी पुल है जो सिलीघाट और तेजपुर के बीच में आता ' और पुल का निर्माण रेलवे निर्माण बोर्ड कर रहा है परन्तु उस पुल पर रेल-संचार व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है । अतः मेरा निवेदन है कि उस पर भी विचार किया जाए ।

जहां तक भाड़े की दरों और अन्य बातों का सम्बन्ध है चूंकि आपने मुझे कम समय दिया है, मैं इस पर नहीं बोलूंगा । मैं केवल इस बात का निवेदन करूंगा कि विगत में रेलवे ने विभिन्न समितियां गठित की थीं जिन्होंने यह सिफारिश की थी कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एक दूरस्त और पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण जहां पर सड़क यातायात भी बड़ा ही मंहगा है तो रेलवे द्वारा आवश्यक वस्तुओं को आर्थिक सहायता देने पर रेलवे बोर्ड और भारत सरकार विचार करें । इस पर विचार किया जाना जाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं बोलने का अवसर दिये जाने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं । मैंने महोदय, अपनी बात समय पर समाप्त कर ली और आपकी ओर से महोदय कोई घन्टी भी नहीं बजी ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्रीमान जी, आप स्वयं ही रेलवे बजट का महत्व देख लीजिये, इस समय सदन में न तो रेल मंत्री हैं और न ही रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री···

एक माननीय सदस्य : उप मंत्री तो बैठे है;

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : यह मुझे पहचानते नहीं हैं । अभी अलगे ही दिन यह मुझ से पूछ रहे थे कि मैं कौन हूं ?

श्री नारायण चौबे : यही तो दुःख की बात है । इतने बड़े कुरूक्षेत्र में केवल एक ही कनिष्ठ मंत्री है ।

श्रीमान जी, मैं पंडित जी का बहुत आदर करता हूं । मुझे रेलवे बोर्ड के सदस्यों तथा रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत नहीं है । बोर्ड में बहुत से ईमानदार तथा कुशल अधिकारी हैं । परण्तु इसके बावजूद भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट पहले से चली आ रही परिपाटी पर ही आधारित जनता विरोधी तथा श्रमिक वर्ग विरोधी बजट हैं ।

सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जबकि रेलवे बोर्ड को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

राम नाम सत्य है।
रेलवे बोर्ड की यही गत है।।

अब इसके लिए समय आ गया है। श्रीमान जी रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था, और उस समय भाप से चलने वाले इंजन हुआ करते थे। आज डीजल तथा बिजली से चलने वाले इंजनों का युग है। 1905 का समय वह था जबकि अंग्रेजों का राज्य था। अब मेरा सुझाव यही है कि रेलवे बोर्ड के स्थान पर एक अन्य स्वायत्तशासी निकाय बनाया जाना चाहिये जैसा कि अन्य क्षेत्रों में किया गया है।

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि द्वितीय श्रेणी के भाड़े दोनों द्वितीय श्रेणी मेल तथा द्वितीय क्षेणी साधारण तथा नगरीय रेलों के भाड़े में जो वृद्धि की गई है, मैं उसका विरोध करता हूं। इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये क्योंकि इन दिनों में जबकि मूल्यों में वृद्धि हो रही है, किराये भाड़े में की गई इस वृद्धि का प्रभाव साधारण वर्ग पर तो पड़ेगा ही और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उससे युद्धस्फीति में भी वृद्धि होगी चाहे श्री त्रिपाठी इसके बाद में कुछ भी क्यों न कहते रहे। मेरा निवेदन यह है कि यदि आपने किराये में वृद्धि करनी ही है, तो द्वितीय श्रेणी तथा नगरीय गाड़ियों के भाड़े में वृद्धि मत कीजिये और न ही यह वृद्धि मासिक टिकटों पर कीजिये।

केवल कुछ वस्तुओं को छोड़कर किराये में जो 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, मैं उसे भी काफी कष्टप्रद मानता हूं। यदि आपने किराये में वृद्धि करनी ही है तो इसे चुनीदा तरीके से कीजिये तथा चुनींदा तरीके से ही कुछ वस्तुओं में छूट भी दीजिये कुछ वस्तुओं में छूट तो दे दी जानी चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि सब्जी पैदा करने वालों, फल तथा फूल पैदा करने वाले तथा पान के पत्ते पैदा करने वालों को छूट तो दे दी जानी चाहिये। कृपया सभी के लिए समान रूप से भाड़ा बढ़ाने की प्रथा को बंद कर दीजिये।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

हम सभी जानते हैं कि हमारी रेल संकट ग्रस्त है। लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि यहां वहां सभी लगह रेलवे लाइनें बिछाई जानी चाहिये। इनकी इच्छा होगी तो भी यह कह देगें कि हमारे पास धनराशि नहीं है। निस्संदेह रेलवे विभाग की दशा वहुत ही शोचनीय तथा संकटमय है। परन्तु यह संकटमय स्थिति क्यों है? इसका एक कारण तो यह है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 33 वर्ष बाद से रेलवे का उपयोग बड़े-बड़े करोड़पतियों तथा बड़े उद्योग गृहों की सेवा हेतु किया गया है। आपको मालूम है कि कुछ दूधिये लोग ऐसे भी होते है जो गाय को टीका लगाकर उसका दूध निकलते है। इस प्रकार यदि उस गाय ने 10 वर्ष तक दूध देना होता है तो वह केवल 3 या 4 वर्ष तक ही दूध देती है और उसके बाद उसे कसाईखाना ले जाया जाता है। यहां भी स्थिति ऐसी ही है। हम भाड़े के सम्बन्ध में उन्हीं बड़े उद्योग-गृहों को छूट देते है। इस

प्रकार से हम अपने तथा कथित सामाजिक कर्त्तव्यों का निर्वाद कर रहे है। हम टाटा बिडला, गयिन्का तथा डालमिया के माल को लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर उठाते हैं। उनसे हम कोई जुर्माना भी नहीं लेते। अनेक ऐसे अधिकारी हैं जोकि उनके साथ मिले हुये है। परन्तु वह बोकारो संयंत्र से अवश्य जुर्माना लेते हैं। वह मिलाई इस्पात संयंत्र से जुर्माना लेते है परन्तु टाटा बिडला से वह जुर्माना नहीं लेते हैं और यदि कही उन्हें जुर्माना लिया भी जाता है तो उसे माफ कर दिया जाता है। मुझे यह कांकड़े रेलवे कर्मचारियों ने ही दिये हैं। वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में बड़े-बड़े औद्योगिक ग्रहों पर 16.41 करोड़ रुपये का जो जुर्माना किया गया था उसे माफ कर दिया गया। इस तरह से तो हमारे रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा काम किया जाता है। हमें जो हानि हो रही है उसका एक कारण तो यही है। पहले भी अनेक सदस्यों ने कहा है कि हमारी कोई समेकित परिवहन नीति नहीं है। मैं भी इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जबकि हमें रेल, सड़क तथा अर्न्तदेशीय जल परिवहन के लिए समेकित नीति बनानी चाहिये। इन सभी पर विचार किया जाना चाहिये।

यद्यपि रेलवे में बहुत से युवक तथा बूढ़े, ईमानदार तथा कुशल अधिकारी हैं तो भी आज रेलवे को हानि इसलिए हो रही है उसके कुछ कर्मचारी भ्रष्ट है। जैसा कि आपने स्वयं कहा है, वर्ष 1977-78 में 908 लाख रुपये तथा 1978-79 में 805 लाख रुपये को दरजा आपने दिया है। इसका कारण चोरी तथा चोरी छिपे माल निकालना बताया गया है। इसमें से लगभग सभी लोग इस बात को जानते हैं कि रेलवे में चोरी रेलवे कर्मचारियों से साथ सांठ-गांठ करके ही की जानी है। इसे समाप्त करना ही पड़ेगा। मुझे बड़े-बड़े मार्शलिंग यार्डों का अनुभव है। आप मुगलेसराय मार्शलिंग यार्ड को देखिये, खड़कपुर मार्शलिंग यार्ड को देखिये और फिर दिल्ली को देखिये। वहां आपको रेल के डिब्बे मिलेंगे, जिन्हें तोड़ा गया होता है तथा उनमें से चीनी बाहर आ रही होती है, दाल बाहर आ रही होती है, चावल बाहर आ रहा होता है या तो कुछ भी उन डिब्बों में हो वह बाहर आ रहा होता है।

जबकि बाजार में आपको चीनी 7 रुपए किलो मिल रही होती है, खड़गपुर यार्ड में यही चीनी आपको 1 रुपये किलो मिल जाती है। वहां से कोई भी यह चीनी खरीद सकता है। रेलवे में यह तो समाप्त किया जानी चाहिये। मैं आपको यह भी बता दूं कि रेलवे सुरक्षा दल के लोग काफी पैसे देकर मार्शलिंग यार्ड में अपनी ड्यूटी लगवाते हैं। अन्यथा उनकी ड्यूटी मार्शलिंग यार्ड में नहीं लगाई जाती। एक अन्य बात यह है कि खड़कपुर में रेलवे का अपना प्रेस हैं। परन्तु आप देखेंगे कि कुछ अधिकारी निजी कम्पनियों के साथ साठ-गाँठ किये हुये हैं। यद्यपि खड़गपुर में रेलवे का काफी बड़ा प्रैस है परन्तु फिर भी लगातार पिछले दो वर्षों से हमारी रेलवे समय-सारणी का प्रकाशन कलकत्ता की किसी प्रैस से करवाया जा रहा है। यद्यपि खड़गपुर का प्रैस काफी कुशल प्रैस है फिर भी इसे वहां से प्रकाशित नहीं करवाया जा रहा चूंकि कुछ अधिकारियों ने निजी गुटों के साथ साठ-गाँठ कर रखी है इसलिए वह समय-सारणियां वहाँ से प्रकाशित करवाई जाती है। रेलवे में दो, तीन या चार तरह के मानक नियम अपनाये जा रहे है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि रेलवे में उच्च स्तर पर इतनी अधिक भ्रष्टाचार

क्यों है। उनकी नीति के अनुसार कोई भी रेल कर्मचारी किसकी आयु 58 वर्ष से अधिक हो गई है, वह रेलवे में काम नहीं कर सकता। परन्तु दिल्ली जंक्शन में एक एम० एस० चमनलाल खन्ना हैं जो 59 आयु सीमा को पार कर चुके हैं परन्तु फिर भी नौकरी में लगे हुये हैं। वह कैसे नौकरी में लगे हुये हैं? उन्होंने किसी महत्वपूर्ण (कांग्रेस ई) के कार्यकर्त्ता को इसके लिए कितनी धनराशि दी होगी। इस सम्पूर्ण मामले की उचित जांच करवाई जानी चाहिये। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। परन्तु आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि श्री चमनलाल खन्ना 58 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी कैसे कहां कार्य कर रहे हैं (व्यवधान)

सभापति महोदय : एक मिनट मेरी बात सुनिये। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर सदन में आरोप नहीं लगाना चाहिये जो कि सदन में अपने बचाव में कुछ न कह सकता हो।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : वह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम लेकर आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि यद्यपि एस० एस० ने 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, फिर भी अभी वह सेवारत है। मैं नाम नहीं लूंगा। आज भी भारी संख्या में नैमित्तिक श्रमिकों को रेलवे अधिकारियों के घरों तथा बंगलों पर घरेलू नौकर की तरह काम करना पड़ता है। यदि आप किसी डी० इ० एन०, आई० डब्ल्यू० आई० पी०, डब्ल्यू० आई० के बंगले पर जाये तो आप 10-12-12 गैंगमैनों को अधिकारियों के बच्चे कंधों पर बैठाकर स्कूल ले जाने हुए देखेंगे। ऐसी बातें समाप्त होनी चाहिए। स्वाधीनता के तीस वर्ष बाद भी वह बातें क्यों चल रही हैं।

रेलवे कालोनियों में बहुत से माल-डिब्बे तोड़ने वाले अपराधी रहते हैं। उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जाता। श्री सुरेश कर्माकर का ही मामला लें जिसमें रेलवे की भूमि पर कब्जा कर रखा है। खड़गपुर में वह रेलवे के चोरी के माल का धंधा करता है। वह रेलवे का माल रेलवे की जबरदस्ती कब्जे की हुई भूमि में बेचता है। वह अनुचित रूप से धन कमा रहा है। रेलवे पुलिस बल तथा पुलिस वहां पर जाती आती रहती है, तो भी सब कुछ चल रहा है। मैं अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता। यह दावा किया गया है कि आपातस्थिति अच्छा समय था और उस समय सब कुछ ठीक था। मेरा कहना है खड़गपुर के डी० ई० होने आपात्तस्थिति के दौरान भूमि के व्यापार में लाखों रुपए कमायें।

श्रीमान, मैं कुछ मागें करता हूं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

श्रीमान रेलवे का विस्तार बहुत कम हुआ है। हमारे देश में 61000 कि० मी० रेलवे लाइन है जिसमें से केवल 61,600 कि० मी० स्वतन्त्रता के पश्चात् बनी है। उड़ीसा को ही लें। दस जिला मुख्यालय रेल से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए रेलों का उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए डिंग को रेल लाइन से जोड़ा जाना चाहिए। दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र की मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जाना

चाहिए । पुरुलिया-कोटासिला, बारीबाड़ा-रूपसा और बी० डी० आर० में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिये । यह बहुत आवश्यक है क्योंकि बांकुरा से नयी कोयला खाने बन रही है । कलकत्ता का उप-नगरीय क्षेत्र उपेक्षित पड़ा है । यदि आप कलकत्ता जाये तथा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करें तो आपको अपना हाथ अथवा नाक तोड़नी पड़ेगी । फिर, गाड़ियाँ समय पर नहीं चलती हैं । कम से कम उसे बम्बई के समान दर्जा दिया जाना चाहिए जहां पर कि नौ कोच और 12 मोटरें हैं जबकि कलकत्ता में 8 कोच मैटर 5 मोटरें हैं । हम और अधिक विद्युतीकरण चाहते हैं । खड़गपुर मिदनापुर क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए । दक्षिण पूर्वी रेलवे के महा-प्रबन्धक भी इससे सहमत होंगे । अद्रा -खड़गपुर क्षेत्र की पूरी उपेक्षा गई है । इस खण्ड में सुधार लाने के लिए एक तेज गाड़ी चलाई जानी चाहिए ।

श्रीमान, अब मैं रेलों में अंगोपयोग के मामले को लेता हूं । आप किसी भी लोको शेड अथवा वर्कशाप में चले जावें वहां पर कोई फालतू पुर्जे नहीं मिलेंगे । हर कोई शिकायत करता है रेलें समय ये नहीं चलती परन्तु रेलें छूमंतर काली कलकत्ते वाली बोल कर नहीं चल सकती ?

आप किसी भी लोको शेड में जायें आपकी आवश्यकता पुर्जे नहीं मिलेंगे यदि कोई इंजन पटरी से उत्तर जाता है तो डी० एम० ई० खुश होता है कि उसे कुछ पुर्जे तो मिलेगें ।

अब मैं रेलो में सुविधाओं के मामले को लेता हूं । कृपया एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों में साधारण दर्जे के काचों की संख्या बढ़ायें । कालका-दिल्ली गाड़ी में केवल एक ही साधारण कोच होता है । पंजाब मेल की भी यही स्थिति है । साधारण गाड़ियों में हम देखते है कि उनमें या तो पंखा नहीं है, लाइट नहीं है अथवा पानी नहीं है । साधारण काचों तथा साधारण गाड़ियों की संख्या बढाई जानी चाहिए तथा उनमें पानी बिजली तथा पंखे की सुविधाएं दी जानी चाहिए ।

अंत में मैं रेल कर्मचारियों के मामले को लेता हूं । रेल कर्मचारी हमारा सबसे बड़ा धन है । निः सन्देह रेलवे में भी कुछ बेईमान हैं परन्तु इस बारे में रेलवे अकेली नहीं है । आपको ऐसे व्यक्ति, जीवन के हर क्षेत्र में मिल जायेंगे । परन्तु विचारणीय बात यह है कि इस कठिन हालात में गाड़ियों को, खराब मौसम गर्मी अतीव सरदी में कौन चलाता है । रेल कर्मचारी ही गाड़ियों को चलाते हैं । अब उनके हालत क्या है उनके वेतनों के ढांचे अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों से बहुत कम हैं । कृपया उन्हें समान बनाइये । आप किसी भी वेतन दिवस को किसी भी वर्कशाप जायें आप देखेंगे कि रेलवे कर्मचारी अपना वेतन खुले नहीं ले जाते क्योंकि सैकड़ों महाजन उनका पीछा कर रहे होते है जोकि उनका धन लूटते हैं । रेल कर्मचारी ऋणग्रस्त हैं । उनके पास रेलवे क्वाटर नहीं हैं । वे भूखे मर रहे हैं । इस प्रकार की दशा वाले लोगों के साथ रेलें ठीक तरह से कैसे चल सकती हैं । मेरा सरकार से आग्रह है कि रेल कर्मचारियों के मामले पर उचित ढंग से विचार करें ।

क्या किया जाये ? आपका कथन है कि आपने कुछ किया है । मेरी अधिकारियों के प्रति कोई शिकायत नहीं है । परन्तु अधिकारियों की संख्या कितनी है । 1966 में अधिकारियों की

संख्या 6.6 हजार थी। अद्ध कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की संख्या 795.1 हजार थी। 1977-78 में अधिकारियों की संख्या 9.5 हजार हो गई, अर्थात 44 प्रतिशत वृद्धि हुई है। परन्तु अर्द्ध-कुशल तथा अकुहाल कर्मचारियों की संख्या में कोई अंतर नहीं आया। उनकी संख्या 822.8 हजार हो गई वृद्धि केवल 3 प्रतिशत रही है। गाड़ियां बढ़ रहीं हैं प्लेटफार्म लम्बे किये जा रहे हैं। विशेष गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। मंत्री महोदय ने अत्यन्त कृपापूर्वक बताया था कि 1400 ग्रीष्म अवकाश विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं, इत्यादि मैं पहली बात यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने एक भी नए व्यक्ति की नियुक्ति की है ? नहीं। यदि आप कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाते तो आप यात्रियों को पानी कैसे दे सकते है, बिजली कैसे दे सकते हैं। वे लोग रेल प्रणाली को कैसे चला सकते हैं ? भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

अन्धेर नगरी चौपट राजा '
टका सेर भाजी टका सेर खाजा ''

कृपया भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को पूरी तरह हटाइये। हजारों नैमित्तिक कर्मचारी लम्बे अर्से से काम कर रहे हैं। उन्हें नियमित नहीं किया गया। सेवानिवृति के समय भी स्थायी नहीं बनाया गया। मंत्री महोदय कहते हैं कि नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी नहीं बनाया जा सकता। मेरा उन से निवेदन है कि उन्हें स्थाई बनायें। दैनिक दरों पर काम करने वाले और भी नैमित्तिक मजदूर हैं। आप उन्हें अधिकृत वेतनमान दें। आप उन्हें 30 से भाग करके दैनिक दर मजूरी क्यों देते हैं। आप कहते है कि छह महीने सेवा करने के बाद आप उन्हें वह वेतमान देंगे। ऐसा क्यों है ? आप उन्हें नियुक्ति के समय पर ही क्यों नहीं वही वेतनमान देते जिन लाइनों में काम चल रहा है उन पर लगे नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में भी आप तीन महीने तक चुप क्यों रहते हैं। इसलिए कृपया नैमित्तिक श्रमिक प्रथा को समाप्त करें।

आप किसी भी रेलवे कालोनी जाये तथा हालात का अध्ययन करें। खड़गपुर सबसे बड़ी कालोनी है। घर टूटे हुए हैं। सड़कें उपेक्षित हैं। नालियां स्वच्छ नहीं हैं। जब हम डी० आर० एस० से, जी० एम० से अथवा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है। आपके पूर्ववर्तियों ने यह अच्छी बाते की थी। आप अपनी पूंजी तथा परिसरपत्तियों को स्वयं हड़प करते जा रहे हैं। कृपया इस पर ध्यान दें।

फिर मैं निवेदन करता हूं कि रेल कर्मचारियों के बेटों तथा आश्रितों के मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रेल कर्मचारी का लड़का महादेव के पास जाता है उसकी एकमात्र प्रार्थाना यही होती है कि मेरे पिता की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाये क्योंकि अन्यथा. उसे कोई नौकरी नहीं मिल सकती। उसे केवल तब नौकरी मिलती है जब उसके पिता नौकरी करते हुए मरते हैं। इसलिए कृपया ध्यान दें कि रेल कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी मिल सके।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति के बारे में जो कुछ किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। परन्तु अन्य व्यक्तियों की पदोन्नति की समस्या है इसलिए कृपया ध्यान दें कोई भी एक ही पद पर रुका न रहे। मुझे खेद है कि रेल मन्त्री ने कुछ बाते कहीं है जोकि सही नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृति होता है तो उसे

उसकी पेंशन तथा ग्रेच्चुटी 3 दिन में मिल जाती है। मेरे पास एक मामला है एक आदमी 1969 में सेवानिवृत हुआ था उसकी पेंशन तथा ग्रेच्चुटी अभी तक नहीं मिली। आपको रेल कर्मचारियों को बिना उत्पादिकता से जोड़े बोनस देना चाहिए·····

सभापति महोदय : आपका समय हो गया है, क्या आप कृपया समाप्त करेंगे ?

श्री नारायण चौबे : केवल एक मिनट। आर० एम० पी० के कर्मचारियों को भी अन्य रेलवे कर्मचारियों की भांति बोनस दिया जाये। रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली डाक्टरी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए।

वहां पर कई तरह की चिकित्सा सुविधाएं हैं। एक तो अधिकारियों के लिए तथा दूसरी अन्त कर्मचारियों के लिए। मैं मांग करता हूं कि सभी कर्मचारियों के लिए एक ही समान चिकित्सा सुविधाएं दी जायें।

मेरा सुझाव है कि रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए अधिक स्कूलों की व्यवस्था की जाये।

अत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1974 में रेल कर्मचारियों को भारी असंतोष के कारण हड़ताल करनी पड़ी थी। आज भी उनकी स्थिति वैसी ही दयनीय है। यदि आप उनकी कठिनाई दूर करने के लिए कार्यवाही नहीं करते तो पुनः उन्हें विद्रोह में खड़ा होना पड़ेगा 1974 में आपने उनकी हड़ताल तोड दी थी तथा 1977 में आप खुद टूट गये। बेशक पिछला चुनाव आप भारी बहुमत से जीत गये हैं। यदि आप रेलवे कालोनीयों में मतदान का रूख देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर आपको कम मत प्राप्त हुए है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन की मांगों को स्वीकार करें, रेल कर्मचारियों को तथा राष्ट्र को बचायें।

श्री कुम्भाराम आर्य (सीकर) : सभापति महोदय, आपने मुझे परसों बोलने नहीं दिया, कल और आज भी बोलने नहीं दिया। मैं इसके विरोध में सदन से वाक-आउट करने के लिए एक मिनट मौन धारण करता हूं ताकि आपको सद्‌वुद्धि आये और आइन्दा आप किसी के साथ इस तरह का कठोर व्यवहार न करें।

सभापति महोदय : यह गलत है· ···

यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो मुझे मार्शल से आपको बाहर ले जाने को कहना पड़ेगा।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैंने अपना विरोध प्रकट कर दिया है।

सभापति महोदय : इस प्रकार हम संसद का उपहास नहीं कर सकते।

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सभापति महोदय, आज और कल जो चर्चाएं हुई हैं वे काफी मनोरंजक और राष्ट्र के हित में रही हैं। माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिये हैं और अनेक समुचित एवं अनुचित टिप्पणियां भी की हैं। इस अवसर पर हस्तक्षेप करने का अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यन्त धन्ववादी हूं।

श्री हरकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, उन्हें यह अनुभव कराइये कि अब वह एक मन्त्री हैं। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए— उचित और अनुचित टिप्पणियां·····(व्यवधान)।

श्री मल्लिकार्जुन (हमारे आदरणीय और वरिष्ठ सहयोगी प्रो० मधु दण्डवते ने चर्चा प्रारम्भ करते समय बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 1976-77 के दौरान की कार्यकुशलता की तुलना 1977-78 में प्राप्त की गई कार्यकुशलता से नहीं की जा सकती। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि रेलों की समग्र कार्यसंचालन पद्धति कार्यकुशलता पर ही निर्भर करती है। परिणामस्वरूप, वर्ष 1976-77 और 1977-78 से सम्बद्ध कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे मैं इस सदन को सूचित करने के लिए बाध्य हो गया हूं। इस देश की सरकार बदल गई है और लोगों को भी वास्तविक तथ्य मालूम होने चाहियें।

मेरे माननीय मित्र प्रो० मधु दण्डवते ने केवल कुल टन किलोमीटरों की गणना करके यह निर्णय ले लिया कि 1977-1978 में रेलें अधिक कुशलता से चलती रही हैं। यहोदय, यह सही नहीं है। कार्यकुशला के पहलू से वास्तव में इसकी कोई संगति नहीं है। ऐसे बहुत से अन्य कारण भी हैं जिन पर रेलवे की कार्यकुशलता की गणना करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए और विशेषकर किसी भी संगठन में कार्यकुशलता कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्भर करती है जैसे कि आस्तियों और निवेशों का किस सीमा तक उपयोग किया गया है। यह तो हम सभी मानते हैं कि वर्ष 1976-77 का कुल-टन-किलोमीटर वर्ष 1977-1978 की तुलना में कहीं अच्छा है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने रेलवे की कार्यान्विति पर भी कुछ अन्य टिप्पणियां की थीं, जैसे माल-गाड़ियों आदि की गति का घटते जाना। इस सन्दर्भ में मैं इस सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि निस्सन्देह डीजल और विद्युत-इन्जनों के उपयोग में गिरावट आई है. परन्तु मैं कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहता हूं प्रति इन्जन प्रतिदिन इन्जन किलोमीटर 1976-77 में 402 था और यह 1977-78 में घटकर 396 रह गया। इसी प्रकार विद्युत-इन्जनों का उपयोग भी 1976-77 के 500 कि० मी० से घटकर 1977-78 में 484 रह गया।

अब समयाबंदी की बात लीजिए। समयाबन्दी की हर किसी को चिन्ता है। समयाबंदी के बिना हममें से हरेक को रेलों की निष्पादकता के बारे में कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समय की पाबन्दी पर अनेक बातें निर्भर करती हैं जैसे–आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई, पेट्रोरसायन उत्पादों, कोयले और अन्य सामग्री की ढुलाई जोकि तापीय–बिजली–घरों आदि के काम आती है। अतः हम सभी वास्तव में समय की पावन्दी के बारे में चिन्तित हैं। परन्तु 1976-77 में समय पावन्दी 1977-78 के दौरान वाली समय पाबन्दी से कहीं अच्छी थी। इसके भी, मेरे पास आकड़े हैं। कुछ भी हो, सामान्य तथा हम यह मान लेते हैं कि समय की पावन्दी का मामला 1976-77 में कहीं अधिक अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि वर्ष 1977-78 से कहीं अधिक अच्छी निष्पादकता उसमें देखने में आई थी।

मैं आपको हानि और टूट–फूट आदि की क्षतिपूर्ति के बारे में भी कुछ बता देना चाहता हूं। वर्ष 1976-77 में क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार को 13.56 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा लेकिन 1977-78 में सरकार ने 14.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यहां भी आप देखेंगे कि इन बातों के कारण ही कार्यकुशलता का जहां तक सम्बन्ध है 1976-77 की निष्पादकता वर्ष 1977-78 से कहीं अच्छी थी।

अब मैं प्रो० माधुदण्डवते द्वारा उठाए गए कुछ अन्य मुददों पर आता हूं। वह जनता शासन के समय रेल मंत्री थे। मेरे लिए इस समय आवश्यक हो गया है कि मैं उनसे अपना ही सिंहावलोकन करने का आग्रह करूं। उन्होने क्षेत्रीय असन्तुलनों की बात कही और उनका यह भी कहना था कि पिछड़े क्षेत्रों में अधिक लाइने बिछाई जाएं अपने बजटीय भाषण में हमारे मन्त्री महोदय ने स्वयं ही कहा है कि विभिन्न नई लाइनों के बिछाने, नई लाइनों का सर्वेक्षण करने और जिनका सर्वेक्षण हो चुका है उनका निर्माण कार्य आरंभ करने का प्रावधान किया गया हैं। उनके शीघ्र निर्माण के लिए बजट प्रावधान किए गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं और भी बताऊंगा। दो नई लाइनों की परियोजनाएं उदाहरणार्थ, बोनाकालु से जग्गयापेटा और कोटा से नीमच वाया चितौड़गढ़ भी तो विकासाधीन क्षेत्रों से होकर जाती है। इनके अतिरिक्त, 14 नये सर्वेक्षणों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जो कि अधिकांशतः कम विकासित और पिछड़े क्षेत्रों से होकर जायेंगी। नंगल से तलवाड़ा, रांची से गिरीडीह वाया हजारीबाग टाऊन, गौंडा से जबलपुर वाया बालाघाट और बुज-बुज से नाम खाना की इन नई रेल लांइनों के पहले से हुए सर्वेक्षणों को आद्यातन किए जाने का प्रावधान किया गया है और ये सभी पिछड़े क्षेत्रों में पड़ती हैं।

मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि पिछड़े और कम विकसित क्षेत्रों में रेलवे लाइनें विछाने की आवश्यकता को यह सरकार की स्वीकार करती है और वर्ष प्रति वर्ष उपलब्ध होने वाली धनराशि को देखते इस आवश्यकता की और पूरा ध्यान दिया जाएगा।

एक दूसरे सदस्य श्री समर मुखर्जी ने भी कई मुददे उठाए हैं। मैं उनके एक मुद्दे को लेता हूं अर्थात कोयले की कमी। परन्तु मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि विहार के सभी तापीय–बिजली घरों में 10 से लेकर 20 दिन तक का कोयला भण्डार मौजूद हैं। यहां तक की दुर्गापुर जैसे संयन्त्र में 30 दिन तक के लिए कोयलें का भण्डार मोजूद है। इस सम्बन्ध में यह देखना हम सब का सामूहिक उत्तरदायित्व है कि रेलवे संगठन का सर्वोत्तम उपयोग कैसे हो सकता है जिस प्रर हमारे देश की कई अन्य बातें निर्भर है।

श्री राम बिलास पासबान ने टिप्पणी की है कि कर्मचारियों और प्रशासन के सम्बन्ध मधुर नहीं है तथा इसी प्रकार की अन्य बातें कहीं हैं। यह सब गलत हैं। उनके तो बड़े ही मधुर सम्बन्ध हैं। अन्यथा प्रशासन को चलाना कठिन हो जायेगा। उन्होंने रेल इन्जन चलाने वाले कर्मचारियों की हड़ताल का भी जिक्र किया है। परन्तु इस मामले में भी प्रशासन का इन्जन चालकों से सम्पंक था। प्रशासन के मस्तिपक में किसी भी कर्मचारी को हानि पहुंचाने की बात नहीं थी। इस सम्बन्ध में मैं जो बात फिर से बता देना चाहता हूं वह यह है कि रेलों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का राष्ट्र के पुनर्रिमाण में अपना अलग महत्व है। और हम सभीं इसका अनुभव करेंगे और इसका अनुपालन करने का प्रयत्न करेंगे।

इस सम्बन्ध में उन्होंने अनेक तथ्यों का उद्‌घाटन किया और इसी प्रकार की बातें कही। क्या मैं इस सदन को फिर से याद दिला सकत। हूं कि यदि हम घटनाओं के भी आकड़े लें तो हम पायेंगे कि 1963-94 में लगभग 1659 घटनाएं घटी थी और इससे पिछले वर्ष में हमने उन्हें घटाकर 109 कर दिया है। इससे यह पता चलता है कि विज्ञान और प्रौद्यागिकों जिसने कि

उन्नति की है, निश्चित रूप से दिन-प्रति दिन लोगों की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाई जा रही है और हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। आजकल रेलें केवल मानवीय तत्व पर ही निर्भर नहीं करती यह सन्तोष जनक नहीं है–परन्तु वह तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो कि प्रगति कर रही है, पूर्ण लाभ उठा रही हैं। वास्तव में, आज रेलवे का सुरक्षा संगठन अनेक प्रौद्योगिकीय उपकरणों पर भी निर्भर करता है जैसे, पहियों घुरी तथा कलपुर्जों के लिए, अल्ट्रासानिक फ्ला डिटेक्टर जिससे कि जब इन्जन चालू हो तो कोई भी यह पता लगा सके कि क्या गाड़ी ठीक से चल रही है। कभी-कभी चालकों को सिगनल नहीं दिखाई देते जिसके परिणामस्वरूप एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी से टकरा जाने की सम्भावना बनी रहती है। नियन्त्रक यन्त्र और स्वचालित चेतावनी उपकरण लगाये जा रहे हैं और वे बड़ी सीमा तक उपयोगी होते हैं और इस प्रकार हम दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण ने भी कुछ मुद्दे उठाये हैं। उनका कहना है कि शाक्ति के प्रत्यायोजन की सिफारिश को न अपना कर रेलवे ने प्रशासिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार नहीं किया है। यह सही नहीं है। क्या मैं इस तथ्य को स्थापित कर सकता हूं कि प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों पर निश्चितरूप से विचार किया गया है और अधिकारों का भी प्रत्यायोजना हुआ था। मैं आपको एक सामान्य सा उदाहरण देता हूं। दो दिन पूर्व ही रेल इन्जन चालकों ने अपनी हड़ताल समाप्त की है। उस समय यह सम्भव हो सका क्योंकि मण्डलीय प्रबन्धक प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन उनसे प्रत्यक्षरूप में निपट सका था और इसी प्रकार प्रत्येक स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है। स्थिति से निपटने के लिए उन्हें अत्याधिक महत्व दिया गया है और वह भी असली रूप में, क्योंकि यह एक विस्तृत संगठन है, यह तो आप सभी जानते हैं कि इसको उचित महत्व दिया गया है क्योंकि यह सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है।

हमारे कुछ मित्रों ने आज भी चर्चा में भाग लिया है। श्री भागवत झा आजाद ने अपने क्षेत्र का उल्लेख किया, जिस पर अब काम शुरू कर दिया गया है अनेक माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य टिप्पणियां भी की हैं। उन पर विचार किया जायेगा। आन्ध्र प्रदेश के श्री एन० यैल्लैया ने बताया हैं कि उनके क्षेत्र के पिछड़ा हुआ होने के कारण वहां नई रेलवे लाइने बिछाई जानी चाहिए, केवल सर्वेक्षण मात्र से कुछ नहीं बनेगा। रेल मंत्रालय उन सभी बातों पर निश्चित रूप से विचार करेगा। हमारे मित्र श्री जयदीप सिंह ने कल विरामगाम– पोरबन्दर लाइन के बदलने की बात कही। मेरा उनसे निवेदन है कि वे रेल मंत्री महोदय के भाषण के पैरा 22 की देखे, जिससे उन्हें पता चलेगा कि विरामगाम-ओख-पोरबन्दर सम्परिवर्तन योजना का प्रथम चरण विरामगाम से हेपा तक इस माह शुरू होना निश्चित है और शेष सम्परिवर्तन बाद में जारी रहेगा तथा उमके लिये धन का आभाव नहीं रहेगा। श्री राम विलास पासवान मे पटना में गंगा या एक दूसरे पुल की आवश्यकता का तथा आरा सासाराम लाइन का जिक्र किया रेल मंत्री के दिनांक 11 मार्च और 16 जून के भाषण में इन्हें समेट लिया गया है। उन्होंने संसद भवन आरक्षण कार्यायय की कठिनाईयों का जिक्र भी किया है, आरक्षण कार्यालय की नई दिल्ली के मुख्य आरक्षण कार्यालय से सम्पर्क करने कि कठनाई, उस कठनाई को दूर कर दिया जायेगा।

हमारे एक पुराने अध्यक्ष महोदय श्री नारायण चौबे, जो कि यहां उपस्थित नहीं हैं। यह रेलवे बोर्ड को समाप्त करना चाहते हैं। यह सम्भव नहीं है। रेलवे–बोर्ड तो रेलवे का एक महत्व-अंग है। उनके सर्जनात्मक मुद्दों पर विचार किया जायेगा। मुद्दे जो कि उददेश्यों को लेकर उठाए गये है उन्हे लक्ष्यरूप में ही लिया जायेगा। प्रो० दन्डवते कल पटरियों। लाइनों के बदलने की की बात उठा रहे थे। यह देखना रेलवे का उत्तरदायित्व है कि पटरियों की उचित ढंग से देख-भाल हो। योजना आयोग ने पटरियों के पुराने द्वार के लिए पहले से ही 100 करोड़ रुपये का अनुदान दे दिया है। जिससे हम 5000 कि० मी० तक यह काम करते रहें।

रेलवे बजट पर बहस के दौरान सर्जनात्मक सुझाव देने के लिए मैं माननीय सदस्यों को अत्यन्त धन्यवाद देता हूं और सरकार उन पर विचार करेंगी। जिन सदस्यों ने यहां वाद-विवाद में भाग लिया है उनमें से कुछ ने गत दो या तीन वर्षों में जो कुछ पहले नही किया जा सका है उससे कुछ अच्छा करने की भावना के साथ भाषण दिया है। जनता सरकार ने जो युक्तियां की है उनको दूर किया जायेगा। इसमें भी समय लगेगा, यह तो बड़ा भारी कार्यक्रम है। सरकार नई लाइनें बिछाना चाहती है और यह भी चाहती है कि यात्रियों को उचित सुविधाएं मिलें और कोयला और अन्य आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई हो। उसके लिए पर्याप्त संख्या में रेलगाड़ी के डिब्बों का प्रबन्ध करने का आवश्यक प्रावधान किया जायेगा। गत दो वर्षों में कुछ रूकाकट आ गई थी। कठोर परिश्रम की अपनी विद्यमान दृढ़ धारण और भावना के साथ वर्तमान सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी के गतिशील नेतृत्व में, जिन्हें इस देश की जनता का पूर्ण विश्वास प्राप्त है, जब हम अपना कर्तव्य पालन करेंगे तो सम्पूर्ण जागरूकता के साथ जनता सरकार द्वारा पैदा की गई कठिनाईयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी मैं सब से पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बोलने के लिए समय दिया। हम अपनी पार्टी की तरफ से एक ही बोलने वाले हैं। आज दो दिन के बाद हमें मौका दिया गया, इसलिए में आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति जी, गत चन्द सालों में टेलिफोन की तरह ही रेलों का बुरा हाल रहा है। ट्रेन का समय पर चलने का तो प्रश्न ही नहीं, बिना सूचना के ट्रेनें रद्द होती रही यह एक आम बात हो गयी थी। आशा थी कि कांगी की सरकार के आने के बाद कुछ सुधार होगा लेकिन बदकिस्मती है कि जो आशा की थी उसके प्रतिकूल ही रिजल्ट सामने आया। कहने के लिए सारी गाड़ीयां रेस्टोर हो गयी हैं और रेल मंत्री जी रोजाना ऐलान कर देते हैं लेकिन मैं देश के जिस भूभाग से आता हूं वहां अभी भी बहुत सी गाड़ियां रद्द पड़ी हुई हैं। मैं रेल मंत्री जी का ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं।

नयी सरकार के आते ही डिसेन्ट्रेलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर 18 एडीशनल जी०एम० की बहालीं की गयी। सभापति जी आपको जानकर हैरत होगी कि अभी भी रेलों में नीचे के स्थान खाली पड़े हुए हैं। जैसे ए०ए० एम टिकट क्लेक्टर, गार्ड टी० टी० ई० आदि मैं आपको अपने डिविजन तथा अपसे जोन की बात बताता हूं जहां से मैं आता हूं। वहां बहुत से स्थान खाली पड़े हुए हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका अपाइन्टमेंट नहीं हो सकता

है क्योंकि बहाली पर रोक लगी हुई है। आपने 18 एडीशनल जी० एमस० बहाल कर के एडीशनल बर्डन अपने ऊपर ले लिया लेकिन जो नीचे के पद हैं वे खाली पड़े हुए हैं उसका क्या होगा। आखिर ट्रेनें नीचे के लोगों से, कर्मचारियों से, वर्क्समैन चलेंगी या बड़े बड़े अधिकारियों से चलेंगी। देश में अनएम्प्लाएमेंट बढ़ रही है और दूसरी तरफ रेलों में बहुत सी जगहें खाली पड़ी हुई हैं। इसलिए मैं आग्रह करुंगा कि आप उन जगहों को भरें। जो वास्तव में रेल चलाते हैं, जिनने रेलें चलती हैं उनके पदों को आप भरें तभी रेलें ठीक से चल सकती हैं, तभी रेलों में सुधार हो सकता है।

गत मार्च में इन्टेरिम बजट लाया गया था वह वास्तव में इलेक्शन बजट था। उस बजट में किसी तरह की माल भाड़े या यात्री भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की गयी थी। उसी समय हम लोगों ने कहा था कि आगे आने वाले बजट में जोरों से बढ़ोतरी की जाएगी। वही परिणाम सामने आया। इस बजट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह जन-विरोधी बजट है और वह इसलिए है कि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक भाड़ा बढ़ाया गया है। वह भाड़ा चाहे माल का हो चाहे यात्री का हो। (व्यवधान) यह बजट वास्तव में उस कंसेप्ट से जिसकी सरकार बात करती है मिलता नहीं है। (व्यवधान) इसलिए मैं आग्रह करुंगा कि कम से कम सेकिड क्लास के बढ़ाये हुए भाड़े को आप खत्म करें। यदि आप चाहते ही हैं तो ऊपर की एयर कंडीशन क्लासों के भाड़े में बढ़ौतरी कर सकते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि जो पदाधिकारी बजट बनाते हैं उनका देश के बारे में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उनको शायद यही दिखायी देता है कि 50 किलोमीटर तक ही गरीब लोग चलते हैं, इसके बाद इस देश के गरीब सफर नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के पिछड़े भूभाग बिहार, उडीसा और असम से गरीब लोग उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब में काम करने के लिए आते हैं। यहां (दिल्ली) एम०पी० से लोग काम करने के लिए भी आते हैं। इसलिए हकीकत यह है कि गरीब लोग ट्रेनों से ज्यादा सफर करते हैं। मैं आग्रह करुंगा, कि सैकिड क्लास के किराए में जो बढ़ोतरी की गई है इसको वापिस लिया जाए।

यह एक क्यूरियस फिनोमिनन है कि रेलवे प्रशासन और उसके कर्मचारियों के बीच में विश्वास की कमी है। मैं उदाहरण दूंगा। 1974 में गाड़ी ने वर्क टू रूल मूवमेंट चलाई थी। उस समय मैं ए. आई. जी. सी. का अध्यक्ष था। उस समय रेल उप मंत्री श्री शफी कुरेशी हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि थर्ड पे कमिशन ने जो उनके (गार्डों के) साथ अन्याय किया है उसको दूर किया जाएगा। तब एक एग्रीमेंट हुआ था जिस को लागू नहीं किया गया। मैं श्री मधु दंडवते जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत कहने के बाद इन्होंने 1979 में बहुत मुश्किल के बाद उसको लागू किया।

इसी तरह से लोको रनिंग स्टाफ के साथ 1973 में टैन आवर ड्यूटी का एक एग्रीमेंट किया गया था। इसको आज तक भी रनिंग स्टाफ पर पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि टैन आवर ड्यूटी से ज्यादा उनकी ड्यूटी हो ही जाती है।

1974 की स्ट्राइक में जो कर्मचारी मुअत्तिल किए गए थे उनके बारे में बार बार सदन में स्टेटमेंट दिए गए थे कि उन सब को काम पर वापिस ले लिया जाएगा लेकिन आज भी वे बाहर हैं और उनको काम पर नहीं लिया गया है। इस एन्योरेंस के बाद भी जो रेल मंत्री आए उन्होंने उनको काम पर वापिस नहीं लिया।

पता नहीं सरकार किस प्रकार के नियम बनाती है और क्यों इन नियमों को बनाती है। उन नियमों के मुताबिक अगर कोई काम करता है तो गाड़ियां बन्द हो जाती है और उसको एजीटेशन माना जाता है। 1974 में गार्डज ने वर्क टू रूल मूवमेंट शुरू किया और गाड़ियां बन्द होने लगी और उनको फीनेलाइज़ किया गया। इस तरह के नियम क्यों बनाए जाते हैं यह मेरी समझ में नहीं आया है। आप नियम गनाते हैं मानने के लिए और उनको अगर माना जाता है तो फिर जो लोग उनको मानते हैं उनको पीनेलाइज़ किया जाता है।

सभापति महोदय : आप का समय खत्म होने वाला है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं अपनी पार्टी का सोल स्पीकर हूं। मुझे बीस मिनट का समय मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : आपको ग्यारह मिनट दिए गए हैं। यह काशन बैल है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : रेल समय के साथ साथ मजदूरों के पैसे की भी चोरी करती हैं। समय की चोरी किस प्रकार से करती हैं इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली की मिसाल ही आप लें। दिल्ली के पचास किलोमीटर के इर्दगिर्द जब गाड़ी आ जाती है उसकी जो स्पीड है उसको कागजों पर एक चौथाई कर दिया जाता है। पटना से दिल्ली गाड़ी आई। पचास किलोमीटर दिल्ली पहुंचने में जब रह जाती हैं तो चौथाई स्पीड कागजों पर कम कर दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता ताकि वह दिल्ली लेट आने पर भी दिखाया जा सके कि समय पर पहुंची है और पंक्चुएलिटी शो कि जा सके। यह तो समय की चोरी हुई।

अब पैसे की चोरी किस प्रकार करती है इसका उदाहरण भी मैं आपको देता हूं। समस्तीपुर डिविजन में एक गाड़ी है 409 अप और 410 डाउन जो कटिहार से महादेवपुर घाट तक वाया सहरसा चलती है। सहरसा में इसको टर्मिनेट करके दूसरा नम्बर दे दिया जाता है जन रेक औल एक हीं रहता है। ताकि यह बी ग्रेड की गाड़ी न वन सके आर सी ग्रेड की ही रहे। इस तरह से यह गाड़ी सी से वी ग्रेड की नहीं हो पाती। अगर यह बी ग्रेड की हो जाए तो रनिंग स्टाफ को फायदा हो सकता है। रनिग स्टाफ को इस फायदे से महरूम रखा जा सके इस वास्ते इस गाड़ी को सी ग्रेड की गाड़ी रखा जाता है। इस प्रकार से कर्मचारियों के पैसे की चोरी की जाती है। यह नहीं होनी चाहिये।

मैं रेलवे प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस गाड़ी को कम-से-कम सीधा चलायें, बीच में उसके नम्बर को न बदलें जिससे मजदूरों के पैसे की भी चोरी न हो।

पता नहीं कि रेलवे प्रशासन अन-रिकग्नाइज्ड यूनियन को क्यों अछूत समझता है। पर जब कोई एजीटेशन होता है तो उन्हीं कर्मचारियों का स्वागत कर के बात करता है। आप जानते

हैं कि यहां दो मान्यता प्राप्त एसोशियेशन्स हैं –एक तो एन० एफ० आई० आर० है और दूसरी ए० आई० आर० एफ० है। ये दोनों फैडरेशन ऐसे डाक्टर की तरह हैं जिनके पास कोई मरीज जाता नहीं है हालांकि इनके पास दवा भरी पड़ी हैं। इनके पास पूरे प्रिविलेजेस हैं, सुविधाएं हैं सारे कर्मचारी जो कैटेगरीकल एसोसियेशन्स हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। लेकिन उनके पास वह सुविधाएं नहीं है जो इन फैडरेशन्स के पास हैं। मैं चाहूंगा कि जो एक इंडस्ट्री में एक फैडरेशन्स की बात होती रही है, रेल प्रशासन वास्तव में उस पर ईमानदारी से अमल करे।

रेलवे बोर्ड के बारे में बहुत सालों से इस सदन में चारों तरफ से यह बातें आई कि इसे एबौलिश किया जाये। किसी ने इसे व्हाइट एलीफेंट कहा और किसी ने स्लगिश एस कहा। हमें यह पता नहीं लगता है कि जब और किसी विभाग में बोर्ड की जरूरत नहीं है तो रेल विभाग में इस बोर्ड की क्यों जरूरत है ? इनका काम है कि कोई काम क्यों नहीं होगा, यह बताने की बजाये इसके कि कोई काम कैसे होगा, यह बताने के। तो वास्तव में यह बाधक है काम का अतः इसे एबालिश किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं जल्दी ही खत्म करता हूं। बहुत दिनों से सैलून को खत्म करने की बात कही जाती रहीं है। रेल प्रशासन ने कहा कि सैलून को एबालिश कर दिया गया है। सैलून को अगर वास्तव में देखें तो यह एक चलता फिरता स्वर्ग है जिसमें रेल के आफिसर्स जाते हैं इन्सपैक्शन करने के लिये। यह बात इन्होंने कही है कि इसे एबालिश कर दिया है, लेकिन केवल उसका नाम बदल दिया है और उसे अब इन्सपैक्शन कैरिज कर दिया है मैं। पूछना चाहता हूं कि जो सैलून में बन्द होकर जाते हैं, वह कुछ देख नहीं सकते इन्सपैक्शन क्या करेंगे ? इस लिये इनको कहा जाये कि ये फर्स्ट क्लास में चलें ताकि देख सकें कि इन्सपैक्शन किस किम चीज का करना है।

सभापति महोदय : आपका समय पूरा हो चुका है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं सिर्फ दो, तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। रेल कर्मचारियों के मनोरंजन की सुविधा बढ़नी चाहिए खासकर सहरसा, बरौनी और दरभंगा में। कर्मचारियों के आश्रितों को रेल सेवा में सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिये।

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है आप बैठ जाइए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

सभापति महोदय : आपके जो सुझाव हैं वह लिखकर रेलवे मिनिस्टर को भेज दीजिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं अपनी बात सिर्फ दो मिनट में ही खत्म करता हूं, नहीं तो एक मिनट ही दीजिए।

मैं हिन्दुस्तान के सबसे वैकवर्ड इलाके से आता हूं। इस मुल्क में रेलवे प्रशासन में यह हो रहा है कि वैकवर्ड एरिया में लाइन देते हैं बिहार इस देश का सबसे वैकवर्ड प्रदेश है जहां सुविधाएं दी जानी चाहियें।

दौरम मध्यपुरा से सिंहेश्वर 8 किलोमीटर है। ललित बाबू ने कहा था कि सन 1975 में यह लाइन चलेगी, लेकिन आज तक नहीं चल पाई है। शुरू में इसका एस्टीमेट हुआ 1 करोड़ 20 लाख का, उसके बाद 1 करोड़ 2 लाख का और फिर 85 लाख का और अन्त में 52 लाख पर आकर रूका है। मेरा कहना है कि उसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। विहारी गंज से बख्त्यारपुर यह 45 किलोमीटर की लाइन है घुमाकर

सभापति महोदय : यू कान्ट गो लाइक दिस।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं दो-तीन लाइन कहकर बैठ जाता हूं। यदि विहारीगंज से बख्त्यारपुर की मिला दिया जाये तो यह सिर्फ 15 किलोमीटर ही होता है। यह उस भूभाग से होकर जाता है जहां कि बूढ़े लोगों ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी। इसलिए जल्द से जल्द इसे बनाया जाना चाहिए।

पार्वतीपुरम (विजयनगर जिला आंध्र) से कोरापुट (उड़ीसा) का प्रपोजल है। यह लाइन सालूर होकर जानी चाहिए क्योंकि यह शार्टेस्ट है और आन्ध्र व उड़ीसा के आदिवासी एरिया होकर जाते हैं।

अन्त में कन्वर्सन टू वी० जी० फ्रास कटिहार टू बरौनही कई साल पहले शुरू हुआ था। उसके वारे में इस वजट में 2 साल के बाद टेक-अप करने की बात कही गई है। मैं आग्रह करूंगा कि इसको जल्द से पूरा किया जाए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, यह वाद-विवाद 4.30 बजे समाप्त होने वाला है। यदि मुझे दो मिनट बोलेने का समय दिया जाए तो मैं आभारी हूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, जब रेलवे मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने अपना बजट भाषण समाप्त किया तो शीध्र ही मेरे मन में आया कि मुझे प्रो० दण्डवते को मुबारक देनी चाहिए कि विना द्वितीय श्रेणी का किराया बढ़ाये उन्होंने ने दो बचत वाले बजट प्रस्तुत किए। अब देखिये कि द्वितीय श्रेणी यात्रियों के किराए में वृद्धि करके यह सारा के सारा बजट जन-विरोधी बजट वन गया है यद्यपि इस सरकार ने (व्यवधान)—— 'गरीबी हटाओं नारा दिया था। ऐसा करके वे इस गरीबी को तो नहीं हटा सकते, परन्तु इस 'गरीबी हटाओ' नारे को 'गरीबी वढाओ' में बदल दिया है इस प्रकार का बजट न केवल इस देश के गरीब लोगों को हानि पहुंचाएगा, अपितु इसके परिणामस्वरूप सब वस्तुओं की कीमतें वढ़ जायेंगी।

इस वात के लिए मैं रेल मन्त्री महोदय को निश्चितरूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चीनी और खाद्यन्न आदि को अधिभार से विमुक्त कर दिया है। परन्तु उन्हें चाहिए था कि वे इस्पात, कोयला, सीमेंट सब्जी, अण्डे, फल आदि को भी इस सूची में सम्मिलित करते क्योंकि उनका उपयोग गरीब आदमी और जन-साधारण करते हैं।

अन्त में, मैं कर्मचारियों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। यथासम्भव दैनिक मजदूरी वाले मजदूरों को स्थायी किया जाए। इसके साथ ही साथ चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्म-

चारियों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त पदोन्नति के अधिक अवसर होने चाहियें। रेलों में द्वितीय श्रेणी के यात्री-डिब्बों में वृद्धि की जाए, विशेषकर 29 अप और 30 डाउन रेलों में जो कि लखनऊ और दिल्ली के बीच चलती हैं। (व्यवधान)। बाराबंकी से लेकर गोरखपुर वाली छोटी लाइन को यथासम्भव बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस वक्त मैं सदस्यों को आर्डर में बुला रहा रहा हूं। माननीय सदस्य, श्री आर्य, को कल सब से पहले बुलाया जाएगा।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : मेरा पार्यट आफ आर्डर है। जिस तरीके से आपने मेम्बर साहब को आउट आफ दि वे, उनकी पार्टी का टाइम खत्म होने के बाद भी---ये सब के सब डिफेक्टर्ज हैं, इन्हें तब अक्ल आती है, जब यहां से वहां पहुंच जाते हैं---अलहैदा टाइम दिया है, उसी तरह औरों को भी मौका दीजिए। आपने एक दफा और भी ऐसा किया था, इसलिए मैं यह कहने पर मजबूर हो गया हूं।

सभापति महोदय : इस सदन में किस को पहले चांस देना है और किस को बाद में, इसका डिस्क्रीशन चेयर को हुआ करता है। जब कोई मेम्बर बाहर जाने के बारे में एप्लिकेशन देता है, तो उसे टाइम दे दिया जाता है माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने बाहर जाना है, इसलिए उन्हें चांस दिया गया है। प्रोसीजर के खिलाफ कोई बात नहीं की गई है।

श्री के प्रधानी (नौरंगपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं वर्ष 1980-81 के बजट के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले में मन्त्री महोदय को सभी आवश्यक वस्तुओं को रेल-भाड़े के अतिरिक्त अधिकार में छूट देने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, चूंकि मेरे पास सीमित समय है तो मैं अपने को अपने राज्य की कुछ स्थानीय मांगों तक ही सीमित रखूंगा।

मैं बहुत ही पिछड़े हुए राज्य, उड़ीसा का रहने वाला हूं। उड़ीसा खनिज स्रोतों से भरा पड़ा है जिनका अभी दोहन शेष है। दोहन केवल इसलिए नहीं हो पा रहा है चूंकि उचित आधार भूत ढांचें की आवश्यकता है। मैं मन्त्री महोदय के समक्ष तीन रेलवे लाइनों की मांग रख रहा हूं जो इन खनिज स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं।

प्रथमतः झकपुरा--बांसुपानी लाइन को भारत सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। 33 कि० मी० लाइन पर काम है और 147 कि० मी० पर काम पूरा होना बाकि है यदि भारत सरकार इस लाइन के शेष भाग को पूरा करने के लिए आंवटन प्रदान करती है तो उड़ीसा सरकार ने भूमि देना और मिट्टी हटाने आदि का काम करना स्वीकार कर लिया है बांसुपानी क्योझर जिले में है जहां भारत की एक तिहाई खनिज सम्पदा उपलब्ध है। यह पारादीच में रेलवे से जुड़ी हुई है जो कि चक्कर दार मार्ग से पश्चिम बंगाल के खड़गपुर तक 610 कि० मी० की दूरी तय करती है जबकि प्रस्तावित लाइन से 340 कि०मी० की दूरी कम हो जायेगी। अतः उस क्षेत्र के विकास और

लोह–अयस्क के स्रोतों के दोहन के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण है तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूगा कि वे लाइन के शेष भाग को शीघ्र पूरा करें ।

दूसरी लाइन, वालटेयर केरून्डल जिसका निर्माण भारत सरकार ने वैलाडिला से जापान के लिए विआग बन्दरगाह के मार्ग से लोह–अयस्क का निर्यात करने के लिए किया था, बस्तर और कोरापुर जिलों से होकर गुजरती है जो कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े हुए जिले हैं । इस लाइन के विद्युतीकरण का कार्य भारत सरकार ने आज से सात वर्ष पूर्व किया था परन्तु प्रगति इतनी धीमी रही है कि यह निकट भविष्य पूरा होने वाला नहीं है । 54 करोड़ रुपये की धनराशि इसके लिए स्वीकृत की गई थी, लेकिन अब तक केवल 36 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं और इस वर्ष के लिए केवल 9 करोड़ रुपये आंवटित किये गए हैं । गत दो या तीन वर्ष में प्रगति अत्वन्त ही धीमी रही है। इस परियोजना की कुछ सामग्री को कुछ अन्य लाइनों के लिए भेज दिया गया जिसके परिणामस्वरूप इस काम में अवांछनीय विलम्ब हुआ ।

इस सम्बन्ध में जिस एक और बात का उल्लेख करूगा वह यह है कि विस्तर और कोरापुट जिलों की जनता की सेवा करती हुई एक रेल इस लाइन पर चलती है । यह देश का सर्वाधिक उपेक्षित भाग है और 40 कि० मी० की दूरी तय करने में यह रेल 19 से 20 घण्टे लगाती है जब कि बसें उसी दूरी को छह–सात घन्टे में पूरी कर लेती है जिसका परिणाम यह है कि लोग इस गाड़ी से जाने को तब तक राजी नहीं हैं जब तक की इसका विद्युतीकरण करके इसकी गति नहीं बढ़ा दी जाती । अतः विद्युती करण बहुत ही जल्दी होना चाहिए और मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इसको यथाशीघ्र पूरी करायें ।

अब मैं तीसरी लाइन की बात करता हूं । उड़ीसा के कोरापुर जिले में बाक्साइट के भण्डार हैं जो भारत वर्ष में सबसे ज्यादा हैं और विश्व में मात्रा के अनुसार दूसरे नं० पर हैं । इस भण्डार का दोहन अतिशीघ्र होना चाहिए ।

सभापति महोदय : सभा अब 5 बजे म० प० तक के लिए स्थागित होती है ।

तत्पश्चात लाकर सभा 5 बजे म० प० तक के लिए

स्थागित हुई

लोकसभा 5 बजे म० प० पुनः

समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय पीठा सीन हुए

बजट (सामान्य), 1980 81 प्रस्तुत

अध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री महोदय ।

वित्त मन्त्री महोदय (श्री आर० वेंकटारमन)

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) महोदय,

मैं वर्ष 1980-81 का नियमित बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

2. इस वर्ष मार्च में अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते समय मैंने यह बताया था कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खस्ता है और उसे ठीक करने के लिए राष्ट्र को कितना भारी काम करना होगा। पिछले सप्ताह सदन में प्रस्तुत "आर्थिक समीक्षा" से मेरे उन विचारों की पुष्टि होती है, जो मैंने संक्षेप में मार्च के महीने में व्यक्त किए थे। "आर्थिक समीक्षा" में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान दशा और उसकी समस्याओं तथा संभावनाओं का विस्तृत ब्योरा दिया गया है, इसलिए मैं यहां उसके कुछ प्रमुख पहलुओं पर ही प्रकाश डालूंगा ताकि सदन को यह मालूम हो सके कि सरकार के सामने जो आर्थिक समस्याएं हैं वे कितनी गंभीर हैं, उन्हें सुलझाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है और आगे कौन-कौन से उपाय करने की जरूरत है, और इन उपायों में से कुछ एक के बारे में मैं अपने इस भाषण में आगे बताऊंगा।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और चिन्ताजनक बात यह है कि 1979-80 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट आई। यह गिरावट कृषि उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत की और औद्योगिक उत्पादन में लगभग । प्रतिशत की कमी होने के कारण हुई। कृषि उत्पादन में कमी इस लिए आई क्योंकि देश के बहुत बड़े भागों में भयानक सूखा पड़ा। ओद्योगिक उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण यह था कि आधारभूत ढांचे की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी।

4. आर्थिक स्थिति की जो सबसे अधिक गम्भीर त्रुटियां रहीं उनमें से एक त्रुटि बिजली, कोयला और रेल के उत्पादन से सम्बन्धित थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सूखे के कारण पन-बिजली के उत्पादन में 2.2 प्रतिशत की कमी आई। लेकिन जो मुख्य बात हमारे सामने उभर कर आती है वह यह है कि पिछले तीन वर्षों में तापीय बिजली के उत्पादन की क्षमता में पर्याप्त बढ़ोतरी होने पर भी उस के उत्पादन में वृद्धि करके बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा नहीं किया जा सका। कोयले की अपर्याप्त पूर्ति और घटिया क्वालिटी, मशीनों आदि का घटिया रख-रखाव, उपस्कर की खराबी जिसके कारण पूर्व-योजना के अनुसार अन्यथा भी बिजलीबन्दी की अवधियां बढ़ानी पड़ीं और निकृष्ट प्रबन्ध —ये सब ऐसी बातें थीं जिनके कारण तापीय बिजली की क्षमता का उपयोग घटकर 45 प्रतिशत तक ही रह गया।

5. कोयले की भी यही कहानी है। भारी पूंजी निवेश के बावजूद 1979-80 में कोयले और लिगनाइट का उत्पादन ठीक 10.6 करोड़ मैट्रिक टन हुआ जो चार वर्ष पहले प्राप्त स्तर से थोड़ा-सा ही अधिक था। कोयले के उत्पादन में जो कमी हुई उसका कारण यह था कि दामोदर घाटी निगम के कार्य-निष्पादन का स्तर अच्छा नहीं रहा और बिहार तथा बंगाल के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रही। इसके अलावा, रेलवे के यातायात की कठिनाइयों के कारण कोयला पर्याप्त मात्रा में तापीय बिजलीघरों तक नहीं पहुंचाया जा सका।

6. वर्ष 1979-80 के दौरान प्रारम्भिक टन भार के रूप में रेलवे के राजस्व उपार्जक

यातायात में 1978-79 में प्राप्त स्तर से 3.3 प्रतिशत की कमी रही । प्रारम्भिक टन भार के रूप में राजस्व उपार्जक यातायात में रेलवे 1976-77 में सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया था और तब से उसमें बराबर कमी होती जा रही है । बिजली, कोयला और रेलवे--इन तीनों क्षेत्रों में जो त्रुटियां रहीं उन्होने परस्पर एक-दूसरे को बढ़ावा दिया और राष्टीय अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचाई ।

7. आधारभूत ढांचे की इन गंभीर त्रुटियों के कारण इस्पात, सीमेंट, बिजली-भिन्न मशीनें, ऐल्यूमिनियम और अन्य अलौह धातुओं तथा सूती वस्त्रों जैसी प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में कमी आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी । चीनी के उत्पादन में भी 28 प्रतिशत की कमी हुई । उद्योग के क्षेत्र में क्षमता के उपयोग में सामान्य रूप से गिरावट आई ।

8. ऐसी स्थिति में जब कि समय पूर्ति में एकदम कमी आई, कीमतों में तेजी से वृद्धि हो गई । राजकोषीय वर्ष 1979-80 में कीमतें 20 प्रतिशत बढ़ीं । चीनी, गुड़, खांडसारी, तेलहन और खाद्यतेलों जैसी कुछ वस्तुओं की कीमतों में खासतौर से बहुत ज्यादा वृद्धि हुई । उत्पादन के निम्नस्तर के कारण बहुत-सी विनिर्मित और मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतों में भी लगातार बढ़ौतरी होने का रुख बना रहा । कच्चे तेल और तेल उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होने के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव बढ़े और कोयले तथा इस्पात जैसी चीजों की प्रशासित कीमतों में देर से किए समायोजनों ने भी इसमें अपना योगदान दिया । इसके कारण स्वाभाविक रूप से सट्टेबाजी के आसार बढ़ गए और पिछले वर्षों के दौरान मुद्रा उपलब्धि में अत्यधिक विस्तार किए जाने से मुद्रा प्रणाली में नकदी का बाहुल्य हो जाने के कारण कीमतों की स्थिति और भी गंभीर हो गई ।

9. इन सभी बातों के कारण जिस एक अन्य क्षेत्र में स्थिति बिगड़ी वह था भुगतान-शेष का क्षेत्र । यह सही है कि 1979-80 में हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार में कुल मिलाकर केवल 56 करोड़ रुपए की ही कमी हुई किन्तु भुगतान-शेष पर असर डालने वाली विभिन्न शक्तियों का रुख स्पष्टत उलट गया । मूल्य के रूप में निर्यात की वृद्धि केवल 8 प्रतिशत के आसपास रही जिसका मतलब यह हुआ कि परिमाण के रूप में शायद ही कोई वृद्धि हुई हो क्योंकि 1979-80 में विश्व स्तर पर लगभग 10 प्रतिशत की दर से मुद्रास्फीति हुई । दूसरी ओर, आयातों में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि तेल का बिल बढ़ गया था क्योंकि तेल और तेल उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई थी और उसका उर्वरक जैसी वस्तुओं के आयात पर गहरा प्रभाव पड़ा था । इसके परिणामस्वरूप 1979-80 में व्यापार का घाटा 1978-79 के घाटे की तुलना में दुगुना यानी 2232 करोड़ रुपए का था । इसकी वजह से चालू खाते में भी घाटा रहा । बाहर से भेजी जाने वाली रकमों की वृद्धि की दर भी, जिसके कारण अभी कुछ समय पहले व्यापार का घाटा अधिशेष में बदल गया था, 1979-80 में धीमी पड़ गई ।

10. यह असंतोषजनक आर्थिक स्थिति काफी हद तक पिछली सरकार की नीतियों या मैं यों कहूं कि नीतियों के अभाव कारण उत्पन्न हुई । उदाहरणार्थ, चीनी के सम्बन्ध में ढुलमुल नीति के कारण गन्ने के क्षेत्र में कमी हुई और चीनी का उत्पादन भी घट गया और पिछले मौसमों में

इकट्ठे किए गए चीनी के विशाल भंडारों को उनसे बार-बार चीनी निकाल कर बरबाद कर दिया गया और बाद में इन निकासियों का स्तर कायम नहीं रखा जा सका। यदि वे चीनी के मामले में अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण नीति का अनुसरण करते तो हमें घरेलू उपभोग के लिए बाहर से चीनी मांगने की अवांछनीय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता।

11. जहां तक आधारभूत ढांचे का सम्बन्ध है, कोयला, परिवहन और बिजली के तीन क्षेत्रों में समन्वित नीति न होने के कारण कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा। नकदी बाहुल्य वाली अर्थव्यवस्था में जहाँ बजट में 2700 करोड़ का भारी घाटा हो और घटते हुए उत्पादन की स्थिति में आम उपभोग की वस्तुओं पर व्यापक रूप से कर लगाने की नीति हो यो कीमतों में उछाल आना स्वाभाविक ही है। अन्ततः, निर्यात संवर्द्धन पर पर्याप्त बल न दिए जाने के कारण भी अंशतः हमारे भुगतान-शेष का रूख उलट गया।

12. अतः अब यह जरूरी हो गया है कि हालत को और ज्यादा बिगड़ने से रोकने के लिए और अर्थव्यवस्था को स्थिरता और विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए उपाय खोजे जाएं। इस तथ्य से कि हमारी सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त है और उसमें निर्णय लेने लेने की क्षमता है, स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए; इसके अलावा यह भी सही है कि अब जब कि राज्यों के चुनावों में हमारी पार्टी को इतने उत्साह के साथ विजयी बनाया गया है, केन्द्र और राज्यों के बीच बहुत अधिक सहयोग रहेगा। हमने पहले जो दूरदर्शिता दिखाई थी उसके कारण अब मई 1980 के अन्त में भी हमारे पास 180 लाख मैट्रिक टन खाद्य का भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार 30 मई, 1980 को 4890 करोड़ रुपए का था। स्थिति को सुधारने के लिए इन सशक्त तत्वों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाएगा। लेकिन सदन यह महसूस करेगा कि हमें जितनी गंभीर और जटिल समस्याएं विरासत में मिली हैं उनको जल्दी से सुलझा देना कोई आसान काम नहीं है। किन्तु ये समस्याएं ऐसी हैं जिनपर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है; इसलिए हम दृढ़संकल्प होकर और जनता के सभी वर्गों के सहयोग से इन्हें सुलझाने का प्रयत्न करेंगे।

13. जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है तब से इसने आर्थिक प्रणाली की त्रुटियों को ठीक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। चूंकि आधारभूत ढांचे को सही स्थिति में लाने के काम में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी इसलिए सरकार ने स्थिति पर बराबर नजर रखने के लिए मेरी अध्यक्षता में आधारभूत ढांचे के बारे में एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की। चूंकि बिजली की कमी उत्पादन की वृद्धि में बाधा डालती रही है इसलिए समिति ने बिजली संबंधी स्थिति को सुधारने की ओर बहुत ध्यान दिया है। समिति इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था चाहती है कि तापीय बिजली के उत्पादन में कोयले की कमी बाधा न बने, इसलिए उसने यह निर्णय किया कि तापीय बिजली घरों को कोयला पहुंचाने के लिए अधिक वैगन उपलब्ध कराए जाएं इसके फलस्वरूप तापीय बिजली घरों को प्रतिदिन भेजे जाने वाले कोयले के वैगनों की संख्या मई 1980 में 3200 हो गई है जबकि जनवरी में यह 2900 थी।

14. रेल द्वारा कोयले की ढुलाई की अनुपूर्ति करने के लिए तटवर्ती नौवहन फिर से चालू किया गया है और आशा है कि पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा

करने के लिए उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और वह प्रतिमास एक लाख मैट्रिक टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा ।

15. कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदमों के फलस्वरूप उसके उत्पादन में अप्रैल और मई 1979 की तुलना में, अप्रैल 1980 में 9.4 लाख मैट्रिक टन और मई 1980 में 10.4 लाख मैट्रिक टन की वृद्धि हुई है ।

16. पत्तनों कि स्थिति में भी आश्चर्यजनक सुधार हुआ है । बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में घाट पर लगने के लिए प्रतीक्षा करने वाले जहाजों की संख्या मई 1980 तक घटकर बहुत कम हो गई । पत्तनों की स्थिति में सुधार हुआ है जिसका सही निर्देशक यह तथ्य है कि अप्रैल 1980 से बम्बई और कलकत्ता आदि बड़े पत्तनों पर लगने वाला संकुलन-अधिभार (कंजेशन सरचार्ज) हटा दिया गया है ।

17. चूंकि अक्टूबर 1979 से मई 1980 तक की अवधि में वर्षा कम हुई जिससे कई राज्यों में सूखे की स्थिति बराबर बनी रही और 22 करोड़ लोग इससे प्रभावित रहे, इसलिए वर्तमान सरकार ने कार्य-भार संभालते ही तुरंत विशाल पैमाने पर राहत कार्य शुरू कर दिए । इन राज्यों तथा दूसरे राज्यों को भी केंद्रीय दल भेजे गए और सूखा राहत के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई । दस लाख से अधिक निराश्रितों को मुफ्त भोजन दिया गया । इसके अलावा, 'काम के बदले अनाज' के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजाना लगभग 65 लाख लोगों को रोजगार दिया गया । सरकार ने इस कार्यक्रम को सितंबर 1980 के अंत तक चालू रखने का निश्चय किया है । नाइट्रोजनी उर्वरकों समेत कृषि में काम आने वाली वस्तुओं (इनपुट) पर छोटे और सीमान्तिक किसानों को एक फसल वाले सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, जहां रबी की कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, इस समय जो आर्थिक सहायता दी जाती है वह भी मार्च 1981 के अन्त तक दी जाती रहेगी ।

18. सूखे के प्रबंध का एक 12-सूत्री कार्यक्रम तैयार करके राज्यों के पास भेजा गया है । इस कार्यक्रम में यह बताया गया है कि वे मूलतः किस प्रकार सूखे की स्थिति का मुकाबला करें और इसके लिए क्या दृष्टिकोण अपनाएं । कूएं खोदने के लिए बहुत-से रिगों का काम में लाया जा रहा है और 'बोर' किए गए कूओं में से काफी अधिक प्रतिशत कूओं में सफलता मिली है । आशा है, इन कदमों से सूखा-प्रभावित राज्यों में पीने के पानी की उपलब्धता में स्थायी रूप से सुधार हो सकेगा ।

19. पिछले कुछ महीनों के दौरान, सूखा आदि कई कारणों से पेट्रोलियम उत्पादों, खास तौर से डीजल की मांग बढ़ गई । यह समस्या और भी जटिल हो गई जब जनवरी से आसाम के कच्चे तेल (क्रूड) पर आश्रित चारों तेल-शोधक कारखानों (रिफाइनरी) से जिनके द्वारा सामान्यतः प्रतिमास लगभग 3, 50, 000 मेट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किए जाते हैं, होने वाली पूर्ति (सप्लाई) लगभग पूरी तरह ठप्प हो गई । इस स्थिति का पूरी तरह डटकर मुकाबला किया गया । सर्वप्रथम, जनवरी और अप्रैल 1980 के बीच डीजल और मिट्टी का तेल अधिकतम मात्रा में आयात किया गया अर्थात 6.2 लाख मेट्रिक टन मिट्टी का तेल और 11 लाख मेट्रिक

टन डीजल बाहर से मंगवाया गया जबकि जनवरी-अप्रैल 1979 में आयातित मिट्टी के तेल और डीजल की मात्रा क्रमश: 4.7 लाख और 4.8 लाख मेट्रिक टन थी। दूसरे सभी उपलब्ध साधनों के द्वारा इन वस्तुओं की आवाजाही में तेजी लाई गई। इसके फलस्वरूप, 1979 के तदनुरूप महीनों की तुलना में इनकी पूर्ति के स्तर में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और डीजल की कमी रहने से रबी के उत्पादन पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता वह नहीं पड़ा।

20. जहां तक कीमतों का सम्बन्ध है, सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है। खाद्य तेलों के मामले में सरकार ने पर्याप्त मात्रा में इनका आयात ही नहीं किया बल्कि यह भी व्यवस्था की है कि आयात किए गये इन तेलों का काफी बड़ा भाग सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो। उम्मीद है कि लगभग 3 लाख मेट्रिक टन आयातित तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगा। चीनी के मामले में, सरकार ने अस्तव्यस्त हुई दोहरी कीमत प्रणाली को सक्रिय बना दिया है।

21. गरीब से गरीब व्यक्ति के विकास के लिए हमारी नीति में जो जोर दिया गया है उसके अनुरूप बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि परिवर्द्धित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का काफी बड़ा भाग पुनरुज्जीवित किए जा रहे 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लाभानुभोगियों को प्राप्त हो। खण्डस्तरीय विकास की गतिविधियों और बैंकों के ऋण कार्यक्रमों के बीच की कड़ी को और मजबूत करने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे इस वर्ष के अन्त तक उन सभी खण्ड मुख्यालयों (ब्लॉक हेडक्वार्टर्स) में अपनी शाखाएं खोल दें जहां इस समय बैंक कार्यालय नहीं हैं।

22. सम्मानित सदस्य उस महत्वपूर्ण भूमिका से भली भांति परिचित हैं जो हमारे निर्यातों ने हमारे विकास कार्यों में निभाई है। इसीलिए कई वर्षों से सरकार निर्यात संवर्द्धन को सभी प्रकार की सुविधाएं और पूरा-पूरा प्रोत्साहन देने की कोशिश करती रही है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊत्तरोत्तर प्रतियोगितात्मक बनता जा रहा है, निर्यात संवर्द्धन के लिए निवेश वित्त और ऋण का प्रबंध करना अधिकाधिक जटिल होता जा रहा है। इसलिये एक ऐसी शिष्ठ संस्था की जरूरत है जो निर्यात ऋण के सभी पहलुओं के लिए एक केन्द्र विन्दु बन और जो निर्यातक समुदाय की आवश्यकताओं पर एकाग्र होकर ध्यान दे। तदनुसार, सरकार ने हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वित्त-व्यवस्था में सहायता देने के लिए एक निर्यात-आयात बैंक स्थापित करने का निश्चय किया है। हमें आशा है कि यह विशिष्ट संस्था हमारे निर्यात संवर्द्धन कार्यों को वांछित बढ़ावा देगी।

23. इस समय अर्थव्यवस्था के सामने जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए जो काम किए जाने हैं, वे काफी स्पष्ट हैं। चूंकि अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी संभाव्यता बहुत अधिक है इसलिए हमारी नीति का मुख्य उद्देश्य कीमतों में स्थिरता लाना होगा। समग्र पूर्ति में वृद्धि करके और समग्र मांग में कुछ कमी करके ही इस कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिये हमारा इरादा है कि हम आधारभूत ढांचे के कार्य में सुधार करने के अपने प्रयत्नों को जारी रखें और

जहां कहीं आवश्यक हो पूंजी निवेश करने उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाएं । दूसरे, जोर इस बात पर दिया जाएगा कि विद्यमान क्षमता का अधिक कारगर ढंग से उपयोग किया जाए, क्षमता बढ़ाने के प्रयत्नों में कोई ढील न दी जाये, और इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम तथा उर्वरक जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई जाए । इससे एक साथ उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा, आयात की जरूरत कम होगी और राजस्व का लाभ होगा ।

24. मांग प्रबंध के संबंध में, हमें बैंक ऋण के विस्तार को उत्पादक और प्राथमिकता प्राप्त प्रयोजनों के साथ जोड़ने की नीति का अनुसरण करना होगा और सट्टेबाजी के लिए धन-राशि के इस्तेमाल को रोकना होगा। हमें एक ऐसी ब्याज दर नीति का भी अनुसरण करना होगा जो उत्पादक कार्यकलाप को क्षति पहुचाये बिना स्फीतिकारी दबावों को कम करने में सहा-यक सिद्ध हो । इसी के साथ हमें मुनाफाखोरों और जमाखोरों के विरूद्ध, जो कि व्यक्तिगत हित के लिए वर्तमान कमियों को फायदा उठाना चाहते हैं, कठोर कार्रवाई करनी होगी । तस्करी को तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पति समपहरण) अधिनियम तथा अन्य उपायों के जरिये रोकना होगा ।

25. चूंकि मुद्राप्रणाली में नकदी का बहुत बाहुल्य हो गया है इसलिए बजट के घाटे को 1970-80 के स्तर से बहुत नीचे रख कर मुद्रा उपलब्धि की वृधि को न्यूनतर स्तर पर सीमित रखने की आवश्यकता है । ऐसा करने के लिए एक ऐसी राजकोषीय नीति की जरूरत होगी जो व्यर्थ और अनावश्यक व्यय को कम करे, साधनों को अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में लगाये, मौजूदा कर प्रणाली की राजस्व उपार्जन की क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाये ।

26. हमारे भुगतान-शेष की बिगड़ी हुई हालत को देखते हुए हमें निर्यात संवर्द्धन के कार्य पर पिछले तीन वर्षों की अपेक्षा कहीं ज्यादा जोर देना होगा । साथ ही, खाद्य तेलों, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, तेल और तेल उत्पाद जैसी वस्तुओं के मामले में देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए और अधिक सशक्त नीति के माध्यम से आयातों की वृद्धि को निम्नतम स्तर पर रखना होगा ।

27. सरकार ऐसी नीतियों का भी अनुसरण करना चाहती है जिनसे अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश को बढ़ावा मिले । 1971 से, लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक एककों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से संबंधित करारों में एक संपरिवर्तनीयता खण्ड रखा जा रहा है । उद्योग क्षेत्र द्वारा बार-बार यह अभ्यावेदन दिया जाता रहा है कि संपरिवर्तनीयता खण्ड की कठोरताओं के कारण पूंजी निवेश में रुकावट आ रही है । सरकार ने सावधानीपूर्वक इस मामले पर विचार किया हैं और यह निर्णय किया है कि करारों में संपरिवर्तनीयता खण्ड शामिल किए जाने के लिए नीति सम्बन्धी मार्ग-निर्देशों को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाए :

(क) संपरिवर्तनीयता खण्ड के अनिवार्य समावेश की शर्त इस समय विहित 50 लाख रुपए की बजाय, भविष्य में 1 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता के संबंध में ही लागू होगी ।

(ख) वित्तीय संस्थाओं को एतत्पश्चात् संपरिवर्तन संबंधी विकल्पाधिकार का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि वे किसी मौजूदा कंपनी की शेयर पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक शेयर न लें। किन्तु ऋणों की वापसी अदायगी में बराबर चूक किए जाने के मामले में या सहायता-प्राप्त कम्पनी के कुप्रबन्ध के मामले में अथवा समाज के लिए आवश्यक सेवाओं या वस्तुओं का उत्पादन करने वाली किसी कंपनी की औद्योगिक इकाई के लगातार बंद रहने पर, वित्तीय संस्थाएं सरकार की सहमति से, अपने संपरिवर्तन संबंधी विकल्पाधिकार का प्रयोग इस प्रकार कर हैं जिससे कि उनकी शेयर-धारिता 51 प्रतिशत तक या उससे ऊपर जा सकती हो।

(ग) जूट, सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी और कतिपय इंजीनियरी उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए इस समय जो उदार ऋण योजनाएँ चल रही हैं उनके अन्तर्गत फिलहाल कोई संपरिवर्तनीयता खण्ड शामिल नहीं किया जा रहा है। यह छूट अब अन्य सभी प्रकार के उद्योगों के आधुनिकीकरण और रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए दी जाने वाली सहायता के मामले में भी दी जा रही है। सरकार को आशा है कि इन नीति विषयक परिवर्तनों से मौजूदा अड़चनें दूर हो जाएंगी और उद्योग के आधुनिकीकरण को और उसमें नए पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

1980-81 की आयोजना और बजट अनुमान

28. आर्थिक प्रबंध की तात्कालिक समस्याओं में व्यस्त रहते हुए भी हमें इस बात को नजरअन्दाज नहीं कर देना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के विकास की क्षमता का निर्माण मध्यम काल में ही करना जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्पकालिक कठिनाइयां बढ़ती ही चली जाएंगी। पुनर्गठित योजना आयोग उस समय नए कार्यक्रम और प्राथमिकताएँ प्रस्तुत करेगा जब इस वर्ष के अंत तक आयोजना तैयार कर ली जायेगी। लेकिन इसी बीच वर्ष 1980-81 के लिए आयोजना तैयार कर ली गई है जिसे बाद में छठी आयोजना में समाविष्ट कर लिया जाएगा। आयोजना का मोटा उद्देश्य 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अपेक्षाकृत ऊंची वृद्धि दर प्राप्त करना होगा।

29 1980-81 की वार्षिक आयोजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करना और उसे पूर्ववत् स्वस्थ बनाना है तथा विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने की गति को तेज करना है। हालांकि पिछली सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएँ हमें स्वीकार्य नहीं हैं फिर भी हमने यह माना है कि पहले से चली आ रही परियोजनाओं के लिए पूरी पूरी व्यवस्था की जाए। इस विचार से समायोजन क्षमता की परिधि में रहते हुए हमने आयोजनागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए हैं और नए कार्यक्रमों के लिए इस प्रकार व्यवस्था की है ताकि आयोजना को वांछित दिशा दी जा सके।

30. नए योजना आयोग ने आयोजनागत कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं की तुरंत समीक्षा की है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस समीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र की

1980-81 की वार्षिक आयोजना के परिव्यय को बढ़ाकर 7340 करोड़ रुपए किया रहा है, इस प्रकार अन्तरिम बजट में व्यवस्थित परिव्यय में 767 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है; और यदि पिछले वर्ष के मूल परिव्यय में इसकी तुलना की जाए तो यह उससे 14.5 प्रतिशत अधिक है। इसकी वित्त-व्यवस्था के लिए बजट में 5322 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है और 2018 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक और अन्य साधनों से जुटाए जा रहे हैं। राज्यों की आयोजनाओं, संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं और पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों की उप-आयोजनाओं के परिव्यय के लिए अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक आयोजनाओं, उत्तर-पूर्वी परिषद की योजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और दैवी विपत्तियों में केन्द्रीय सहायता देने के लिए 3094 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई हैं। उनके अपने साधनों सहित उनका आयोजना परिव्यय 7253 करोड़ रुपए का होगा जबकि 1979-80 में यह परिव्यय 6099 करोड़ रुपए का था। केन्द्र, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों. उत्तर-पूर्वी परिषद् की योजनाओं आदि का समस्त आयोजना परिव्यय कुल मिलाकर 1980-81 में 14,593 करोड़ रुपए का होगा, जबकि 1979-80 में यह 12,511 करोड़ रुपये का था; इस प्रकार उसमें 16.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

31. इस सरकार का यह पक्का विश्वास है कि आर्थिक विकास की गति को तभी तेज किया जा सकता है और इसके सुफलों का व्यापक रूप से बंटवारा तभी किया जा सकता है जबकि ग्रामिण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में विशेष वृद्धि की जाए। हमारी जनता के बहु-संख्यक लोगों के लिए तब तक विकास का कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग संतोषजनक उत्पादक कार्य के जरिये अपनी जीविका नहीं कमा सकेंगे। इअलिए हमने नई आयोजना के अभिन्न अंग के रूप में एक विशाल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाने का निश्चय किया है जो एक ऐसी निति पर आधारित है जिसका उद्देश्य स्वावलंवन के अवसरों और चपलब्ध स्थानीय साधनों के इष्टतम उपयोग में सामंजस्य स्थापित करना होगा। ऐसे कार्यक्रम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में फिर से प्राण फूंकने और जन-जीवन के लिए अनिवार्य आधारभूत सुविधाओं का विकास करने मैं पर्याप्त सहायता मिलेगी।

32. इस संबंध में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को भी जिसे हमने 1977 में शुरू किया था एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। लेकिन पिछले दो वर्षों में इस कार्यक्रम में कुछ बुनियदी कमजोरियां दिखाई दी है। बहुत से मामलों में, ऐसी परियोजनाओं की एक तालिका बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई जो न केवल स्थानीय जरूरतों को ही पूरा करेंगी बल्कि जो समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भी ठीक से समाविष्ट हो सकेंगी। खाद्यान के वार्षिक आबंटन के लिए भी कोई पक्का संकेत नहीं दिया गया। इस प्रकार इस कार्यक्रम को वस्तुतः एक तदर्थ आधार पर ही चलाया जा रहा था। राज्य सरकारों द्वारा उनको आबंटित खाद्यन्न की सहायता से चलाए जाने वाले निर्माण कार्यक्रम के नकदी अंश की वित-व्यवस्था के लिए भी कोई प्रबंध नहीं किए गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वे ऐसे निर्माण-कार्य हाथ में नहीं ले सके जिनसे टिकाऊ परिसम्पतियों का निर्माण होता और संबन्ध क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती।

33. नए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में, राज्यों को खाद्यान्न के रूप में ही नहीं बल्कि नकदी के रूप में भी सहायता मिलेगी जिससे वे ऐसे निर्माण-कार्य हाथ में ले सकेंगे जो वास्तव में उत्पादक होंगे और स्थायी लाभ देंगे। सदन में जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं उनमें इस कार्यक्रम के लिए 1980-81 में 340 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि यदि यह कार्यक्रम ठीक तरह से कार्यन्वित किया गया तो इससे 85 से 90 करोड़ श्रमिक-दिनों का अतिरिक्त रोजगार पैदा होगा। इस योजना के लिए की गई व्यवस्था का कुछ भाग सामाजिक वनपालन, जलाने की लकड़ी के वृक्षारोपण, ग्रामिण सामुदायिक आवास और जल-पूर्ति तथा पोषाहार जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। पोषाहार कार्यक्रम य अंतर्गत खाद्य के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

34. आर्थिक विकास की प्रक्रिया तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि इस विकास के लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंचेगे। इसलिए अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा का सुधार करना हमारी विकास नीति का प्रमुख तत्व होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए व्यापक विशेष संघटक आयोजनाएं तैयार करनी होंगों जिनका उद्देश्य प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में सभी संगत क्षेत्रों में परिव्यय निर्धारित करना हो। इन परिव्ययों का उपयोग अनुसूचित जाति के परिवारों को अपने रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए संगत कौशल और आय पैदा करने वाली परिसम्पत्तियां प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस प्रयोजन से राज्यों को 100 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था करके इस बजट में एक नई शुरूआत की गई है; यह राशि वित्तीय संस्थाओं सहित अन्य साधनों से और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रेरक तत्व का कार्य करेगी। इसके जरिये प्राधिकारी अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के एकीकृत कार्यक्रम के लिए आवश्यक सभी सामग्री की एक साथ व्यवस्था कर सकेंगे।

35. जनजातीय लोगों और जनजातीय उप-आयोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए 70 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है। 10,000 की आबादी वाले ऐसे कुछ और इलाकों का पता लगाया जाएगा जहां कम से कम 50 प्रतिशत निवासी जनजाति के हों और इस प्रकार अठारह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की लगभग 75 प्रतिशत जनजातीय आबादी को जनजातीय उप-आयोजना के अंतर्गत लाया जाएगा। जन-जातीय परिवारों को लाभ पहुंचा सकने वाले कुछ चुने हुए कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाएगा।

36. बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंग के रूप में, भूमिहीन और कमजोर वर्गों के लिए घर बनाने के वास्ते जमीन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 1980-81 की वार्षिक आयोजना में लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत संचलित, भूमिहीन मजदूरों के लिए ग्रामीण आवास-एवं-झोंपड़ी निर्माण की योजना में घर बनाने के लिए जमीन की ही नहीं बल्कि झोंपड़ियां बनाने के लिए सहायता देने की भी

व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक आवास परियोजनाएं शामिल होंगी, इस व्यवस्था अनुपूर्ति की जाएगी। उम्मीद है कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 8 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा।

37. चूंकी भारत गांवों में रहता है और इसकी लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि से अपनी जीविका चलाती है, इसलिए देश की समृद्धि कृषि के आधुनिकीकरण पर निर्भर करती है। 1979-80 का वर्ष इस निष्ठुर तथ्य की याद दिलाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि का कार्यनिष्पादन कितना महत्वपूर्ण है। चालू वर्ष में कृषि और ग्रामीण विकास के आयोजना परिव्यय को 1979-80 के 1811 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, 2247 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस राशि में केन्द्रीय आयोजना के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं शामिल है : छोटे किसानों की विकास एजेंसी, सूखाआशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के लिए 158 करोड़ रुपए; अन्तर्देशीय और समुद्री मछली उत्पादन क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए 32 करोड़ रुपए; भरपूर दूध II परियोजना के लिए 54 करोड़ रुपए; बेहतर बीजों, बेहतर सस्य-वैज्ञानिक प्रणालियों, बेहतर जल प्रबंध और उर्वरकों तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के बेहतर इस्तेमाल के जरिये कृषि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उद्दिष्ट कृषि अनुसंधान और शिक्षा की योजनाओं के लिए 59 करोड़ रुपये; और 120 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये तेलहनों के उत्पादन की वृद्धि के लिये 10 करोड़ रुपये।

38. तेल और तेल उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के वर्तमान स्तरों ने अन्य ईंधनों के महत्व को उजागर कर दिया है। ऐसे एक ईंधन की व्यवस्था करने के लिये जंगल महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। चूंकि भारत में लोगों ने ईंधन की खोज में जंगलों का बहुत तेजी से सफाया किया है, इसलिए यह आवश्यक है कि जंगलों के विकास में तात्कालिक आधार पर लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाये। गांवों में सामाजिक वनपालन से लोगों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं तो पूरी होंगी ही, साथ ही उनको अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा। ईंधन और चारा पैदा करने के काम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अंग बनाने का प्रस्ताव है और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

39. उत्पादन में घट-वढ़ को दूर करने के लिये और उत्पादकता को बढ़ाने के लिये हमें सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाते जाने के कार्य पर बराबर जोर देते रहना होगा। अतः 1980-81 में बाढ़ नियंत्रण सहित बड़ी और माध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये परिव्यय को, पिछले वर्ष के 1258 करोड़ रुपये से बढ़ाकर, 1380 करोड़ रुपये किया जा रहा है। सिंचाई के कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा और इस प्रयोजन के लिये 266 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अलावा, इसी प्रयोजना के लिये कृषि पुनर्वित और विकास निगम से भी बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता मिलेगी। इससम्पूर्ण व्यय से, आशा है, 25 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का निर्माण होगा।

40. ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के स्तर को सुधारने के लिये स्वच्छ और निरापद पेय जल एक आवश्यक वस्तु है। 1980-81 की केन्द्रीय आयोजना में, 1979-80 के 80 करोड़ रुपये

के मुकाबले में, 100 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। राज्यों की आयोजनाओं में की गई व्यवस्थाओं को शामिल करने पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिये कुल 294 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। आशा की जाती है कि चालू वर्ष के अन्त तक, समस्याग्रस्त माने गये 35,000 अतिरिक्त गांवों के लिये सुरक्षित जलपूर्ति की व्यवस्था कर दी जायेगी। परिव्यय के एक अंश का उपयोग सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कूएं 'बोर' करने के उद्देश्य से राज्यों को रिग देने के लिये किया जायेगा। नई जलपूर्ति योजनाएं हाथ में लेने के लिये और पहले से हाथ में ली गई योजनाओं को पूरा करने के लिये सूखा प्रभावित राज्यों को चालू वर्ष में लगभग 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है।

41. खादी, ग्राम और लघु उद्योगों के क्षेत्र में, कृषि के बाद, सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने की संभावित क्षमता है। इस क्षेत्र के लिये चालू वर्ष में 150 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है और इस वर्ष इस क्षेत्र में 146 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उत्पादन का अनुमान है। सदन को याद होगा कि इस संबंध में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में हाथकरघा क्षेत्र के विकास पर खास तौर से जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, हम राष्ट्रीय स्तर पर एक हाथकरघा विकास निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि हाथकरघा उद्योग के लिये एक साथ विपणन और विकास संबंधी सहायता की व्यवस्था की जा सके। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जो अपने बढ़िया हाथकरघा कपड़ों के लिये बहुत प्रसिद्ध है, एक हाथकरघा तौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने के लिये भी व्यवस्था की गई है।

42. बिजली के क्षेत्र के लिये की जाने वाली व्यवस्था में 11 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि कर दी गई है अर्थात इस वर्ष, 1979-80 में की गई 2466 करोड़ रुपये की व्यवस्था के मुकाबले, 2745 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। देश के विभिन्न भागों में उच्च तापीय बिजली-घरों के काम में तेजी लाई जा रही है। वर्ष 1980-81 में गांवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम के लिये कुल 285 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। वर्ष 1980-81 में 4 लाख पम्पसेटों को बिजली देने और 25,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

43. इसी प्रकार, कोयले (लिगनाइट सहित) का उत्पादन बढ़ाने के लिये 1980-81 में 373 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही हैं जबकि पिछले वर्ष इस काम के लिये 364 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इस रकम में नेवेली लिगनाइट निगम के लिये की गई 92 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। इस व्यवस्था में से अधिकांश राशि दूसरी खान परियोजना के लिये है जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष 45 लाख मैट्रिक टन कोयले का उत्पादन होगा और 630 मेगावाट की उत्पादन क्षमता का दूसरा तापीय बिजली घर लगाया जायेगा। चालू वर्ष में 1135 लाख मेट्रिक टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जबकि 1979-80 में वास्तविक उत्पादन 1060 लाख मेट्रिक टन का हुआ था।

44. तेल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण भुगतान शेष पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुये तेल के हमारे अपने साधनों का तत्काल विकास करने की आवश्यकता के बारे में दो मत नहीं हो सकते। पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए वर्ष 1980-81 की आयोजना में 837 करोड़ रुपए का

परिव्यव रखा गया है जो पिछले वर्ष के परिव्यय से 215 करोड़ रुपए अधिक है। इस परिव्यय में से बजट में केवल 99 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह परिव्यय बाम्बे हाई वे विकास के तीसरे चरण की सुविधाओं को पूरा करने और चौथे चरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई करने के लिए है ताकि वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 120 लाख मेट्रिक टन किया जा सके। इस में साउथ बेसिन गैस फील्ड के विकास और उर्वरक परियोजनाओं तक गैस पाइप लाइन बिछाने का खर्च भी शामिल है। पूर्वी क्षेत्र में हाइड्रो कार्बन मिलने की ऊंची संभावनाओं को देखते हुए उस क्षेत्र में तट पर अन्वेषणात्मक खुदाई (ड्रिलिंग) का काम तेज किया जाएगा।

45. वर्ष 1980-81 की केन्द्रीय आयोजना में रसायनों तथा उर्वरकों के परिव्यय को बढ़ाकर 319 करोड़ रुपए किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र और आसाम में गैस पर आधारित नए उर्वरक कारखानों के लिए समुचित व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त, सहकारी क्षेत्र की उर्लरक परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है।

46. चालू वर्ष की केन्द्रीय आयोजना में इस्पात क्षेत्र के लिए भी पिछले वर्ष के 600 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में 803 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस परिव्यय में बोकारो इस्पात कारखाने की वार्षिक क्षमता को 40 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए की और भिलाई इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में ऐसे ही विस्तार के लिए 190 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। सेलम परियोजना का काम अपेक्षित गति से चलता रहेगा जिसके लिए 57 करोड़ रुपपे का परिव्यय रखा गया है। नए विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिये 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था के साथ एक अच्छी खासी शुरूआत की जायेगी। चालू वर्ष के लिये विक्री-योग इस्पात का लक्ष्य 87.6 लाख मेट्रिक टन रखा गया है जबकि 1979-80 में 72.2 लाख मेट्रिक टन के उत्पादन की आशा थी।

47. खान क्षेत्र के लिये 1980-81 में 130 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस व्यवस्था में नई पूर्वी तटवर्ती ऐल्यूमिनियम परियोजना के लिये 10 करोड़ रुपये, मलंजखण्ड तांबा परियोजना के लिये 28 करोड़ रुपये तथा भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और खनिज अन्वेषण निगम के कार्यकलाप को तेज करने के लिये 19 करोड़ रुपए की रकम शामिल है।

48. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की चालू योजनाओं तथा हरिद्वार में बड़े आकार के टर्बो-जनरेटरों के उत्पादन और तिरुची में बायलर निर्माण क्षमता के विस्तार के लिये 64 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

49. चूंकि अभी हाल में विकास कार्य में बाधा के रूप में पत्तनों पर भीड़-भाड़ की बड़ी चर्चा रही है इसलिये बड़े और छोटे पत्तनों का विकास करने के लिये 102 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन 1980-81 के बजट में इस प्रयोजन के लिये केवल 60 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था की गई है क्योंकि शेष खर्च की व्यवस्था पत्तन न्यासों द्वारा स्वयं अपने आन्तरिक साधनों से की जायेगी। कंटेनर यातायात की प्रत्याशित वृद्धि से निपटने के लिये बम्बई, मद्रास और कोचीन में मशीनें लगाई जा रही हैं। कोचीन पत्तन के समन्वित विकास के लिये शुरूआत की जा चुकी है।

50. डाक-तार विभाग के लिये 1980-81 का आयोजना परिव्यय 415 करोड़ रुपये रखा गया है। इस वर्ष 1.75 लाख लाइनों की अतिरिक्त स्विचिंग क्षमता, 1.7 डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनों और अन्य सुविधाओं के लिये व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण, पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में डाकघरों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। जनजातीय क्षेत्रों में तार और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था करने के मानकों को और उदार बना दिया गया है ताकि 10 किलोमीटर के घेरे के अन्दर आने वाले 2500 की आवादी वाले गांवों के समूह को भी तार और टेलीफोन की सुविधाएं पहुंचाई जा सके। स्विचिंग उपस्करों की निर्माण क्षमता के विस्तार के लिये भी व्यवस्था की गई है।

51. पिछले तीन वर्षों में परिवार नियोजन के काम को भारी धक्का पहुंचा है। यदि लोगों के रहन-सहन की परिस्थितियों को सुधारना हमारा उद्देश्य है तो इस कार्यक्रम में फिर से नई जान डालना नई पंचवर्षीय आयोजना का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिये। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिये 1980-81 में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। इस में से 140 करोड़ रुपये परिवार कल्याण के लिये होंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम में लोगों को छोटे परिवार की वांछनीयता के बारे में शिक्षित करने और पर्याप्त स्तर पर आवश्यक तकनीकी सेवाओं की व्यवस्था करने पर बल दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने, संचारी रोगों का उन्मूलन करने तथा स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा।

52. पैंसठ करोड़ की जनसंख्या वाले गरीब समाज के विकास की समस्याएं निश्चय ही बहुत बड़ी होंगी। एक उचित समय के अन्दर-अन्दर इन समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्तियों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। सौभाग्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के सम्बन्ध में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ काफी संख्या में हैं और पिछले तीस वर्षों में भारत में एक बहुत व्यापक संस्थागत आधारभूत ढांचा तैयार हो गया है। यद्यपि हमारी वैज्ञानिक संस्थाएं ज्ञान के क्षेत्र के विस्तार में सहायक सिद्ध हो सकती हैं लेकिन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में तो विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी ही काम आ सकती है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 1980-81 की केन्द्रीय आयोजना में 116 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

53. अब मैं कुछ उन परिवर्तनों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा जो आयोजना-भिन्न व्यय में किए गए हैं। रक्षा व्यय के लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह रकम आन्तरिम बजट में की गई व्यवस्था से 300 करोड़ रुपए अधिक है। निर्यात के लिए और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता को देखते हुए निर्यात के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि 330 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 355 करोड़ रुपए कर दी गई है।

54. अल्प बचत संग्रहों में होने वाली प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकारों के हिस्से के रूप में उन्हें दिए जाने वाले ऋणों की राशि अन्तरिम बजट के 650 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 715 करोड़ रुपए कर दी गई है खेती में काम आने वाली वस्तुओं के लिए राज्य

सरकारों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋणों की रकम में भी 50 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है । इसके अलावा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, परमाणु बिजलीघरों के लिए भारी पानी की खरीद आदि जैसी अनिवार्य वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था करना जरूरी हो गया है । लेकिन उर्वरकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती कर दिए जाने से आयोजना-भिन्न व्यय की ये वृद्धियां कुछ हद तक प्रतिसंतुलित हो जाएंगी ।

55. संविधान में सरकार द्वारा नि:शुल्क कानूनी सहायता देने की परिकल्पना की गई है ताकि आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न होना पड़े । कानूनी सहायता की संकल्पना के विषय में न्यायाधीश पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में स्थापित विधिक सहायता समिति द्वारा विचार किया गया है; इस समिति की दिनांक 31 अगस्त, 1977 की रिपोर्ट संसद के सम्मुख प्रस्तुत कर दी गई है । कई राज्य कानूनी सहायता सम्बन्धी कार्यक्रम चलाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं । इस सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद इन योजनाओं का समन्वय करने और केन्द्र स्तर पर उपयुक्त योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है । कानूनी सहायता सम्बन्धी योजनाओं का मार्गदर्शन करने और उन्हें अमल में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है । वर्ष 1980-81 के बजट में इस प्रयोजन के लिए व्यवस्था की गई है ।

56. उपर्युक्त तथा कुछ अन्य परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में लेने के बाद अब कुल मिलाकर 13051 करोड़ रुपए के आयोजना-भिन्न व्यय का अनुमान लगाया गया है जबकि अन्तरिम बजट में 12822 करोड़ रुपए का अनुमान था ।

57. जहां तक चालू वर्ष की प्राप्तियों का सम्बन्ध है कराधान के वर्तमान स्तरों के अनुसार निगम-कर के अन्तरिम बजट में दिखाई गई राशि की तुलना में 11 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति का अनुमान है; यह वृद्धि मुख्य रूप से 1979-80 के संग्रह की वास्तविक प्रवृत्तियो पर आधारित है । वर्ष के दौरान आयात और उत्पादन के अनुमानित स्तरों के संबंध में उपलब्ध सबसे हाल के आंकड़ों के आधार पर अन्तरिम बजट की तुलना में सीमा-शुल्कों से 40 करोड़ रुपए और संघ उत्पाद-शुल्को से 108 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति होने का अनुमान है । लेकिन हाल में सरकार द्वारा उर्वरकों पर से सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क हटा लेने के निर्णय के परिणामस्वरूप उपर्युक्त अधिक प्राप्तियां बहुत कुछ बराबर हो जाएंगी । करों में राज्यों के हिस्से को हिसाब में लेने के बाद कराधान की वर्तमान दरों पर अब 8723 करोड़ रुपए का निवल कर-राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है जबकि अन्तरिम बजट में 8725 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था ।

58. सबसे हाल के उपलब्ध संकेतों के आधार पर 1980-81 में वापसी अदायगियों को घटाने के बाद 1252 करोड़ रुपए की निविल विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है । यह रकम अन्तरिम बजट में दिखाई गई राशि से 56 करोड़ रुपए अधिक है । इसके अतिरिक्त

1980-81 में हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की न्यास निधि से 540 करोड़ रुपए का ऋण मिलने की आशा है और बजट में इसके लिए इतनी रकम जमा खाते में मान ली गई है।

59. अल्प बचत संग्रहों में हुई वृद्धि स्वागतयोग्य है। इन बचतों से अब 1880-81 में 1100 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है जबकि अन्तरिम बजट में 1000 करोड़ रुपए का अनुमान था। सौ करोड़ रुपए की इस वृद्धि में से 65 करोड़ रुपए राज्यों को उनके हिस्से के रूप में प्राप्त होंगे।

60. यह निश्चय किया गया है कि जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निवेश-योग्य साधनों का एक हिस्सा सरकार के विशेष जमा खातों में रखा जाए ताकि आयोजना की वित्त व्यवस्था के लिए जुटाए जाने वाले साधनों में वृद्धि हो। वर्ष 1980-81 के बजट में इन जमा राशियों के लेखे 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति को हिसब में लिया गया है।

61. जब हम हरकारी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना चाहते हैं तब हमारे लिए यह जरूरी है कि हम ऐसे निवेश को बनाए रखने के लिए साधन जुटाने की समस्या के प्रति एक नया दृष्टि-कोण अपनाएं। जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां जनता से जमा रकमों के रूप में धन लेकर साधन जुटाती हैं। सरकार यह सोचती है कि सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां भी जिनके पास सक्षम व्यावसायिक प्रबंधकवर्ग हैं ऐसा क्यों न करें। अतः हमने सरकारी क्षेत्र के कुछ चुने हुए एककों को गैर-सरकारी कम्पनियों की भांति लोगों से जमा की रकमें जुटाने की इजाजत देने का फैसला किया है। जब यह योजना चल पड़ेंगी तब सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की बजट समर्थन पर निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन मैंने इस समय ऐसी किसी राशि को प्राप्ति के रूप में हिसाब में नहीं लिया है।

62. अन्य परिवर्तनों को तथा रेलों के यात्री-किराये और माल-भाड़े की दरों तथा डाक और तार की शुल्क दरों के परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में लेने के बाद, जिनकी चर्चा मैं थोड़ा आगे चलकर करूंगा, 1980-81 में कुल मिलाकर 19827 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है, जबकि अन्तरिम बजट में 18980 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। कुल मिलाकर 21467 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। इस प्रकार करों की वर्तमान दरों के अनुसार 1640 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

भाग – ख

63. अब मैं प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र से संबंधित अपने प्रस्तावों की ओर आता हूं। इन प्रस्तावों को तैयार करने में मैंने मोटे तौर पर कुछ बातों को ध्यान में रखा है जो ये हैं : प्रत्यक्ष करों की दरें ऐसी होनी चाहिए कि लोग स्वेच्छा से ही उनका पालन करें; हमारी पार्टी के घोषणापत्र में दिए गए वचनों के अनुसरण में किसानों, कामगारों और मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ राहत दी जानी चाहिए, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बचतों और निवेश का स्तर ऊंचा करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साथ ही आय और धन को टुकड़ों में

बांटकर कर से बच निकलने की जो कुछ तरकीबें व्यापक रूप से प्रचलित हैं उनको रोकने के लिए एक समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए ।

64. हाल के वर्षों में, कीमतों में हुई वृद्धि से जो लोग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उनमें मध्यम वर्ग भी शामिल है । सम्मानित सदस्य जानते हैं कि छूट के वर्तमान स्तर पर संगठित क्षेत्र के कुशल कामगारों को भी इस समय कर देना पड़ता है । इस वर्ग के लोगों को कुछ राहत देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि वैयक्तिक आय पर आय-कर छूट सीमा को 10000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए कर दिया जाए । इसके परिणामस्वरूप होने वाली राजस्व की हानि को सह्य सीमाओं में रखने के उद्देश्य से आय के शून्य दर खण्ड को पूर्ववत् 8000 रुपए पर ही रखा जा रहा है । इसके फलस्वरूप जिन मामलों में कराधेय आय 12000 रुपए से ऊपर होगी उनमें अधिभार को छोड़कर आय-कर का भार मौजूदा स्तरों पर ही रहेगा तथापि जहां कराधेय आय छूट सीमा से मामूली-सी ज्यादा होगी उन मामलों में सीमान्त राहत दी जाएगी । इस प्रस्ताव से छः लाख से ज्यादा आय-करदाताओं को लाभ पहुंचेगा ।

65. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि प्रत्यक्ष कर जांच समिति की सिफारिश पर 1974 में वैयक्तिक आय पर आय-कर की दरें कम कर दी गई थीं और इस प्रक्रिया को 1976 में एक कदम और आगे बढ़ गया था जब इन दरों को और कम कर दिया गया था । दरों में इस प्रकार कमी कर दिए जाने से यह आशा बहुत हद तक पूरी हो गई थी कि इससे कर संबंधी कानूनों का पहले से अधिक पालन होगा । दुर्भाग्य से इस दिशा में हो रही प्रगति जनता सरकार के शासन में उलट दी गई और आय कर की दरें कई अवस्थाओं में बढ़ा दी गईं । मेरे विचार से इस स्थिति को ठीक किया जाना चाहिए । अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि निगम-भिन्न सभी श्रेणियों के करदाताओं के मामले में वैयक्तिक आय पर अधिभार की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए । इससे न केवल कर की अधिकतम सीमान्त दर 72 प्रतिशत से घटकर 66 प्रतिशत हो जाएगी अपितु आय के सभी खण्डों के करदाताओं को लाभ पहुंचेगा ।

66. परिसम्पत्तियों की कीमतों में प्रायः तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि चालू निर्धारण वर्ष से धन-कर की छूट-सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया जाए । किन्तु जिन मामलों में कराधेय धन इस सीमा से अधिक होगा उनमें कर-भार मौजूदा स्तरों पर ही रखा जाएगा लेकिन सीमान्त राहत पूर्ववत् दी जाती रहेगी ।

67. सरकार आशा करती है कि इन रियायतों से हमारे अधिकांश करदाताओं को अपनी आय और धन के बारे में सही-सही घोषणा करने के लिए आवश्यक प्रेरणा मिलेगी ।

68. मैं कुछ ऐसी तरकीबों को भी निष्फल करना चाहता हूं जो कर से बचने के लिए अधिकतर अपनाई जाती हैं ।

69. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, कर संबंधी कानूनों में हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर-निर्धारण एक अलग तरीके से किया जाता है जिसका उचित कर दायित्व से

बच निकलने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर और धन-कर दोनों के लिए हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के आंशिक विभाजनों की मान्यता को वापस ले लिया जाए। पहली जनवरी 1979 को या उसके बाद किए गए आंशिक विभाजनों को कर के प्रयोजनों के लिए कोई मान्यता नहीं दी जाएगी और कर इस आधार पर लगाए जाते रहेंगे कि मौजूदा हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब आगे भी संयुक्त बना रहेगा।

70. इस समय ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों पर जिनके एक या अधिक सदस्यों की स्वतंत्र आय छूट-सीमा से अधिक है, उन दरों से आय-कर लगता है जो व्यष्टियों (इंडिविज्युअल्स) के मामले में लगने वाली दरों से कुछ ऊंची हैं। कर-परिवर्जन (टैक्स एवायडेन्स) के प्रयोजनों के लिए हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के उपयोग को और सीमित करने के उद्देश्य से मैं ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के मामले में आय-कर की दरों को बढ़ाना चाहता हूं। 66 प्रतिशत की अधिकतम सीमान्त दर अब 50000 रुपए से ऊपर के आय-खण्ड पर लागू होगी और कुछ निचले खण्डों की दरें भी कुछ ऊंची कर दी जाएंगी। हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के कर-निर्धारण के बारे में ये दो परिवर्तन कर दिए जाने से मैं आशा करता हूं कि आय को टुकड़ों में विभाजित करने और कर-दायित्व को कम करने के उद्देश्य मात्र से अनेक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब बना लेने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी।

71. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने कर-परिवर्जन की तरकीब के रूप में निजी वैवेकिक न्यासों (डिस्क्रीशनरी ट्रस्ट) के उपयोग को रोकने के लिए 1970 में कई उपाय किए थे। किन्तु अनुभव से मालूम हुआ है कि ये उपाय पूरी तरह प्रभावोत्पादक नहीं रहे और ऐसे न्यासों की बाढ़ को वांछित सीमा तक नहीं रोका जा सका। इसलिए मैं निजी न्यासों से संबंधित उपबन्धों को कड़ा करने का प्रस्ताव करता हूं। इस समय वैवेकिक न्यासों के सम्बन्ध में उनकी आय पर 65 प्रतिशत और उनके धन पर 1.5 प्रतिशत की समान दर अथवा व्यष्टि के मामले में लागू होने वाली दर में से जो भी ऊंची हो उसी दर से कर लगता है। मेरे प्रस्ताव के अनुसार ऐसे न्यासों पर आय-कर अधिकतम सीमान्त दर और धन-कर 3 प्रतिशत की समान दर अथवा व्यष्टि के मामले में लागू होने वाली समुचित दर में से जो भी ऊंची हो उसी दर से लगेगा। मैं निजी न्यासों के कराधान के संबंध में और कई उपलबंध करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिनका उद्देश्य इन करों से बच निकलने के उन रास्तों को बंद कर देना हैं जो सरकार के ध्यान में आए हैं। ये सभी उपबंध चालू निर्धारण वर्ष से ही प्रभावी हो जाएंगे।

72. पूर्त और धार्मिक न्यासों का उपयोग कभी-कभी निजी स्वार्थों के लिए कारबार या उद्योग पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा नियंत्रण को कायम रखने के लिए किया जाता है। 1975 में हमने पूर्व और धार्मिक न्यासों की धनराशियों के निवेश की एक पद्धति निर्धारित की थी जिसे करों में छूट प्राप्त करते रहने के लिए अपनाना जरूरी था। इन न्यासों को शनैः शनैः और अबाध रूप से इस नई निवेश-पद्धति को अपनाने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि नई पद्धति को 1 अप्रेल 1978 से पहले अपनाया जा सकता है। बाद में यह तारीख 1 अप्रैल, 1981 तक बढ़ा दी गई। इस प्रकार इन न्यासों को

नई नीति के अनुसार अपने आप कों ढालने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यह समय-सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी ।

73. हमारे कर संबंधी कानूनों का उद्देश्य हमेशा जीवन बीमा, भविष्य निधियों और अन्य ऐसे ही साधनों के जरिये दीर्घकालिक बचतों को बढ़ावा देना रहा है। दुर्भाग्य से पिछले वर्ष बचतों को प्रोत्साहन देने वाले उपबन्धों की प्रभावोत्पादकता बहुत कुंठित हो गई जब बचत के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में एक साथ भारी कमी कर दी गई थी। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं इन बचत संबंधी प्रोत्साहनों को 1979 के बजट से पहले के स्तरों पर फिर ला देने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार करदाता अर्हक बचतों के पहले पांच हजार रुपयों पर 100 प्रतिशत कटौती, अगले पांच हजार रुपयों पर 50 प्रतिशत कटौती और शेष राशि पर 40 प्रतिशत कटौती के हकदार होंगे।

74. गृहस्थी के क्षेत्र में बचत को बढ़ावा देने के एक और उपाय के रूप में मैं आय-करदाताओं को एक विकल्प देने का प्रस्ताव करता हूं जिसके अंतर्गत वे अपने अनिवार्य निक्षेप् खातों में जमा अपनी धनराशियों को देय तारीखों के बाद भी जमा रख सकेंगे; इसके लिये उन्हें उन जमा राशियों पर लगने वाली मौजुदा दरों पर ब्याज मिलता रहेगा। इसके अलावा, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि मान्यता-प्राप्त भविष्य निधियों में जमा की शेष राशियों पर ब्याज के संबंध में दी जाने वाली कर-छूट को उदार बना दिया जाए। इस समय ऐसी धन-राशियों पर उत्पन्न ब्याज की रकम पर वहां तक आय-कर नहीं लगता जहां तक कि वह रकम कर्मचारी की वेतन आय के एक-तिहाई भाग से ज्यादा नहीं होती। मैं इस अधिकतम सीमा को हटा देने का प्रस्ताव करता हूं।

75. उद्योग में नए पूंजी-निवेश को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही यह भी देखना होगा कि राजकोषीय प्रणाली से पूंजी-प्रधान तकनीकों के पक्ष में अनुचित झुकाव न हो जाए। इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि नए औद्योगिक उपक्रमों, जहाजों और होटलों के संबंध में आगे भी कर-अवकाश रहे, मगर कुछ संशोधित रूप में। मेरे प्रस्ताव के अंतर्गत नए औद्योगिक उपक्रमों, जहाजों या अनुमोदित होटलों के संबंध में कर-अवकाश इन स्रोतों से हुई आय की एक विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के संदर्भ में ही उपलब्ध होगा। कंपनियों के मामले में इन स्रोतों से हुये लाभों का 25 प्रतिशत भाग सात वर्ष तक कर-मुक्त रहेगा। निगम-भिन्न करदाताओं के मामले में कर मुक्त लाभों की प्रतिशतता 20 प्रतिशत होगी। सहकारी समितियों के मामले में कर-अवकाश 10 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध होगा, जब कि करदाताओं की अन्य श्रेणियों के मामले में यह अवकाश सात वर्ष तक रहेगा। यह रियायत उन सभी लघु औद्योगिक उपक्रमों के मामले में उपलब्ध होगी जो 31 मार्च, 1981 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1985 से पहले, यानी नई पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के अंत तक उत्पादन शुरू कर देंगे। अन्य औद्योगिक उपक्रमों के लिये यह रियायत तभी लागू होगी यदि वे आय-कर अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचिबद्ध वस्तुओं या चीजों का उत्पादन नहीं करते होंगे। यह रियायत उन अनुमोदित होटलों के मामले में भी उपलब्ध होगी जो उक्त

अवधि में अपना काम शुरू कर देंगे और उन जहाजों को भी जो उस अवधि में अर्जित किये जाएँगे ।

76. खासतौर से अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की कमी को देखते हुये नये निवेश की प्रोत्साहन देना जरूरी है । नये निवेश के लिये विशेष प्रेरणा देने के लिये मैं नई आयोजना अवधि में लगाई गई मशीनरी या संयंत्र पर उसकी स्थापना के वर्ष में एक अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं जिसकी राशि सामान्य मूल्यह्रास के 50 प्रतिशत के बराबर होगी । प्रस्तावित अतिरिक्त मूल्यह्रास जहाजों, वायुयानों, सड़क परिवहन वाहनों, कार्यालय साधित्रों (एप्लायंस) या मशीनरी अथवा संयंत्र पर जो कार्यालय परिसर अथवा निवास स्थान में लगे होंगे, उपलब्ध नहीं होगा ।

77. वैज्ञानिक समुदाय में निराशा की भावना बहुत ज्यादा फैली हुई है । यह सरकार भली भांति जानती है कि हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् भारत के आर्थिक कायाकल्प में कितना अधिक योगदान दे सकते हैं । सरकार अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्यकलापों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिये भी कृतसंकल्प है । इसलिये मैं किसी आन्तरिक अनुसंधान और विकास सुविधा में किये गये वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुये वास्तविक व्यय के 125 प्रतिशत के बराबर आनुपातिक कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं जहां यह व्यय एक ऐसे कार्यक्रम पर किया गया हो जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो । इसके अलावा, मैं अनुमोदित प्रयोगशालाओं में प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये गये व्यय पर आनुपातिक कटौती से संबंधित मौजूदा उपबंध के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं से किये गये इसी प्रकार के व्यय को भी उस उपलबंध में शामिल किया जा सके । मुझे कोई संदेह नहीं कि सम्मानित सदस्य इन रियायतों का स्वागत करेंगे ।

78. इस समय आय-करदाताओं को वित्तीय वर्ष के दौरान अपने खुद के कथनों या अनुमानों के आधार पर अग्रिम कर देना पड़ता है । जहाँ यह संभावना हो कि अनुमानित अग्रिम कर की राशि, वर्तमान आय पर लगने वाले कर से, अनुमान के 33⅓ प्रतिशत से अधिक मात्रा में कम होगी वहां करदाताओं को अपने अनुमानों में वृद्धि कर देनी पड़ती है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंपनियों के मामले में इस अंतर (मार्जिन) को 33⅓ प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाए । अन्य करदाताओं के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा । इस परिवर्तन से हम अग्रिम कर के रूप में देय कर का अधिक बड़ा हिस्सा वसूल कर सकेंगे और इस प्रकार इसका 1980-81 में सरकार की अर्थोपाय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

79. कारबार और उद्योग-धन्धों में अंधे और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियोजकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिए गये वेतन के 1⅓ के बराबर आनुपातिक कटौती की व्यवस्था की जाए जहां यह वेतन एक वर्ष में बीस हजार रुपये से ज्यादा न हो । इसके अलावा मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अन्धे और विकलांग

व्यक्तियों की करा धेय आय का हिसाब लगाने में इस समय जो पांच हजार रुपए की कटौती की सुविधा उपलब्ध है उसे बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया जाए ।

80. इस समय, वेतन आय का हिसाब लगाते हुए, पेंशन-भोगियों के मामले में, मानक कटौती उपब्ध नहीं है । पेंशन–भोगियों को, जो कि कीमतों की वृद्धि के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों में से है, कुछ राहत देने के लिए मैं उन्हें भी मानक कटौती का लाभ देना चाहता हूं ।

81. अन्तर्राष्ट्रीय खेल–कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए मैं उनकी विदेश में उपार्जित धनराशि के 25 प्रतिशत भाग के बराबर कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं, यदि यह धनराशि भारत में विदेशी मुद्रा में लाई जाये । यह उपबंध चालू निर्धारण वर्ष और उससे बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा । मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि जीवन बीमा और भविष्य निधियों आदि के जरिये खिलाड़ियों द्वारा की गई बचतों के संबंध में ऊंची दर से कटौती की अनुमति होनी चाहिये, जैसी कि इस समय लेखकों नाटककारों, कलाकारों संगीतज्ञों और अभिनेताओं के मामले में उपलब्ध है । इस प्रकार खिलाड़ी लोग जीवन बीमा और भविष्य निधियों में किए गए अंशदानों के लिये अपनी व्यवसायिक आय के 40 प्रतिशत तक और अपनी बाकी आय के 30 प्रतिशत तक, और कुल मिलाकर अधिक से अधिक 50,000 रुपए तक की कटौती के हकदार होंगे ।

82. 1978 में, विज्ञापन, प्रचार और बिक्री संवर्दधन पर किये गए व्यय की कटौती योग्य राशि के बारे में कुछ प्रतिबंध लगा दिये गये थे । इन प्रतिबंधों ने खास तौर से लघु और मध्यम कारबार को नुक्सान पहुंचाया है । इसलिये मैं इन प्रतिबंधों को हटा देने का प्रस्ताव करता हूं ।

83. इस समय, मुर्गीपालन और डेरी व्यवसाय तथा पशुपालन से होने वाली आय, उसके 33⅓ प्रतिशत या दस हजार रुपये में से जो भी ज्यादा हो वहां तक आयकर से मुक्त है । मैं सोचता हूं कि अब समय आ गया है जब कि इन स्रोतों से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी राष्ट्रीय खजाने में कुछ ज्यादा अंशदान दें । इसलिये में इस प्रकार की आय के संबंध में की जाने वाली कटौती को ऐसी आय के एक–तिहाई भाग अथवा पंद्रह हजार रुपये में से जो भी कम हो उस तक सीमित करने का प्रस्ताव करता हूं ।

84. इस समय, धन–कर लगाने के प्रयोजनों के लिये, कृषि–संपति को कराधेय धन में शामिल किया जाता है । उस समय जब कि कृषि–सपत्ति को कर की परिधि में लाया गया था, यह आशा की थी कि यह कृषक समुदाय के समृद्ध वर्ग से साधन जुटाने का एक सशक्त माध्यम होगी । परन्तु पिछले दस सालों में हमें जो अनुभव हुआ है वह बहुत ही निराशाजनक है। कृषि सम्पत्ति पर वसूल किये जाने वाले धन–कर की राशि प्रति वर्ष प्रायः एक करोड़ रुपये से कम रही है । कृषि भूमि के मूल्यांकन ने कई कठिनाइयां पैदा कर दी हैं जिनके कारण परेशान किये जाने की शिकायतें बहुत आई हैं । चूंकि यह कर अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति में पूरी तरह असफल रहा है, इस लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि-संपत्ति पर धन-कर लगाना बंद कर दिया जाये किन्तु चाय, काफी, रबड़ और इलायची के बागानों के मालिकों के मामले में

यह पूर्ववत् लागू रहेगा । मुझे विश्वास है कि इस कदम का हमारे किसान भाईयों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया जायेगा ।

85. मैं आय-कर अधिनियम में कुछ संशोधन करना चाहता हूं जिनका उददेश्य ऐसे कुछ न्यायालयिक निर्णयों को प्रभावहीन करना है जिनके कारण करदाताओं को अनचाहा लाभ मिल गया है । वित्त विधेयक में प्रत्यक्ष करों में संशोधन के लिए और भी कुछ प्रस्ताव हैं जिनका अधिक महत्व नहीं है । उनको स्पष्ट करने में मैं सदन का बहुमूल्य समय नही लेना चाहूंगा ।

86. प्रत्यक्ष करों के संबंध में दरें घटाने और अन्य रियायतें देने से साधारणतया राजस्व में कमी होनी चाहिए । किन्तु मेरा विचार है कि दरें घटा देने से कर संबंधी कानूनों के पालन में बहुत ज्यादा सुधार होगा । कर-परिवर्जन की तरकीबों को निष्फल करने के लिए वैधानिक संशोधन कर देने से और अग्रिम कर के उपबन्धो में परिवर्तन कर देने से अधिक राजस्व प्राप्त होना चाहिए । आय-कर और धन-कर संबंधी सभी प्रस्तावों के समग्र प्रभाव को मोटे तौर पर आंकने पर मुझ को ऐसा लगता है कि राजस्व की कोई हानि नहीं होगी । किन्तु मैं यह मानता हूं कि आय–कर के अन्तर्गत केंद्र और राज्यों के परस्पर हिस्सों में कुछ समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है । ये समायोजन वर्ष के दौरान कर-संग्रह की प्रवृतियों को देखते हुए किए जाएंगे ।

87. उधार देने की दरों में ऊपर की और समायोजन करने से अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दवाव कम हो जाने चाहिए । अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि 30 जून 1980 के बाद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपार्जित ब्याज के संबध में ब्याज-कर फिर से लागू कर दिया जाय । इस कर के व्याप्ति–क्षेत्र को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि उसमें बड़ी-बड़ी अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्वित्त निगम द्वारा प्राप्त ब्याज की राशियों को भी शामिल किया जा जके । यह कर पहले की तरह ब्याज की प्रभार्य राशि पर 7 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा । इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 217 करोड़ रुपये और 1980-81 में लगभग 108.5 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी ।

88. लक्सरी होटलों में आवास और मनोरंजन पर खुले हाथों किए जाने वाले व्यय को रोकने के उद्देश्य से, मैं एक नया कर लगाने के लिए चालू सत्र में ही एक विधेयक पेश करना चाहता हूं; यह कर उन होटलों की सकल प्राप्तियों पर 15 प्रतिशत की दर से लगाया जायेगा जिनमें एक एकल कमरे का न्यूनतम किराया 75 रुपये प्रति दिन है । यह नया कर 1 सितम्बर, 1980 से लागू करने का प्रस्ताव है । इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 12 करोड़ रुपए और 1980–81 में कोई 5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा ।

89. अब मैं अप्रत्यक्ष कर संबंधी अपने प्रस्तावो पर आता हूं । अपने प्रस्ताव तैयार करते हुए मैंने निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखा है । जहां तक अतिरिक्त साधन जुटाना अनिवार्य है, वहाँ तक यह काम इस प्रकार किया जाए कि किसी भी वस्तु पर बोझ बहुत ज्यादा न बढ़े ।

इस धारणा के अनुसार, हमारे लघु उद्योग क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। रोजगार और निर्यात की प्रचूर क्षमता रखने वाले उद्योगों को शुल्क ढांचे में समुचित फेर-बदल करके, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । आम उपभोग की वस्तुओं पर से शुल्कों का बोझ कम कर दिया जाना चाहिये या बिलकुल ही हटा दिया जाना चाहिये ।

90. शुरू में ही मैं सम्मानित सदस्यों को यह बताकर निश्चन्त कर देना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव बहुत संतुलित है। आमतौर पर यह किया जाता रहा है कि कुछ चुनी हुई मदों पर नए शुल्क लगाए जाते हैं या पुराने शुल्कों की दरों में वृद्धि कर दी जाती है। मगर मैंने इस तरकीब से बचते की कोशिश की है।

91. इस वर्ष मेंने अतिरिक्त कराधान के भार को भिन्न-भिन्न प्रकार की बहुत ज्यादा वस्तुओं पर हल्का-हल्का फैलाने की कोशिश की है और यह भी ध्यान रखा है कि आम उपभोग की वस्तुओं पर इसका असर न पड़े । मैंने इस उद्देश्य को विशेष उत्पाद-शुल्क के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं जो अब भी उत्पाद-शुल्क-योग्य सभी वस्तुओं पर आधारिक उत्पाद-शुल्क के 1/20 कीं दर से लगता है, लेकिन बहुत सी चीजों को इससे मुक्त रखा गया है । मेरे प्रस्ताव के अनुसार, विशेष उत्पाद-शुल्क उन मदों पर लगाया जाएगा जो इस समय इससे मुक्त हैं और इसकी दर लागू आधारिक उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दरों के 1/20 भाग के बराबर होगी। तथापि कुछ चीजें आगे भी पूरी तरह शुल्क-मुक्त रहेंगी । इस प्रकार मोटर स्पिरिट, जिसमें नैथ्था, मिट्टी का तेल, उच्च गति डीजल तेल, हलका डीजल तेल और द्रवित पैट्रोलियम गैस शामिल हैं, तथा कोयले और बिजली पर विशेष उत्पाद-शुल्क नहीं लगेगा । इसके अलावा, दियासलाई, बनास्पती और टेरिफ मद 68 के अंतर्गत आने वाली बस्तुओं पर भी विशेष उत्पाद-शुल्क नहीं लगाया जाएगा। जहां प्रभावी आधारिक शुल्क के 1/20 की दर से पहले ही विशेष उत्पाद-शुल्क लग रहा होगा, उनके संबंध में मैं दर को बढ़ाकर प्रभावी आधारिक शुल्क का 1/10 करने का प्रस्ताव करता हूं लेकिन यह वृद्धि भट्ठी के तेल, एस्फाल्ट, विटुमिन और कोलतार, अन्यथा अविनिर्दिष्ट पैट्रोलियम उत्पाद और भस्मीभूत पैट्रोलियम कोक पर लागू नहीं होगी। चीनी और संसाधित वनस्पति निर्गंध तेलों पर भी बढ़ी हुई दर से शुल्क नहीं लगेगा । इस समय सिगरेटों पर विशेष उत्पाद-शुल्क बिलकुक नहीं लगता, लेकिन अब उन पर आधारिक उत्पाद-शुल्क के 1/10 के हिसाब से विशेष उत्पाद-शुल्क लगेगा। इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 197,71 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। विशेष उत्पाद-शुल्क संबंधी प्रस्तावों के फलस्वरूप, आयातित वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों के रूप में, 16.75 करोड़ रुपए की और प्राप्ती होगी ।

92. सोडा ऐश और कास्टिक सोडे की लगातार कमी रहने के कारण बाजार में इन पर बहुत ज्याद। प्रीमियम मिलता है। मैं इन उत्पादों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत मूल्यानुसार बढ़ाकर इस प्रीमियम के कुछ सिस्से को बटोर लेना चाहता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि मांड (स्टार्च) पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की दर को 10 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। ऐसा करने से ये रासायनिक उत्पाद उन

दूसरे रासायनिक उत्पादों के साथ समान स्तर पर आ जाएंगे जिन पर सामान्य रूप से इस समय 15 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से उत्पार्मे-शुल्क लगता है । संशियष्ट रबड़ पर इस समय 5 प्रतिशत मूल्यानुसार की बहुत नीची दर से शुल्क लगता है । राजस्व के उपाय के रूप में मैं संश्लिष्ट रबड़ पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं । इसी प्रकार विनिर्दिष्ट तेजाबों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की दरों को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है । इन उपायों से एक पूरे वर्ष में 18.93 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

93. राजस्व प्राप्त करने की दृष्टि से ही मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि शीरे पर इस समय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ की मदद 68 के अंतर्गत जो 8 प्रतिशत के हिसाब से शुल्क लगता है उसकी बजाय केन्द्रीय उत्पाद-मुल्क टेरिफ में ही एक अलग मद के अंतर्गत 30 रुपए प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से मात्रानुसार शुल्क लगाया जाए । लेकिन यह शुल्क वैक्यूम पैन वाली चीनी मिलों में उत्पादित शीरे पर ही लगाया जाने का प्रस्ताव है । खाण्डसारी के कारखाने में उत्पादित शीरा जो खाने के काम भी आता है, शुल्क-मुक्त रखा जाएगा । इस प्रस्ताव के फलस्वरूप एक वर्ष में 2.24 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है ।

94. अब मैं उन प्रस्तावों की और आता हूं जो देशी उद्योग के कतिपय क्षेत्रों को पहले से अधिक मात्रा में संरक्षण देने के लिए तैयार किए गए हैं । पहला प्रस्ताव आडिओफ्रीक्वेन्सी ऐम्प्लीफायरों के संबंध में है; यह मद लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखी गई है । इस मद के आयातों के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए मैं आयातों पर लगने वाले सीमा शुल्क को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 120 प्रतिशत मूल्यानुसार करना चाहता हूं । मेरा दूसरा प्रस्ताव आयातित कोरी रंगीन पाजिटिव सिनेमा फिल्मों के बारे में है जिनके संबंध में आधारिक सीमा-शुल्क को 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया प्रति लीनियर मीटर कर देने का प्रस्ताव है ताकि हमारे सरकारी क्षेत्र का ऐसी फिल्में बनाने का कारखाना आयातित फिल्मों के मुकाबले में ठहर सके । देशी कम्प्यूटर उद्योग को संरक्षण देने के उद्देश्य से मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि आयतित कम्प्युटरों पर लगने वाले प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए । इन उपायों से एक पूरे वर्ष में लगभग 1.83 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है ।

95. अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में मेरा राजस्व सन्बन्धी केवल एक प्रस्ताव और है । इमका सम्बन्ध यात्रियों के समान से है । जैसाकि सम्मानित सदस्य जानते हैं. 1978 में यात्रियों के सामान पर दी जाने वाली छूटों को काफी उदार बना दिया गया था और थोड़े समय के लिए विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए सामान्य रूप से ये छूटें उदार बना दी गई थी जिनके परिणामस्वरूप उन्हें 1,000 रुपए तक के मूल्य के सामान को बिना शुल्क दिए और 2000 रुपए तक के मूल्य की वस्तुओं को शुल्क अदा करके लाने की अनुमति थी । इस उदारीकारण के बावजूद, कई यात्रियों द्वारा यात्री-समान की किस्म की वस्तुओं का अनुमत सीमाओं से कहीं अधिक मात्रा में बराबर आयात किया जाता रहा । इसका मुख्य कारण यह है कि लोग विदेशी चीजों के पीछे पागल-से हो रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी

मुनाफा होता है । अनुमत सीमाओं से अधिक ऐसे यात्री-सामान का आयात किये जाने की स्थिति में न्यायनिर्णयन की कार्रवाई आरम्भ करना जरूरी हो जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की निकासी की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस सम्बन्ध में मैं दो प्रस्ताव रख रहा हूं । पहला तो विशुद्ध रूप से राजस्व सम्बन्धी उपाय के रूप में है, जिसके अनुसार निःशुल्क सीमा से अधिक यात्री-सामान की वस्तुओं पर शुल्क की दर 120 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 150 प्रतिशत मूल्यानुसार की जा रही है । यह उपाय तत्काल लागू हो जाएगा और इससे पूरे वर्ष में 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्ति होगी । दूसरे उपाय में, जो शीघ्र ही लागू किया जाएगा, अनुमत सीमाओं में अधिक आयात किए गए यात्री-समान पर 320 प्रतिशत की समान दर पर शुल्क लगाया जाएगा, अर्थात यह शुल्क, नि शुल्क अथवा 150 प्रतिशत का शुल्क देकर लाए जा सकने वाले यात्री-सामान से अधिक सामान के आयात पर लगाया जाएगा । फिलहाल ऐसी वस्तुओं का लाया जाना बिना लाइसेंस का आयात माना जाता है और इसलिए उन्हें जब्त किया जा सकता है, अथवा उन पर जुर्माना या दण्ड लगाया जा सकता है ताकि इन वस्तुओं को बेचने पर जो मुनाफा होता हो उसे शून्य कर दिया जाए । शुल्क की दर बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि न्यायनिर्णयन की लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया से गुजरना न पड़े और इन जुर्मानों और दण्डों के स्थान पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए । लेकिन ऐसी वस्तुओं के संबंध में जो स्पष्टतः व्यापारिक किस्म की होंगी अब भी दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी ।

96. मेरे कुछ और भी प्रस्ताव हैं जो अनिवार्यतः करों को युक्तिसंगत बनाने के उपायों के रूप में हैं । पहला वातित जल (एयरेटिड वाटर) के संबंध में है । प्रस्ताव है कि सरलीकरण के उद्देश्य से, उत्पाद-शुल्क के प्रयोजन से कैफीन वाले और बिना कैफीन के वातित जल के वर्तमान भेद को समाप्त कर दिया जाए और इसके बजाये सभी प्रकार के सुवासित वातित जल पर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार की समान दर से शुल्क लगा दिया जाए । इस प्रस्ताव का राजस्व प्रभाव नगण्य होगा ।

97. मैं 1979 के बजट में, दियासलाई उद्योग पर लागू उत्पाद-शुल्कों के ढ़ांचे में किये गए परिवर्तनों से उत्पन्न समस्याओं कर काफी विचार किया है । यद्यपि कुटीर उद्योग क्षेत्र को दिए गये लाभों को बराबर बनाये रखने की स्पष्ट आवश्यकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अ-यंत्रीकृत मध्यवर्ती क्षेत्र को कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में घुसपैठ करने दी जाये । इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये कि शुल्क की नीची दर का लाभ केवल कुटीर उद्योग क्षेत्र के असली एककों को ही प्राप्त हो, मेरा यह प्रस्ताव है कि दियासलाइयों पर शुल्क की रियायत को अनुमोदित लेबलों वाली और खादी ग्रामोद्योग आयोग, राज्यों के अभिकरणों तथा पंजीकृत सहकारी समितियों को बेची गई या उनको माध्यम से बेची जाने वाली दियासलाइयों तक सीमित कर दिया जाए । इसके साथ-साथ, मुझे कुटीर क्षेत्र के सम्बन्ध में शुल्क की रियायती दर पर दियासलाइयों की निकासियों की मौजूदा सीमाओं का कोई औचित्य प्रतीत नही होता । अतः मैं कुटीर क्षेत्र के एककों द्वारा किये गए उत्पादन पर लगी मौजूदा सीमाओं को समाप्त करने का

प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि इन मिले जुले उपायों से कुटीर क्षेत्र के दियासलाई उद्योग का तेजी से विकास होगा।

98. बीड़ी उद्योग ने उन निर्माताओं द्वारा किये जाने वाले कदाचार की शिकायतें मिली हैं जो बिना ब्राण्ड की बीड़ी के क्षेत्र पर लागू छूट की उदार सीमा का, जो इस समय 60 लाख बीड़ी प्रति निर्माता प्रतिवर्ष है, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस कदाचार की संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से मेरा यह प्रस्ताव है कि छूट की इस सीमा को कम करके बिना ब्राण्ड की 30 लाख बीड़ी प्रति निर्माता प्रतिवर्ष कर दिया जाये। इससे अब भी वे निर्माता उत्पाद-शुल्क के जाल से बाहर रह जाएंगे जो वास्तव में छोटे हैं और अपना धन्धा खुद करते हैं। इसका उद्देश्य कोई राजस्व उगाना नहीं है।

99. वित्त विधेयक के कुछ उपबन्धों का उद्देश्य कतिपय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ की मदों को युक्तिसंगत बनाना या उनकी स्पष्ट परिभाषा करना है, ताकि उन सन्देहों या कठिनाइयों को दूर किया जा सके जो हमारे ध्यान में आई हैं। इन उपायों का ब्यौरा बजट-पत्रों में देखा जा सकता है।

100. अब मैं अप्रत्यक्ष करों में दी जाने वाली रियायतों की ओर आता हूं। हमारी अर्थ-व्यवस्था में छोटे निर्माता की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि बड़े निर्माता की तुलना में उसकी प्रतियोगितात्मक स्थिति में और सुधार हो और इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था का उद्यम-विषयक आधार और व्यापक हो। यही एक मात्र ऐसा उपाय है जिससे हम आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोक सकते हैं। उत्पाद-शुल्क-योग 70 वस्तुओं के निर्माताओं पर लागू होने वाली शुल्क सम्बन्धी रियायतों की एक योजना पहले से ही मौजूद है जिसके अन्तर्गत एक वर्ष में 5 लाख रुपये तक के मूल्य की निकासियों को शुल्क से छूट दी गई है। मैं अब इस रियायत को दो पहलूओं से उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूं। पहला पहलू तो यह है कि मैं इस योजना के अन्तर्गत वस्तुओं के दो और समूहों को शामिल करना चाहता हूं। ये हैं: रसायन अर्थात सोडियम बाइक्रोमेट, ब्लीचिंग पाउडर, केल्शियम कार्बाइड तथा कृत्रिम व सिंथेटिक रेसिन और प्लास्टिक सामग्री। इसके अलावा कागज और कागज के गत्ते से सम्बद्ध क्षेत्र को और व्यापक बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण रियायत, जिसे मैं देना चाहता हूं यह है कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सभी वस्तुओं के बारे में 5 लाख रुपए और 15 लाख रुपए के बीच की निकासियों पर इस समय जो सामान्य उत्पाद-शुल्क की दर लगती है उसके मुकाबले केवल उसकी तीन-चौथाई दर पर लागू होगी। इस उपाय से बड़ी संख्या में छोटे निर्माताओं को लाभ पहुंचेगा। इसके परिणामस्वरूप पूरे वर्ष में राजस्व की लगभग 6.50 करोड़ रुपए की हानि होगी।

101. पिछले वर्ष के बजट में एक ऐसा परिवर्तन किया गया था, जिसका केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ की अवशिष्ट मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के बहुसंख्यक लघु निमाताओं पर प्रभाव पड़ता था। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि निःशुल्क निकासियों की मात्रा 30 लाख रुपए से घटा कर 15 लाख रुपए कर दी गई थी। मैंने इस परिवर्तन का तब भी विरोध किया था। ऐसे छोटे निर्माताओं को पेश आने वाली कठिनाइयों को दूर रखने के उपाय के रूप

में मैं 30 लाख रुपए वार्षिक तक की निकासियों को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ की मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के छोटे निर्माता, जिनके संयंत्र और मशीनों पर 10 लाख रुपए से अधिक पूंजी न लगी हो, एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपए तक के माल की पहली निकासी पर शुल्क से पूरी छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे, वशर्ते कि उससे पिछले वर्ष उनकी निकासियों का मूल्य 30 लाख रुपए से अधिक न हो। चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए पूरी छूट की पात्र निकासियों की मात्रा तदनुरूप कम करके निर्धारित की जाएगी। इस रियायत से पूरे वर्ष में 2.4 करोड़ रुपए की हानि होने की सम्भावना है।

102. देश में कागज और संबद्ध उत्पादों की कमी है और इस क्षेत्र में तत्काल कोई नई पूंजी नहीं लगाई जा रही है। उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे एकक बहुत कुछ कर सकते हैं। अत इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए मैं उन छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित कागज और कागज के गत्ते पर लागू मौजूदा 30 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर के स्थान पर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं जिन कारखानों की पिछले वित्तीय वर्ष की निकासियों की मात्रा 300 मेट्रिक टन कागज और कागज के गत्ते से अधिक न हो। इस रियायत से पूरे वर्ष में एक करोड़ रुपए से कुछ कम की हानि होगी।

103. इलेक्ट्रानिकी उद्योग में रोजगार और निर्यात की काफी सम्भावनाएं हैं। हमारे पास आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता मौजूद है और उचित राजकोषीय प्रोत्साहनों के जरिए इलेक्ट्रानिकी उद्योग का विकास करने के प्रयोजन से इनका बड़े पैमाने पर लाभ उठाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लघु निर्माता के लिये आगे बढ़ने की बड़ी गुंजाइश है। अतः इस उद्योग के लिये, मैं शुल्कों में कुछ रियायतों का प्रस्ताव करता हूं। पूंजीगत मशीनों और उपकरणों जैसी विनिर्दिष्ट मदों पर, जिनकी इलेक्ट्रानिकी उद्योग को आवश्यकता होती है और जिनका देश में उत्पादन नहीं होता सीमा-शुल्क में कटौती कर दी जाएगी। ऐसी मदों पर सीमा-शुल्क की वर्तमान दर (जो कुछ मामलों में 89 प्रतिशत मूल्यानुसार तक ऊंची है) घटाकर कुल 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दी जायेगी। इसी प्रकार, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिये आवश्यक विनिर्दिष्ट कच्चे माल और संघटकों पर लगने वाले सीमा-शुल्क की दरों के वर्तमान स्तर को (जो कुछ मामलों में 200 प्रतिशत मूल्यानुसार से भी ऊंचा है) घटाकर 45 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाये और प्रतिसन्तुलनकारी-शुल्क भी लगता रहे जहां मद 68 के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क लगता है। इन रियायतों से राजकोष को पूरे वर्ष में 4.7 करोड़ रुपये की हानि होगी।

104. अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है कि इलेक्ट्रानिकी की उपभोक्ता वस्तुओं के विकास से कुछ समय बाद इलेक्ट्रानिकी की अन्य अत्याधुनिक वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी सुविधा हो जाती है। टेलीविजन संचार और शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है। इस विचार से कि अधिक से अधिक लोगों को इस माध्यम से लाभ हो, मैं सस्ते टी. वी. सेटों पर लगने वाले उत्पादक-शुल्क को 15 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटा कर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार और इसी प्रकार अन्य टी. वी. सेटों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 30 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 25

प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। इन रियायतों से एक वर्ष 1.5 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

105. इसी प्रकार रेडियो भी शिक्षा और मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है और इसका उपयोग अधिक व्यापक रूप से किया जाता है। सरकार का विचार है कि एक और दो बैंड वाले रेडियो सेटों को खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। ऐसे सेटों पर लगने वाली लाइसेंस फीस बहुत चुभती रही है और इससे ग्रामीण जनता द्वारा रेडियो सेट खरीदने के मार्ग में रुकावट आती है अतः मैं एक और दो बैंड वाले रेडियो सेटों तथा ट्रांसिस्टर सेटों पर से यह लाइसेंस फीस बिल्कुल हटा लेने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि इसका सर्वत्र स्वागत होगा। इस छूट से सरकार को लगभग 4 करोड़ रुपए की हानि होगी।

106. हमारा कम्प्यूटर उद्योग अन्य देशों की तुलना में अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। देश में कम्प्यूटरों के उत्पादन को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के विचार से मैं देश में बने कम्प्यूटरों पर लगे उत्पादक-शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं।

107. जहाज-निर्माण एक उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग है और वह देश को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस समय भारतीय जहाज-निर्माण उद्योग को विदेशी जहाज निर्माताओं से प्रतियोगिता करने में अधिकाधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं जहाज बनाने वाले भारतीय कारखानों में बने समुद्रगामी जहाजों के लिए उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। चालू वर्ष में इस राहत के कारण लगभग 5 करोड़ रुपए की राजस्व-हानि होगी।

108. सम्मानित सदस्य जानते हैं कि उद्योगों की पूंजीगत लागत को कम करने के उपाय के रूप में सरकार देशी दृष्टिकोंण रहित कुछ चुनी हुई मशीनों के सम्बन्ध में आयात-शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार तक घटाने की पद्धति का अनुसरण करती रही है। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए मैं इस वर्ष पूंजीगत मशीनों की बारह और मदों पर लगे आयात-शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार तक घटाने का प्रस्ताव करता हूं। मशीनों की इन मदों में मुद्रण उद्योग में काम आने वाली हाई स्पीड लैटर प्रेस, रोटरी और आफसेट रोटरी प्रिंटिंग मशीनों, मोनो/लाइनो टाइप कास्टिंग मशीनों आदि जैसी पांच मदें शामिल हैं। इन रियायतों से पूरे वर्ष में 1.84 करोड़ रुपए के राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा।

109. हाई प्रेशर गैस सिलिंडर की लागत गैस उद्योग की कुल पूंजीगत लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। इस पूंजी परिव्यय को कुछ हद तक कम करने की दृष्टि से मैं हाई प्रेशर गैस सिलिंडरों के निर्माण के लिए आयात की जाने वाली इस्पात की ट्यूबों को सीमा-शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। साथ ही मैं ऐसे सिलिंडरों पर लगने वाले वर्तमान 15 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पाद-शुल्क को घटाकर 8 प्रतिशत मूल्यानुसार तक करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिन पर मद 68 के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क लगता है। इन दोनों उपायों से कुल मिलाकर पूरे वर्ष में 1.89 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान है।

110. मेरा एक सामान्य रूप से लागू होने वाला प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य उन उत्पाद-शुल्क-योग्य वस्तुओं के निर्माताओं को सुविधा प्रदान करना है जिनके निर्माण में ऐसी वस्तुएं काम में लाई जाती हैं जिन पर उत्पाद शुल्क लगता है। ऐसे मामलों में राहत पहुंचाने के लिए इस समय दो तरीके अपनाए जाते हैं। इन में एक है जिसे मुजरे का तरीका (सेट आफ प्रोसीजर) कहा जाता है। दूसरा है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 56क के अन्तर्गत प्रोफार्मा क्रेडिट का तरीका। प्रोफार्मा क्रेडिट के तरीके को प्राय: निर्माताओं के लिए अधिक लाभप्रद और कम कष्टकर माना जाता है। अत: मैं मुजरे के तरीके के आधार पर दी जाने वाली वर्तमान रियायतों के स्थान पर प्रोफार्मा क्रेडिट के तरीके के आधार पर ऐसी ही रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस उपाय का उद्योग द्वारा स्वागत किया जाएगा।

111. मुझे सम्मानित सदस्यों को यह याद दिलाते हुए थोड़ा कष्ट हो रहा है कि पिछले वर्ष के बजट में आम उपभोग की कई वस्तुओं पर काफी हद तक उत्पाद-शुल्भ बढ़ा दिया गया था। मैं इस प्रवृत्ति को उलट देने का प्रस्ताव करता हूं। अत:

— तीस प्राण-रक्षक दवाओं को उत्पाद-शुल्क से बिल्कुल छूट दे दी गयी है। इन दवाओं की सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी ताकि जरूरत पड़ने पर इसमें और दवाएं भी जोड़ी जा सकें।

— कंट्रोल का कपड़ा समाज के कमजोर वर्गों के लिए होता है और इसकी कीमत कम से कम होनी चाहिए। इसलिए मैं कंट्रोल के कपड़े को उत्पाद-शुल्क से बिल्कुल मुक्त कर देने का प्रस्ताव करता हूं।

— सूती और सूती-विस्कस होजिरी, जिसमें बनियानों जैसी मदें आती हैं, अपेक्षाकृत कम मूल्य की होती हैं और होजिरी की इन मदों पर 8 प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क लगता है। मैं इन्हें उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर देने का प्रस्ताव करता हूं।

— साइकिल गरीब आदमी की सवारी है। इसलिए मैं साइकिलों और मद 68 के अन्तर्गत आने वाले साकिलों के पुर्जों को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

— सिलाई की मशीन के बिना गृहिणी का काम बिल्कुल नहीं चल सकता और समाज के कमजोर वर्ग इन मशीनों से रोजी भी कमाते हैं। इन पर उत्पाद-शुल्क से बिल्कुल छूट दे दी जाएगी।

— प्रेशरकुकर से गृहिणी के रोजमर्रा के काम में मेहनत की काफी बचत होती है और साथ ही इससे ईंधन भी बचता है। प्रेशरकुकर पर इस समय 15 प्रतिशत की दर से जो उत्पाद-शुल्क लगता है मैं इसे कम कर के 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

112. मैं रोजमर्रा के काम आने वाली कई और वस्तुओं पर लगे उत्पाद शुल्क में काफी कटौती करने का प्रस्ताव करता हूं। अतः

--- नहाने के साबुन की सस्ती किस्मों पर उत्पाद-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा;

— टुथ पेस्ट पर लगने वाला उत्पाद-शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा;

— वैक्यूम और गैस वाले 60 वाट तक के बल्बों पर उत्पाद-शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा :

113. मुझे विश्वास है कि इन काफी रियायतों का जिनसे राजकोष को पूरे वर्ष में लगभग 15 करोड़ रुपए की हानि होगी, संसद और जनता द्वारा स्वागत किया जाएगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि उद्योग और व्यापारी वर्ग उपभोक्ता के साथ उचित व्यवहार करेंगे और उत्पाद–शुल्क में की गई इन कटौतियों का फायदा आगे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे।

114. हमारी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में टैक्सियों को डीजल से चलाने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इस वायदे को पूरा करने और टैक्सी मालिकों को अपनी टैक्सियों में डीजल इंजन लगवाने के लिए प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से मैं पेट्रोल से चलने वाली टैक्सियों के इंजनों को डीजल इंजनों में बदलने की सूरत में डीजल इंजनों को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

115. मेरे दूसरे प्रस्ताव का उद्देश्य साइकिल रिक्शाचालकों को राहत देना है। मोटर से चलने वाले रिक्शे पहले से ही उत्पाद-शुल्क से मुक्त हैं। मोटर के बिना चलने वाले रिक्शों को मोटर से चलने वाले रिक्शों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं इस काम में आने वाले अन्तर्दहन इंजनों को उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मुझें विश्वास है कि सम्मानित सदस्य मेरे इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे क्योंकि इससे निश्चय ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम शारीरिक श्रम को कम करने और सवारी के इस सस्ते साधन को बढ़ावा देने के लिए कितने उत्सुक हैं।

116. अप्रत्यक्ष करों की बात समाप्त करने से पूर्व मुझे नीति सम्बन्धी एक प्रमुख घोषणा करनी है। पिछले बीस वर्षों से लोग प्रत्यक्ष करों की भांति सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के मामलों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की मांग करते रहे हैं। हाल में संसद की प्राक्कलन समिति ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया है। गत वर्षों में सरकार इस प्रकार की किसी व्यवस्था के पक्ष में नहीं थी क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता था कि अप्रत्यक्ष करों के मामले में ऐसा करना उचित नहीं होगा और यह भी कि वर्तमान विभागीय तंत्र का दृष्टिकोण वस्तुतः वस्तुपरक रहता है। मेरे विचार में अब ऐसा समय आ गया है जब हमें इस आम राय को शालीनता के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए जो इस नीति-वाक्य पर आधारित है कि न्याय न केवल किया ही जाए बल्कि किया हुआ दिखाई भी दे।

इसी भाव से प्रेरित होकर वित्त विधेयक में सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण के मामले में अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण को स्थापन करने की व्यवस्था की गई है। यह न्यायाधिकरण उस कार्यपालक तंत्र से बिल्कुल स्वतंत्र होगा जिस पर राजस्व विषयक कानूनों के रोजमर्रा के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि संसद और व्यापार तथा उद्योग इस उपाय का तहे दिल से अनुमोदन करेंगे।

117. मेरे कर-प्रस्तावों से पूरे वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से 223.22 करोड़ रुपए की और सीमा शुल्कों से 39.58 करोड़ रुपपे की प्राप्ति होगी। मैंने जिन राहतों की घोषणा की है उनमें से 34.75 करोड़ रुपए की राहतें केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत और 7.93 करोड़ रुपये राहतें सीमा-शुल्क के अन्तर्गत आती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से 188.47 करोड़ रुपए और सीमा शुल्कों से 31.65 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी। पूरे वर्ष में इनसे केन्द्रीय राजकोष में 144.85 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी और राज्यों का हिस्सा 75.27 करोड़ रुपए होगा।

118. जिन मामलों में परिवर्तनों को अधिसूचनाओं द्वारा 19 जून 1980 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है, उन अधिसूचनाओं की प्रतियाँ यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएंगी।

119. अब मैं अपने सम्मानित सहयोगी संचार मंत्री की ओर से कुछ शब्द कहना चाहूंगा। डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी किए जाने और उनके लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस मंजूर किए जाने के परिणामस्वरूप विभाग का कार्यचालन व्यय काफी बढ़ गया है। इसलिए कुछ चुनी हुई सेवाओं की शुल्क दरों को बढ़ाना जरूरी हो गया है। इन शुल्क दरों में संशोधन करने के प्रस्ताव करते समय सरकार बड़ी सावधानी से ऐसी सेवाओं की शुल्क-दरों में संशोधन करने से दूर रही है, जिनका साधारणतया आम आदमी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट कार्ड और अन्तर्देशीय पत्रों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। लेकिन न्यूनतम खण्ड पर पत्रों की शुल्क दर 30 पैसे से बढ़ा कर 35 पैसे की जा रही है। प्रत्येक 500 ग्राम के लिए पार्सल की दर 1.50 रुपए से बढ़ाकर 2.00 रुपए कर दी जाएगी। टेलीफोन कनेक्शन लगाने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के प्रभार भी बढ़ाए जा रहे हैं। एक तिमाही में 5,000 स्थानीय कालों से अधिक कालों पर मौजूदा 40 पैसे प्रति काल की दर के बजाए 50 पैसे प्रति काल के हिसाब से प्रभार लिया जाएगा। बजट पत्रों के साथ एक ज्ञापन परिचारित किया जा रहा है जिसमें प्रस्तावित शुल्क दरों का विवरण दिया गया है। इस ज्ञापन को देखने से पता चलेगा कि डाक और दूर संचार की अधिकतर सेवाओं के प्रभारों को छुआ तक भी नहीं गया है। प्रभारों में ये परिवर्तन संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित कर दिए जाने के बाद अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होंगे प्रस्तावित शुल्क-दर-संशोधनों से प्रति वर्ष 27.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। वर्ष 1980-81 में लगभग 13 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है और डाक-तार विभाग का राजस्व अनुमान लगाते समय इसे हिसाब में ले लिया गया है।

120. बजट में प्रस्तावित राहतों को हिसाब में लेने के बाद, कुल मिलाकर कर-प्रस्तावों से चालू वर्ष में, लगभग 282 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी जिसमें से 223 करोड़ रुपए केन्द्र को मिलेंगे। इस प्रकार बजट में 1417 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा जिसे मैं बिना कोई व्यवस्था किए छोड़ देना चाहता हूं। यह घाटा पिछले वर्ष के घाटे के आधे से थोड़ा-सा अधिक है। मेरे विचार में इतने घाटे का अर्थ-व्यवस्था पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि मानसून की स्थिति सामान्य रही और यदि हम न ठोस आर्थिक नीतियों पर बराबर अमल करते रहे जो हम ने पहले ही शुरू कर रखी है, तो हमें इस बात की पूरी आशा है कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त सुधार रहेगा जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही हमें एक दायित्वपूर्ण मुद्रा-नीति पर अमल करेंगे जिससे अनुत्पादक या सट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए बैंक ऋणों के विस्तार पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

121. महोदय, वर्तमान सरकार को विरासत में मिली कठिन आर्थिक स्थिति की मजबूरियों के दायरे में रहते हुए मैंने उन लोगों को राहत देने की भरसक कोशिश की है जिन्हें उसकी सब से ज्यादा जरूरत थी। लेकिन राहतें तो पीड़ा को कुछ हद तक ही कम कर सकती हैं और निर्धन समाज की वास्तविक आवश्यकता तो विकास ही है, इसलिए मैंने पूंजी निवेश को उचित प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास किया है। सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों में अधिक पूंजी-निवेश के द्वारा और खास तौर से विभिन्न भागों में उसके बंटवारे से उत्पादन और रोजगार दोनों में काफी वृद्धि होनी चाहिए। सरकार की विशेष जिम्मेदारी समाज के उन कमजोर वर्गों के प्रति है जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ उसे अपना समर्थन प्रदान किया है। इस बजट में, इनके कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से तैयार किए गए विशेष कार्यक्रमों के द्वारा उनको संरक्षण देने का प्रयास किया गया है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो हम गरीब और माध्यम वर्गों के लोगों की न्यूनतम बुनियादी जरूरतों को पुनः सशक्त बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए निश्चय ही पूरा करेंगे। देश में एक मजबूत और एकजुट होकर काम करने वाली सरकार के आ जाने से मौजूदा उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो सकेगा।

122. देश की अर्थव्यवस्था को स्थायित्व, विकास और सामाजिक न्याय के पथ पर पुनः अग्रसर करने की प्रक्रिया में मेरा बजट एक विनम्र योगदान है। लेकिन इसकी सफलता उन सभी लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है जो खेतों-खलिहानों, मिलों-कारखानों, बिजलीघरों, बंदरगाहों, रेलों और कोयला खानों आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इस देश की जनता को इन उद्देश्यों को पूरा करने में वर्तमान सरकार की क्षमता के बारे में बड़ी आशाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस कार्य में सच्चे मन से अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिये सदा तत्पर रहेंगे। हम सब का यह समान प्रयास होना चाहिए कि हम दलगत पूर्वाग्रहों और भावावेशों से ऊपर उठ कर जन-उत्साह का विकास कार्यों के लिए उपयोग करें।

वित्त संख्या २ विधेयक-१९८०

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन): महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार के वित्तीय वर्ष 1980-8 के वित्तीय प्रस्तावों का लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार के वित्तीय वर्ष 1980-81 के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री आर० वेंकटारमन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

6.40 **म० प०**

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 19 जून, 1980 29 जेष्ट 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———